राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या: 14

बुधवार,

09 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु लैब की स्थापना

212. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2020-21 में मिलावटियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जाने के लिए एक पृथक् आथोरिटी के गठन की घोषणा की थी? यदि हां, तो उक्त आथोरिटी का गठन कब किया गया व कितनी बजटीय व्यवस्था की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने मिलावटी पदार्थों की जांच हेतु लैब खोले जाने व नमूनों को ऑनलाइन किये जाने तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाने की बजटीय घोषणा की थी? यदि हां, तो कितने जिलों में उक्त लैब खोली गई व कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक मिलावटी खाद्य सामग्री के लिये गये नमूनों में से कितने नमूनों की जांच लम्बित है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 29(1) के प्रावधानुसार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का शासकीय आदेश दिनांक 22.06.2020 के द्वारा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य पदेन सदस्य हैं तथा सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अधिकारी आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) को बनाया गया है। अत: पृथक से प्राधिकरण हेतु बजट की आवश्यकता नहीं है।

(2) जी हां। मिलावटी पदार्थो की जांच हेतु राज्य में 11 जिलों में यथा जयपुर, जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, चूरू एवं जालौर में खाद्य प्रयोगशालायें संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में संभागीय स्तर पर 9 चल खाद्य प्रयोगशालायें भी संचालित हैं। बजट घोषणा की पालना में सीकर, बारां, भीलवाड़ा, बाड़मेर, धौलपुर, नागौर एवं गंगानगर जिलों में खाद्य प्रयोगशाला स्थापित किये जाने हेतु बजट प्रावधान किये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। स्वीकृति परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है। मिलावटखोरों के विरुद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही हेतु पृथक से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक खाद्य सामग्री के कुल 22763 नमूने लिये गये हैं। उक्त सभी नमूनों की जांच की जा चुकी है। इनमें से जांच हेतु कोई नमूना वर्तमान में लम्बित नहीं है। विवरण परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने जो परिशिष्ट "ब" दिया है उसमें आपने लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या-13.01.00 में मिलावटी पदार्थों की जांच के लिये प्रत्येक जिले में लैब का गठन किया जायेगा, नमूने ऑनलाइन किये जायेंगे। उसके क्रियान्वयन में आपने 7 लैब का जिक्र किया है जिनकी स्वीकृति आप जारी कर रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि परिशिष्ट ''ब'' में उल्लेखित प्रत्येक जिले की लैब का गठन कब तक कर देंगे और ऑनलाइन रिपोर्ट कब आनी प्रारम्भ हो जायेगी?

नम्बर-2, आपने परिशिष्ट ''ब'' के खण्ड-2 में कहा कि फास्ट ट्रैक की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो यह प्रक्रिया आप कब पूरी कर लोगे और एक मैं इसके साथ ही पूछना चाहता हूं कि मिलावटी खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में फूड सेफ्टी अपीलेंट ट्रिब्यूनल कब से रिक्त पड़ा है? 350 प्रकरण इसमें लम्बित हैं, दो साल से यह रिक्त क्यों पड़ा है?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने प्रयोगशालाओं के बारे में पूछा, अभी भी माननीय मुख्य मंत्री

(श्री परसादी लाल)

जी ने जो बजट घोषणा की है उसमें करीब-करीब सभी जिलों में चल चिकित्सा इकाइयां 11 इस बजट में भी हैं। हम चाहते हैं कि 1 जनवरी से जो खाद्य सुरक्षा अभियान चलाया, निश्चित रूप से उसमें बहुत सारे केसेज आये और उनकी त्वरित जांच के लिये हमारे समय जो भी आपने जो टाइम पूछा, 22,000 के करीब नमूने आये हैं उनकी हण्ड्रेड परसेंट हमने जांच करके उन पर कार्यवाही कर दी गयी है और निश्चित रूप से हमारे तीन साल के कार्यकाल में जो हुआ, आप भी माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। प्राधिकरण का गठन भी आपके समय नहीं हुआ। एक्ट 2006 का था। आपके समय गठन भी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमने गठन भी किया। हमने एक आईएएस आफिसर को इसमें अधिकारी लगाया। निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में घोषणाएं की चाहे वह फास्ट ट्रेक कोर्ट का है, वह भी प्रक्रियाधीन है। हम चाहते हैं कि लोगों को शुद्ध मसाले, खाद्य सामग्री मिले उसके लिये पहली बार, आपके समय कभी नहीं चला शुद्ध के लिये युद्ध अभियान, हमने वापस चलाया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पोस्टें आप तो 55 छोड़कर गये थे हमने 50 डाक्टरों को अतिरिक्त उनका चार्ज दिया है और हमने निश्चित रूप से अभी बजट में 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती करने के लिए भी प्रावधान किया है। हम चाहते हैं कि लोगों के जीवन की सुरक्षा हो, इसका प्रभावी रूप से भारत सरकार का जो 2006 का एक्ट है उसकी पालना निश्चित रूप से हो और आपने जो भी समस्याएं दीं, निश्चित रूप से हमने आपको सूचनाएं दी हैं परिशिष्ट अ, ब, स, अगर उसमें कहीं कोई कमी-खामी हो तो आप बतायें, उसका समाधान करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): परिशिष्ट ''ब'' में जो आपने कहा न, परिशिष्ट ''ब'' में मुख्य मंत्री जी की जो 2020-21 की घोषणा थी, आप वह घोषणा कब पूरी कर दोगे? मुझे यह बता दो और आपने कहा कि हमने 22 हजार से ज्यादा जो नमूने ले लिये, इसमें कितने प्रकरण अनसेफ के थे, कितने सब स्टैण्डर्ड के थे और कितनों के खिलाफ आपने चालान कर दिया? यह बता दो। दो ही बात है, छोटी सी बात है। एक तो आपने नमूने लेने ....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, पांच प्रश्न हो गये। आप बैठो।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट में जो घोषणा थी जिसके तहत पृथक से एक आथोरिटी के गठन की घोषणा की। बजट घोषणा है मुख्य मंत्री जी की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो परिशिष्ट देखो न। आप तो आपका देखो न खुद का।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री का उत्तर सुनें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बजट की कापी लाया हूं, 'घोषणा करता हूं ताकि शुद्ध के लिये युद्ध अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा सके। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में लैब का गठन किया जायेगा।' हमने काफी जिलों में कर दी, बाकी होगी। इस वर्ष हम सभी जिलों में माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जहां लैब नहीं होगी और इसमें प्रक्रिया होती है, भारत सरकार से लैब की परमिशन लेनी पड़ती है, आप तो जानते हैं। अभी चूरू और जालौर की है, वह भारत सरकार को परमिशन के लिए भेजी है। जब तक भारत सरकार उसकी परमिशन नहीं देगी तब तक उस लैब को हम चालू नहीं कर सकते हैं। यह कानूनी प्रावधान है इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जो मंशा है, प्रत्येक जिले में लैब की स्थापना होगी। इसी वित्तीय वर्ष में हम सारे जिलों में लैब की स्थापना कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने कहा कि हमने 22,763 सैम्पल लिये, उनमें से कोई भी पैंडिंग नहीं है तो सरकार को इसके लिए धन्यवाद पर आप यह बता दो कि इन सैम्पल्स का जो टैस्ट हुआ उसमें नेगेटिव कितने थे, पोजिटिव कितने थे?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इसमें नेगेटिव, पोजिटिव आये, उनका भी विवरण मैंने दिया है। निश्चित रूप से 2019 में धारा-51 के तहत जो अमानक पाये गये, उनका रिकार्ड भी मैंने आपको दिया है। निश्चित रूप से आप देखें।

श्री अध्यक्ष: नहीं है इसमें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह अजमेर में 59 कुल अशुद्ध पाये गये जिनको न्यायालयों में पेश किये हमने 918 एसीजेएम एडीएम के यहां, 468 किये एसीजेएम के यहां और निश्चित रूप से सब में पैनल्टी हुई। एक करोड़ से भी अधिक पैनल्टी विभिन्न न्यायालयों ने की है। हमने सबके चालान समय पर किये हैं। निश्चित रूप से उसकी जांच होकर

(श्री परसादी लाल)

चालान किये हैं। यह विवरण नेता, प्रतिपक्ष चाहेंगे तो मैं आपको एक कापी दे दूंगा। निश्चित रूप से एक करोड़ से भी अधिक राशि पैनल्टी के रूप में वसूल की है।

श्री अध्यक्ष: मांगा नहीं है। माननीय सदस्य, लम्बा हो जायेगा। प्रश्न पर आज पहली बार उप नेता सही प्रश्न नहीं पूछ पाये। 2020-21 के बजट की 2022 की इसमें सैंक्शन निकली है, यह प्रश्न होना चाहिये। अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप बैठें। दस मिनट हो गये हैं। प्लीज आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपकी मेहरबानी चाहता हूं, हमने यही पूछा है कि इन्होंने कहा कि आपको दिया है। आप भी देख लो अपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, आपने पूछा भी नहीं है। प्लीज राजेन्द्र जी, don't compel. अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल। आपने पूछा ही नहीं है, don't compel.

झाड़ोल में फसल बीमा के लाभार्थी

213. श्री बाबुलाल (झाड़ोल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है? यदि हां, तो कितने किसानों को उक्त योजना का लाभ मिल रहा है व कितनों को नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप लागू है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत अधिसूचित इकाई तहसील/पटवार में अधिसूचित फसलों में क्रमश: 16 एवं 4 फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के औसत की तुलना पूर्व निर्धारित गारंटी उपज से की जाकर आनुपातिक क्षति के आधार पर बीमा क्लेम संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा दिये जाते हैं। एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र के लिये खरीफ 2019 से अब तक निम्न प्रकार का बीमा क्लेम वितरित किये गये हैं:-

(कृषि मंत्री)

मौसम	लाभान्वित फसल बीमा पालिसी	वितरित बीमा क्लेम
खरीफ 2019	1 हजार 122	55 लाख 60 हजार रुपये
रबी 2019-20	434	12 लाख रुपये
खरीफ 2020	16	7 हजार 630 रुपये
रबी 2020-21	616	21 लाख 14 हजार रुपये
खरीफ 2021	13 हजार 505 पालिसियां सृजित हुई हैं। बीमा क्लेम गणना प्रक्रियाधीन है।	
रबी 2021-22	फसल मौसम सत्र जारी	

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि झाड़ोल विधान सभा क्षेत्र पूरा ही कृषक एरिया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कितने किसानों ने अपनी पालिसी के लिये प्रीमियम जमा करा दिया और उसके अगेंस्ट राज्यांश और केन्द्रांश की कितनी कितनी राशि और कब-कब जमा हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न से रेलेवेंट, जो पूछा है उससे संबंधित सप्लीमेंट्री।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने बताया कि 2021 में 13505 पालिसी सृजित हुईं। अभी तक बीमा क्लेम की गणना हो रही है और गर्मी आने वाली है, तो यह गणना कब तक पूरी करोगे और इसमें कौन-कौन लोग लगे हुए हैं? यह बता दो।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो 13505 पालिसी सृजित हुई हैं, उसमें 571 बीमा पालिसी धारक बीमा क्लेम के योग्य पाये गये हैं। उनका कुल आकलन हुआ है कुल राशि 451434 रुपये, यह जो आपने 2020-21 का पूछा है, उसके लिये।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि खरीफ 2021 में जो 13505 पालिसी सृजित हुईं, इसमें राज्यांश और केन्द्रांश सबका जमा हो गया था क्या?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सही सवाल पूछा है, इसकी मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि झाड़ोल विधान सभा

(श्री लालचन्द कटारिया)

क्षेत्र में खरीफ 2021 हेतु कुल देय प्रीमियम आकलन लगभग 45 लाख रुपये है। इसमें 20 लाख रुपये राज्यांश है, 5 लाख रुपये किसानों की हिस्सा राशि है और 20 लाख रुपये भारत सरकार को देने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले भी एक प्रश्न आया था, यह वही कम्पनी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया, इसने सात जिलों का काम ले रखा है। यह किसी भी जिले में विभाग को कोआपरेट नहीं कर रही है। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि मैं खुद लगातार सम्पर्क में हूं। मैंने चार दिन पहले भी कैलाश चौधरी जी जो अपने राजस्थान से हैं, उनसे टेलीफोन पर वार्ता की। कल उन्होंने अपने आफिस में मीटिंग बुलाई। जिसमें ज्वाइंट सैक्रेटरी, भारत सरकार और इंश्योरेंस कम्पनी के कोई वरिष्ठ अधिकारी थे। आज सुबह मेरी उनसे दुबारा बात हुई। उन्होंने यह कहा है कि मैंने चार दिन का समय दिया है। वे लोग आपके पास जयपुर आयेंगे, यहां मीटिंग करेंगे और जितनी भी आपके पास सूचनाएं हैं, उनके पास भी अपने यहां से पत्राचार जा रहा है। राज्य से जितने जन प्रतिनिधि हैं, जो प्रभावी जिले हैं, उनके यहां से पत्राचार हुआ है। मुझे इसकी जानकारी है चार दिन का समय उनको दिया है। उन्होंने मुझे यह कहा कि आप सात दिन का समय ले लें और एक महीने के अंदर-अंदर क्योंकि और भी जिलों का मामला है और यह इंश्योरेंस कम्पनी पहले सही काम कर रही थी लेकिन इस बार पहली बार यह हमको कोआपरेट नहीं कर रही। यह बात भारत सरकार की जानकारी में भी है और हम लगातार प्रयासरत हैं। एक महीने में यह जितने भी जिलों के मामले हैं, उनको निपटा दिये जायेंगे और किसानों को पेमेंट कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जोराराम कुमावत।

पाली में अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

214. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कंटींजेंसी प्लान बनाकर पेयजल व्यवस्था करने तथा जल जीवन मिशन की योजना का क्रियान्वयन करने हेतु जिला पाली में अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): जी हां। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सहायक अभियंताओं के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 8 पद

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

तथा कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 8 पदों में से 5 पद वर्तमान में रिक्त हैं। जिला पाली में सहायक अभियंताओं के कुल स्वीकृत 42 पदों में से 32 पद तथा कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत 32 पदों में से 15 पद वर्तमान में रिक्त हैं।

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर एवं जिला पाली में सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के कुल स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

उक्त अभियंताओं के कुल रिक्त पदों सहित विभाग में इनके रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही निम्नानुसार वर्तमान में प्रक्रियाधीन है:- (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप लोगों को कोटा भेज दें क्या या तो मैं कटारिया जी को बोलूं कि वह अलग-अलग बैठाएं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित किये गये 312 सहायक अभियंताओं के दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा हाल ही में पूर्ण किया जाकर इनके पदस्थापन की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त सहायक अभियंता के 386 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा चयनित कनिष्ठ अभियंताओं के विभाग में 177 रिक्त पदों पर भर्ती अंतर्गत अब तक 173 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति दी जाकर इनका पदस्थापन किया जा चुका है तथा शेष 04 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के 368 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 17.01.2022 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों को सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति दी जाकर, वर्णित रिक्त पदों सहित विभाग में इन अभियंताओं के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सुमेरपुर में सहायक अभियंताओं के कुल 8 पदों में से 8 के 8 पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष: यह सब तथ्य तो आ गये, आप तो प्रश्न पूछो।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): वहीं पर आ रहा हूं। कनिष्ठ अभियंताओं ....

श्री अध्यक्ष: यह आ चुका, आप प्रश्न पूछो। यह सब तो बोल चुके हैं।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इतने सारे पद रिक्त हैं, अभी वर्तमान में पेयजल की गम्भीर समस्या है। वहां पर कंटींजेंसी के प्लान भी बनाने हैं, हैंडपम्प, ट्यूबवैल...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछना है या हमें सुनना है?

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): टैंकरों से पानी भी पहुंचाना है। अधिकारियों के बिना यह सारे काम कैसे सम्भव होंगे...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी। माननीय सदस्य, आप बैठें, माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न का जवाब दिया है, इसको आप भी 10 बार पढ़ोगे तो बराबर नहीं समझ पाओगे कि खाली कितने हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि यह जो सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र है, इसमें 16 पद में से 3 पद भरे हुए हैं, 13 खाली हैं। पूरे पाली जिले में जो आप 42 पद बता रहे हो, उसमें से केवल 10 ही भरे हैं, 32 खाली हैं। प्रश्न को इस तरह से लिखा है कि आदमी 8 बार पढ़े तो भी समझ में नहीं आता कि कौनसा खाली है, कौनसा भरा है।

दूसरा यह है कि आपने कहा कि हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन 173 में से किसी को पाली जिले में कहीं लगाया है क्या?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में पाली में 3 एईएन और 7 जेईएन पोस्ट किये हैं। सुमेरपुर में 1 एईएन की पोस्टिंग दी जा रही है। सुमेरपुर में हम 2 या 3 जेईएन बहुत शीघ्र पोस्ट कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का प्रश्न है कि एईएन नहीं है, जेईएन की पोस्ट खाली है। आपकी आरपीएससी के सलेक्शन हुए हैं, उस सलेक्शन में से इनको जितने पद दे सकें, उतने पद दें जिससे वहां पर योजनाएं लागू हो सकें, यही उनका मेन प्रश्न है। सुमेरपुर और पाली में, जो अपन नई भर्ती कर रहे हैं, उसमें प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे, बात खतम हुई।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में हम समान दृष्टि से काम कर सकें, मैंने सुमेरपुर के लिये निवेदन किया कि 7 जेईएन की पोस्ट हमने हाल ही में भरी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): खाली पाली का पूछा है, पूरे राजस्थान का नहीं पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, मंत्री जी को बोलने दें। पहली बार मंत्री बने हैं, आप पुराने आदमी हैं, आप बोलने दीजिए।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पाली में 3 एईएन, 7 जेईएन के लिये मैंने कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष महोदय को आश्वस्त करता हूं कि इस वक्त मेरे पास नई पोस्टिंग के डाटा की बजाय, पूरा डाटा है। अगर यह नई पोस्टिंग के हिसाब से अलग से चाहेंगे तो मैं वह भी भिजवा दूंगा। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि पाली और सुमेरपुर को हम प्राथमिकता पर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में जिप्सम का अवैध खनन

215. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायतों में अवैध जिप्सम की निकासी हो रही है? यदि हां, तो कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में खनन किया जा रहा है? जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक विभाग द्वारा अवैध जिप्सम खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में जिप्सम खनन के आवंटन पत्र जारी किए गए हैं? ग्राम पंचायतवार आवंटित खनन पट्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा जिप्सम खनन की नीति निर्धारित कर रखी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ की ग्राम पंचायत 2 केएम डब्बर, देसली, 22 आरजेडी, 10 डीओएल व 6 जेडडब्ल्यूएम में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक की अवधि में विभाग द्वारा

(खान मंत्री)

जिप्सम के अवैध खनन के 10 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन ग्राम पंचायतों में जिप्सम के परमिट एवं खनन पट्टा जारी किए हुए हैं का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में आवंटित खनन पट्टे के आदेश की प्रति परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 52 के उप-नियम (3) में खातेदारी भूमि में भूमि सुधार हेतु खनिज जिप्सम के परमिट दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं। संबंधित नियम की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 12 से 16 में चार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की खातेदारी भूमि एवं अन्य सरकारी भूमियों में खनिज जिप्सम के खनन पट्टे नीलामी से दिये जाने के प्रावधान हैं। नियम 12 से 16 की प्रतियां परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार नियम 17ए के अन्तर्गत चार हैक्टेयर क्षेत्रफल तक की खातेदारी भूमि में खनन पट्टे संबंधित खातेदार अथवा खातेदार की पंजीकृत सहमति धारक को दिये जाने के प्रावधान हैं, परन्तु खनिज जिप्सम के सम्बन्ध में खातेदारी भूमि में नियम 52 के उप-नियम (3) के अन्तर्गत पृथक से परमिट दिये जाने का प्रावधान होने से राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 25.06.2018 से खातेदारी भूमि में जिप्सम के खनन पटटे नहीं दिये जाने के निर्देश दिये हुए हैं। पत्र दिनांक 25.06.2018 की प्रति परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि राज्य सरकार द्वारा जिप्सम खनन में ग्राम पंचायत 3/4 आरएसएम, देसली, 17 मुरब्बा रकबाराज, 11-12 आरजेएम, 16 केडब्ल्यूएम, 19 केडब्ल्यूएम व ग्राम पंचायत 2केएम डब्बर के 2पीएम फुलेवाड़ा में मुरब्बा नम्बर 168/15, 168/16, 168/48 की रकबा राज भूमि में अवैध खनन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह है कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य आरएसएमएम द्वारा संचालित होता था। अब बन्द

(श्रीमती संतोष)

होने के बाद खनन विभाग के पुराने क्वार्टर पड़े हैं, उनमें अवैध खनन के रूप में खनन माफियाओं ने कब्जा कर अवैध खनन का धंधा वहां से चला रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में अनूपगढ़, घड़साना, रावला तहसीलों के मुरब्बा नम्बर 168/16 आदि का जिक्र जो कि माननीय सदस्या ने किया है। विभाग की अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही करने की एक सतत प्रक्रिया है और बराबर करती है, जिसकी डिटेल मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में भी दी है। फिर भी स्थानीय स्तर पर सूचना लीक और विधायक जी की चिन्ता है, वह वाजिब है, उसके लिए मैं विशेष विजिलेंस टीम भिजवाकर जल्दी-जल्दी कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वस्त करता हूं।

आपने आरएसएमएम के क्वार्टर्स का जो हवाला दिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि आरएसएमएम ने वर्ष 1993 से 2005-06 तक खनन कार्य किया था। वह कार्य पूरा होने के बाद, वे पट्टे सरेण्डर कर दिये और सरेण्डर किये जाने के बाद में कार्यालय भवन, आवासीय भवन, 2011 में तहसीलदार के माध्यम से ग्राम पंचायत रोजड़ी को सौंपे जा चुके हैं। यहां पर अवैध खनन का आपने जो जिक्र किया है, मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि विशेष विजिलेंस टीम भेजकर इस पर भी सख्ती से कार्यवाही करायी जायेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, कई बार शिकायतें आती हैं कि वहां पर कई लोग खनन के लिए पट्टे या परमिट लेते हैं, लेकिन वे खनन कार्य पास की जमीन पर करते हैं। ऐसी शिकायतें सामने आने पर जब उनकी शिकायत की जाती है तो प्रशासन के द्वारा वहां से शिकायत भी लीक हो जाती है तो इनके खिलाफ भी क्या कार्यवाही की जायेगी?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में ही विशेष विजिलेंस टीम भेजकर कार्यवाही कराने के लिए आश्वस्त कर चुका हूं और इसमें कभी कोई कोताही नहीं बरती जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

बीपीएल सर्वे

216. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2003 में बीपीएल परिवारों का सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो क्या वर्तमान में उक्त सूची ही प्रभावी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2003 से 2021 के मध्य बीपीएल सूची में पात्रताधारियों के नाम जोड़े गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त के बीपीएल सूची में नामित करने का क्या प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अंतिम बार बीपीएल सर्वे कब करवाया गया? क्या सरकार पुनः बीपीएल परिवारों का सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रमेश चन्द मीना): (1) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में वर्ष 2002 में बीपीएल परिवारों का सर्वे करवाया गया।

वर्ष 2002 के बीपीएल सर्वे की सूची को वर्ष 2006 से लागू किया गया। इस सूची में द्विस्तरीय अपील के माध्यम से परिवारों के नाम जोड़ने/हटाने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है, जिसकी अद्यतन सूची ही प्रभावी रहती है। परिशिष्ट-अ संलग्न है।

(2) जी हां। बीपीएल सूची 2002 (ग्रामीण) में शामिल होने से वंचित रहे परिवारों के लिये भारत सरकार के निर्देशानुसार बीपीएल सेन्सस 2002 की सूची (ग्रामीण) में पात्र परिवारों को शामिल करने हेतु द्विस्तरीय अपील का प्रावधान है। इसके अनुसार प्रथम अपील संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं द्वितीय अपील जिला कलेक्टर को की जा सकती है। अपील प्रक्रिया द्वारा ही बीपीएल सूची 2002 में परिवारों को जोड़ने/हटाने की प्रक्रिया अनवरत जारी है। परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(3) भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बीपीएल सर्वे 2002 में कराया गया।

बीपीएल सर्वे ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार करवाया जाता है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि 2003 में कोई सेंसस नहीं हुई तो कोई सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं बनता। अगला प्रश्न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मैं इसी से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 2003 में कोई सेंसस नहीं हुई है, 2002 में हुई है। उसका मंत्री जी ने जवाब दिया, वह काफी है। अगला प्रश्न। श्री सुरेश मोदी।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न को करेक्ट करके आयें। आप बैठें। 2003 में कोई सेंसस नहीं हुई। इन्होंने जबरदस्ती उत्तर दिया, नहीं देना चाहिए था। रिकॉर्ड नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बोलने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखें। प्रश्न 2003 का पूछा है, 2003 में कोई सेंसस नहीं हुई। आप बैठें। आप बैठें प्लीज। मैंने प्रश्न को पढ़ लिया। अगला प्रश्न। श्री सुरेश मोदी।

उचित मूल्य की नवीन दुकानों का आबंटन

217. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय उचित मूल्य की नवीन दुकानों के लिए आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व प्रस्तावित प्रक्रिया अब भी विचाराधीन है? यदि हां, तो सरकार नवीन आवेदन करने वालों को मौका देते हुए उक्त आबंटन प्रक्रिया में समय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा का सुलभ लाभ दिलवाने हेतु नवीन दुकानें कब तक आबंटित कर दी जावेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। उचित मूल्य दुकानों हेतु प्राप्त आवेदनों में से आबंटन सलाहकार समिति द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया उपरान्त अनुशंसित प्रकरणों में प्राधिकार पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा चुकी है।

(2) जी हां। परिस्थितिजन्य रिक्त उचित मूल्य दुकान आबंटन एक

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

सतत प्रक्रिया है। विज्ञप्ति में निर्धारित दिनांक में नवीन आवेदन करने वालों को मौका देते हुए उक्त आवंटन प्रक्रिया में समय बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा का सुलभ लाभ दिलवाने हेतु नवीन दुकानों का यथाशीघ्र आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्यवाही मेरे विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में पूरी की जा चुकी है? मेरा दूसरा सवाल है कि यदि नहीं की गयी है तो कब तक कर दी जायेगी? मेरा एक और सवाल है कि जिन क्षेत्रों में अधिकार पत्र जारी नहीं हुए हैं, उनमें और लोगों को अवसर प्रदान करने हेतु और आवेदन लेने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सीकर जिले और नीम का थाना में यह कार्यवाही की जायेगी। बीच में कार्यवाही की गयी थी, उसको किसी कारण से रोक दिया गया था। आप बता देना, उसी डेट को कर दी जायेगी और दुकानें आबंटित हो जायेंगी। आपका यदि कोई अच्छा सुझाव है, आप यदि चाहते हैं कि जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं, वे लोग रह गये हैं। यदि आप चाहते हैं कि वापस वह प्रकिया अपनायी जाये तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बता देना।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

आशा सहयोगिनी एवं आशा कार्यकर्ता को आबंटित कार्य

218. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(1) प्रदेश में आशा सहयोगिनी एवं आशा कार्यकर्ता कितने मानदेय पर कार्यरत हैं? उक्त को वेतन किस-किस मद में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों व चिकित्सा विभाग में आशा सहयोगिनी द्वारा क्या-क्या कार्य किये जाते हैं?

(3) कुक कम हैल्पर को कितना मानदेय दिया जाता है? क्या सरकार उक्त के मानदेय को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती ममता भूपेश): (1) आशा-सहयोगिनी को समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2970 रु. का भुगतान किया जा रहा है। मानदेय राशि का भुगतान शत-प्रतिशत राज्य निधि से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान (परफोर्मेंस बेस्ड इन्सेन्टिव) किया जाता है। कार्य आधारित भुगतान का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

मानदेय कर्मियों का मानदेय बढ़ाने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, जिसके तहत विभाग द्वारा मानदेय में 594/- रु. मासिक रूप से बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) आशा सहयोगिनी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) कुक कम हैल्पर का कोई पद आंगनबाड़ी केन्द्र पर स्वीकृत नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आशा सहयोगिनी को विभाग की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय दिया जाता है। साथ ही, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 51 एक्टिविटीज के लिए परफोर्मेंस बेस्ड इन्सेन्टिव दिया जाता है। क्या कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सरकार परफोर्मेंस बेस्ड इन्सेन्टिव को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है, वास्तव में वह बहुत सही है। जो मानदेय दे रहे हैं, उसमें 100 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का है और इन्सेन्टिव की राशि है, यह भारत सरकार और राज्य सरकार की सामूहिक योजना है। इसमें भारत सरकार अगर पहल करेगी तो हम भी करेंगे।

वर्तमान जो स्थिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि आज जो हम पैसा दे रहे हैं, हमारे विभाग द्वारा 60:40 का प्रतिशत भारत सरकार और राज्य सरकार का है। ये जो मानदेय हम दे रहे हैं, आशा-सहयोगिनियों को, इसमें 100 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का है। भारत सरकार इसमें हमें मानदेय के रूप में कोई पैसा नहीं दे रही है। पिछले दस वर्षों के अन्दर अगर हम...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, बी रिलेवेंट, जो प्रश्न पूछा है, उसी का जवाब दें। इंसेंटिव बेस्ड देना है या नहीं देना है, दैट्स आल।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इंसेंटिव पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर भारत सरकार इसको आगे बढ़कर करेगी तो राज्य सरकार इसके अन्दर धन की कमी नहीं आने देगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जन घोषणा पत्र के अन्दर की गयी घोषणा अनुसार सरकार ने कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करेगी। माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या जन घोषणा पत्र के अनुसार आप इनको नियमित करेंगे या नहीं करेंगे?

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जो आशा का पद है, वह पूरे भारत के अन्दर व राजस्थान के अन्दर आशा-सहयोगिनी कार्य कर रही है और ये मानदेय कर्मचारी हैं। इनको नियमित करने का सरकार के पास में अभी कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

219. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में अतिवृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में कई सड़कें, पुलिया क्षतिग्रस्त हैं? क्या सरकार उक्त की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर, सराडा, जयसमंद, सेमारी व झल्लारा पंचायत समिति में कहां-कहां कितनी सडकें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं तथा कहां-कहां, कितनी-कितनी सड़कों की मरम्मत व पेचवर्क किया जाना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री भजनलाल जाटव): (1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अधिकांश सड़कों की मरम्मत कर दी गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। शेष सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत करवाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पंचायत समिति सलूम्बर की 44, सराड़ा की 0, जयसमंद की 35, सेमारी की 0, झलारा की 27 (कुल 106 सड़कें) अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी स्वीकृति जिला कलेक्टर आपदा प्रबन्धक, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, उदयपुर के पत्रांक डी-120 दिनांक 2.02.2022 द्वारा प्राप्त हुई। विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

उक्त में से 35 सड़कों पर मरम्मत कार्य पूर्ण कर दिया गया है। शेष सड़कों पर कार्य प्रगतिरत है, जो शीघ्र ही पूर्ण कर दिया जायेगा। सड़कवार विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 106 सड़कों में से 35 हुई हैं। बाकी शेष जो सड़कें हैं उनको कब तक पूर्ण किया जायेगा?

श्री भजनलाल जाटव (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को बताया कि अभी 02/02/2022 के द्वारा जो यह पत्र जिला कलेक्टर ने लिखा है, शीघ्र हम इसी महीने के अन्दर आपकी जो शेष सड़कें हैं, इनका मरम्मत कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

जेलों में क्षमता से अधिक बंदी

220. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की जेलों में बन्द बंदियों में से कुछ मानसिक बीमारी व अन्य गंभीर असाध्य रोगों से पीड़ित हैं? यदि हां, तो किन-

(श्री प्रताप सिंह)

किन जेलों में कितने बंदी मानसिक रोग से पीड़ित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखा हुआ है? यदि हां, तो किन-किन जेल व सब जेल में? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

कारागार मंत्री (श्री टीकाराम जूली): (1) राज्य की कारागृहों में निरुद्ध बंदियों में से मानसिक बीमारी व अन्य गंभीर असाध्य रोगों से कुल 443 बंदी पीड़ित हैं। राज्य की 30 कारागृहों में 290 बंदी मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जिनका जेलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य की 06 केन्द्रीय, 19 जिला एवं 31 उप कारागारों में दिनांक 31.01.2022 को बंदी क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध थे। विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिन कैदियों की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गयी हैं और वे असाध्य, संक्रामक रोगों से पीड़ित हैं, क्या सरकार उनको रिलीज करने का इरादा रखती है? उनको जेल से छोड़ने का इरादा रखती है? दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि प्रदेश के सभी सब जेल और सेन्ट्रल जेलों में कितने कैदी ऐसे थे, जो कोरोना से पीड़ित हुए और मारे गये?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिलेवेंट क्वेश्चन। माननीय मंत्री जी।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना से लगभग दो वर्षों में 13 कैदियों की मृत्यु हुई है। माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो बंदी हैं, जिनको गंभीर बीमारी है, इसके लिए हर वर्ष गवर्नमेंट ऐलान करती है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या कोई अलग-अलग प्रकार के जो हैं, उनको रिलीफ देती है, उसी आधार पर हम छोड़ते हैं। बाकी ऐसा कोई कानून नहीं है कि 60 वर्ष से अधिक होने पर या बीमार होने पर उनको छोड़ा जा सके।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या प्रदेश की सब-जेलों में और सेन्ट्रल जेलों में कैपेसिटी से अधिक कैदी वहां पर रहते हैं या आपने उनको बन्द किया हुआ है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब कैदियों का पूछ रहे हैं या मानसिक व असाध्य का पूछ रहे हैं?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दोनों का ही पूछा है साहब।

श्री अध्यक्ष: यह अलग प्रश्न हो जाएगा। आप बैठिए।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं बताऊं साहब?

श्री अध्यक्ष: बैठिए, मंत्री जी। श्री अशोक लाहोटी।

जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में रीको द्वारा भूमि का मुआवजा

221. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर स्थित रीको सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया में श्योपुर टिबा के पुराने खसरा नम्बर 993, 994 एवं लगायत खसरा नम्बर 1708, 1700/2360, 1701 एवं 1709 की कृषि भूमि को रीको द्वारा अधिग्रहण कर मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि का रीको ने कब्जा ले लिया है? यदि हां, तो वर्तमान में इसका क्या उपयोग किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। रीको सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र के विकास/विस्तार हेतु ग्राम सुखपुर, चतरवाला, दहलावास, श्योपुर एवं खूसर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की निजी खातेदारी भूमि दो चरणों में अवाप्त की गई थी। प्रथम चरण में अवाप्त भूमि का अवार्ड 20.03.1995 को एवं द्वितीय चरण की भूमि का अवार्ड 21.07.1997 को जारी किया गया। उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान अवार्ड में निर्धारित राशि अनुसार किया गया। अवाप्त भूमि में ग्राम श्योपुर की जो भूमि सम्मिलित थी, उसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। खण्ड 01 में वर्णित अवाप्त भूमि में से खसरा नंबर 993 का सम्पूर्ण रकबा 0-03 बीघा एवं खसरा नंबर 994 का सम्पूर्ण रकबा 0-03 बीघा एवं खसरा नंबर 994 का सम्पूर्ण रकबा 02-02 बीघा कुल 02-05 बीघा भूमि मुक्त करने की अनुशंषा रीको लि. द्वारा दिनांक 30.11.1997 को की

(उद्योग मंत्री)

गई। इस आधार पर 02-05 बीघा भूमि को छोड़ते हुए खण्ड 01 में वर्णित शेष भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा यह वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में रीको के नाम दर्ज है।

खसरा संख्या 1700, 1701, 1702, 1700/2360, 1708, 1709, 1701/1 एवं 1711 की भूमि को औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा के ले-आउट प्लान में सर्विसेज क्षेत्र तथा सड़क हेतु नियोजित की गई है। सड़क में आने वाली भूमि को छोड़कर सर्विसेज हेतु नियोजित भूमि समीपस्थ स्थित अन्य खातेदारों की निजी भूमि से लगी हुई होने के कारण तथा मौके पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होने के आधार पर सीमांकन करने हेतु राजस्व अधिकारियों को लिखा गया था लेकिन पास में आबादी भूमि होने के कारण सीमाज्ञान डीजीपीएस मशीन से करवाने हेतु कहा गया। इसके उपरान्त भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर को सीमाज्ञान हेतु लिखा गया। सीमाज्ञान शुल्क की राशि रुपये 10,000/- दिनांक 12.01.2022 को जमा करा दी गई है। सीमाज्ञान के उपरान्त मौके पर रीको की भूमि डिमार्केट कर ले-आउट प्लान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें आपने यह कहा है कि खसरा नंबर 994 का मुआजवा शेष होने के कारण उसका मुआवजा रीको ने दिया नहीं है इसलिए, जबकि रीको के ही वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक ने 09/09/2019 को नगर निगम को पत्र लिखकर यह कहा है कि नगर निगम द्वारा सड़क की आड़ में भू-माफियाओं को कब्जा करवाया जा रहा है। यह रीको की जमीन है। इसको रीको की जमीन इसके एक अधिकारी मान रहे हैं और मंत्री जी को जवाब दिलवाया है, वह गलत दिलवाया है। नंबर एक, तीसरा मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं कि इसका 1997 में मुआवजा जमा हो गया है, जिसके पेपर मेरे पास हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह भी लिखा है कि इस पर 150 कोठरी बनाकर 6 लाख रुपये प्रतिमाह भू-माफियाओं के द्वारा किराया वसूला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक तो यह पूछना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच करवाकर क्या रीको इसको जल्दी से जल्दी खाली करवाने की मंशा रखती है? दूसरा, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय ने स्वयं ने जो अभी पढ़ा, उसमें परिशिष्ट 2 में जो इन्होंने खसरा नंबर 994 लिखा है,

(श्री अशोक लाहोटी)

उसमें एक जगह लिखा है कि ये 0.03 बीघा खसरा, 2 बीघा 2 बिस्वा का खसरा और एक जगह लिखा है 0.03 बीघा है, ये कौनसा सही है? इसके जवाब में ये एक ही खसरे के दो नाप लिखे हुए हैं? मंत्री महोदय, यदि यह मिस्टेक हो तो ठीक करवाएं और ये जो रीको की जमीन है

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए, माननीय सदस्य।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): भू-माफिया जो कब्जा कर रहे हैं, इसको कब तक खाली करवा लेंगे? इसका मुआवजा जमा है,

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए, प्लीज।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): वह पेपर भी मैं दूंगा और जो रीको के अधिकारी ने लिखा है, वह सही है या जो आप कह रहे हैं, वह सही है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमें शिकायत प्राप्त हुई, हमें 05.09.2019 को शिकायत प्राप्त हुई, उसके तुरन्त बाद, 06.09.2019 को हमने शिकायत दर्ज करायी। उसके बाद, आप पूछ रहे हैं कि इसमें यह दिया गया है, इसमें यह बिस्वा 0 के बाद और पहले का बीघा बोला जाता है। आपको 993 व 994 की जांच कराकर, सही कराकर भेज दिया गया था। नहीं है, तो मैं दूसरी कापी उपलब्ध करा दूंगी। शिकायत होने के बाद, डे टू डे 10 हजार रुपये फीस जमा होती है, वह करवा दी है। जांच होते ही, उसका सीमाज्ञान हो जायेगा, सीमाज्ञान के तुरन्त बाद, जिन रकबों को हमने जैसे अवाप्त कर लिया है, उनको पैसा भी दे दिया गया है, मुआवजा दे दिया गया है, उन रकबों को खाली कराने का, क्योंकि वहां एक मन्दिर भी है, तो धार्मिक भावनओं को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का कोई स्टे आदि तो नहीं है, उन्हें खाली करवाये जाने का तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैंने केवल स्पेसिफिक कहा है कि रीको के अधिकारी ने माना है कि यह खसरा रीको का है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मंत्री जी कह रहे हैं कि हम अब इसका सीमाज्ञान करवा रहे हैं। अभी पैसे जमा कराये तो सवाल कौनसा सही है.....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह पत्र जो लिखा हुआ है, वह सही है या आप कह रहे हो वह?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आबादी भूमि से लगता हुआ क्षेत्र है। वहां पर मन्दिर भी है। 93 व 94 को अवाप्त किया गया था, जिसका अवार्ड दे दिया गया है, वह उसमें सम्मिलित आ रहा है। वहां कुछ मन्दिर का हिस्सा भी आ रहा है और आबादी भूमि का भी आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका प्रश्न यह नहीं है। उनका प्रश्न है कि रीको का अधिकारी कह रहा है कि यह है, आप कह रहे हैं, उसमें कोई अन्तर है, उसको स्पष्ट करना है बस। माननीय सदस्य बैठे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अगर ऐसा इसमें कुछ डिफरेंस पाया गया, तो उसकी तुरन्त प्रभाव से जांच करवा ली जायेगी।

प्रश्न संख्या 222

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रतापलाल भील।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्रीगंगानगर में कार्यरत होम गार्ड

223. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में कितने अस्थाई होमगार्ड कब-कब से कार्यरत हैं? उक्त का मानदेय क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त का मानदेय व सेवा अवधि के आधार पर नियमितीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (1) जी नहीं। होम गार्ड अधिनियम, 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होम गार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम-1962 के अन्तर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक (होम गार्ड) को 5 वर्ष के लिए नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है।

2500 स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु दिनांक 04 मार्च, 2020 को विज्ञप्ति जारी कर के वर्तमान में प्रदेश में विभिन्न जिला प्रशिक्षण केन्द्रों एवं

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)
सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की गई है एवं जयपुर केन्द्र की नामांकन प्रक्रियाधीन है। परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मंत्री जी, आपने पूरा पढ़ लिया?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठे। माननीय मंत्री जी, तीन पार्ट हैं।

राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा): (2) श्रीगंगानगर ज़िले में गृह रक्षा विभाग की 02 इकाइयां स्थापित हैं:-

(1) सीमा गृह रक्षा दल (2) गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र -

i. सीमा गृह रक्षा दल श्रीगंगानगर वर्तमान में सीमा गृह रक्षा दल में स्वयंसेवकों की स्वीकृत नफ़री 666, मौजूदा नफरी-583 एवं 468 स्वयंसेवक नियोजित हैं।

मानदेय:- वर्तमान में अस्थाई होम गार्ड (स्वयंसेवक) को निम्नानुसार मानदेय देय है -

1. प्लाटून सार्जेंट/कारपोरल 908 प्रति दिवस

2. लांस कारपोरल/गार्ड्स गनमैन 795 प्रति दिवस.

ii गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीगंगानगर वर्तमान में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र श्रीगंगानगर में स्वीकृत नफरी-730, मौजूदा नफरी-632 तथा माह फरवरी, 2022 में 230 स्वयंसेवक नियोजित हैं।

मानदेय:- वर्तमान में होम गार्डस जवानों को पुलिस कान्स्टेबल के समान ड्यूटी करने व वाहन चालक का कार्य करने पर रु. 693/- दैनिक ड्यूटी भत्ता एवं इनके अतिरिक्त अन्य ड्यूटियों हेतु रु. 590/- प्रति दिवस की दर से दैनिक ड्यूटी भत्ता देय है।

श्रीगंगानगर ज़िले में सीमा गृह रक्षा दल व गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में मौजूदा होम गार्ड नफ़री का विवरण परिशिष्ट-ब व स पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। होम गार्ड्स अधिनियम-1963 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठन के रूप में होमगार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम-1962 के अन्तर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक (होम गार्ड) को 5 वर्ष के

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

लिए नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इन नियमों में होम गार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को, जैसे अस्पताल, कृषि उपज मण्डी, अन्य संस्थायें हैं, क्या सरकार होम गार्ड को इनमें रखने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो प्रश्न पूछा है, उसी की सप्लीमेंट्री। दूसरी नहीं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): स्थाई के बारे में तो कह ही दिया।

श्री अध्यक्ष: फिर, खतम हो गया मामला।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या सरकार होम गार्ड के वेतन वृद्धि का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: बस, ठीक है, गुड।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (राज्य मंत्री, सैनिक कल्याण): जी नहीं। अभी विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बलजीत यादव।

डार्क जोन में ब्रेवरीज व डिस्टिलरी यूनिट

224. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य कैबिनेट के निर्णय 32/बी/(आज)/एल 15-16/576 दिनांक 07.04.2015 द्वारा डार्क जोन घोषित क्षेत्र में ब्रेवरीज व डिस्टिलरी यूनिट नहीं लगाई जा सकती तथा न ही विस्तार किया जा सकता है? यदि हां, तो उक्त आदेश के उपरांत भी प्रदेश में उक्त जोन में नई यूनिट लगाई गई है अथवा विस्तार किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां पर कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त यूनिट लगाने अथवा विस्तार करने को नियम विरुद्ध मानती है? यदि हां, तो सरकार उक्त व इसके लिए जिम्मेदार

(श्री बलजीत यादव)

अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कब तक करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

आबकारी मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। प्रश्न में उल्लेखित पत्र क्रमांक 32(बी)(49)आब/एल/15-16/576 दिनांक 07.04.2015 से आबकारी आयुक्त उदयपुर द्वारा राज्य में नई आबकारी उत्पादन इकाइयां (डिस्टिलरी/ ब्रेवरीज/बोटलिंग प्लांट/अन्य) की स्थापना हेतु नीति निर्देश संकलित की जाकर प्रारूप की सूचना संलग्न प्रेषित की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या 108/2015 दिनांक 24.05.2015 के अनुसरण में राज्य में आबकारी उत्पादन औद्यौगिक इकाइयों (डिस्टिलरी/ ब्रेवरीज/बोटलिंग प्लांट) के स्थान चयन एवं स्थापित करने हेतु वित्त (आबकारी) विभाग के पत्र क्रमांक प.3(2)वित्त/आब/2015 दिनांक 27.05.2015 द्वारा नीति निर्धारित की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

मंत्रिमण्डल आज्ञा संख्या डी160/मं.मं./2021 दिनांक 20.12.2021 के अनुसरण में उपरोक्त नीति के बिन्दु संख्या (2) व (3) को विलोपित किया जाकर स्पष्ट किया गया है कि राज्य में प्रत्येक भू-जल सुरक्षित क्षेत्र में डिस्टिलरी/ब्रेवरीज/बोटलिंग प्लांट स्थापित की जा सकेंगी। पत्र की प्रति परिशिष्ट -3 पर संलग्न है।

उपरोक्त नीति के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार भू-जल की दृष्टि से सेफ ब्लाक्स के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर डिस्टिलरी/ब्रेवरीज/बोटलिंग प्लांट्स स्थापित करने पर कतई विचार नहीं किया जायेगा। इस नीति में पूर्व की अनुज्ञापित इकाइयों के विस्तार के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दिनांक 27.05.2015 के आदेश के उपरान्त राज्य में भू-जल की दृष्टि से डार्क जोन में कोई नई डिस्टिलरी व ब्रेवरीज यूनिट नहीं लगाई गई है।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या-1 के उत्तर में समाहित है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आपने जवाब में दिया कि 27.05.2015 के बाद डार्क जोन में कहीं भी, मंत्रिमण्डल का निर्णय हुआ कि यह जो बोटलिंग प्लांट है, नहीं लगाये जायेंगे, यानी की पानी को...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये, उत्तर नहीं। प्रश्न पूछिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): प्रश्न ही पूछ रहा हूं। पानी की कमी को देखते हुए यह रोक लगाई गयी थी? यह जानना चाहता हूं। अगर वास्तव में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि डार्क जोन में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नहीं पूछ रहे, एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रश्न पूछिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह जानना चाह रहा हूं, क्या यह ध्यान में रखकर, डार्क जोन में बैन की गयी थी कि वहां बीयर की फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी?

श्री अध्यक्ष: हो गया, आगे बोलें। प्रश्न पूछें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अगर हां, तो फिर यूबी ग्रूप की फैक्ट्री का नीमराना में विस्तार कर दिया, दूसरा प्लांट लेकर, वह क्यों? आपने इसमें कहा है कि इसमें कोई दर्शाया नहीं, मतलब स्पष्ट नहीं था, विस्तार का तो मैं कह रहा हूं कि जब उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, पानी का दोहन बढ़ा दिया, उसका विस्तार कर दिया तो फिर पानी का दोहन तो बढ़ रहा है। उस आदेश का तो साफ-साफ उल्लंघन है। इसमें गोलमाल जवाब है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये। आप खुद ही बताये जा रहे हैं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं यह जानना चाहता हूं, उसका जो विस्तार हुआ वह नियम विरुद्ध हुआ, नियम विरुद्ध हुआ तो उसको कैंसिल करेंगे या नहीं?

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने प्रश्न के जवाब में यह कहा कि कहीं भी डार्क जोन में हमने कोई एन.ओ.सी. या कोई बाटलिंग प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी है। सिर्फ अभी जो 2015 की पालिसी थी, उसमें से बिंदु संख्या-2 और 3 को विलोपित करके हमने सेफ जोन, जहां भी यह सेफ जोन है, सेफ जोन की सूची हमने यह जल संसाधन विभाग से मिली है, उसी में हम परमिशन देंगे। निश्चित रूप से डार्क जोन में एक भी इकाई का न हमने विस्तार किया है और न वहां पर कोई लगाने की अनुमति दी है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): यू.बी. ग्रुप नीमराना के अन्दर शाहजहांपुर में विस्तार हुआ है, आप चेक करवा लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया। आप उसके बारे में जवाब दें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): आप चेक करवा लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न हो गया। नहीं, प्लीज। जब मंत्रीजी बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है तो आप फिर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? पहले आप उत्तर सुन लें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से फिर से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने यह 2020-21 में जो मंत्रिमण्डल की आज्ञा थी, उसके बाद सेफ जोन में सिर्फ घाटोल, शाहबाद, आसपुर और भादरा में ही परमिशन दी है, बाकी कहीं भी हमने परमिशन आज तक नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज, बैठें। नोट अलाउड। आप प्लीज, बैठें। मैंने मना कर दिया। प्लीज, आप बैठें। नीचे बैठें।

गौशालाओं को देय सहायता राशि में बढ़ोतरी

225. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितनी पंजीकृत गौशालाएं हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंजीकृत गौशालाओं में बड़े गौवंश के लिए 40 रुपये प्रतिदिन व छोटे गौवंश के लिए 20 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार कोरोना संकट को देखते हुए उक्त को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) वर्तमान में प्रदेश में कुल 3222 पंजीकृत गौशालाएं हैं जिनमें 10.61 लाख गौवंश संधारित है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों में 90-

(गोपालन मंत्री)

90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिये वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।

गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु वर्तमान सरकार द्वारा पूर्व में दी जा रही सहायता राशि की दरों में वृद्धि की गई। बड़े गौवंश हेतु राशि रुपये 32 के स्थान पर राशि रुपये 40 एवं छोटे गौवंश हेतु राशि रुपये 16 के स्थान पर राशि रुपये 20 प्रतिदिन प्रति गौवंश कर दिया गया है। अनुदान राशि में अभिवृद्धि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है जो परीक्षणाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि जो आपने प्रश्न के खण्ड-1 में जो जवाब दिया है कि पंजीकृत गौशालाएं 3222 हैं तो पंजीकृत गौशालाएं जो 3222 हैं, उन सभी पंजीकृत गौशालाओं को आप यह अनुदान राशि देते हैं क्या? एक प्रश्न तो यह है।

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार पंजीकृत गौशालाओं को दी जाने वाली अनुदान राशि जो 90 दिन की है, उसको बढ़ाकर 365 दिन करने का विचार रखती है क्या?

तीसरा प्रश्न, बहुत सिम्पल-सा, साधारण-सा, आम भाषा का प्रश्न है कि गायों को जो आप हरा चारा खिलाते हैं जिसको रजका कहते हैं उस रजका की एक पुली का बाजार मूल्य कितना है? यह बता दें।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही कि कुल गौशालाएं 3222 हैं, इसमें से गौवंश 10 लाख 61 हजार है, जिसमें बड़ा गौवंश 8 लाख 23 हजार और छोटा गौवंश 2 लाख 38 हजार है। इसमें जो अनुदान दिया जा रहा है वह पात्र गौशालाएं हैं 2121, जिसमें 9 लाख 93 हजार गौवंश है और अपात्र गौशालाएं 1101 हैं।

साथ ही, दूसरी जो आपने जानकारी चाही अनुदान बढ़ाने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी गौवंश के प्रति पूर्ण समर्पित हैं और ... (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 365 दिन का बताइये।

श्री अध्यक्ष: आपको उत्तर नहीं सुनना है?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): मैं जवाब आपको बता रहा हूं। आपने जो पूछा है वह ही बता रहा हूं। आपने यह पूछा कि साहब 365 दिन का अनुदान करोगे क्या तो मैं पूरी बात तो बताऊं न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, 365 दिन का ही बता दो।

श्री अध्यक्ष: मैं प्रश्न बंद करूं?

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मार्च, 2019 में मुख्य मंत्रीजी ने एक संत सम्मेलन आयोजित करके उनकी भावना के अनुरूप अनुदान बढ़ाया। छोटे पशु पर जो पहले 16 रुपये था उसको बढ़ाकर 20 रुपये किया और बड़े पशु के लिए 32 से बढ़ाकर 40 रुपये किया। अभी जो नयी पंचायत समिति नन्दी गौशाला योजना लागू की है, उसमें जिस दिन से नन्दी गौशाला शुरू होगी, उस दिन से नौ महीने का अनुदान देने का प्रोविजन उसमें किया है।

जहां तक आपने जो जानकारी चाही है कि 365 दिन करने का, इस बारे में कई माननीय विधायकगण और कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों के ज्ञापन आये हैं, उनका परीक्षण किया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर निर्णय किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोपाल लाल मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, तीसरे प्रश्न का जवाब आप बाजार से ले लेना। श्री गोपाल लाल मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप तो गोपालन मंत्री हैं, आप बतायें न। 40 रुपये का अनुदान है और ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। श्री गोपाल लाल मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

जमवारामगढ़ के गांवों को बीसलपुर से पेयजल की आपूर्ति

226. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपाल लाल मीना)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी, चाकसू एवं बगरू के निवासियों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के अनेक गांवों में खारे पानी व फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जी हां। सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से जयपुर जिले हेतु तय जल आरक्षण के अनुरूप इस बांध आधारित परियोजना/योजनाओं से विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं चाकसू के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित कस्बे एवं ग्रामों तथा विधान सभा क्षेत्र बगरू के पेयजल आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में की जा रही पेयजल आपूर्ति के संबंध में वांछित पूर्ण विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार के समेकित प्रबन्धन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) की दिनांक 02.03.2022 की स्थिति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के किसी भी ग्राम एवं ढाणी के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड एवं टी.डी.एस. (खारेपन) की मात्रा पेयजल हेतु निर्धारित मानकों से अधिक नहीं है।

सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध में पेयजल आपूर्ति हेतु तय आरक्षण के अनुरूप जयपुर, टोंक एवं अजमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं क्रियान्वित की गई/जा रही हैं। उक्त बांध में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण, इस बांध से जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जाना वर्तमान परिपेक्ष्य में विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1 हजार 394 गांव व अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लाक के 4 कस्बों एवं 1 हजार 61 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने बाबत घोषणा की गई थी।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.सी.) की 24वीं बैठक दिनांक 26.05.2021 द्वारा डी.पी.आर. तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 1.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर चयनित सलाहकार फर्म द्वारा डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। डी.पी.आर. तैयार होने पर इसके तकनीकी परीक्षण उपरांत परियोजना स्वीकृत की जाकर इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने ईसरदा बांध के लिए उनकी रिप्लाई में यह घोषणा की थी कि जमवारामगढ़ में ईसरदा बांध से पानी लाया जायेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ईसरदा बांध परियोजना में जमवारामगढ़ को फेज प्रथम में शामिल करने का विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक? इसकी डी.पी.आर. बनाकर मुझे आश्वस्त करें कि प्रथम चरण के लिए आपने कल भी भाषण में घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मैं यही चाह रहा हूं कि प्रथम चरण में इसका पानी लाया जाये।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यूं तो ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तहसीलें शामिल हैं, उसमें जमवारामगढ़ भी है लेकिन माननीय विधायक महोदय का बहुत विशेष आग्रह है कि इसको किसी भी प्रकार से प्रथम फेज में अगर हम कर सकते हैं तो उसको करने का माननीय विधायक का बड़ा आग्रह है। मैं कोई वादा तो नहीं करता लेकिन माननीय विधायक महोदय की भावना को देखते हुए मैंने अपने इंजीनियर्स से यह कहा है कि अगर कुछ भी, एक छोटा हिस्सा भी अगर प्रथम फेज में इसका जोड़ सके जमवारामगढ़ का तो इस बात का प्रयास करें। मैं ईमानदारी से यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर व्यावहारिक रूप से यह सम्भव हुआ तो हम कुछ न कुछ हिस्सा उसका जोड़ने की, चाहे एक गांव, दो गांव, पांच गांव, हम जोड़ने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और क्या आश्वासन चाहिए?

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): आश्वासन दे दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बैठें। अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द नगरपालिका में डी.एम.एफ.टी. से जलाशयों का निर्माण

227. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगरपालिका आसीन्द में वार्ड नम्बर 04, 22 एवं 25 में नवीन पेयजल जलाशयों का निर्माण डी.एम.एफ.टी. फण्ड से करवाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): जी हां। नगरपालिका आसीन्द में वार्ड नम्बर 04, 14, 22 एवं 25 में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट फण्ड से आसीन्द शहरी जल योजना में उच्च जलाशय के निर्माण का कार्य डी.एम.एफ.टी. भीलवाड़ा की गवर्निंग काउंसिल के निर्णय अनुसार करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रुपये 250.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिला कलेक्टर भीलवाड़ा जो डी.एम.एफ.टी. भीलवाड़ा की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष हैं, के आदेश दिनांक 03.03.2022 द्वारा जारी की जा चुकी है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है, मैं सीधा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मंत्रीजी से पूछ लेते हैं।

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): जी।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि पेयजल जैसी अति आवश्यक सेवा में इतना लम्बा समय लगने का क्या कारण रहा?

दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने उत्तर के परिशिष्ट-1 पर दर्शाया है कि अभी 03 मार्च को इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आसीन्द नगरपालिका के लोगों को इन नवीन टंकियों का पानी आप कब तक पिला देंगे?

(समय: 12.00 बजे)

श्री प्रमोद भाया (खान एवं पैट्रोलियम मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना

(श्री प्रमोद भाया)
चाहता हूं कि गत दो वर्षों में पेयजल क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत भी काफी स्वीकृति जारी हुई हैं। एक कार्य की स्वीकृति डी एम एफ टी में भी हो जाए और जल जीवन मिशन में भी हो जाए, इस स्थिति के कारण विलम्ब हुआ। मैंने आज सुबह ही इस बारे में सम्बन्धित जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से बात की। उन्होंने बताया कि मैंने अभी डेढ़ माह पहले ही ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते ही 03 मार्च को इसकी स्वीकृति जारी कर दी है, फिर भी मैंने जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को पेयजल जैसे आवश्यक कार्य में विलम्ब न हो, इस बात का ध्यान रखने हेतु कहा है।

साथ ही, आपने दूसरा प्रश्न किया। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना से सहमत हूं। पेयजल का यह कार्य जल्दी हो, इसके लिए मैं स्वयं व्यक्तिश: पत्र लिखकर माननीय जलदाय मंत्रीजी से भी निवेदन करूंगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसींद हुरड़ा में बदनौर में तहसील पाटन अथवा संग्रामगढ़ में से किसी एक ग्राम पंचायत में उप तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जालौर जिले की सभी प्रमुख सड़कें अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी सड़कों की मरम्मत का कार्य नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में पुलिया एवं रपट का कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से ओलावृष्टि से जीरे की नष्ट हुई फसल का किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से सामान्य जनजाति क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर जिले में चारे के भावों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा डूंगरपुर जिले के स्थानीय निवासियों से की जा रही अवैध वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से आबूरोड में कार्यरत आरपीएफ उप निरीक्षक की संदिग्ध हालत में हुई मृत्यु की सीआईडी सीबी से जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से पाली जिले के अधिकांश क्षेत्र में 08.03.2022 को हुई भारी ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर एवं सम्पूर्ण मेवाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से नष्ट हुई फसलों का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में दिनांक 08.03.2022 को अत्यधिक बारिश से रबी की फसलें जीरा, राजड़ा, ईसबगोल व चना आदि फसलों को हुए भारी नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यगण, फसल का जो नुकसान हुआ है, उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार 4 बजे स्टेटमेंट देगी। उसमें माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए अलाउ हैं।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्रीमती इन्दिरा देवी, सदस्य की ओर से मेड़ता विधान सभा क्षेत्र के मेड़ता सिटी से जसनगर तक सम्पूर्ण सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण राजमार्ग पर स्थित समदोलाव टोल प्लाजा पर टोल वसूली बन्द करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती इन्दिरा देवी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से मीना जनजाति समुदाय को प्रदत्त आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं में कमी किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु नवीन थानों एवं सर्कल के गठन के सम्बन्ध में।

(3) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से आबूरोड पिण्डवाड़ा क्षेत्र में जनजातीय बीपीएल किसान परिवारों को अपने कुएं गहरे कराने हेतु शत प्रतिशत अनुदान आर्थिक सहायता योजना को पुन: प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के चक 5 आर एम (रघुनाथपुरा) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ से 27 ए व रावला से 365 हैड और रावला से रोजड़ी तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर जिले के पेयजल के अभाव वाले गांवों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत ग्रामीणों को नल कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से संस्कृत शिक्षा विभाग में संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का पुनर्गठन कर सामान्य शिक्षा विभाग की भांति मण्डल व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से सुमेरपुर के अकालग्रस्त गांवों में पेयजल की कमी के कारण ट्यूबवैल, हैण्ड पम्प खुदवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से अजमेर जिले में प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान में पैरीफेरी में आने वाले गांवों में भू-नियमन के विशेष शिविर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राजसमंद जिले के कुंवारिया ग्राम में निर्माणाधीन द्वारकाधीश कन्या महाविद्यालय को स्वर्गीय किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय के नाम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में संचालित एम्बुलेंसों-108 पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति तथा मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड में नवीन एम्बुलेंस संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती इन्दिरा देवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

समदोलाव टोल प्लाजा पर क्षतिग्रस्त सड़क के दृष्टिगत टोल वसूली पर रोक

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। मेरे मेड़ता विधान सभा क्षेत्र मेड़ता से जसनगर रोड जाती है, वह टूटी हुई रोड है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि जब तक वह रोड नहीं बने, तब तक टोल बन्द करने की आप घोषणा करें। वह टूटी हुई

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

रोड है, जैसे जसनगर, धनेरिया और समदोलाव, जो तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर की दूरी से लोग आते हैं, उनसे भी टोल वसूल लेते हैं तो मैं आपसे मांग करती हूं कि जब तक रोड की घोषणा नहीं हो, तब तक आप टोल बन्द करवायें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295, श्री रामनारायण मीना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मीना जनजाति समुदाय को प्रदत्त आरक्षण एवं सुविधाओं में कमी

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र एवं मातृभूमि के लिए समर्पित मूल निवासी जाति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री पण्डित श्री जवाहर लाल नेहरू तथा ढेबर भाई आदि द्वारा इन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करवाने से सम्मानजनक ढंग से जीने का मौका मिले हुए भी अनेक सुविधाओं से वंचित है। मीना जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता से कृषि विद्युत सम्बन्ध नहीं मिल रहे हैं। कोटा, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं अजमेर सम्भाग में निवासरत आदिवासी मीना समाज के युवकों को उदयपुर संभाग में नौकरियों में पूर्व से मिलता आ रहा आरक्षण कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट 16.06.2013 से टीएसपी क्षेत्र एवं अन्य राजकीय आदेशों के तहत सहरिया जनजाति क्षेत्र के नाम पर समाप्त कर आरक्षण प्रतिशत कम कर दिया जबकि अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले सामान्य वर्ग विशेष के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के द्वार खोलने से जनजाति को आबादी मुताबिक आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। बारां जिले में भील एवं मीना जनजाति का 6 प्रतिशत आरक्षण करके किशनगंज शाहबाद क्षेत्र में आरक्षण को क्षीण कर दिया। राजस्थान को भारतीय प्रशासनिक सेवा के मिलने वाले अधिकारियों में मीना समाज के अधिकारी बहुत कम आना इस समाज के लिए अधिक चिन्ताजनक है। राज्य में पूर्व में करीब एक दर्जन भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीधी भर्ती के अधिकारी रहे हैं, किन्तु वर्तमान में मात्र 4 हैं। स्पष्ट है कि यह समाज कमजोर होता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा लिये गये इस प्रकार के विभेदात्मक निर्णयों से मूल निवासी जनजाति समुदाय सौतेला व्यवहार झेल रहा है, जबकि भारत के किसी प्रान्त में निवासरत

(श्री रामनारायण मीना)
जनजाति समुदायों को उपलब्ध सुविधाओं की दृष्टि से पृथक-पृथक श्रेणियों में विभाजित नहीं किया गया है। उत्पन्न इस स्थिति के कारण मीना जनजाति समुदाय में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष के भाव हैं।

(समय: 12.09 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मीना अनुसूचित जनजाति समुदाय को विकास, जीवन स्तर में सुधार एवं मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं के लिए विभेदात्मक प्रावधानों को समाप्त करके समान व्यवस्था कायम किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता के मद्देनजर एस.टी. समुदाय को अलग-अलग हिस्सों में बांटने सम्बन्धी आदेश रद्द किये जाने पर ही असंतोष समाप्त किया जाना सम्भव होगा।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में बढ़ते अपराधों के दृष्टिगत नवीन थानों व सर्कलों का गठन

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये ब्यावर शहर में बढ़ते औद्योगिक एवं आबादी विस्तार से बढ़ते अपराधों पर रोकथाम लगाने हेतु नवीन थानों एवं सर्कल के गठन बाबत निवेदन है कि ब्यावर शहर आजादी से पूर्व बसा होने के साथ-साथ वर्तमान में यहां पर तेजी से औद्योगिक एवं आबादी विस्तार हो रहा है। शहर के चारों ओर बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों के संचालित होने एवं राजमार्गों से घिरा होने के कारण क्षेत्र में अपराधों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस कारण से थानों में मुकदमों का अम्बार लगना शुरू हो गया है। पुलिस थानों में दर्ज मुकदमों की संख्या अधिक होने से मुकदमों का समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। पुलिस थानों की संख्या में कमी के चलते क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अपराधी गैंग जैसे कोबरा गैंग, बिच्छू गैंग, क्वालिस गैंग बनाकर युवा आपराधिक कृत्यों में शामिल हो रहे हैं, जिसके कारण से बड़ी संख्या में परिवार बर्बाद हो रहे हैं। क्षेत्र में पुलिस की नाकाफी से चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या और बलात्कार जैसे अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इन अपराधों पर रोकथाम लगाने के लिए नये थानों और सर्कल का गठन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

अत: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ब्यावर क्षेत्र में आपराधिक प्रकरणों की संख्या में कमी लाने के लिए ब्यावर के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों की संख्या को देखते हुए इसी बजट सत्र में साकेत नगर एवं खरवा में नया थाना खोलकर टाटगढ़ सर्कल का गठन किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

आबूरोड-पिण्डवाड़ा में जनजातीय बीपीएल किसान परिवारों को अनुदान एवं आर्थिक सहायता

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत श्रीमान् जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्रीजी से विशेष आग्रह है कि राजस्थान सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों व बी.पी.एल. जनजाति परिवार के किसानों हेतु अपने निजी कृषि कुओं को गहरा कराने हेतु 100 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की पूर्व योजना में प्रदेश के आदिवासी किसान ब्लास्टिंग द्वारा अपने कुओं को गहरा करवाकर कृषि से अपने परिवार का पालन-पोषण करता आ रहा था। वर्तमान सरकार ने इस योजना को बन्द कर दिया है। ऐसे हालात में जनजाति आदिवासी मजदूर किसान अपने खेतों में कृषि कुओं को गहरा कराने में असमर्थ हैं। इस वर्ष आबूरोड-पिंडवाड़ा क्षेत्र में नाममात्र की वर्षा होने से अकाल के हालात बन चुके हैं। कुओं का जलस्तर बहुत ही नीचे जा चुका है। आगामी जून 2022 तक मेरे आदिवासी बैल्ट के इस क्षेत्र के 50 प्रतिशत कुए जलस्तर नीचे चले जाने से पूर्णतया सूख जाने से आदिवासी मजदूर किसानों पर जीवन-यापन एवं रोटी-रोजी का संकट खड़ा हो जाएगा। विशेष लोक महत्व के विषय में श्रीमान् मंत्री महोदय से विशेष आग्रह है कि जनजाति किसान वर्ग की ज्वलन्त समस्या के समाधान हेतु पूर्व में संचालित 100 प्रतिशत अनुदानित कुएं गहरे कराने की योजना को पुन: प्रारम्भ किया जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ के चक 5 आर.एम. (रघुनाथपुरा) में सड़क की स्वीकृति

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत

(श्री रामप्रताप कासनियां)

विशेष उल्लेख के तहत चक-5 आर.एम. (रघुनाथपुरा) की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक होते हुए भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रदेश में जिन चकों व गांवों की जनसंख्या गणना 2011 के समय 1000 थी, उन गांवों व चकों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने का प्रावधान है लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ का 5 आर.एम. तक के बाशिंदों के सरकारी रिकार्ड में 5 आर.एम. (रघुनाथपुरा) अंकित है, जबकि रघुनाथपुरा अलग गांव है। इस गलती की वजह से यह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क से वंचित है। इसका दुष्परिणाम यह है कि किसान समय पर फसल को बाजार में नहीं ले पा जाता है। परिवहन के साधनों का अभाव है। बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बाहर नहीं जा पाते हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त खामियों को दूर करवाएं ताकि 5 आर.एम. के बाशिंदों को सड़क मार्ग की सुविधा मिल सके। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ से 27 ए व रावला से 365 हैड और रावला से रोजड़ी तक सड़क की चौड़ाई में वृद्धि

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत अनूपगढ़ से 27 ए व रावला से 365 हैड और रावला से रोजड़ी तक डबल रोड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर विशेष उल्लेख के तहत निवेदन है कि अनूपगढ़ से ग्राम पंचायत 27 ए तक दूरी 10 किलोमीटर व रावला से 3365 हैड दूरी 27 किलोमीटर व रावला से रोजड़ी दूरी 25 किलोमीटर तक सिंगल रोड तो बनी हुई है, लेकिन 2 के.एल.डी. उप-तहसील व धान मण्डी भी है, जो कि व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये सड़कें दोनों तरफ से जर्जर अवस्था में हैं और आमजन को परेशानी होती है। साइड देने के लिये भी जगह नहीं रहती है। इन तीनों सड़कों की लम्बाई 62 किलोमीटर है। प्रथम सड़क ग्राम पंचायतें 4 एम.एस.आर., 22 ए व 27 ए व द्वितीय सड़क 8 पी.एस.डी.(बी), 7 के.एन.डी., 8 के.एन.डी., 12 के.एन.डी., 17 के.एन.डी., 10 के.डी., 2

(श्रीमती संतोष)

के.एल.डी. ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। तीसरी सड़क में पी.एस.डी.(बी), 9 पी.एस.डी., 22 आर.जे.डी. और रोजड़ी ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। इसमें दो सड़कें श्रीगंगानगर जिले को बीकानेर से भी जोड़ती हैं। ये सड़कें हमारी अन्तरराष्ट्रीय भारत-पाक सीमा के पास स्थित हैं। ये सड़कें हमारी भारतीय सेना के आवागमन में भी काम आती हैं। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण दिन-प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अधिक आवागमन के कारण जाम की स्थिति भी बनी रहती है। आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इन तीनों सड़कों को सिंगल रोड से डबल रोड में परिवर्तित किया जाए ताकि आमजन और सेना वाहनों के आवागमन में आ रही समस्या का समाधान हो सके।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

अलवर के पेयजल से वंचित गांवों को जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत नल कनेक्शन

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण इलाकों में पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है, जहां बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, जहां पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और लोगों को काफी दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। पानी की कमी से किसानों को परेशानी होती है। ऐसे गांवों के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत जिन इलाकों में पानी नहीं है, वहां पर हर घर में पाइप लाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा, जिसे सरकार ने हर घर जल योजना का नाम भी दिया है। स्कीम का लाभ लेने के लिए उन लाभार्थियों को पात्र माना जाएगा, जिनके घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अलवर जिले में पानी की गम्भीर समस्या है और पूरे जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट है। पूरे अलवर जिले में जल जीवन मिशन योजना की हालत यह है कि जलदाय विभाग के अफसरों की लापरवाही से इस योजना के तहत जिले में एक साल में 636 गांवों में 1.13 लाख नल कनेक्शन दिये जाने थे लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के 10 महीनों में

(श्री संजय शर्मा)

सिर्फ 5355 कनेक्शन ही दिये गये हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा लवाजमा भी लग जाये तब भी ये 31 मार्च तक 10 से 15 हजार तक नल कनेक्शन ही दे पायेंगे, पूरा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। इस योजना में नल कनेक्शन देने की गति इतनी धीमी है कि सभी घरों तक नल से पानी पहुंचने में करीब 8 साल लग जायेंगे, जबकि यह योजना वर्ष 2024 तक पूरी करनी है।

अत: इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय जलदाय मंत्री जी का विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि जनहित में अलवर जिले में जल जीवन मिशन योजना के कार्यों को शीघ्र करवाया जाये तथा इस योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

संस्कृत शिक्षा विभाग में संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का पुनर्गठन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहती हूं कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये सामान्य शिक्षा से पृथक संस्कृत शिक्षा का मंत्रालय व निदेशालय स्थापित है। संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्तमान में 7 सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालय हैं, जिनके अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा विद्यालयों की मानिटरिंग की जाती है, परन्तु राजपत्रित व अराजपत्रित सभी शिक्षकों से सम्बन्धित सभी कार्य यथा स्थानान्तरण, नवीन भर्ती, वरिष्ठता सूची संधारण, पदोन्नति आदि निदेशालय स्तर पर राज्य स्तर पर किया जाता है, जो कि विभागीय कर्मचारियों के लिये कष्टदायक होता है।

कर्मचारियों के कार्यों के आदेश के लिये समय व श्रम अधिक लगता है, जिस कारण सीमान्त जिलों को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सरकार बदलने पर राजनैतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिये दूर जिलों में स्थानान्तरण कर दिये जाते हैं जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में अध्यापक लेवल 1 व 2 का जिला स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक का मण्डल स्तर के भीतर ही स्थानान्तरण होता है। ऐसे में निवेदन है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में भी अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करते हुए सामान्य शिक्षा

(श्रीमती अनिता भदेल)
विभाग की तर्ज पर संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का पुनर्गठन कर मण्डल व्यवस्था लागू करवाकर वरिष्ठ अध्यापक व अध्यापक लेवल 1 व 2 से सम्बन्धित सभी कार्य यथा स्थानान्तरण, नवीन भर्ती, वरिष्ठता सूची संधारण, पदोन्नति आदि मण्डल स्तर पर करवाने की कृपा करें। यह कार्य निश्चित रूप से संस्कृत शिक्षा विभाग के लिये मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे न केवल संस्कृत शिक्षा विभागीय विद्यालयों को लाभ होगा, अपितु संस्कृत शिक्षा विभागीय कर्मचारियों के लिये भी यह अति सराहनीय कदम रहेगा।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर के अकालग्रस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु ट्यूबवैल व हैण्डपम्प की स्वीकृति

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पाली जिले में भयंकर अकाल व बरसात की कमी से पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांध जवाई बांध में पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। जवाई बांध में मात्र 500 एमसीएफटी पानी शेष बचा है जो डैड स्टोरेज में है, जिसमें से मात्र 100 एमसीएफटी पानी उपयोग में लाया जा सकेगा, जिसे पंपिंग कर निकाला जा रहा है, जो सिर्फ 15 दिन तक पेयजल के लिये चलेगा। बरसात आने से पहले 05 महीने तक आम जन को पेयजल हेतु व पशु-पक्षियों के पीने हेतु देना है। पूरे क्षेत्र में आधे गांवों को जलदाय विभाग ने 15-15 दिन तक पानी देना बन्द कर दिया है। पेयजल का क्षेत्र में विकराल संकट खड़ा हो गया है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई है। सरकार आम जन व पशुओं को 05 महीने कैसे पानी पिलायेगी, इसकी कोई कार्ययोजना नहीं है। वर्तमान में सभी गांवों में ट्यूबवैल व हैंडपम्प खुदवाने की आवश्यकता है व प्राइवेट, निजी कुओं का अधिग्रहण कर टंकियों से जोड़कर पेयजल देने की जरुरत है।

जलदाय विभाग के अधिकारियों के ज्यादातर पद रिक्त हैं जिससे अधिकारी गांवों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। पद रिक्त होने से आम जन व पशुओं के पेयजल की कार्ययोजना नहीं बन पा रही है। सरकार की तरफ से योजनाएं

(श्री जोराराम कुमावत)

बन भी जायें तो भी मैन पावर, स्टाफ की कमी के कारण यह योजनाएं धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आवश्यक है कि इस जल संकट से उबरने के लिये पर्याप्त मैन पावर हो।

विधान सभा क्षेत्र में रोजड़ा, जाखोड़ा, गोगरा, पिचावा, कोडोलाव, साण्डेराव, धणा, भावनगर, साकदड़ा, साली, देवतरा, लापोद, चांचोड़ी, सेदरिया, चांगवा, माण्डल, सोनाई मांझी, हेमावास, जवडिया, केरला, बल्दो भाटो की ढाणी, रूपावास, दयालपुरा, गिरादड़ा, गुन्दोज, टेवाली, सोड़ावास, डिंगाई, डेन्डा, भांवरी, डरी, मणिहारी, गुडा प्रतापसिंह, पादरला, कूरना, गुडा एन्दला, खौड, किरवा, बूसी, भांगेसर, सांपा, बोमादड़ा, बाणियावास, बडेरवास, खैरवा, पोयणा आदि गांवों में भयंकर जल संकट है। इन गांवों में ट्यूबवैल, ओपन वैल, हैंड पम्प शीघ्र स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है जिससे बरसात से पूर्व 05 महीनों तक इन गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से की जा सके।

(समय: 12.24 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी। फिर तो खतम हो जायेगा मामला ही। प्लीज। कुछ मंत्रियों को समझ में नहीं आया है। कुछ को सुनाया है मैंने। प्लीज।

श्री राकेश पारीक।

अजमेर में भू-नियमन के विशेष शिविरों का आयोजन

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि अजमेर जिले में 1970-72 में भू-संशोधन में मिली खातेदारी भूमि में भू-संशोधन निरस्त हो जाने के कारण राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.11.1992 की पालना में जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा नियमन योग्य पाये जाने पर वर्ष 1972 में प्रचलित दर के आधार पर भू-संशोधन जमाबन्दी व अंकित खातेदारों एवं उनके वारिसानों के पक्ष में नियमन किये गये थे परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण में चली गयी है। प्रार्थना-पत्र से उक्त पैरीफेरी के ग्रामों के लिये प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2021 के तहत विशेष शिविर लगवाकर भूमि के आवंटन/नियमन कराने का निवेदन है।

(श्री राकेश पारीक)

अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि अजमेर जिले में प्रशासन गांवों एवं शहरों के संग अभियान में पैरीफेरी में आने वाले गांवों में विशेष शिविर आयोजित कर भू-नियमन कराये जाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

आमेर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू एवं पंचायत समिति आमेर के लगभग 200 ग्राम एवं शहरी क्षेत्र के 4 वार्ड जो नगर निगम जयपुर, हैरिटेज के अन्तर्गत आते हैं जिसमें एक भी राजकीय महाविद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं है।

आमेर विधान सभा क्षेत्र का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र है, जहां बड़ी संख्या में किसान वर्ग, गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिनके बालक, बालिकाओं को राजकीय महाविद्यालय के अभाव में निजी शिक्षण संस्थानों अथवा क्षेत्र के बाहर अन्यत्र जाकर अध्ययन करना पड़ता है, जो इनके लिये इस महंगाई के दौर में कठिनाइयों से भरा साबित हो रहा है। निजी विद्यालयों की मनमानी फीस एवं अन्य शुल्क लिये जाने के कारण गरीब परिवारों को अपने बच्चों को अध्ययन से वंचित रखना पड़ रहा है। राजकीय महाविद्यालय के अभाव में यहां के गरीब छात्र-छात्राएं माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के पश्चात् अग्रेतर अध्ययन छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र आमेर के विद्यार्थियों को अग्रेतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके, इस हेतु विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना नितान्त आवश्यक है। मुझे क्षेत्र के स्थानीय निवासियों ने इस सम्बन्ध में अवगत कराया है कि यहां के छात्र-छात्राओं के अग्रेतर गुणवत्तापूर्ण अध्ययन हेतु सरकार से राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का निवेदन किया जाये। उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अत: प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र आमेर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

कुंवारिया (राजसमन्द) के महिला महाविद्यालय का सह शिक्षा महाविद्यालय में परिवर्तन

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के जरिये विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजसमन्द जिले के कुंवारिया ग्राम में वर्ष 2021-22 के सत्र से राजस्थान सरकार ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के नाम से एक कन्या महाविद्यालय प्रारम्भ किया है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने एवं पूर्व मंत्री एवं विधायक की स्मृति के लिए यह एक सराहनीय कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुंवारिया से मात्र 10 किलोमीटर दूर ही राजसमन्द के द्वारिकाधीश कन्या महाविद्यालय का भवन बन रहा है, किन्तु सह शिक्षा का महाविद्यालय लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इस कारण कुंवारिया एवं रेलमगरा तहसील के कई गांवों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में बड़ी असुविधा रहती है। अत: राज्य सरकार यदि कुंवारिया में संचालित स्वर्गीय किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय को सह शिक्षा के महाविद्यालय में परिवर्तित करे तो समीप की लगभग 15 ग्राम पंचायतों के 40 से अधिक गांवों के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए सुविधा मिलेगी। सह शिक्षा महाविद्यालय घोषित करने से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा, किन्तु इससे महाविद्यालय में छात्र संख्या में अच्छी वृद्धि होगी और सरकारी निवेश का समुचित उपयोग होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि स्वर्गीय किरण माहेश्वरी कन्या महाविद्यालय, कुंवारिया राजसमन्द को सह शिक्षा का महाविद्यालय घोषित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री कन्हैया लाल।

108 एम्बुलेंसों पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति एवं मालपुरा व टोडारायसिंह उपखण्ड में नवीन एम्बुलेंस सेवा का संचालन

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के जरिये विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा नीरोगी राजस्थान की अवधारणा को साकार करने के लिए

(श्री कन्हैया लाल)

प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने और सर्वजन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए गत और वर्तमान बजट में कई लोक लुभावनी घोषणाएं तो कर दीं, परन्तु उनके सफल क्रियान्वयन में हर बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी है।

राज्य सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक को समय पर आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एम्बुलेंस (108) के संचालन हेतु GVKEMRI नाम की कम्पनी के साथ अनुबन्ध किया है। उपरोक्त कम्पनी पिछले लगभग 8-10 महीनों से एम्बुलेंस (108) वाहनों एवं नर्सिंग व अन्य स्टाफ का फर्जी भुगतान उठा रही है। प्रदेश में उक्त कम्पनी के अधीन संचालित लगभग 70 ऐसी एम्बुलेंस (108) संचालित हैं, जिनमें नर्सिंग स्टाफ नहीं है। नर्सिंग स्टाफ के अभाव में मरीजों को दी जाने वाली आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता होने के बावजूद भी नहीं मिल पा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के उप खण्ड मालपुरा में संचालित एम्बुलेंसों में से करीब 2 साल से एक-दो एम्बुलेंस को छोड़कर चालू हालत में नहीं है तथा उप खण्ड टोडारायसिंह में मात्र एक ही एम्बुलेंस वाहन संचालित है, जिसमें भी समय पर मेंटीनेंस नहीं किये जाने के कारण से बार-बार धक्के लगाने पड़ते हैं। क्या सरकार ने मालपुरा व टोडारायसिंह की आम जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है? क्या आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना उनका अधिकार नहीं है? जबकि मेरे क्षेत्र के उप खण्ड मालपुरा व टोडारायसिंह में विस्तृत नगर पालिका क्षेत्र एवं काफी बड़े ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ दो स्टेट हाईवे एसएच 37-ए (दूदू-छाण वाया मालपुरा) एवं एसएच-12 (जयपुर-भीलवाड़ा वाया मालपुरा) गुजरते हैं, जिन पर आये दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है जिनमें त्वरित आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं और प्राथमिक उपचार नहीं मिलने के कारण घायलों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टोडारायसिंह, मालपुरा व डिग्गी से रेफर किये जाने वाले मरीजों को पहले जिला चिकित्सालय टोंक रेफर किया जाता है फिर वहां से जयपुर के लिए रेफर किया जाता है। इस प्रक्रिया में मरीज अत्यन्त ही विकट स्थिति में पहुंच जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसलिए इस तरह के केस को सीधे जयपुर के लिए रेफर किया जाना चाहिए जिससे समय पर उचित इलाज मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय

(श्री कन्हैया लाल)

से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में संचालित एम्बुलेंसों (108) पर नर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति करवाकर मेरे क्षेत्र के मालपुरा व टोडारायसिंह उप खण्ड में नवीन एम्बुलेंस (108) संचालित करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री छगनसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जोयला पिकअप वेयर से आहोर की ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि जोयला पिकअप वेयर फोर डाइवर्जन आफ ओल्ड रूट आफ सूकड़ी नदी योजना से आहोर तहसील की 17 ग्राम पंचायतों में पेयजल की विकट समस्या आयेगी। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जोयला पिकअप वेयर के बारे में अपनी जानकारी चाही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जोयला पिकअप वेयर की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में की है। सूकड़ी नदी सिरोही जिले के जोयला गांव के पास से दो भागों में विभाजित होकर पुन: जवाई नदी में मिलती थी। नदी में अधिक जल प्रवाह से एक भाग का पानी प्रवाह बन्द हो गया जिससे उसके किनारे स्थित गांवों के कुओं के जल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। स्थानीय निवासियों की मांग के अनुसार बन्द पड़े जल प्रवाह को प्रारम्भ किये जाने हेतु जोयला पिकअप वेयर का कार्य स्वीकृत किया गया। इस पिकअप वेयर से गेटेड स्लूज से मात्र 100 क्यूसेक पानी पुराने बहाव की तरफ प्रवाहित होगा जो कि 11-12 किलोमीटर होने के बाद पुन: मुख्य सूकड़ी नदी को जोड़न करेगा। सूकड़ी नदी के पुराने मार्ग में जल प्रवाह पुन: प्रारम्भ होने से पुराना जोयला, नया जोयला, जोकपुरा, कोयना, बामनेरा, कोरट तथा बूटेडी गांव लाभान्वित होंगे। जोयला पिकअप वेयर निर्माण से जालौर जिले में जवाई नदी जल प्रवाह में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, मैं पहले तो यह कहना चाहूंगा कि जो ओल्ड रूट बता रहे हैं, उसकी मैं वहां से फोटो खींचकर लाया हूं। वहां ओल्ड रूट कोई है नहीं। दूसरी बात है कि जिन सात गांवों को ये लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं, उसमें से जोयला पुराना और नया आलरेडी उस नदी के किनारे पर है, उसमें से दो गांवों ने पिटिशन लगायी है कि हमारे इस रूट से नुकसान होगा और जिस बामनेरा की बात कर रहे हैं और कोयना की बात कर रहे हैं उस बामनेरा में जहां वह नदी रूट चेंज कर रही है वहां पर उसी नदी पर सामुदायिक भवन, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी सेवा केन्द्र, ये तो उसी बामनेरा में बने हैं। उसी जगह पर दो मेघवालों को अलोटमेंट हुआ हैं, कपूरा राम और गलबा रामजी को। उसके बाद में जो पायेणा की बात कर रहे है उसी जगह सरकारी खर्चे से श्मशान बना है। मतलब वहां पूरा का पूरा रूट 50 वर्षों से किसी भी प्रकार की कोई नदी नहीं है। गांवों में तो जो भी बारिश होती है तो पानी जाने के लिए नाला बनता है उसके लिए आपके पास जो सूचना आयी है वह बहुत गलत है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जोयला डाइवर्सन बन रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय कि जोयला डाइवर्सन बन रहा है उससे जस्ट 10 किलोमीटर ऊपर पंच देवल बांध बना है। उस समय 2007 में किसान संघर्ष समिति ने एक बड़ा आन्दोलन किया था, उसमें उस समय के तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त और वहां के विधायक, 5 विधायक और पूर्व विधायक ने मिलकर उस समय एक निर्णय लिया था कि इस पंच देवल बांध के बाद में पंच देवल बांध को भी रोकना था, उधर भी 30 परसेंट पानी डाइवर्ट कर रहे हैं पहले से उस सूकड़ी नदी पर और जो डाइवर्ट हो रहा है पानी वह 30 परसेंट, वहां 8 घण्टूर बने हैं, और उन 8 घण्टूरों पर पानी डाइवर्ट होकर पूरा का पूरा पानी व्यर्थ जाता है। उसके बाद बचा हुआ पानी उस सूकड़ी नदी में आता था, जिससे हमारे करीब 18 ग्राम पंचायतें जिनमें पावटा, सेदरिया, डोडियाली, उम्मेदपुर, हरजी, अगवरी, गुड़, दयालपुरा, चरली, आहोर, गोदण, भैंसवाड़ा, सांकरना, ऊण, छवरसा, थावला, इन ग्राम पंचायतों के पेयजल के सोर्स सभी इस नदी के किनारे पर करीब 100 कुएं खोदे हुए हैं। यदि यह डाइवर्जन बनता है तो पेयजल के पूरे के पूरे कुएं सूख जायेंगे। अगर यह बनता है वहां पर अभी कल 26 सरपंचों ने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, सायला पंचायत

(श्री छगनसिंह)

समिति ने आहोर के 20 सरपंचों ने पंचायत समिति के भी सरपंचों ने ज्ञापन दिया है। जालौर के 10 सरपंचों ने ज्ञापन दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण में इतना नहीं होता है, आप तो काम की बात बताओ। रूट चेंज करने के बारे में बताओ।

श्री छगनसिंह (आहोर): यह अगर बनता है तो हमारे लिए बहुत घातक होगा और जन आन्दोलन होगा वहां पर, आक्रोश है बहुत बड़ा इसलिए माननीय मंत्री महोदय इसको कैंसिल करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोई नहीं था। मेरे पास सैटेलाइट का यह नक्शा है जिसमें दो नदियां बनी हुई हैं। यह कोई किसी ने जानबूझकर नहीं बनाया है। दूसरा मेरा यह कहना है कि 72 हजार क्यूसेक पानी वहां से निकलता है जिसमें से मात्र 100 क्यूसेक पानी हमने लिया है और इस एनिकट की हाइट मात्र 2 फीट है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है कि पानी को पूरी तरह से रोक दिया जाये। एक हल्का सा डाइवर्जन हुआ है। यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा है, उसको पूरा करने के हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय मंत्री महोदय, आप एक बार वहां इंजीनियर को भेजकर माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं इसको भी दिखवा लें। बाकी आप जो कर रहे हो, ठीक है। एक बार ये जो बात कह रहे हैं उसको दिखवा लें जिससे इनको संतुष्टि हो सके कि पानी का डाइवर्जन नहीं हो रहा है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां गया था। माननीय सदस्य, मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरे विभागीय अधिकारी आपके साथ में चलेंगे और आप जाकर देख लेना।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री राजकुमार रोत। (अनुपस्थित)।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय सदस्य स्थापित सुरक्षा व्यवस्था व उपकरणों के साथ सहयोग करें

आय-व्ययक की चर्चा से पहले मैं माननीय सदस्यों का ध्यान

(श्री अध्यक्ष)

आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ यन्त्र लगाये गये हैं। कुछ माननीय सदस्य उन सुरक्षा यन्त्रों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य जो यह व्यवस्था की गयी है उस व्यवस्था के साथ कोआपरेट करें अन्यथा अध्यक्ष की दृष्टि से मुझे कुछ अनप्लीजेंट निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी कदम उठाये गये हैं उनमें कोआपरेट करने का काम करें।

आय-व्ययक के सम्बन्ध में चर्चा। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 - पुलिस की प्रस्तुति

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 - पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,50,74,13,000/- (बयासी अरब पचास करोड़ चौहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 16 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली।

मांग संख्या 17 - कारागार की प्रस्तुति

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 17 - कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,71,51,000 (दो अरब सैंतालीस करोड़ इकहत्तर लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाये।

(मांग संख्या 17 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 16 - पुलिस और मांग संख्या 17 - कारागार पर चर्चा हो रही है। चूंकि दोनों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मांगों का सम्बन्ध प्रदेश की कानून-व्यवस्था से है, इसलिये प्रदेश की आम अवाम इन सारी बातों से वाकिफ होना भी चाहेगा और उनकी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। अध्यक्ष महोदय कल जब यही समय गुजर रहा होगा तो यूपी में मत की पेटी से नयी सरकार पैदा हो जायेगी। अभी प्रेस की दीर्घा में कुछ पत्रकार मित्र मिले थे। उन्होंने मुझे कहा कि यूपी के चुनावों और उनके परिणाम के केन्द्र बिन्दु में वहां की कानून-व्यवस्था रहेगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी हालात कुछ इसी तरह से बिगड़ रहे हैं।

मंत्री महोदय, आपको मालूम है, राजस्थान एक शान्तिप्रिय प्रदेश है। राजस्थान के इतिहास के आगोश में जर्रे-जर्रे पर त्याग, मान, मर्यादा की कहानियां हैं, जिनसे देश और विदेश के पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं, परन्तु अब जिस तरह का वातावरण बना है, न केवल पर्यटन हमसे दूर भाग रहा है, दहशतगर्दी की जिन्दगी में आम आदमी जीने को मजबूर है। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, राजस्थान में पहली बार कानून-व्यवस्था जन चर्चा का विषय बन गयी। मैं यह नहीं कहता कि अपराध पूर्व में नहीं हुए। अपराध पहले भी हुए हैं अपराध बाद में भी होते रहेंगे, पर सवाल इस बात का है कि अपराध और अपराधियों से निपटने का सरकार का नजरिया क्या है।

अध्यक्ष महोदय, जब मानव सभ्यता आकार ले रही थी, उस समय भी अपराध और अपराधी थे। जब इस मुल्क में राजतंत्र था, राजस्थान में देशी रियासतें थीं, उस समय भी उन रियासतों ने अपराधियों को सज़ा देने के लिये अपने कई कानून बना रखे थे। रियासतों के समय में भी बड़ी संख्या में कानून का कोडिफिकेशन प्रारम्भ हो गया था। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूं, आज जो आईपीसी है 1860 की, सीआरपीसी है 1898 की, इनसे मूलत: हमारे न्यायालय अपराधियों के आरोपों का विरचन करते हैं। यह दीगर बात है कि समय-समय पर इनमें संशोधन होते चले गये।

आज हमारा जेल मैनुअल भी 127 वर्ष पुराना 1894 का है। अध्यक्ष महोदय, समय बदला, समय की रफ्तार बदली और इस लोकतंत्र में हमें जो संवैधानिक अधिकार मिला, आर्टिकल 21 - Right to live, जीने का अधिकार और इसी प्रकार जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें आर्टिकल 38 में यह राज्य सरकारों को कहा कि Right to live, जो संवैधानिक अधिकार है, उसकी रक्षा करने का काम चुनी हुई राज्य सरकार करेगी। चूंकि इसलिये भी कि आर्टिकल 246 में जो अनुसूची 2 है, उसकी एंट्री 1 में कानून-व्यवस्था और पब्लिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आर्डर लिखा हुआ है और मैं समझता हूं कि कानून-व्यवस्था की जिम्मेवारी और उस जिम्मेवारी से कानून किस प्रकार का है, इसके लिये श्रीमान को पता होगा, 1986 में देश में नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की स्थापना हुई। यह इसलिये स्थापित किया गया, पूरे देश में किस प्रकार की कानून-व्यवस्था किस -किस सूबे में चल रही है और किस प्रकार उस सूबे की कानून-व्यवस्था के आंकड़े पड़ोस के सूबे को प्रभावित करते हैं।

राज्य सरकार, जो अपने खुद के प्रतिवेदन भेजती है, उसके आधार पर पूरे देश में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकार्ड पर उन आंकड़ों को इन्द्राज किया जाता है। इसके साथ ही आपको याद होगा 2003 में देश में पुलिस एक्ट आया। उसमें एक बात मैंडेटरी की गयी कि पुलिस मुख्यालय से हर माह पुलिस का एक मासिक प्रतिवेदन निकलेगा, जिसमें जो मुख्य-मुख्य अपराध घटित होते हैं, उनका आंकड़ा सार्वजनिक किया जायेगा।

(समय: 12.45 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मंत्री महोदय, अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़ों के लिये यह कहूं कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये दहकते हुए आंकड़े हैं तो गलत नहीं होगा। आज महिला दुष्कर्म में लगातार दूसरे वर्ष, यह मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, हम पहले पायदान पर पहुंच गये। अनुसूचित जाति, जो आपके लिये सरकार तक पहुंचने के सफर में सर्वाधिक हमसफर रही, उसमें एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि हम तीसरे पायदान पर हैं मुल्क में और अनूसूचित जनजाति में हम दूसरे पायदान पर हैं।

मुझे बड़ा अफसोस है, इसी सदन में हमारे सदन के नेता और जो गृह मंत्री भी हैं, जब कभी भी हमने एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कही, उन्होंने अपराध के आंकड़ों में प्रिएम्बल की प्रस्तावना में कुछ शब्द पढ़कर छोड़ दिये और कहा कि इन आंकड़ों से राज्य की कानून-व्यवस्था का कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज इन अपराधों के आंकड़ों पर ''ध्यान देने योग्य तथ्य'', यह पहले पृष्ठ पर लिखा है।

मंत्री महोदय, अन्तिम तीन लाइनें अगर आप पढ़ लेते तो शायद आप मुख्य मंत्री जी को यह राय नहीं देते कि जो रिकार्ड पर एनसीआरबी में आंकड़े गये, वे आपके प्रदेश के पुलिस मुख्यालय से गये। उनकी काट के लिये आप ऐसी लचर दलील मत दें। इसमें आखिर में लिखा है, पूरा पत्र मैं पढ़ूंगा तो मेरा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समय जाया होगा, "इन मुद्दों की स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर पेशेवर विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि अपराधों के आंकड़ों में आयी कमी या वृद्धि में शामिल कारणों को सही ढंग से सुलझाया जा सके।" मुझे अफसोस है, मंत्री महोदय, आप एक लचर दलील और देंगे, क्योंकि दलील देने में आप मास्टर हैं, "ऑनलाइन एफआईआर हमने चालू कर दी, आम आदमी एफआईआर दर्ज कराने लग गया।" मैं निवेदन करूं, आप ही का जो पुलिस का प्रतिवेदन है 2021-22 का, उसमें 9 अपराधों का जिक्र किया गया है- हत्या, हत्या प्रयास, डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार, बलवा, नकबजनी और चोरी। कितने अपराध दर्ज हुए हैं 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक, 214552 और ऑनलाइन एफआईआर, मंत्री महोदय, मुझे करेक्ट कीजियेगा, 5.60 प्रतिशत और उसके साथ जो 156(3) में सीआरपीसी में जिनकी एफआईआर आपकी पुलिस दर्ज नहीं करती, उनका प्रतिशत है 18.60, ये सारी बातें पोल खोल रही हैं कि आपकी हालत क्या है।

सभापति महोदय, अब मैं जो बातें कह रहा हूं, एक भी आंकड़ा मेरा स्वयं का नहीं है। मैंने बड़ी तसल्ली से उस मासिक प्रतिवेदन को पढ़ा, जो 31 दिसम्बर, 2021 तक के अपराधों का जारी किया यहां के डीजीपी साहब ने अपने हस्ताक्षर से। हत्या, जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, 2020 में 1719 हुई। 2021 में 1786 हत्याएं हो गयीं। कोई बात नहीं, पर आपने चालान कितनों का किया वर्ष के बाद में, 929 का। आपने एफआर दी 473 की। मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि आपने एफआर क्यों दे दी, पर ये पैंडिंग इन्क्वायरीज, वाह 384, 21.5 फीसदी कुल हत्याओं के अपराधों में। किसके कहने से? यह फाइलों की लौटाफेरी बन्द कराएं। हत्यारों को बचाने के नाम पर इन्वेस्टीगेशन बदलने के कारण से इस प्रकार के हालात हैं। मैं निवेदन करूं, यही नहीं, लूट में, ये आपके आंकड़े हैं, मेरे नहीं, 2020 में 1115 लूट हुई 2021 में 1485, यानी आप तो माकूल अच्छा प्रबन्धन कर रहे हैं, फिर भी 28.50 लूट ज्यादा हुई। उसके अन्दर भी, 2021 में, मैं एक वर्ष की बात कर रहा हूं, 1485 प्रकरण में 52 परसेंट मामलों में सिर्फ चालान 487 में और 237 लुटेरे जो लूट कर चले गये, 15.9 फीसदी अंडर इन्वेस्टिगेशन।

इसी प्रकार अपहरण के अन्दर 2020 में 6234, 2021 में 7117, 23 परसेंट की बढ़ोतरी। इसके अन्दर भी आपने जो चालान किया, मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने 2075 का, मान लो 25 परसेंट का चालान किया तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह माजरा क्या है? ये आंकड़े चिल्ला-चिल्लाकर क्या बोल रहे हैं? आपने चालान किया और एफआर की बात मैं करूं तो आपने इसके अन्दर जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक 4625 एफआर दे दी। अगर असत्य एफआईआर है, आपने एफआर दी है तो किसने हाथ पकड़ा कि आप उनके खिलाफ 182 चलाते? परन्तु आप नहीं चलाओगे क्योंकि एफआर देने के पीछे जो घुमावदार आपने अपनाया न मंत्री महोदय, यह राजस्थान के लिए ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं और जो मैंने पहले कहा कि आज सबसे बड़ी चिन्ता हमारी बहन-बेटी के साथ होने वाले दुष्कर्म की है। मैं कोई सदन में सनसनी फैलाना नहीं चाहता, मैं कोई अलवर की घटना का लम्बा जिक्र नहीं करना चाहता, मैं कोई खेड़ली की घटना का जिक्र नहीं करना चाहता पर सभापति महोदय, यह हो क्या रहा है, ये आंकड़े चीख रहे हैं। ये मेरे नहीं हैं। मुख्य मंत्री जी से आपने क्या बयान दिलाया? आपके डीजीपी साहब क्या बोले? महिला सम्बन्धी अपराधों में 45 मामले असत्य। यह झांसी बाई का प्रदेश है, यहां नारी देवताओं के समान पूजी जाती है और आपने शक के दायरे में ले लिया मेरी सारी बहनों को कि 45 परसेंट मामले असत्य हैं। मैं निवेदन करूं कि महिला अत्याचार के अन्दर तीन साल में 1 लाख 15 हजार 743 प्रकरण दर्ज हुए और 17 परसेंट की बढ़ोतरी है महाराज, एक-एक साल का मैं बताऊं तो। रेप में तीन साल में 17644, यानी अगर मैं इन आंकड़ों को दिनों में निकालूं तो सभापति महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस है मेरी आत्मा रो रही है, सुबह से शाम होती है तो इस राजस्थान की सरजमीं पर 18 बहनों की इज्जत लूटी जाती है। यह आपका शासन है? आप मुस्कुराते और हो। इसके अन्दर भी जो पैंडिंग हैं उनमें बलात्कार के अन्दर पैंडिंग इन्वेस्टिगेशन 13.18 परसेंट है और यह 2021 के मामले मैं कह रहा हूं। यानी 835 मामले जो रेप के दर्ज हुए, आपने एफआर लगाई, 2377 में लगा दी होगी, यह माजरा क्या है? मंत्री महोदय, मेरा पूरा फोकस यह है कि आप करना क्या चाहते हो? मैं अफसोस के साथ कहता हूं, आज समाचार पत्रों ने भी लिखा है, यह पोक्सो एक्ट, कल किस तरह का बयान आपने दिया कि 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक 5793 मामले दर्ज हुए और सज़ा कितनों ने पाई? 129 ने। वह अनबोली बच्ची.....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 129 नहीं, 129 प्रकरणों में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, 129 प्रकरण।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लगभग 398 को सज़ा मिली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे आप करेक्ट कर देना। सभापति महोदय, जब मैं पहली बार सदन में आया था तब से आप मेरे मार्गदर्शक हो। सदन में असत्य नहीं बोलूंगा। आपने जवाब में कहा है कि सज़ा हुई 129 को और ज्यादा हुई तो मुझे बता देना। अब छह महीने में यह खड़ा किया था कि छह महीने में चालान कितने हुए।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, इस मार्गदर्शक से मुझे छुट्टी दिलाओ। मेरी कोई मन्शा नहीं है मार्गदर्शक बनने की। जो हैं उनकी पीड़ा देख लो, मुझे क्यों उसमें घसीट रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि पोक्सो एक्ट में यह मेंडेटरी प्रावधान है 60 दिन में चालान होने का, मंत्री महोदय, आप जवाब दे देना। मैं मेरे आंकड़े बोलूं, हो सकता है, I may be wrong. I want to be wrong. पर आप अपने आंकड़े दे देना। मैं सदन के प्रतिपक्ष के नेता का चेहरा देख रहा था, जब ये बयान कर रहे थे, ये सरस्वती के मन्दिर में गुरु गोविन्द दोनों खड़े, वह गुरु और गुरु के सहयोगी दुष्कर्म करें और दुष्कर्म के बाद हम एक स्पेशल केस बनाकर उनको सज़ा नहीं दिलायें। मैं समझता हूं कि यह क्या हो रहा है। अलवर के मांढण में प्रिंसिपल और 9 शिक्षक मिलकर चार बच्चियों के अश्लील वीडियो, वाह। यह अलवर, झुन्झुनूं में प्रिंसिपल सातवीं कक्षा की बालिका के साथ दुष्कर्म करता है। नीमकाथाना, भीलवाड़ा, राजस्थान में सभापति महोदय, एक दिन सुबह से शाम होती है, मैं बड़े शर्म के साथ कहता हूं कि राजस्थान में एक निर्भया काण्ड आकार ले जाता है, हालात ये हैं।

मैं आपका ध्यान आप ही के आंकड़ों से चोरी की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, चोर बड़ा बमस्त है। सभापति महोदय, आपको मालूम है या नहीं, अपने गधा चोर गैंग बनी है। मुझे भादरा से आने वाले माननीय सदस्य करेक्ट करेंगे, मतलब गधों को चोरी करने की गैंग। मुझे करेक्ट करेंगे कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बकरा चोर गैंग। सभापति महोदय, और चोरी तो बहुत देखी पर छोटे-छोटे नौनिहालों की, शिशुओं की चोरी आपके शासन में ही देखी। सभापति महोदय, क्या हो रहा है? ये तीन साल के आंकड़े, 1 लाख 4 हजार 383 चोरी के मामले दर्ज हुए, 21.53 परसेंट वृद्धि हुई और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चोरी के अन्दर चालान, नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप भी गृह मंत्री विराजे हैं, चोरी में चालान 17.6 प्रतिशत, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती और बरामदगी उससे भी कम। क्या करना चाहते हो आप? क्यों इन चोरों को अलमस्त कर दिया? सीसीटीवी कैमरे लगेंगे सारे के सारे कामर्शियल काम्पलेक्स में, यह घोषणा करवाते हो, पर ये आंकड़े आपको आपकी बात कहते हैं।

अभी मैंने अनुसूचित जाति की बात कही थी। लोगों ने सोचा महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी, इन्दिरा गांधी जी की पार्टी है, गांधी शब्द लगाने से, मारवाड़ के गांधी लगाने से कुछ नहीं होता। यह अनुसूचित जाति के लोग समझ चुके हैं। क्या किया आपने? आपके 2020 में 7017, 2021 में 7524 और उनमें एफआर कितनी लगायी? 2021 का अकेले का आंकड़ा गिनूं 7524 में तो उनमें से आपने 3260 में एफआर लगायी। सभापति महोदय, मैंने सारी चीज देखी है और दो चीजों की तरफ आपकी आफिसर्स गैलरी में हुए अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चोरी और इस एससी गरीब वर्ग के विरुद्ध में जो मुकदमे दर्ज किये, उनमें एफआर का प्रतिशत आप बोलो तो बता देना। मैं समझता हूं कि अब विद्रोह के स्वर उठेंगे। आपने उसने उस पूंजा भील, जिसकी अगुआई में राणा प्रताप के साथ जिन अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लड़ाई लड़ी उनके हालात मैं नहीं कह रहा, आपके खुद के मासिक प्रतिवेदन से निकला हुआ आंकड़ा कह रहा है कि पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे स्थान पर हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? इसमें भी 18.48 परसेंट जो अपराध दर्ज हुए 2021 के अन्दर, आज वे पेंडिंग पड़े हैं। सभापति महोदय, अभी मैं एक एनसीआरबी का प्रिजन स्टेटिस्टिक्स, 2020 की रिपोर्ट देख रहा था। प्रिजन स्टेटिस्टिक्स, 2020 के अनुसार पूरे देश के अन्दर जो ग्रेजुएट आज जेलों में हैं उनमें राजस्थान का आज 5वां स्थान है। आप बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें करते हो न, बेरोजगारी भत्ते और यह पर ये आंकड़े कह रहे हैं कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सभापति महोदय, राजस्थान का बेरोजगार अब अपराध जगत की ओर बढ़ रहा है। रोकिये इनको, मंत्री महोदय, रोकिये, आप पुरानी स्टाइल में आइये और इन लोगों को जो आफिसर्स गैलरी में हैं, आपकी तो मानेंगे क्यों? आप तो छद्म गृह मंत्री हो, आपके पास क्या अधिकार हैं? बताओ। मेरे एक कांस्टेबल का ट्रांसफर कर दोगे? पर जवाब आप दोगे, ठीक है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करूं कि आपकी पुलिस और पुलिस व्यवस्थाएं, आपने इन थानों को यातना गृह बना दिया। आपकी कस्टोडियल डैथ का मालूम है? आपको याद है? आर्टिकल 20 (1) में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को पुलिस कस्टडी में यातना, मतलब किसी भी नागरिक को निर्धारित कानून के उल्लंघन पर सक्षम न्यायालय ही सज़ा दे सकता है, आप सज़ा नहीं दे सकते, आप कस्टडी में लेकर किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। सभापति महोदय, 1993 में प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स आया, प्रोटेक्शन आफ ह्यूमन राइट्स के सेक्शन 12 और 13 में कहा कि अगर इस प्रकार की कोई घटना कहीं घटित होती है तो 24 घन्टे में उसकी रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के

(समय: 13.00 बजे)

पास जानी चाहिये, आपने भेजी। आपको एक बात और कहूं, आप लिख लें, यह सीआरपीसी, 1973 का सेक्शन 176(1)(a), अगर किसी भी व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है या वह गायब होता है या किसी महिला से बलात्कार होता है तो यह सेक्शन स्वत: ही कहता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब तक आपने कितने लोगों की जुडिशियल इंक्वायरी कर दी? आपने पुलिस कस्टडी में ले-लेकर लोगों को पीट-पीटकर मार डाला।

आपने सीआरपीसी के 176(a) के प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दीं। आपने आर्टिकल 20(a) की धज्जियां उड़ा दीं, आप मुस्करा रहे हैं। मैं आपका ही मामला बता रहा हूं। नयापुरा आपका ही इलाका है। नयापुरा में 32 वर्षीय कमल लोधा की पुलिस हिरासत में मौत। आपने कहानी क्या रची, आप लेकर गये थे उन एसएचओ को, मैं नाम भी बता दूंगा। 4 फीट ऊंचे बैरक पर 5 फीट 9 इंच के कमल लोधा ने फांसी लगा ली, बैरक की ऊंचाई देखिये। फिर आप गये, लोगों ने आपको काला झण्डा, हाय-हाय किया, मुझे बड़ी तकलीफ हुई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कभी नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, नहीं किया। ये देखिये, ये हैं ज्ञानवान आदमी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): काले झण्डे तो एक बार जब बच्चों का जे.के. लोन का मामला

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

था, तब आपको दिखाये गये थे। मुझे आज तक किसी ने काला झण्ड़ा नहीं दिखाया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिये।

श्री सभापति: मैं आप दोनों के काला टीका लगाऊंगा, ताकि नजर नहीं लग जाय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोटा के अन्दर राजेन्द्र सांखला है। वह आपकी अगुआई में, आप टेलीफोन करते हो। आज इनके प्रभारी मंत्री आ रहे हैं। आज इनके जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, इन पर हमला कर देना, उस पर हमला कर देना। यह क्या लोकतंत्र का मजाक है? इसी तरह मैं निवेदन करूं, आप देखें 6 अक्टूबर को आरटीआई कार्यकर्ता, 2019 की बात है, जगदीश गोलिया ने क्या किया था? आप हिरासत में लेते हो, पीट-पीटकर मार डालते हो। वहां की एसएचओ सरोज को आप निलम्बित करते हो। आपने जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करायी? अगर आपने प्राइमाफेसी माना कि जुडिशियल कस्टडी में मौत है तो आपने 302 का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया?

मुझसे अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले अमर सिंह की बात कर रहे थे। अमर सिंह को पकड़कर ले आये, सर्च आपरेशन में गिरफ्तार किया। उसको 27 नवम्बर को पकड़ते हैं और 28 नवम्बर को मौत हो जाती है। कुछ कर्मियों को लाइन हाजिर और खतम।

आपके नवा थाना, मिठड़ी निवासी सुनील कुमावत की मौत आज चीख-चीखकर आपसे न्याय मांग रही है। वहां आन्ध्र की पुलिस गयी, आन्ध्र से जाते हैं आन्ध्र में, ये पुलिस वाले, प्राइवेट गाड़ी में लेकर आते हैं, रास्ते में पीटते हैं, मर जाता है। उसके बाद सीएमओ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सीएमओ में कोई न कोई बड़ा संवेदनशील अधिकारी है। उन्होंने दखलअंदाजी की डीजीपी साहब को कहा और उसके बाद में आपने क्या किया? मार डाला तो मार डाला, हैड कांस्टेबल और दो कांस्टेबल को सस्पेंड करो जी, क्या पड़ा है इसमें।

अभी जवाहर नगर का अमित त्यागी का मामला। आपने कहा न, उसमें भी 5 फीट का तो पूरा गेट है। मैं वह फोटो देखकर आया और 5 फीट 9 इंच का अमित त्यागी लटक कर मर गया। मतलब क्या है? सुरूर थाने में तो बकरी चोरी के आरोप में बंशी गुर्जर को पकड़ा। मानवाधिकार आयोग ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रिपोर्ट मांगी, जस्टिस गोयल ने, तब आपने पूरे थाना 38 के 38 को लाइन हाजिर किया।

इसी तरह खण्डार में भजन लाल, आज खण्डार के एमएलए नहीं आये हैं। मैं उनको धन्यवाद देता, मर्द एमएलए हैं, थाने में जाकर बैठ गये, खण्डार के अन्दर पुलिस कस्टडी में भजन लाल की मौत। आपने कैसे सस्पेंड किया, 5 लाख क्यों दिये जी, अगर कुछ भी नहीं था तो?

इसी तरह फागी के अन्दर तो एक 75 साल का खेमचन्द परिवादी है। परिवादी को पीट-पीटकर मार डालते हो। इसी तरह लोहावट में राजू नाइक की मौत, अनूपगढ़ से 23 दिसम्बर को लेकर आते हो, रास्ते में मारपीट होती है, 24 दिसम्बर को मर जाता है, 27 दिसम्बर को बॉडी के साथ भील समाज के लोग आंदोलन करते हैं, रात को उन आंदोलनकारियों पर पुलिस गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है।

सभापति महोदय, मैं कहूं तो क्या कहूं क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं। सभापति महोदय, मेरे जैसा संवेदनशील आदमी, मेरे जैसा, आप मेरे चेहरे की तरफ देखो, ये चेहरे पर आंसू ही नहीं निकल रहे पर ये आंसू निकलकर अन्दर बह रहे हैं। ये इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि मन में संवेदनशीलता और पीड़ा है।

मंत्री महोदय, आपकी पुलिस ने आदमियों को मार-मारकर कस्टडी में पीटने का रिकार्ड बनाया। वहीं पिटाई खाने का भी रिकार्ड बनाया है, यह भी कमाल का ही है। मतलब, 2019 में 1604 और 2020 में 1720 बार, पुलिस या पुलिस की उपस्थिति में अधिकारियों की मरम्मत हुई है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आंसू नहीं दिखे हमें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दिल के अरमां, आंसुओं में बह गये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको एक शेर सुना देता हूं कि 'हजारों साल बीते, तेरा खारापन नहीं जाता, न जाने किसके आंसू मिले हैं, ऐ, समन्दर तेरे पानी में।' आप के ही आंसू बह गये होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। यह पद मिला है 'जहां आज तू है, कल कोई और था। यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था।' जिस दिन नया दौर आयेगा, उस दिन ये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सब चीजें चिल्ला-चिल्लाकर पूछेंगी। आपको मैं कह रहा हूं, पुलिस की पिटाई का जो रिकार्ड आपने बनाया, 2019 में 1604 और 2020 में 1720, नेता, प्रतिपक्ष, हर दिन 4 जगह पुलिस की मरम्मत या पुलिस की उपस्थिति में अधिकारियों की मरम्मत हो रही है। हालत क्या है? मंडरायल थाने से 500 मीटर दूर गोकुल शर्मा, कांस्टेबल का सिर पर पत्थर मारकर कत्ल। भीलवाड़ा में नाकाबन्दी करने गये थे, नाकाबन्दी में दो कांस्टेबल शहीद हो गये। आपके दो कांस्टेबलों को आपके राजू फौजी और सुनील डूडी ने उड़ा दिया। यही नहीं यह जो बजरी का मामला है। मैं सारे आंकड़े बड़ी तसल्ली से निकालकर लाया हूं। बजरी माफिया में राजस्थान की पुलिस ने 2021 में।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बजरी के मामले में तो आप एक्सपर्ट हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एक्सपर्ट हूं, बिलकुल। बिलकुल एक्सपर्ट हूं, मैं कह रहा हूं न एक्सपर्ट हूं। 159 बार आपकी पुलिस की पिटाई बजरी माफिया ने, वे मेरे संरक्षण में कर रहे होंगे, यह कह दो आप।

सभापति महोदय, एनडीपीएस एक्ट, मैंने पहले कहा तस्करों ने दो कांस्टेबलों को उड़ा दिया। इन तस्करों से भी इन दो वर्षों में पुलिस ने 21 बार पिटाई खायी। जोधपुर, पाली रोड पर तस्करों का पीछा करते हुए पुलिस पर फायरिंग की बात हो, कपासन की फायरिंग की बात हो।

मैं समझता हूं कितनी की बात कह दें पर अभी गोविन्दगढ़ के अन्दर एक बड़ी जोर की घटना 24 फरवरी को हुई। एक सायबर फ्रॉड को पकड़ने के लिये गोविन्दगढ़ थाने पर पश्चिम बंगाल की पुलिस आती है। गोविन्दगढ़ थाना साथ में जाता है, सोमला खुर्द में और एलान होता है, गांव वालों आपने तय किया था, पुलिस आयेगी तो जिन्दा नहीं जायेगी। आपकी पुलिस पर जो पथराव होता है और आप वापस आ जाते हो।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं मैंने ऐसी बेबस पुलिस नहीं देखी। यू.पी. से 50 हजार का इनामी तस्कर पकड़ने के लिये एटीएस की टीम शिव, बाड़मेर में जाती है, पकड़ लेती है और बाद में चार वाहनों के अन्दर बीस लोग आते हैं और छुड़ाकर ले जाते हैं। क्या पुलिस है?

मैं समझता हूं कि अभी बेगूं से आने वाले माननीय सदस्य और वहां के एसएचओ की अलंकृत भाषा में बात हुई।

श्री सभापति: 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी तो बोला ही नहीं।

सभापति महोदय, पुलिस का इकबाल इसलिए टूट रहा है कि आज हर विधायक, मिनी चीफ मिनिस्टर, मिनी मुख्य मंत्री है। मैं निवेदन करूं इन जेलों का, जेल की हालत क्या है? जेल मैनुअल 1955 का बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर अमित राय कमेटी बनी थी और संसदीय समिति थी। उन्होंने एक ड्राफ्ट नोट बनाकर 2016 में राज्यों को भेजा। जेल मैनुअल को अमेंड करें, आधे दर्जन से ज्यादा अमेंड हो गया, पर हमने नहीं किया। आज ठसा-ठस जेल के अन्दर 22 हजार की कैपिसिटी है, उससे लगभग डेढ़ गुना लोग भरे हैं, गैंगस्टर चल रहे हैं, आरामगाह है।

सभापति महोदय, आपने देखा होगा, पत्रिका ने एक फोटो छापी। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से आपका वह लॉरेंस विश्नोई सोते हुए बात कर रहा है और दूसरा कर रहा है भरतपुर की सेवर जिले से विक्रम ऊर्फ लादेन, जेलों से गैंग चल रही है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, मैं चूरू से आता हूं। चूरू में 4 लड़के एक व्यापारी के पास जाते हैं और फिक्स टाइम पर, वहां हमारा एक बदमाश है, उससे बात कराते हैं, सम्पत नेहरा से। सम्पत नेहरा कहता है 25 लाख तो मुझे भेज देना और 2 लाख इनको दे। वह ना-नुकर करता है, निकाल रिवोल्वर, मुझे दिखा इसके लगी या नहीं लगी। वे सीधे चलकर मेरे पास आते हैं, घबराये, थर्राये हुए। मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूं पर आज तक सम्पत नेहरा को प्रोटेक्शन वारन्ट पर आप नहीं ला सके। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यह फलौदी की जेल की बात करूं जहां लोग जेल तोड़ कर भाग गये। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक डीजीपी साहब राजीव जी को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट किया। जेल मैन्युअल में सेक्शन-26 में अमेंडमेंट किया। पहले यह था कि खाना सिर्फ उच्च जाति के लोग बनायेंगे जेल में, क्यों, क्योंकि हमारा 127 साल पुराना हमारा जेल मैन्युअल। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा और उसके बाद में कोई भी खाना बनायेगा और एक जेल रूल 1927 के अन्दर कुछ जातियों को हैबिचुअल ओफेंडर मान रखा था। आजादी का 70वां साल मना रहे हैं। कंजर हो, सांसी हो उसको उन्होंने अमेंड किया। एक जेल सेक्शन में जेल रूल 1955 के सेक्शन-13 में जेल की सफाई, पहले था कि एससी के लोग करेंगे।

सभापति महोदय, अब आपने कहा तो मैं पांच मिनट में अपनी बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

समाप्त करूंगा, छठा मिनट ही नहीं लूंगा। यह जो आपका भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जीरो डिस्क्रिशन, जीरो करप्शन और जीरो टोलरेंस, है न? अभी आपने 2020-21 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे देखा होगा। 67 प्रतिशत लोगों ने माना राजस्थान के अन्दर बिना रिश्वत काम नहीं होता और नेता-प्रतिपक्ष, एक नया सर्वे आया है मैं कोट करना चाहता हूं, रिकार्ड पर चला जाये। इंडियन करप्शन सर्वे, 2021 व ट्रेस रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स, 2021 का दिसम्बर, 2021 के अनुसार 78 प्रतिशत कर्मचारी/अधिकारी बिना रिश्वत लिये काम नहीं करते और मैं उस शिक्षक दिवस पर 16 नवम्बर, 2021 को बिड़ला आडिटोरियम की गाथा को दुबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं उस बात को भी कहना नहीं चाहूंगा कि आरपीएससी के स्थापना दिवस पर 22 दिसम्बर को मुख्य मंत्री जी कहते हैं नियुक्ति के अन्दर पैसा चलता है वर्षों से सुनते हैं यानी नियुक्ति करो, कमाओ और खाओ। मैं वह बात भी नहीं कहूंगा जो उन्होंने मीट द प्रेस में पहले साल के पहले दिन कहा, कोई गारंटी से नहीं कह सकता कि किसी के विभाग में पैसा नहीं, पर मैं राजस्थान पत्रिका को धन्यवाद देना चाहूंगा। राजस्थान पत्रिका ने, तीन साल सरकार के पूरे हुए, एक सर्वे किया और सर्वे में क्या किया था, मैं नहीं कहता मेरा आंकड़ा नहीं है कि 83.5 प्रतिशत मंत्री अपने विभाग में भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहे, नाकाम रहे और 77 प्रतिशत राज्य के मंत्रियों में आपस में खींचातानी है और भास्कर का सर्वे देखो आप। उन्होंने सात महीने का सर्वे किया 1 जनवरी, 2021 से 31 जनवरी, 2021 तक। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विवाह संस्कार से लेकर बीमा क्लेम तक कोई जगह नहीं है जहां रिश्वत नहीं चलती हो। 26 चिकित्सा कर्मियों को पकड़ा है आईसीयू में बैड दिलाने के लिये, कोविड का टैस्ट कराने के लिये, आपरेशन के लिये। 17 शिक्षा विभाग के लोगों को पकड़ा इंटरव्यू में पास कराने पर, पर आपने किया क्या। वह भरतपुर वाली बात, वह डाक्टर साहब पकड़े गये अनिल गुप्ता आरबीएम हास्पिटल में 2 हजार की रिश्वत में और आपने टेलिफोन क्यों किया इनको छोड़ने के लिये, फिर किस कारण से आपने तीन दिन बाद उनको पकड़ा? पहले भी तो पकड़े गये थे ये। इसलिये मैं निवेदन करूं आप मुझे कहेंगे। अब आपके यहां जो प्रोसीक्यूशन सैंक्शन है, हालात क्या है। अभियोजन स्वीकृति, आपके यहां अभियोजन स्वीकृति, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, आपके प्रगति प्रतिवेदन से निकालकर लाया हूं। वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित हैं 1776, आलोच्य वर्ष में ट्रेप के मामले दर्ज हुए 430,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आलोच्य वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध 2280 और वर्ष के अन्त में जो आपके मामले हैं वे हैं 1705, ये तो एफआईआर हैं। यह जो आपके पेंडिंग प्रोसीक्यूशन हैं 442, क्यों जी? आपकी एसीबी ने पकड़ा है न इन चोरों को, फिर आप 442 के ऊपर विराज गये न आप। इसके अन्दर 17 आरएएस हैं, 4 आईएएस हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्यों बड़ी मछली आराम से तैर कर निकल जाये और आपको मालूम है कि...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह एसीबी पर है ही नहीं आज चर्चा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): एसीबी पार्ट नहीं है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आज चर्चा नहीं है उस पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मतलब मैं पुलिस के भ्रष्टाचार की बात नहीं करूं। सभापति महोदय, यह ब्रूट मेजोरिटी के कारण से और आपकी आंखों से निकलते हुए मेरे प्रति गुस्से को देखकर मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करता हूं कि राजस्थान की लचर कानून-व्यवस्था के कारण से आम अवाम दहशतगर्दी की जिन्दगी जी रहा है और समय आने पर राजस्थान का आम अवाम खड़ा होकर आपको वोट की चोट से सीधा करेगा और कल यूपी के परिणाम में भी आपको पता लग जायेगा कि कानून-व्यवस्था का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मशहूर शायर मखदूम मोहिउद्दीन का एक शेर है, 'हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।'

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है और जो पुलिस से सम्बन्धित घोषणाएं इस सदन में की हैं उस पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा लेकिन प्रतिपक्ष के उप नेता ने आंकड़ों की बाजीगरी से सदन में जो बिन्दु प्रतिपादित करने की कोशिश की है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कन्विक्शन का सिर्फ एक फीगर मैं आपके सामने कोट

(श्री संयम लोढ़ा)

करके यह बताना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की पुलिस किस मुकाम पर खड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, भारत की जो कन्विक्शन रेट है, बॉडी ओफेन्सेज में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 38.90 प्रतिशत और राजस्थान का प्रतिशत है 56.80, मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 44.10 और राजस्थान का औसत है 59.70 प्रतिशत, अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 24.80 और राजस्थान का औसत है 55.80, रेप में कन्विक्शन का राष्ट्रीय औसत है 39.30 और राजस्थान का औसत 45.40 प्रतिशत, 354 आईपीसी में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 27.90 और राजस्थान का एवरेज है 56 प्रतिशत। 498 आईपीसी में कन्विक्शन का नेशनल एवरेज है 18.10 प्रतिशत और राजस्थान का एवरेज है 40.90 प्रतिशत। टोटल वीमन एट्रोसिटी में राष्ट्रीय औसत है 29.80 प्रतिशत और राजस्थान का औसत है कन्विक्शन का 47.50 प्रतिशत। टोटल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन नेशनल एवरेज है 45.10 प्रतिशत और राजस्थान का एवरेज है 58.40 प्रतिशत। टोटल क्राइम अगेंस्ट शिड्यूल्ड कास्ट राष्ट्रीय औसत है 42.40 प्रतिशत और कन्विक्शन का राजस्थान का औसत है 48.70 प्रतिशत। टोटल क्राइम अगेंस्ट शिड्यूल्ड ट्राइब राष्ट्रीय औसत है 28.50 प्रतिशत और राजस्थान का औसत है 43.20 प्रतिशत। मैं समझता हूं कि इसके बाद कोई आंकड़ों पर चर्चा करने की बहुत गुंजाइश नहीं बचती है। यह सही है कि 2020 की तुलना में 2021 में अपराधों के प्रकरण दर्ज करने में बढ़ोतरी हुई और वह इसलिये कि हमने राजस्थान की हर उस लड़की, हर उस महिला के भीतर यह आत्मविश्वास पैदा किया है कि उसके साथ जो गलत घटना हुई है वह पुलिस की चौखट पर जायेगी, उसकी बात सुनी जायेगी, उसको न्याय मिलेगा और इतना ही नहीं, पहले परिवार के लोग संकोच किया करते थे कि हमारी बेटी के साथ कोई अनहोनी घटित हुई है, हम अगर पुलिस में मुकदमा दर्ज कराने जायेंगे तो सामाजिक संदेश क्या जायेगा, बिरादरी में क्या जायेगा लेकिन राजस्थान के नागरिकों के मन में यह भरोसा इस सरकार ने पैदा किया है कि गलत के खिलाफ लड़ना चाहिये। इस तरह की किसी भी तरह की आशंकाओं से भयभीत नहीं होना चाहिये और आज वही कारण है कि इस तरह की घटनाएं होने पर हमारी बहनें, हमारे लोग बड़ी तादाद में मुकदमा दर्ज कराने के लिये आगे आ रहे हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा राजस्थान के नागरिकों की तरफ से कि आज राजस्थान का नागरिक सबसे ज्यादा किस तरह के अपराध से पीड़ित है। ऑनलाइन चीटिंग, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, अगर पुलिस के पास भी कोई फरियादी जाता है तो पुलिस भी इस बात का प्रयास करती है कि वह मुकदमा उसको दर्ज नहीं करना पड़े। क्यों, इसलिये कि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई टेक्नोलोजी नहीं है कि वह इन अपराधों का पीछा कर सके और इस बात की महती आवश्यकता थी कि राजस्थान की सरकार इस दिशा में कदम उठाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने डायल 100 एंड डायल 112, 500 पुलिस मोबाइल इस बजट में प्रदान करने की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं अभय कमांड के 10 हजार कैमरों की संख्या को बढ़ाकर 30 हजार करने की घोषणा की है। जितने भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, कामर्शियल इंस्टीट्यूट हैं, सबके लिये अशोक गहलोत साहब ने यह बाध्य कर दिया है कि आपको अपने बाहर और अन्य जगह कैमरे लगाने पड़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हर जिले में साइबर थाना खोलने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करना चाहूंगा कि पुलिस को आप वैल इक्विप्ड कीजिए, संसाधन उपलब्ध कराइए। साइबर क्राइम के लिहाज से भी अभी क्या है, आप एक प्रशिक्षण के आधार पर पूरी जांच कर पा रहे हैं। एक कांस्टेबल को आपने प्रशिक्षित कर दिया और उसके जरिए आप अन्वेषण की कोशिश करते हैं। बहुत खूब हो तो पूरे जिले में आपके पास कोई एक-दो सब इंस्पेक्टर ऐसे मिलेंगे जिनको इसकी जानकारी होगी और उसके जरिए आप उनका अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं। अब समय बदल गया है। मुख्य मंत्री महोदय ने जो पहल की है, उससे भी दो कदम आगे बढ़कर और इसमें उपाय करने की जरूरत है। टेक्नोलोजिकल टूल्स और ट्रेनिंग, इंटरसेट प्रोटोकोल, ई-मेल जनरेट कहां से होती है, हमारे पुलिस के लोग नहीं जानते। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हर जिले में एक्सपर्ट प्रोवाइड करें, जिससे आने वाले वक्त में हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे पुलिस के जवान बहुत विषम परिस्थिति में काम करते हैं। 24 घंटे की नौकरी, जब मर्जी आये तब बुला लो, दिनभर धूप में खड़े रहते हैं। आपने 10वीं पास कर रखा था, 10वीं पास

(श्री संयम लोढ़ा)

आदमी कांस्टेबल बन सकता है। आज बड़ी संख्या में ग्रेजुएट लोग आ रहे हैं। कांस्टेबल बन तो जाते हैं लेकिन उनमें एक फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है कि अब उनका भविष्य किस दिशा में आगे जायेगा। हमें कोशिश करनी चाहिये कि जो हमारे पास काबिल लोग, पढ़े-लिखे लोग, ग्रेजुएट लोग कांस्टेबल बने हैं, उनको इस पुलिस महकमे में ही एक भविष्य की सुरक्षा हम प्रदान करें। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा आप उड़ीसा का उदाहरण लीजिए। वहां सब-इंस्पेक्टर की कोई पोस्ट नहीं रखी है। पुलिस का जवान ही सीधा सब-इंस्पेक्टर लेवल तक जाता है और बाद में आगे प्रमोट होता चला जाता है। एक सही ओहदे तक पुलिस का जवान पहुंच पाता है। आप केरल का उदाहरण लीजिए, केरल में डीवाईएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है। लोग प्रमोट होते हुए एसपी तक जाते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा कि इस पर आप बहुत गंभीरता से सोचें और एक पुलिस के कांस्टेबल को पुलिस महकमे में उज्ज्वल भविष्य दिखे, जिससे वह मन लगाकर लोगों की सेवा करे। माननीय सभापति महोदय, यह एक अत्यन्त जरूरी कदम होगा।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। भ्रष्टाचार आज का नहीं है और भ्रष्टाचार आपके और मेरे करने से खतम भी नहीं होगा। पुलिस में लोग कहां से आते हैं? क्या आसमान से आते हैं? जो समाज की मान्यताएं होंगी, जो समाज की सोच होगी, उसका प्रभाव समाज के हर नागरिक पर पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, चाहे वह पुलिस का ओहदेदार हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हो, चाहे किसी का भी हो। मोरेलिटी, करेक्टर बिल्डिंग, ये सारी चीजें शाश्वत होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा पुलिस के लोगों का तो करो ही, हर नागरिक का तीन महीने में मोरेलिटी का और करेक्टर बिल्डिंग का एक प्रशिक्षण होना चाहिये। आप देखते हैं, एक बार अगर आपको अच्छा लगता है, आप पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब आप वापस सिस्टम में आते हैं तो सब भूल जाते हैं, उसका प्रभाव खतम हो जाता है। इसलिए लगातार इस बात का तत्व हर ओहदेदार को मिलना चाहिये कि नैतिकता क्या है, चरित्र क्या है, जिससे वह उस दुष्प्रभाव में नहीं आये और अपने चरित्र को बनाये रखे। आप आर्म्स फोर्सेज को देखिए, क्या उनकी परिस्थितियां विषम नहीं हैं? हमसे ज्यादा, पुलिस से ज्यादा और किसी से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में वे काम करते हैं। लेकिन उनकी चैन देखिए, उनका डिसीप्लिन देखिए। कभी हमको यह

(श्री संयम लोढ़ा)

सुनने में आता है कि भ्रष्टाचार इस रूप में वहां फैल गया। आज हमारे यहां कुछ भी हो जाये, कोई असर नहीं होता। ये चीजें तब ठीक होंगी जब आप जिले में सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को उसके लिये जिम्मेदार ठहरायेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है गुलाब चन्द जी कटारिया गृह मंत्री थे, उन्होंने एक आदेश निकाला था कि जो ओवर लोडेड बस और व्हीकल निकलेंगे, जिस थाने में ऐसा पता चलेगा तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्यवाही होगी। वे गृह मंत्री से विदा भी हो गये, नई सरकार भी आ गई, आज तक किसी एसएचओ के खिलाफ आपने कार्यवाही की कि यह ओवर लोडेड व्हीकल लेकर जा रहा है, ओवर लोडेड बस लेकर जा रहा है? जब बस खड्डे में गिरती है, जब कोई व्हीकल खड्डे में गिरता है, दर्जनों मौतें होती हैं, तब हम सारे लोग उसमें लग जाते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं करते कि इसको रोका कैसे जाय।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा पुलिस की कार्यप्रणाली को ठीक करने के लिये और कदम उठाने की जरूरत है और ज्यादा सहूलियत देने की जरूरत है। मुखबिर योजना, आप क्या पैसा उपलब्ध कराते हैं मुखबिर योजना में? मात्र 40 हजार रुपये उपलब्ध कराते हैं। अब आप बताइए 40 हजार रुपये में आप क्या मुखबिरी करवा लेंगे। पिछली बार मैंने इसी सदन में कहा था कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को आप रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराइए और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक करोड़ रुपया उनको उपलब्ध कराया। थानाधिकारी को आप क्या फंड उपलब्ध कराते हैं? तेलंगाना में एक ग्रामीण क्षेत्र के थाने को 75 हजार रुपये थाने के संचालन के लिये दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में डेढ़ लाख रुपया दिया जाता है। आप बताइए, आप क्या उपलब्ध कराते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली में भी कैब कंपनियों से कैश लैस बेसिस पर टाईअप किया हुआ है और किसी भी इंवेस्टिगेशन के लिये पुलिस का अधिकारी कैब का उपयोग कर सकता है। हमारे यहां क्या है? पुलिस अधिकारी को कहीं जांच के लिये जाना है, कहीं पकड़ने के लिये जाना है, क्या उपलब्ध कराते हो? वो ही टैक्सी आपरेटर यूनियन से उसको गाड़ी मंगवानी पड़ती है। वो ही वर्दी का इस्तेमाल करना पड़ता है और कहीं पुलिस का अधिकारी दूसरी स्टेट में ट्रेन से चला गया और उतर गया, उसके बाद क्या? स्टेट में भी कहीं ट्रेन से चला

(श्री संयम लोढ़ा)

गया और उतरने के बाद क्या? उसके पास क्या साधन है? पुलिस की व्यावहारिक कठिनाइयों को हमें समझना चाहिये और उसके अनुरूप सुविधाओं में बढ़ोतरी करने का हमें प्रयास करना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, आलोचना करना बहुत आसान है लेकिन आपको और हम सबको याद है कोरोना की वह पहली लहर जब घर से बाहर निकलने में भी आदमी डरता था। हमारे जिले में पहली लहर में जहां कोरोना पेशेंट मिला, मैं खुद कलेक्टर, एसपी के साथ मौके पर गया। पड़ोस के घर वाला दरवाजा नहीं खोलता था, खिड़की खोलकर देखकर कहता था संयम जी आइए, संयम जी आइए। लेकिन उस घड़ी में पुलिस का वह जवान था जो बैठा हुआ था और जिसने कोरोना की उस विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और हम सबको उससे बाहर निकालने में अविस्मरणीय योगदान दिया। माननीय सभापति महोदय, 32 पुलिसकर्मियों ने उस कोरोना में अपनी जान गंवाई थी और राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने बहुत उदारतापूर्वक 22 करोड़ 40 रुपये की सहायता उन मौतों के बाद उनके परिवारों को उपलब्ध कराई।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा आप कभी पुलिस लाइन जाकर देखिए। पुलिस लाइन में रहने वाले लोगों को देखिए, वहां की परिस्थितियों को देखिए। वहां के भवनों की क्या स्थिति है? इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और ठीक करने की जरूरत है।

मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, यह तो अच्छा है मुख्य मंत्री जी ने एक निर्णय किया कि हम हर थानों में स्वागत कक्ष बनायेंगे। उन स्वागत कक्षों का काफी संख्या में निर्माण भी हो गया और काफी प्रोसेस में भी हैं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पुलिस प्रशासनिक भवन 2021-22 का प्रोविजन 66 करोड़ रुपये का था, सरकार ने अब तक 8 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए प्रोविजन 116 करोड़ रुपये का था, आपने 50 करोड़ रुपये खर्च किये। आधुनिकीकरण की योजना में आपने पिछले साल 2021-22 में 5 करोड़ का प्रावधान किया और खर्चा कुछ नहीं किया। मरम्मत में आपने 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और 9 करोड़ रुपये खर्च किये। आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए आपने 25 करोड़ का प्रोविजन किया और खर्चा 2 करोड़ 27 लाख का किया। आप इस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? नीचे के लोगों को आप अगर समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायेंगे तो उनको काम करने में कठिनाई होगी।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, अपराध रोकने का सबसे बड़ा दायित्व चुनी हुई सरकार का है, जन प्रतिनिधि का है और पोलिटिकल पार्टियों का है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि Association of Democratic Reforms ने जो सूचना उपलब्ध करायी है। हिन्दुस्तान के 363 एमपी और एमएलए ऐसे हैं, जिनके खिलाफ गम्भीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के चार मंत्रियों के खिलाफ गम्भीर आपराधिक मुकदमे हैं। राज्यों के 35 मंत्रियों के खिलाफ गम्भीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके मुकदमों की जांच और पैंडेंसी छह और सात साल है। जब चुनाव होते हैं तब हम देश की जनता को कहते हैं कि हम स्पेशल कोर्ट खोलेंगे और इन एमपी और एमएलए के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं, उनका निस्तारण डे-टू-डे बेसिस पर सुनवाई करके करेंगे, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं तो उस चीज का भूल जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के मंत्री एल. मुरुगन के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ निश्चित और प्रमाणित 13 मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह से एमपी जॉन बारला 5 मुकदमे और शांतनु ठाकुर 8 मुकदमे, पंकज चौधरी 5 मुकदमे। अब आप बताइये इनके जरिये कौनसी व्यवस्था ठीक करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि अगर हर पोलिटिकल पार्टी चाहती है कि कानून व्यवस्था बेहतर रहे, सुशासन रहे तो ऐसे आपराधिक चरित्र वाले लोगों को पार्टी प्रत्याशी बनाने से बचना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय ने यह जो निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था की है, उसके कारण पूरे राजस्थान के अन्दर लोगों का भरोसा बढ़ा है। 2021 में जो मुकदमे हुए हैं, बलात्कार के 6337, लेकिन 2377 मामलों में एफआर हुई है। अपहरण के 7717 में से 4625 में एफआर हुई है। नकबजनी के 6821 में से 4468 में एफआर हुई। चोरी के 34873 में से 27123 में एफआर हुई है। कुल 2 लाख 14 हजार 552 मुकदमों में से 93 हजार 914 मुकदमों में एफआर हुई है। जो चालानी का प्रतिशत है, जो डकैती, लूट, नकबजनी और चोरी जैसे गम्भीर अपराध हैं, वह 74.5 परसेंट रहा है। पिछले तीन साल में बरामदगी का प्रतिशत डकैती में बढ़ा है, लूट में बढ़ा है, नकबजनी में बढ़ा है तो सिर्फ आंकड़ों के आधार पर यह कहना और चुनिंदा आंकड़े प्रस्तुत करके यह प्रकट करने की कोशिश करना कि राजस्थान पुलिस ने कुछ नहीं किया, पूरी तरह से गलत है और राजनीति से प्रेरित है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और प्रतिपक्ष के नेता जब बोलें तो बता दें। दुष्कर्म के मामलों में अनुसन्धान का औसत दिवस 2017 में 454 दिन था। यह राजस्थान पुलिस का प्रयास है कि वह घटकर 2019 में 137 दिवस हो गया। 2020 में 116 दिन हो गया और 2021 में मात्र 86 दिन रह गया है। इसके लिए राजस्थान की पुलिस साधुवाद की पात्र है। राजस्थान के मुख्य मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि इतने फीसदी मुकदमे कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुए। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस थानों के अन्दर मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। लोगों को बार-बार 156(3) का सहारा लेना पड़ता था। 2017 में इनके राज में 33.4 परसेंट मुकदमे कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुए। अशोक जी गहलोत के प्रयासों से वह आंकड़ा घटकर 2021 में 16 परसेंट हो गया है। क्या यह उपलब्धि नहीं है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि बलात्कार के मामलों में 510 प्रकरणों में सज़ा हुई और 5 में मृत्यु दण्ड हुआ और 35 में आजीवन कारावास हुआ। कैसे-कैसे भयानक मुकदमे राजस्थान की पुलिस ने सोल्व किये हैं, मैं निवेदन करूंगा। माननीय सभापति महोदय, यह नागौर जिले के पादुकलां का मुकदमा है। बिलकुल ब्लाइंड है। नाबालिग बच्ची से रेप का मुकदमा है। पुलिस ने किस आधार पर सोल्व किया है? मृतका की मुट्ठी में आरोपी के बाल, खून से लथपथ हाथ। आरोपी के पैरों से मिले सैण्डल और घटना स्थल पर मिले फुट मोड का मिलान और last seen evidence और डीएनए रिपोर्ट में ह्यूमन सीमन की मौजदूगी। ऐसे परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का पर्दाफाश पुलिस ने किया। माननीय सभापति महोदय, 26 दिन में उस मुकदमे का चालान पेश कर दिया और उस मुलजिम दिनेश को फांसी की सज़ा दिलायी।

मैं आपके माध्यम से एक और मामले का निवेदन करूंगा। अजमेर जिले का मामला है। पाक्सो एक्ट का है। लड़की बकरियां चराने गयी थी, कुछ पता नहीं चला। किसी अज्ञात व्यक्ति ने बलात्कार किया। पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ अंधेरे में हाथ-पैर मारने के। लेकिन मृतका के वैजाइनल स्वाब में आरोपी के डीएनए का मिलान करके पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और सिर्फ चार महीने में उस नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को फांसी की सज़ा हुई। इस तरह से राजस्थान पुलिस ने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है।

(श्री संयम लोढ़ा)

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि एक बहुत ही गम्भीर बात है जिसकी ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिये और पुलिस के आला अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिये। पुलिस दबाव में माहौल को कंट्रोल करने के लिए बहुत बार आननफानन में निर्दोष आदमी को गिरफ्तार करके बन्द कर देती है और बाद में जब वह व्यक्ति निर्दोष साबित होता है, कोर्ट से नहीं, पुलिस की दुबारा की गयी जांच से, तो जिस निर्दोष आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, न तो उसके साथ कोई सार्थक कार्यवाही होती है और जिस व्यक्ति के जीवन के इतने साल आपकी गलती से बर्बाद हो गये, उसे किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देते हैं। मैं सिरोही के बरलूट थाने के मुकदमे का दर्ज करना चाहूंगा। 2018 में देवासी समाज के एक लड़के को हत्या और लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया। हमने थाने का घेराव किया। प्रतिपक्ष के उप नेता हमारे प्रभारी मंत्री थे। हमने तब कहा कि आपने निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, हमारी किसी ने नहीं सुनी। राज बदला, हमने अशोक गहलोत साहब से विनती की कि निर्दोष आदमी को हत्या के मुकदमे में फंसाया गया है, आप इसकी सीबीआई से जांच कराइये। उन्होंने एसओजी को जांच दी और एसओजी ने मामले में प्रमाणित किया और कोर्ट में जाकर 169 में एप्लीकेशन फाइल की कि हमने यह जो लड़का गिरफ्तार किया है, वह निर्दोष है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या हत्या के मुकदमों में केवल निचले स्तर का अधिकारी गिरफ्तारी करता है? क्या उसमें एसपी स्तर का अधिकारी शामिल नहीं होता है? आप जबाब दें तो बताना। मैं अपना बोलना सार्थक मान लूंगा कि आप इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही की घोषणा करते हैं। जिस बच्चे की जिन्दगी के चार साल आपकी वजह से खराब हो गये, उसको किस तरह का मुआवजा सरकार की ओर से प्रदान किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुलिस की मांग पर आखिरी बात कहूंगा। आपने पिछले साल दो डीआईजी रैंक के अधिकारी सिरोही जिले में जांच के लिए भेजे। शराब की तस्करी, अपराधों में पुलिस की मिलीभगत। यह वह रिपोर्ट है, जो कि दो डीआईजी ने आपको दी है। आपके पुलिस महकमे के 40 लोग ऐसे हैं जो अन्तरराज्यीय शराब तस्करों से बात करते थे और उनकी कॉल डिटेल इस रिपोर्ट में मौजूद है। 40 लोगों के खिलाफ आज तक आपने कोई कार्यवाही नहीं की है। माननीय सभापति महोदय, मैं

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ऐसे मामलों में आपने दो-दो डीआईजी रैंक के अधिकारी भेजकर राजस्थान में सुर्खियों में आये, आपने फ्रंट पेज पर छपवाया और पब्लिक का इतना डीजल जलाया है तो कम से कम उस पर कार्यवाही तो करो। जिन 40 लोगों की कॉल डिटेल मौजूद है कि ये शराब के तस्करों से बात करते थे तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर चूंकि हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता ने भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का जिक्र किया है। मैं भी राजस्थान की जनता की तरफ से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जोरदार तरीके से राजस्थान में भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की और पूरे शासन के अन्दर एक भय पैदा किया। आज हर अधिकारी बात करते हुए हिचकता है, पैसे लेते हुए हिचकता है, बारगेनिंग करते हुए हिचकता है। एक वातावरण पूरे राजस्थान के अन्दर बनाया कि ए सी डी के लोग किसी भी समय पकड़ सकते हैं। यही नहीं कि कोई छोटी मछलियां पकड़ी हों, आई ए एस आफिसर, आई पी एस आफिसर, भारत सरकार के 32 अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने गिरफ्तार किये और राजस्थान के 103 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। बहुचर्चित मामला आपके ध्यान में होगा कितना दबाव पड़ा पुलिस के ऊपर कि आर एस एस के निम्बाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए, लेकिन पुलिस अडिग रही, दृढ़ रही, छिपते फिरे और बाद में जाकर हाई कोर्ट से स्टे लेकर आ गये, यह एक अलग विषय है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने..

श्री सभापति: चर्चा नहीं हो रही है आज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं विनती कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि ए.सी.डी. को ताकत देनी चाहिए। बहुत-सी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि ए.सी.डी. में एडिशनल एस पी के 60 में से 36 पद खाली पड़े हैं। इंस्पेक्टर के 98 में से 67 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल 1157 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से मात्र 196 लोग कार्यरत हैं। अगर हमारी मंशा है कि हम राजस्थान की जनता को सुशासन उपलब्ध कराएं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन उपलब्ध कराएं तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जिन-जिन लोगों के पद रिक्त हैं, आप उनको भरें, जिससे आने वाले वक्त में सुशासन देने का हमारा सपना साकार हो सके।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, एक आखिरी बात जेल के बारे में कह रहा हूं। हमारी जेल बोझ से दब रही है। जितनी क्षमता है उससे कहीं ज्यादा उनके अन्दर कैदी हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से, आप नई जेलें बनाएं और जहां जेल के अन्दर क्षमता है, वहां नये बैरक बनाएं। खूंखार कैदी होते हैं, आप उनको कोर्ट में लेकर आते हैं। कितनी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है? जो दूसरे लोग हैं, वे उन खूंखार कैदियों से डर जाते हैं, कई बार बयान भी बदल देते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि वीडियो सिस्टम से सारी जेल को जोड़ो और वीडियो के जरिये ही उनके बयान करवाओ। बहुत अच्छा हो कि जहां-जहां आपके पास स्पेस है, वहां जेल में ही आप कोर्ट चालू करें। इससे जो कैदियों को लाने-ले जाने के हजारों रुपये, लाखों रुपये आपके खर्च होते हैं, वे खर्च नहीं होंगे। ये जो बार-बार बातें आती हैं कि जेल से फलां आदमी अपनी गैंग चला रहा है तो आप जेल को इलैक्ट्रानिक इक्विप्ड करो। कैसे आपको पता नहीं चलता कि मोबाइल अन्दर यूज हो रहा है? कैसे जानकारी नहीं मिलती है? अगर आप ये सारी व्यवस्थाएं ठीक करेंगे तो आने वाले वक्त में जेलें भी बेहतर हो सकेंगी। जेल में भी हम में से निकले हुए लोग रहते हैं और मानवीय आधार पर उनका संचालन करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से विनती करूंगा कि इन तीन साल में बहुत बेहतरीन तरीके से, विपरीत परिस्थितियों में आपने राजस्थान की जनता को संभाला है और आने वाले वक्त में भी मैंने जो सुझाव आपको दिये हैं, उन पर आप अमल करेंगे तो आपका और बढ़िया होगा, जनता का भी बढ़िया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, सभापति महोदय, पुलिस की इस मांग की चर्चा पर आपने अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, वह पुराना जमाना तो चला गया जब लोग कहते थे कि फलां राजा के राज में घरों के दरवाजे नहीं होते थे। समय बदल गया। लोकतंत्र की व्यवस्था भी कायम हुई लेकिन आज की इस व्यवस्था में एक शब्द आता है, सिंहावलोकन, शेर भी जंगल में शिकार के लिए जब कई योजन दूर तक जाता है तो पीछे मुडकर देखता है कि शिकार की तलाश में कहां तक आ गया। समाज और लोकतंत्र की शासन की इस व्यवस्था में किसी शासन को सोचने व समझने का यह समय है कि इतने बरसों की लम्बी व्यवस्था में हम लोग कहां तक पहुंचे हैं?

(श्री सतीश पूनियां)

सभापति महोदय, बहुत अरसे पहले एक विश्व बैंक के अधिकारी मुझे ट्रेन में मिले। उनसे जब चर्चा संवाद हुआ तो मैंने पूछा, आप जयपुर कैसे आए? उन्होंने कहा कि मैं विश्व बैंक से रिटायर हुआ और दुनिया के नक्शे पर मुझे रिहायश के लिए एक शहर में बसना था। मुझे अपनी उस रिहायश के लिए सेवानिवृत्ति के बाकी समय में बसने के लिए जयपुर से उपयुक्त कोई शहर नहीं लगा, इसलिए मैंने जयपुर में मकान लिया। यदि उन विश्व बैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी से आज मैं मिलता और उनको पूछता और हो सकता है कदाचित वे यह शहर छोड़कर जा चुके होंगे। बात केवल पुलिस की नहीं है। पुलिस से ही कानून व्यवस्था जुड़ी है और कानून व्यवस्था से शासन व्यवस्था जुड़ी है। यहां पर मेरे से पहले हमारे माननीय सदस्यों ने आंकड़ों के जरिये तथ्य परक बातें रखी हैं। मैं कई बातों से इत्तफाक भी रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ये तो सोचना ही पड़ेगा कि इस लोकतंत्र में कोई भी सरकार, कोई शासन जब जन सुरक्षा का भरोसा देती है, वह लोक कल्याणकारी सरकार इस बात पर तो विश्वास करेगी ही, इस बात का भरोसा जनता को देगी ही कि उनकी सुरक्षा कैसे हो। इस बात पर भी सोचना पड़ेगा क्योंकि पुलिस समाज का हिस्सा है लेकिन पुलिस की भूमिका कोरोना के काल खंड में यदि मित्र जैसी दिखती है तो थाने में बलात्कार से पीड़ित महिला जब बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने जाती है, उसी थाने का थानेदार उस महिला से बलात्कार करता है तो पुलिस का चेहरा शत्रु जैसा दिखता है। राजस्थान के बारे में सामान्य तौर पर पूरे देश में यह धारणा थी कि राजस्थान पीसफुल स्टेट है, शांतिपूर्ण प्रदेश है। यहां लोग पर्यटन के लिए भी आनन्द से आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं, रिहायश के लिए भी आते हैं। अब सरकार मुकदमे दर्ज करने में, एफ.आई.आर. को फ्री करने के लिए अपनी पीठ थपथपाए लेकिन साढ़े छह लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होना, यह किसी सरकार के इकबाल खतम होने जैसा है। यह सोचना ही पड़ेगा कि अपराध घटित क्यों होता है? केवल प्रश्न पुलिस का ही नहीं है। मैं कुछ बातों की चर्चा करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले लगभग तीन वर्षों में यहां जिन बातों की चर्चा हुई, उस चर्चा में अनेक तथ्यों के जरिये यह बात तो साबित हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज होना और उन मुकदमों में भी तीन पक्षों को ज्यादा टार्गेट करना। अपराध किसी समाज की विकृति हो सकता

(श्री सतीश पूनियां)

है। घर के भीतर घटित होने वाला अपराध समाज की विकृति हो सकता है, लेकिन घर से बाहर घटित होने वाला अपराध, वह केवल समाज की विकृति नहीं है। वह शासन की विकृति है, शासन की कमजोरी है। थानागाजी की गैंगरेप की 2019 की घटना से लेकर अलवर की निर्भया तक, यह आकलन तो राजस्थान की पुलिस को, राजस्थान के शासन को करना ही पड़ेगा। इस बात पर विचार भी करना पड़ेगा और इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यदि इनके प्रति अपराधों का आंकड़ा देख लेंगे तो सारी चीजें शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। 23 प्रतिशत अपराधों की बढ़ोतरी हुई है, महिलाओं की। 2021 का आंकड़ा 6337 का, एक साल का आंकड़ा महिलाओं के अपराधों का। 2020 का है 5310, ये ग्राफ यदि बढ़ता है तो कहीं न कहीं नाकामी साफ तौर पर दिखती है। इसलिए राजस्थान की कानून व्यवस्था अपने आप में बड़ी चुनौती है। किसी भी प्रदेश के, किसी देश के प्रगति के जो मूल कारक होते हैं, यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कैसे निवेश आएगा? आप बजट के कुछ भी आंकड़े पेश कर देंगे। यदि कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो राजस्थान के पर्यटन की व्यवस्था से जो अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, कौन पर्यटक आएगा यहां? जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की घटनाएं होती हैं, इस पूरे प्रदेश में मैं यह मानता हूं कि जिन कारकों पर हम अक्सर चर्चा करते हैं। इस प्रदेश में खेती एक बड़ा कारक है, लेकिन राजस्थान का किसान आज भी कर्जा माफी की मांग से त्रस्त है। राजस्थान का नौजवान नौकरियों में अवसरों के लिये, उन छलावों से आज भी पीड़ित है। भ्रष्टाचार का भी जिक्र हुआ लेकिन कानून व्यवस्था अपने आप में, जिस तरीके से चुनौती बनी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में, जिस तरीके से माफिया पनपे हैं, किसी शासन काल में ऐसा नहीं हुआ।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी चुनौती, इन बातों का पहले जिक्र हुआ है। बजरी माफिया, खनन माफिया, जिस तरह से नशा माफिया पनपे हैं और जिस तरीके से कॉरिडोर बना है, मुझे चिन्ता है। राजस्थान के नौजवानों की भी मिसाल दी जाती है, उनकी कद काठी की, उनकी प्रतिभा की, लेकिन जिस तरह से नशे ने, पंजाब के नौजवान को लील लिया, उड़ता पंजाब जैसी स्थिति बनी। यह कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पुलिस व प्रशासन यदि नशे के माफिया पर नकेल नहीं डालेगा तो कदाचित उड़ता राजस्थान को बनने से भी

(श्री सतीश पूनियां)

कोई नहीं रोक पायेगा। इसलिये, मैं निवेदन चाहूंगा कि इस गम्भीर नशे की व्यवस्था पर, इस प्रवृति पर, जो पंजाब से लेकर बाड़मेर तक एक कॉरिडोर बना है, उस पर किस तरीके से लगाम लगे, इसकी भी फिक्र करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, यहां साइबर क्राइम का जिक्र हुआ। राजस्थान साइबर अपराधों में अग्रणी है। उन अपराधों की रोकथाम कैसे हो, केवल सीसीटीवी लगाने से ही यदि चोरियों की रोकथाम हो जाये, चन्द बजट के टुकड़े, साइबर क्राइम के अपराधों पर रोक लगा दे, तो शायद यह कोई भी कर सकता था। मुझे लगता है कि थोथी घोषणाओं की बजाय राजस्थान के शासन को, साइबर क्राइम पर, अपराधों पर, रोक लगाने के लिये कोई ठोस एक्शन प्लान की आवश्यकता रहेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी, जयपुर के बारे में अक्सर मैंने आपको उदाहरण दिये कि लोगों में जयपुर में बसने का एक एडिक्शन है। बाहर से भी पलायन होता है, तो भी लोग राजस्थान में आते हैं, जयपुर में आते हैं।

2021 में दुष्कर्म के 23 प्रतिशत मामले व हत्या के 24 प्रतिशत मामले, यह केवल राजधानी जयपुर का है। अधिकारी महोदय का, खुद का बयान है कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण अपराध कम हुए थे। इस साल के आंकड़े अचानक बढ़ गये। अपराधियों पर लगाने के लिये, विशेष बन्दोबस्त किये जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, थाने के बाहर एक पंच लाइन लिखी होती है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। ये आंकड़े और अख़बार की सुर्खियां तो कम से कम यह नहीं कहतीं। कई बार लगता है, यह पंच लाइन बदल गई। अपराधियों में पूरा भरोसा है और आमजन में भय है। इस पंचलाइन को लिखने से पहले पुलिस की तमाम व्यवस्था पर एक बार फिर से, सोच-विचार करने की आवश्यकता है।

राजस्थान क्षेत्रफल के नाते, आबादी के नाते भी बड़ा प्रदेश है। यदि पुलिस की उपलब्धता, संसाधन, भौगोलिक रूप से आबादी के अनुपात में भी देखेंगे तो तीन किलोमीटर पर एक सिपाही दिखता है। 700 से ऊपर आबादी पर एक सिपाही दिखता है। इसलिये, जरूरत और अनुपात के मुताबिक संसाधनों की निहायत कमी है। राजस्थान की पुलिस को यदि ठीक तरीके से काबिल बनाना होगा तो मुझे लगता है कि युद्ध स्तर पर बड़ा एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, बहुत सारे पुलिसकर्मी से लेकर, बाकी लोग, उनके परिवार के लोग भी कई बार रिप्रजेंटशन देते हैं। इसमें, इस बात का जिक्र भी अक्सर होता है कि वह किस तरीके से काम करे। किस तरीके से वे मजबूती के साथ काम करे। हम लोग अक्सर देखते हैं, किसी थाने का सिपाही, कोई इंस्पैक्टर भी, कई बार तनाव में आत्महत्या कर लेता है। उसका तनाव क्या है, किस तरह की व्यवस्थाओं से गुजरता है।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने राजस्थान के अपराधों की तुलना देश से तो की, लेकिन आस-पास के पड़ौसी प्रदेशों से भी कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। पुलिस के उन अधिकारियों, उन कांस्टेबल्स की, एक रेगुलर काउंसलिंग कि वह काम के तनाव में इतना ज्यादा परेशान है, अपने ही पिस्टल से आत्महत्या करता है तो यह जरूर सोचना पड़ेगा। कहीं उसकी सहूलियत, उसके संसाधनों में तो कमी नहीं है। इसलिये जब किसी पैरामिलिट्री फोर्स के किसी सिपाही से तुलना करता है, तो अपनी सुविधाओं को थोड़ा पाता है, यह एक बड़ा तनाव है। वह भी गृहस्थ है। उसकी भी जरूरतें हैं। वह अपने बच्चों के भविष्य के प्रति चिन्तित और आशंकित होता है, इसकी चर्चा हुई है, माननीय सभापति महोदय।

पुलिस के काफी लोगों ने मुझे जो सुझाव दिये, मैं उसका निवेदन भी आपके बीच रखना चाहूंगा। पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता 2200 रुपये प्रतिमाह है। यह इतना कम है कि इससे कोई एक माह का गुजारा नहीं कर सकता तो उनका सुझाव था कि इसको 5000 रुपये किया जाये।

हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी कम है। इस बात को सब जानते हैं। जब हम मित्रता के पक्ष को देखते हैं, तो जून की भीषण गर्मी में भी किसी चौराहे पर खड़ा सिपाही जिस तरीके से ड्यूटी देता है तो किसी का भी दिल दुखता होगा। कितनी विकट परिस्थिति में किसी आपदा में खड़ा होता है। मुझे लगता है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। उनके लिये पदोन्नति का ढांचा है, उसको सुधारने की आवश्यकता है।

अक्सर, एफएसएल के बारे में बात उठती है। एफएसएल जांच से लेकर, उस प्रक्रिया में जितना विलम्ब होता है, अपराधियों को उससे अवसर मिलता है। टैक्निकल कैडर की भर्तियां अभी लम्बित हैं। मुझे लगता है इन सारे माफियाओं की तर्ज पर अवैध हथियार के माफिया भी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पनपे हैं। सभापति महोदय, इन अवैध

(श्री सतीश पूनियां)

हथियारों पर लगाम लगाने के लिये कोई विशेष कार्ययोजना, टीमों के गठन की मैं आवश्यकता समझता हूं।

सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है, एसीबी ने पिछले दिनों लगातार खुलासे किये। एसीबी काम करती है, पर उसके बाद भी भ्रष्टाचार पर जब नकेल व अंकुश नहीं होता है तो यह सोचना ही पड़ेगा, तह में जाना ही पड़ेगा, क्या उस पुलिस का, उस सरकार का इकबाल खतम हो गया कि इतनी ज्यादा पकड़ा-धकड़ी के बाद भी, आज भी कुछ लोग पकड़े गये, लेकिन लगातार एक लम्बी फेहरिस्त है। फिर भी, राजस्थान में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन जाये, जनता के बीच ओपन हो जाये तो किसी भी व्यवस्था के इकबाल के खतम होने जैसा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत दूर की बात नहीं करूं। राजधानी के इर्द-गिर्द भी, मेरा खुद का विधान सभा क्षेत्र आमेर है। 10 से भी ज्यादा थाने आस-पास लगते हैं। उन थानों का, यदि उस विधान सभा क्षेत्र के इर्द-गिर्द भी ठीक ढंग से उनका पुनर्सीमांकन किया जाये, पुलिस समय पर मौक़े पर पहुंच कर, समय पर किसी को सहूलियत दे सके।

आमेर शहर में जब चोरियां हुईं मैंने अपने विधायक कोष से सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिये पैसे दिये, पुलिस की मांग पर। सभापति महोदय, तीन वर्ष हो गये, आज तक उस नगर निगम की एजेंसी ने सीसीटीवी कैमरे लगाने की कार्यवाही पूरी नहीं की है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी, हमारी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने अवगत कराया कि किस तरीके से, एक थाने पर, किसी एक अधिकारी के कारण, पुलिस भी बदनाम होती है और वहां की जनता का भरोसा भी उठता है। अजमेर के, अलवर गेट के थानाधिकारी के कई मामले प्रमाण सहित सामने आये हैं, पर अभी भी वहीं क़ाबिज़ है। अजमेर में इसकी चर्चा है। इनका मानना है कि यदि कोई कार्यवाही नहीं होगी तो लोगों का भरोसा डिगेगा।

सभापति महोदय, अजमेर में जिस तरीके से दुष्कर्म, बलात्कार व इस तरीके के मुक़दमों की जानकारी मिली है, उसमें अलवर 200, भरतपुर में 226, डूंगरपुर में 230, हनुमानगढ़ में 209, उदयपुर में 284, यह 2019 से जनवरी, 2022 तक के, बच्चियों के दुष्कर्म व बलात्कार के प्रकरण हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खास तौर से राजस्थान में राजधानी के इर्दगिर्द के

(श्री सतीश पूनियां)

(समय: 14.00 बजे)

जो क्षेत्र हैं, जो क्राइम का फीडिंग सेंटर है, क्योंकि अपराधी आता है, शहर में बेशक नहीं आये लेकिन इस राजधानी के सीमावर्ती क्षेत्रों में उसको थोड़ी सहूलियत होती है और हम अक्सर देखते भी हैं कि जगतपुरा से घटना होती है, कभी आगरा रोड पर होती है, कभी सीकर रोड के किसी थाना क्षेत्र में होती है तो इसलिए इनके लिए कोई विशेष योजना बने ताकि अपराधी आसानी से इन जगह पर अपराध घटित नहीं करे।

मेरे आमेर की पंचायत समिति जालसू में क्योंकि पंचायत समिति का क्षेत्र बन गया, वहां पर उप तहसील है इसलिए वहां पर एक पुलिस थाने की आवश्यकता मैं समझता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दस हजार से भी ज्यादा लोग दुर्घटना में काल-कवलित हो जाते हैं। यातायात पुलिस को इस लिहाज से मुझे यह लगता है कि और ज्यादा प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस करने की उसको आवश्यकता रहती है।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस से जुड़े हुए कुछ महकमे हैं जैसे होम गार्ड है, जब पुलिस की संख्या कम होती है तो किसी न किसी अवसर पर उनकी मदद ली जाती है लेकिन एक लम्बे अरसे से वह मर्यादा में अपनी बात कहते हैं पर आज यदि अल्प वेतन में उनसे काम ज्यादा लिया जाता है तो उनकी मांग पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जेल प्रहरी भी जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में काम करते हैं तो मुझे यह लगता है कि उन सब बातों की, पुलिस से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, उनकी सहूलियत के लिए, उनके संसाधन के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी पदोन्नति के लिए एक व्यवस्थित रूप से कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अपराधियों को सहूलियत तब मिलती है जब चालान में देरी होती है। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिनमें 91 दिन होते ही अपराधी का यदि चालान पेश नहीं किया गया तो उसको जमानत मिल गयी बहुत गम्भीर अपराधों में भी इसलिए मेरा यह निवेदन रहेगा कि इसमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, यह एक लम्बी फेहरिस्त है पर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन सुबह उठने से लेकर अख़बार की सुर्खियां और उन

(श्री सतीश पूनियां)

सुर्खियों के बीच में राजस्थान के लोगों का जिस तरीके का एक मनोबल गिरा है, भरोसा गिरा है, सुबह छुपाकर रख देता हूं अखबारों को मेरी बेटी पढ़ लेगी तो डर जायेगी।

मुझे यह लगता है कि राजस्थान में कल हमने महिला दिवस मनाया है और मेरी यह गुजारिश रहेगी कि कम से कम सरकार और कुछ करे या नहीं करे लेकिन जिस तरीके की राजस्थान की बेटियों की, मातृ शक्ति की, बहिनों की सुरक्षा और सम्मान का जो प्रश्न खड़ा हुआ है उसको महफूज करने का भरोसा यदि सरकार दे देगी, पुलिस देगी तो मैं समझ लूंगा कि राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री किसनाराम विश्नोई।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 16-पुलिस पर बोलने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार की थीम रही है जवाबदेह, पारदर्शी और सुशासन, इसको लेकर मैं माननीय मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले तीन-सवा तीन साल में जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था को सम्भाला है, वह पूरे देश का एक रिकार्ड रहा है। इस दौरान देश में, प्रदेश में और पूरे विश्व में कोरोना महामारी जैसा एक भयानक संकट आया, उस संकट में भी अगर मानव मात्र को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए कोई ऐतिहासिक काम किया है तो वह राजस्थान की पुलिस ने किया है, एक सुदृढ़ कानून-व्यवस्था ने किया है। इसके लिए भी मैं सरकार के मुखिया को धन्यवाद देना चाहूंगा।

पुलिस को मजबूत करने के लिए, जनता को मजबूत कानून-व्यवस्था कैसे मिल सके, इसको लेकर मुख्य मंत्रीजी ने पिछले तीन साल में सभी लम्बित भर्तियों को पूरा किया। चाहे वह एस.आई. की हो, चाहे ए.एस.आई. की हो, चाहे हैड कांस्टेबल की हो, कांस्टेबल की हो, सभी भर्तियों को पूरा किया है।

चूंकि, आबादी के अनुपात से कानून-व्यवस्था को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से पिछले तीन-सवा तीन साल में प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत रही है। मुख्य मंत्रीजी ने एफ.आई.आर., कोई भी फरियादी आये, चाहे उसके घटना घटी है अथवा नहीं घटी है, हर कोई फरियादी की एफ.आई.आर. दर्ज करने का जो फैसला किया है, वह भी पूरा देश का एक ऐतिहासिक फैसला राजस्थान सरकार

(श्री किसनाराम विश्नोई)

का है। दर्ज आंकड़े एफ.आई.आर. के मुताबिक विपक्ष के साथी कहते हैं लेकिन मुख्य मंत्रीजी की, सरकार की यह छूट है कि कोई भी फरियादी की एफ.आई.आर. दर्ज हो, परिणाम चाहे कुछ भी आये इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी को इस फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

जिस तरीके से कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तीन-सवा तीन साल के अन्दर एक भी घड़साना की तरह कोई गोलीकाण्ड नहीं हुआ पूरे प्रदेश के अन्दर, एक भी नहीं हुआ। चाहे वह गुर्जर आन्दोलन हो या कोई अन्य आन्दोलन हो, एक भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसलिए मैं सरकार के मुखिया को धन्यवाद देना चाहूंगा।

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से पुलिस के कांस्टेबल्स ने काम किया, पुलिस की वर्दी से तो कोई कोरोना डर नहीं रहा था लेकिन उसके कर्तव्य को मैं सैल्यूट करता हूं। निश्चित रूप से उन्होंने काम किया है, मानव मात्र को बचाने के लिए काम किया है, पुलिस को इस मानव मात्र की सुरक्षा के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हालांकि पुलिस के भाग्य में धन्यवाद शब्द हमेशा विलोपित ही रहता है फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने काम किया।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश के अन्दर इस बजट में और पिछले बजट में भी एडिशनल एस.पी. के कार्यालय खोले हैं, जहां-जहां पर जरूरत समझी है वहां पर सी.ओ. कार्यालय भी खोले हैं। नये पुलिस थाने खोले हैं, चौकियां खोली हैं और कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्य मंत्रीजी हमेशा चिन्तित रहते हैं और विशेषकर हर जिले में महिला अनुसंधान के लिए एडिशनल एस.पी. रैंक के अधिकारी की सेल खोली है और उससे भी आगे बढ़ते हुए, इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बजट के अन्दर, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी जिलों में साइबर थाने खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है क्योंकि आजकल पूरे प्रदेश में साइबर क्राइम की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। चाहे वह ए.टी.एम. की घटना हो, कई तरह के साइबर अपराध ज्यादा हो रहे हैं इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने साइबर थाने खोलने की घोषणा की है।

आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को लेकर जो स्वागत कक्ष की बात आ रही है तो सभी थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया है ताकि पुलिस और आमजन में एक समन्वय कैसे स्थापित हो, आमजन में

(श्री किसनाराम विश्नोई)

पुलिस का जिस तरीके से विश्वास कैसे बढ़े। पारिवारिक झगड़ों में, जिस तरीके से पारिवारिक झगड़े हो जाते हैं, घटना घटित हो जाती है लेकिन उस परिवार में वापस सौहार्द् कैसे पैदा हो, यह पुलिस को लेकर स्वागत कक्ष का निर्माण किया है, यह भी मुख्य मंत्रीजी का एक ऐतिहासिक फैसला रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जिस तरीके से कानून-व्यवस्था को लेकर हाल ही के बजट में पुलिसकर्मियों के लिए मैस भत्ता की दस परसेंट की वृद्धि की है। मोटरसाइकिल क्योंकि, त्वरित गति से पहुंचने के लिए, तुरन्त पहुंचने के लिए मौके की घटना को लेकर कांस्टेबल्स के लिए मोटरसाइकिल का भत्ता भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाया है।

एस.ओ.जी. जो राजस्थान की एक बहुत बड़ी विंग है, जो बहुत ही संवेदनशील घटनाओं की जांच करने के लिए एस.ओ.जी. बहुत ही महत्वपूर्ण विंग है, उस विंग को और मजबूत करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने हाल ही के बजट में चैटिंग सेल की घोषणा की है ताकि एस.ओ.जी. जब मजबूत होगी तो किसी भी तरह की ज्वलनशील और अति संवेदनशील घटना की जांच कैसे मजबूती से हो सके, मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए बजट में घोषणा की, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए मैं यह भी मांग करना चाहूंगा कि साइबर रोकथाम के लिए पुलिस विशेषज्ञों की आवश्यकता है क्योंकि फोरेंसिक ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय धोखाधड़ी के मामले आज के समय में ज्यादा होते हैं इसलिए उनको फोरेंसिक का ज्ञान होना चाहिए और विशेषज्ञ को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सभी अपराधों की रोकथाम हो सके और जिस तरीके से कानून-व्यवस्था के लिए रूटीन कार्य पुलिस को करना पड़ता है और कानून-व्यवस्था को भी संभालना पड़ता है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि उसमें दो सेल हों। एक रूटीन कार्य की सेल और दूसरी कानून-व्यवस्था की सेल हो ताकि सही ढंग से कानून व्यवस्था संभाली जा सके।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा सुझाव है कि प्रशासनिक और पुलिस इकाई एक ही जगह हो और थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन होना चाहिए, उसमें तहसील, पंचायत समिति और उपखण्ड का समावेश हो ताकि मजबूती से

(श्री किसनाराम विश्नोई)

पुलिस थानों की प्रशासनिक व्यवस्था हो सके। क्षेत्राधिकार के पुनर्गठन की भी आवश्यकता है। एक ही छत के नीचे होने की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था ढंग से हो सकेगी।

सभापति महोदय, नये पुलिस थाने खुलें, उनको क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन करके चालू किया जाए। हम रेगिस्तान क्षेत्र से आते हैं। ढाणियों में इलाका बसता है, अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस के पास साधनों की माकूल व्यवस्था हो ताकि त्वरित गति से ढाणियों में एक किलोमीटर, दो किलोमीटर दूर तक बस्ती में कोई घटना हो तो पुलिस पहुंच सके।

साथ ही, लोहावट विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय पर एसडीओ हैडक्वार्टर है, वहां पर सीआई पोस्ट की जाए। लोहावट, देचू, मतोड़ा और भोजासर के थानों का पुनर्गठन किया जाए ताकि नजदीक के गांव दूर के थाने में और दूर के गांव नजदीक के थानों में होने से समस्या आती है, क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन हो ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। पुलिस थाना लोहावट, जो कस्बे के अन्दर है, उसको स्टेट हाई-वे पर खोला जाए, उसका भवन बनाया जाए ताकि लोगों को दुर्घटना के समय पुलिस त्वरित गति से पहुंच सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर बोलने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, जब राजस्थान पुलिस की बात आती है और पीड़ित जब थाने में जाता है तो सबसे पहले जो स्लोगन वहां लिखा हुआ होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, वह इस आशा और विश्वास के साथ जाता है कि उसकी एफआईआर लॉज होगी और जो उसके साथ घटना घटी है, चाहे वह मारपीट की हो, चाहे डकैती की हो, चाहे चोरी की हो, चाहे हत्या की हो, चाहे बलात्कार की हो, पुलिस उस पर न्याय संगत कार्यवाही करते हुए दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेगी, लेकिन जब थाने में जाकर, चाहे थानाधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, उसका व्यवहार जब वह देखता है और जिस प्रकार की मांग उससे की जाती है, अन-मीनिंगफुल डिमाण्ड उसके साथ की जाती है, तो उसके मन में एक भाव आता है कि जो

(श्री संजय शर्मा)

यह स्लोगन लिखा हुआ है, वह बिलकुल विपरीत है और राजस्थान पुलिस का कृत्य देखते हुए उसके मन में यह धारणा बनती जा रही है कि आमजन में भय और अपराधियों में हौसले बुलन्द।

सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी इस प्रकार के कृत्य करते हों। बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी हैं बहुत सारे पुलिस कर्मचारी भी अच्छे हैं, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए जोरदार कार्यवाही भी करते हैं लेकिन, सभापति महोदय, एक कहावत है कि मोर तो बहुत सुन्दर भी है नाचना भी जानता है, अच्छा नाचता भी है, लेकिन जब वह अपने पैरों की ओर देखता है तो मोर का दिल रोने लग जाता है। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुझ से पूर्व वक्ताओं ने वर्तमान में पुलिस को क्या-क्या चाहिए, क्या-क्या कर्मचारियों, अधिकारियों को सुविधाएं चाहिए, पुलिस की क्या-क्या कमियां हैं, उसका उल्लेख बखूबी किया है लेकिन जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर राजनीति हावी होती जा रही है, राजनीतिक लोग, सत्तापक्ष के लोग पुलिस को अपने अनुसार चलाने का काम कर रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि अच्छे से अच्छा अधिकारी भी काम को करने में असमर्थ साबित होगा।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि पहले वह अलवर जिले का ही थाना हुआ करता था लेकिन अब भिवाड़ी जिले का थाना है, टपूकड़ा थाना। उसमें हरीश जाटव नाम के एक दलित व्यक्ति की साधारण दुर्घटना हुई। उसके बाद मॉब लिंचिंग हुई और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है लेकिन पुलिस ने उसको दुर्घटना साबित किया। इसी प्रकार से एफआईआर नं. 336/21 भटपुरा थाना बड़ोदामेव, योगेश जाटव पुत्र श्री ओमप्रकाश जाटव की भी मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या होती है, पुलिस ने उसको भी दुर्घटना साबित किया।

सभापति महोदय, यदि मैं हाल ही की बात करूं तो बानसूर थाने में भूपसेड़ा की एक महिला गायब हो जाती है। 17.1.2022 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। परिवार और गांव उसको ढूढने का प्रयास करता है। पुलिस उनको कोरा आश्वासन देती रहती है और एक महीने बाद उस महिला की लाश सरिस्का के जंगलों में मिलती है और आज तक अपराधी पकड़े नहीं गये हैं। इसी प्रकार से बानसूर थाने के ग्राम महनपुर में 14 वर्षीय बालक चार महीने से लगातार गायब था। गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवारजन दर्ज करवाते हैं और

(श्री संजय शर्मा)

चार महीने बाद उस बालक का कंकाल पहाड़ के ऊपर पडा मिलता है और पुलिस सीन को री-क्रिएट करती है, हत्या का ममला दर्ज करती है और जैसी कि मुझे जानकारी है कि पुलिस उस मुकदमे को भी हादसे का रूप देकर पटाक्षेप करने में लगी हुई है, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, ये तमाम बातें मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि इन घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक प्रेशर है। चाहे वह बालक गुमशुद हुआ, चाहे वह महिला गायब हुई, चाहे हरीश जाटव का प्रकरण हो, चाहे भटपुरा वाले दलित युवक का प्रकरण हो, योगेश का प्रकरण हो, ये तमाम मुकदमे केवल राजनीतिक दबाव के कारण दबाये गये, सभापति महोदय।

सभापति महोदय, अब जिस घटना का उल्लेख मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, वह कोई साधारण घटना नहीं थी। उस घटना से पूरा अलवर जिला, पूरा अलवर शहर, पूरा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष उद्वेलित हुआ। वह घटना है अलवर शहर के तिजारा फाटक पुलिया पर 11 जनवरी को लहूलुहान हालत में मिली उस मूकबधिर बच्ची की घटना है, जिसको पुलिस दुर्घटना बताने में जुटी हुई है। 11 तारीख को वह बालिका अलवर के तिजारा फाटक रेलवे पुलिया पर मिलती है, लगभग सात, सवा सात बजे की घटना है। एक राहगीर ने शिवाजी पार्क थाने में फोन पर रिपोर्ट की। पुलिस वहां पहुंचती है। उस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचती है और अस्पताल में जब उसका इलाज शुरू होता है तो पहला बयान जो अलवर एसपी का आता है, जब प्रेस, मीडिया उनसे पूछती है तो अलवर एसपी का यह बयान था कि यह घटना बहुत दुखद है, गैंग रेप की संभावना है, सैक्सुअल असोल्टमेंट हुआ है और बहुत खतरनाक चोटें इस बच्ची को आयी हैं, जो डाक्टर्स की राय है, उसके आधार पर उसको जयपुर रेफर करने की तैयारी है।

माननीय सभापति महोदय, मालाखेड़ा थानान्तर्गत आने वाली यह बच्ची, जब परिवारजन 11 तारीख को घर से गायब हुई तो उन्होंने अकबरपुर पुलिस चौकी में रिपोर्ट दी, अकबरपुर पुलिस चौकी को सूचना दी, लेकिन अकबरपुर चौकी में तैनात जवानों ने अलवर की पुलिस को सूचना देने का काम नहीं किया और उसके बाद लड़की के मामा ने लगभग 8.00-8.30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी और जब उसने इस बच्ची के बारे में बताया तो पुलिस कंट्रोल रूम को बताया गया कि हम आपके पास गाड़ी भेज रहे हैं और वह बच्ची सामान्य अस्पताल में इलाज प्राप्त कर रही है, आप गाड़ी में

(श्री संजय शर्मा)

बैठकर आ जाइए। जब लड़की का मामा, लड़की का चाचा और लड़की का दादा और परिवारजन सब लोग अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां डाक्टर उनको बताते हैं कि इसके साथ गैंग रेप हुआ है, बहुत खतरनाक चोटें हैं। पुलिस अधिकारी उनको यह बताते हैं और उस बच्ची को जयपुर रेफर कर दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरे दिन जब आई.जी. साहब अलवर जाते हैं, तो उनका भी यही बयान आता है। माननीय सभापति महोदय, उनका भी यही बयान आता है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद पूरे जिले के अन्दर, पूरे राजस्थान के अन्दर इस घटना की निन्दा होती है। अलवर का एक-एक आमजन सड़कों पर उतरकर आन्दोलन करता है और पता नहीं पुलिस के ऊपर क्या दबाव आता है कि अलवर की एस.पी. और जयपुर से आये हुए डी.आई.जी. (सिविल राइट्स) डा. रवि जी ने एक प्रेस कान्फ्रेन्स की और उस प्रेस कान्फ्रेन्स में उन्होंने यह कहा कि बच्ची के साथ गैंग रेप नहीं हुआ है और उन्होंने यह कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के वेजाइना, एनस और हाइमन को इंटेक्ट, अनछुआ माना गया है। पेनिट्रेटिव एसाल्ट लैंगिक चोट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उनके अनुसार चोट थाइज और पीछे की तरफ पेनिरियम में इंजरी हुई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी एस.पी. साहिबा से व डाक्टर साहिबा से, जिन्होंने रिपोर्ट दी है, उनसे यह पूछता हूं कि जब पेनिरियम पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मैंने अलवर में हमारे एक सर्जन साहब से पूछा था तो यह पेनिरियम क्षतिग्रस्त होने के बाद जो-जो आपने हाइमन इंटेक्ट बताया है, किस प्रकार से वह इंटेक्ट रह सकता है? माननीय सभापति महोदय, पुलिस इस केस को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। एस.पी. की प्रेस कान्फ्रेन्स के बाद जब सर्व समाज उद्वेलित हुआ, सिख समाज उद्वेलित हुआ, दिल्ली से सिख समाज का एक जत्था, अमृतसर से सिख समाज का जत्था जब एस.पी. साहिबा से मिलता है तो एस.पी. साहिबा का तीसरा बयान आता है कि गैंग रेप की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता, पुलिस इसमें जांच कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका जी ने वहां पर इस पीड़ित बालिका के परिवारजन से बातचीत की। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी बात की और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस केस को सी.बी.आई. के हवाले कर दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एस.आई.टी. अपनी जांच करती रही और सी.बी.आई. को केस हवाले करने के बाद अलवर नगर परिषद् ने घटना स्थल को पानी से धुलवाया, साफ-सफाई करवाई। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत पेचीदा मामला है, आप इस तरह से मुझे रोक नहीं सकते। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जिस प्रकार से अलवर पुलिस इस मामले को गैंग रेप के बजाय दुर्घटना बनाने पर जुटी हुई है और माननीय सभापति महोदय, दुखद बात तो तब हो जाती है जब हमारे सदन के नेता आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने इसी सदन के अन्दर यह कहा कि बालिका के साथ गैंग रेप नहीं हुआ, यह दुर्घटना है।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, यह उस बेटी के बाप की प्रेस कान्फ्रेन्स की कटिंग है, उसमें इस बेटी का बाप उल्लेख कर रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये आप। (व्यवधान) विराजिये। माननीय उप-नेता महोदय। विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, यह परम्परा नहीं रही है।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: माननीय उप-नेता महोदय, जितना टाइम कंज्यूम होगा, मैं आपको उधर से रोकूंगा। प्लीज सहयोग करिये। (व्यवधान) प्लीज सहयोग करिये। विराजिये आप। कुछ भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय उप-नेता महोदय..(व्यवधान) विराजिये। विराजिये, देख लिया। प्लीज सहयोग करिये। विराजिये आप। विराजिये। (व्यवधान) माननीय उप-नेता महोदय। (व्यवधान)

धरना

(श्री संजय शर्मा, माननीय सदस्य का सदन कूप में धरना)

माननीय उप-नेता महोदय, मैं समय देख रहा हूं, जितना समय होगा, कंज्यूम करूंगा आपका। प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। (व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य, विराजिये। अपने आसन पर जाएं। माननीय सदस्य, अपने आसन पर जाएं। आपके उप-नेता महोदय भी आपसे आग्रह कर रहे हैं, आप आसन पर विराजें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

(श्री संजय शर्मा, माननीय सदस्य का धरना समाप्त)

श्री सभापति: विराजें। कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) प्लीज विराजें। बहुत भाग्य से मौका मिलता है, लेकिन सदन में आने के बाद पता नहीं आपके क्या हो जाता है। तब से एम.एल.ए. बनने के लिये सारे जतन करते हैं। सदन में गंभीर चर्चा करिये। आज का विषय कोई इतना बड़ा स्कोप लेकर नहीं आया है कि थानों की डायरी खोलकर बैठेंगे आप। (व्यवधान) विराजिये। विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: माननीय उप-नेता महोदय, आप विराजिये। आज का विषय बड़ा गंभीर है। प्लीज, एक मिनट विराजें आप। विषय बड़ा गंभीर है। आप इस तरह का माहौल मत बनाइए कि राजस्थान की पुलिस पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, वैसी बन जाए। अच्छा यह रहेगा, अधिकारियों के पास थानों की पूरी डायरी है। अच्छा यह रहेगा कि आप अच्छे सकारात्मक सुझाव दें। पुलिस स्ट्रेन्थन कैसे हो सकती है, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में किस तरह का अच्छा सुधार चाहते हैं, इस तरह की बात यदि आप करेंगे तो सार्थक चर्चा होगी। थानों की डायरी तो है इनके पास आलरेडी। मैं यह समय इसलिए तय नहीं कर रहा हूं कि आप थानों की डायरी लेकर बैठ जाएं। बढ़िया होता आप रोजनामचा लेकर आ जाते और आप यहां अपने थानों का रोजनामचा पढ़ देते। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सदन का समय कीमती है। यहां पर गम्भीर चर्चा होगी, सार्थक चर्चा करेंगे, आप अच्छे सुझाव देंगे। पुलिस कैसे स्ट्रेन्थन हो, इस पर चर्चा करेंगे, वह ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: माननीय उप-नेता महोदय..(व्यवधान) प्लीज, विराजिये। विराजिये। माननीय उप-नेता महोदय, ऐसे तो कभी नहीं देखा। सदन की कोई गरिमा होती है, विराजिये, अब आप कहां खड़े हो गये? विराजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। अपने स्थान पर जाइये आप। प्लीज,प्लीज, विराजिये। माननीय उप-नेता महोदय, सदन की अपनी एक गरिमा होती है। ये नेता पद आपको इसलिए दिया गया है कि आप इनको अनुशासित करें। विराजिये। विराजिये, कोई बैठा-बैठा नहीं बोलेगा।

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): 000

श्री सभापति: आप क्यों खड़े हो रहे हो? आप क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? कुछ सीख लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइए। (व्यवधान) माननीय सदस्य महोदय, आपकी उपस्थिति क्या साबित कर रही है? (व्यवधान) विराजिये। विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय उप-नेता महोदय, परम्परा डालिए, आप इनको कुछ सिखाइए। विराजिये। (व्यवधान) आपका नाम वक्ताओं में है, मैं आपका टाइम देख रहा हूं, कितना टाइम आपने कंज्यूम किया है। एक मिनट का समय होगा, तो मैं आपको एक मिनट बोलने के लिये ही कहूंगा। प्लीज। श्रीमती प्रीति शक्तावत।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत ने सर्वधर्म समभाव की भावना से कानून-व्यवस्था पर बजट पेश किया है। बजट में 500 मोबाइल यूनिट्स के गठन की घोषणा की है, जिन्हें 100 व 112 नम्बर से जोड़ा जाएगा तथा राज्य में सी.सी.टी.वी. कैमरों की संख्या भी 30 हजार तक बढ़ाते हुए डिजिटल अपराधों की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस थाना स्थापित किये जाने की घोषणा की है। राज्य की समस्त नगरपालिका मुख्यालयों पर एस.आई. स्तर के पुलिस थानों को सी.आई. स्तर के थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, उसके लिए उनका बहुत-बहुत आभार।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय, श्री अशोक जी गहलोत ने राजस्थान के प्रत्येक थाने में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया है, क्योंकि बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर राज्य सरकार बहुत गम्भीर है। महिलाएं और बच्चियां अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर पुलिस के पास जाने से झिझकती हैं। सुरक्षा सखी उनके मौहल्ले की या आस-पास की होने से उनमें यह झिझक खतम हुई है। इससे बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा मिली है, साथ ही पुलिस पर भी विश्वास बढ़ा है। यदि किसी महिला या बालिका को किसी भी तरह की समस्या है तो वह सुरक्षा सखी के जरिए पुलिस की मदद ले सकती है। आजकल सोशल मीडिया का भी ज्यादा ही दुरुपयोग होने लगा है। यदि किसी महिला को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है या टेलीफोन करके परेशान किया जा रहा है तो वह सुरक्षा सखी की मदद ले सकती है। इसी कड़ी में अब बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के साथ ही उन्हें अपने अधिकारों तथा कानून के प्रति जागरुक भी किया जा रहा है।

सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर, उदयपुर में नवीन पुलिस चौकियां सुरक्षित कराने की आवश्यकता पर दिलाना चाहती हूं। मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के पाणूंद जगत और मीठा नीम में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग करती हूं।

पाणूंद से पुलिस थाना भिण्डर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। पाणूंद क्षेत्र बड़ा कस्बा है। यहां पर वन्य क्षेत्र भी है। चोरियों की घटनाएं अकसर होती हैं। कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यहां पुलिस चौकी स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।

जगत से पुलिस थाना कुरावड़ की दूरी भी 14 किलोमीटर है। यह भी बड़ा कस्बा है। यहां विश्व प्रसिद्ध जगत माता का मन्दिर स्थित है, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यहां अनेक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। यहां पर पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

मीठा नीम से भी पुलिस थाना डबोक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह खनन क्षेत्र भी है। यह हाई-वे के काफी नजदीक है। उदयपुर में हवाई अड्डा डबोक भी यहीं स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से डबोक पुलिस हवाई अड्डे पर ज्यादा रहती है। इसलिए मीठा नीम में भी चौकी स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

सभापति महोदय, साथ ही मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि जो सिपाही से निरीक्षक की पदोन्नति एग्जाम द्वारा की जाती है, इसमें बदलाव करते हुए 50 प्रतिशत परीक्षा के द्वारा और 50 प्रतिशत सीनियरिटी के द्वारा किया जाये, जिससे सही व्यक्ति को अवसर मिल सकेगा। इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये पुन: धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, पुलिस के ध्येय वाक्य से आप परिचित हैं, कि 'आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय' होना चाहिए। यह भी आप जानते हैं कि पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य, उनके दायित्व, सामाजिक दायित्व क्या होने चाहिए। मैं उनका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। क्या हम ध्येय वाक्य को सार्थक कर रहे हैं? अगर सार्थक नहीं कर रहे तो उसका अपमान क्यों कर रहे हैं? यह लगातार अपमान हो रहा है।

पुलिस अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को, सामाजिक दायित्वों को क्यों नहीं समझ रही है? इनको न तो लगातार प्रशिक्षण दिया जाता है और न इनको समझाया जाता है। यानी भाग-दौड़ और रोजनामचे में लिखने के अलावा इनके दायित्वों का भान इनको नहीं कराया जाता है। इसके कारण से मनमर्जी के काम पुलिस कर रही है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का नेतृत्व होता है उसी प्रकार की उसकी फौज होती है। उत्तर प्रदेश का भी आपने देखा है। वहां के मुख्य मंत्री माननीय योगी जी हैं। उनके आने से पहले वहां अपराधों की लम्बी श्रृंखला थी, अब वह श्रृंखला टूट गयी है। अपराधी भय खाने लगे हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हमको तो जेल में ही रहने दो, बाहर मत आने दो। यह भय यहां क्यों नहीं पैदा हो सकता? क्या कारण हैं? क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं गम्भीर अपराधियों को, गम्भीर मामलों में अपराधियों की सम्पत्ति को सरकार में समाहित किया जाता? नीलाम करके उनकी सम्पत्ति को सरकार में क्यों नहीं समाहित किया जाता? समाहित नहीं किया जाता इसलिए कोई डर नहीं रहा है। वह करोड़ों रुपयों की गड़बड़ करके, करोड़ों रुपये लूटकर, हत्या करके अपने केसेज को लड़ता रहता है। अपराधी

(श्री मदन दिलावर)

अधिक अपराधी बनता चला जाता है क्योकि आज नहीं तो कल छूटकर आयेंगे, फिर अपराध करेंगे, इतने रुपये इसको देंगे और थानेदार जी अपनी धाराओं को ढीला कर देंगे ताकि जल्दी ही हमारी जमानत हो जायेगी। यह हमारी कमी है।

राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति की बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला आपने देखा होगा। मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा सामूहिक बलात्कार काण्ड रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के सुकेत में हुआ जिसमें 40 लोगों ने एक अनुसूचित जाति की नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार किया। थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसकी मां थाने की चौखट पर माथा पटक-पटक कर रोती रही।

मुझे जानकारी मिली। मैं वहां गया। तब भी थानेदार ने मुझसे यह कहा कि वह तो बदचलन है। आप उसकी वकालत क्यों करते हो? फिर मैंने कहा कि उसके साथ ज्यादती हुई है। मैं धरने पर बैठा। तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उसकी एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सरकार के दबाव में सब लोग गिरफ्तार नहीं हुए। 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें लगभग 60 लोग थे जिन्होंने कम से कम एक सप्ताह तक उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसकी परिणति यह हुई कि उसमें 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। कुछ लोगों को उसमें 5-5 साल की जेल हुई है। मैं समझता हूं कि यदि वहां कोई जागरूक व्यक्ति नहीं होता तो एफआईआर दर्ज नहीं होती और अनुसूचित जाति के लोगों पर इस प्रकार से ज्यादती होती ही रहती।

आज भी उसकी सुरक्षा का कोई बन्दोबस्त नहीं है। उस समय भी सुरक्षा के लिये उसको केवल एक कांस्टेबल दिया गया था और उसमें भी पाबन्दियां थीं। तुम किसी से मिलोगी नहीं, तुम कहीं जाओगी नहीं, घर में ही कैद रहोगी। इस प्रकार का वातावरण उस बालिका के साथ किया गया।

सभापति महोदय, कृष्णा वाल्मीकि की झालावाड़ में हत्या हुई। हम केवल इसलिए जाना चाहते थे कि उसके परिवार से जाकर के तो मिलें लेकिन एक हजार पुलिस कर्मियों ने हमें जाने से रोका। हमने जिद की कि हम एक रात यही रहेंगे, 2 रात यहीं रहेंगे, 3 रात रहेंगे। तब जाकर के, हाथ जोड़कर के पुलिस ने कहा कि आप जाकर के उनसे मिल सकते हैं। उनके घर के अलावा दूसरे स्थान पर उनसे मिलाया। क्या जाता है मिलने में?

(श्री मदन दिलावर)

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि अनुसूचित जाति की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। पुलिस एक तो समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। इस्तगासा के माध्यम से या लोगों की जो भीड़ जाती है, उसके डर से दर्ज भी कर लेती है तो इस प्रकार की कमियां छोड़ देती है ताकि उसकी आसानी से जमानत हो जाये। इस कारण से गम्भीर अपराधी छूट जाते हैं। लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है।

छात्रा का अपहरण कर गैंग रेप होता है। यहां दम्भ भर रहे थे न कि सारी एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके साथ गैंग रेप होता है और थाने से उसको लौटा दिया जाता है। उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। यह भरतपुर जिले का मामला है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिले के एक निजी कालेज की छात्रा को कालेज जाते समय बाइक सवार 2 जने हथियार दिखाकर, अपहरण करके ले गये। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसकी रिपोर्ट बड़ी मुश्किल से, पुलिस को धमकाने के बाद दर्ज हुई है। यह एक मामला नहीं है। यह सैकड़ों मामले हैं।

विवाहिता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह जिला उदयपुर है। दैया चौकी में, चौकी के अन्दर दुष्कर्म का प्रयास हुआ। कोर्ट में बयान से ऐन वक्त पहले बलात्कार का प्रयास करने वाला एसएचओ घर पहुंच गया। कहता है 5 लाख रुपये ले लो, बयान बदल दो। यह पुलिस कर रही है और कोई नहीं। पुलिस जब बलात्कार में शामिल हो जाये और धमका करके इस प्रकार के कृत्य करने लगे तो क्या होगा?

सभापति महोदय, थानों में ही नहीं, विद्यालय, महाविद्यालयों और चिकित्सालयों में भी माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं है। उसके कई उदाहरण हैं। मैं एक-दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उदयपुर में एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप हुआ। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गयी तो दिन भर बैठाये रखा। पुलिस ने धमकाया कि समझौता कर लो नहीं तो ठीक नहीं होगा। यह क्या पुलिस है?

आपको एक जानकारी दौसा की नाबालिग बेटी से दरिन्दगी, पुलिस तफ्तीश में निकले 4 साल। 4 साल हो गये अभी तक तफ्तीश पूरी नहीं हुई है। पुलिस क्या करना चाहती है? क्यों नहीं करना चाहती है? यह दौसा जिले का मामला है। नाबालिग बेटी से दरिन्दगी के मामले में पुलिस ने तफ्तीश में

(श्री मदन दिलावर)

4 साल निकाल दिये और पुलिस की लेट लतीफी से आरोपी पिता और चाचा खुले घूम रहे हैं। नाबालिग बच्ची है।

कालेज की बच्चियों को नम्बर देने के लिये प्रोफेसर कह रहे हैं कि हम बिस्तर हो तो तुम्हारे अच्छे नम्बर आयेंगे।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): काहे के लिए? माननीय सभापति महोदय, ऐसे नहीं। अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार की बड़ी श्रृंखला है। मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। आप क्योंकि परेशान हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में रोज 18 रेप हो रहे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को बचाने में जुटा महकमा, एफआईआर ही बदल दी। यानी आदिवासी महिला की दुष्कर्म की रिपोर्ट ही बदल दी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह बड़े अधिकारी कह रहे हैं, यह शायद कोर्ट ने भी कहा है। जागरण से लौट रही नाबालिग से गैंग रेप, पिता पर दबाव डालकर समझौते का आरोप। ये गैंग रेप की तो अनेक घटनाएं हैं, आप नाराज हो रहे हैं तो मैं अलग रख देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस अपहरण करने लगी है। अपहरण। आज तक मैंने सुना कि पुलिस अपहरणकर्ता को पकड़ती है लेकिन पुलिस अपहरण करके चौथ वसूली करने लग गयी है। यह मामला मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पाली पुलिस खुद ही अपहरण और वसूली में लिप्त हो गयी है। सोने-चांदी के एक व्यापारी को तस्करी में फंसाने की धमकी देती है। उसका अपहरण करते हैं, दो लाख रुपये वसूलते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। यह क्या ड्रामा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दू समाज के साथ तो ज्यादतियों का अम्बार है। आपने देखा होगा कि थानों में अब पूजा स्थल नहीं बनेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जहां बने हुए हैं वहां पर पूजा नहीं होगी। मैं निवेदन कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय, अब पूजा नहीं होगी।

श्री सभापति: सहयोग करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री बलजीत यादव।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अब पूजा नहीं होगी।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिये। माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिये, सहयोग कीजिये। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का अवसर दिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मेरा क्यों बिगाड़ रहे हो?

श्री सभापति: आप विराजिये। आप इतने वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं। अंकित नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान) मैंने आपको दस मिनट का समय दिया था और आप दस मिनट बोल चुके हैं। अब आप विराजिये। प्लीज सहयोग कीजिये। श्री बलजीत यादव।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आसन ने आपको दस मिनट का समय दिया है। आसन के पास इंहेरेंट पावर है कि वह किसको कितने मिनट का समय देगा, इसलिए आप आसन को डिक्टेट मत कीजिये, आसन ने आपको दस मिनट का समय दिया है। प्लीज सहयोग कीजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, क्या हो रहा है आपको? आप विराजिये, आपका अंकित नहीं हो रहा है। पूरा राजस्थान आपको यू-ट्यूब पर देख रहा है, आपको क्या समझ रहा होगा? क्या सोच रहा होगा आपके बारे में, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज सहयोग कीजिये, विराजिये। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना टाइम जा रहा है, मैं समय पर माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई करवा दूंगा, आप बोलें, चाहे नहीं बोलें। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। मुझे मार्शल को बुलाना पड़ेगा माननीय सदस्य, मैं कह देता हूं आपको।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिये। क्या तरीका है यह आपका? माननीय सदस्य, मैं आपको वार्न करता हूं, आप प्लीज विराजिये।

आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, कई विधान सभाएं आपने देखी हैं। उस परम्परा से आप आ रहे हैं जिस परम्परा में माननीय सुखाड़िया साहब और माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत, हरिदेवजी जोशी जैसे लोग थे। अपन पुरानी

(श्री सभापति)

विधान सभा से चलकर यहां तक पहुंचे हैं पूरा राजस्थान क्या समझ रहा होगा अपने बारे में? प्लीज सहयोग करें। मैं विनती करता हूं आपसे, आप सहयोग करें, अब आप विराजें। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, शुरुआत से हम सब सुनते भी आ रहे हैं और हम सब जानते भी हैं और सब लोग कहते हैं कि जहां शान्ति होती है वहीं बरकत होती है। हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा कि जिस राजा ने अपने राज्य में शान्ति बनाकर रखी, अपनी फोर्स को संतुष्ट रखा, उस राज्य ने उन्नति की।

माननीय सभापति महोदय, चाहे कोई गांव हो, चाहे शहर हो या राज्य हो या देश हो, उसमें निवास करने वाली जनता की सबसे पहली मांग होती है कि वहां पर शान्ति हो। आबादी जहां पर या लोग जहां पर निवास करते हैं, किसी कालोनी में यदि कोई मकान भी लेने की सोचता है तो सबसे पहले इस बात की जानकारी करता है कि इस कालोनी में रहने वाले लोग किस स्वभाव के हैं, किस चरित्र के हैं और जिस कालोनी में शरीफ लोग रहते हैं, कोई गुण्डा, मवाली, बदमाश या असामाजिक तत्व नहीं रहता है, उस कालोनी के प्लाट की रेट भी बढ़ जाती है। जिस गांव में या शहर में शान्ति रहती है तो उस गांव में या शहर में भी जमीन खरीदना लोग पसन्द करते हैं, रहना पसन्द करते हैं। यह सब कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि शान्ति व्यवस्था कायम करना इतना ज्यादा जरूरी है तो फिर क्यों नहीं हम उतने सीरियसली इस पर ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बार थोड़ा अच्छा लगा कि हमेशा पुलिस की बुराई, बुराई, बुराई होती है सदन में लेकिन चलो कुछ सदस्यों ने उनके दर्द को भी महसूस किया और कुछ उनकी डिमाण्ड को भी रखा क्योंकि बुराई करना बहुत आसान है, किसी में कमियां निकालना बहुत आसान है लेकिन किसी की समस्या का समाधान करना मुश्किल काम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों को देखा जाये। हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वो ईमानदार रहे, वो बहादुर रहे और वो क्रिमिनल्स से लड़े। माननीय सभापति महोदय, पहले लड़ाई होती थी या क्राइम होता था, वो किसी के थप्पड़ मार दिया, लात-घूंसे या डण्डे से लड़ाई होती थी। अब समय बदल गया है, अब

(श्री बलजीत यादव)

शहर तो छोड़िये, गांव में भी जायेंगे तो मेरे ख्याल से हर चौथे-पांचवें युवा के पास अवैध हथियार मिलेगा। अब जो लड़ाई होती है उसमें छोटी-छोटी बात पर गोली चलती है। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, गोली चल गयी, गोली चल गयी क्योंकि लड़ाई अब इसी प्रकार से होने लग गयी है और संसाधन की, नफरी तो पुलिस की कम है ही लेकिन उससे भी ज्यादा जो उसके पास जरूरी से जरूरी संसाधन होने चाहिए, उनका भी उसके पास अभाव है।

इसी सदन में हम सब लोग तय करते हैं कि बजट में किस विभाग को किस चीज के लिये क्या दिया जायेगा। हम यहां बात करते हैं, पुलिस में भ्रष्टाचार दूर होना चाहिये, पैसे नहीं लें। बिलकुल होना चाहिये, लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि थाने पर हम जो गाड़ी देते हैं और जो गाड़ी चलती है, उसके लिये बोल दिया कि आपको 200 लीटर डीजल मिलेगा। इतनी रात को गश्त उन्हें करनी पड़ती है। बल्कि हम ही बोलते हैं कि गश्त नहीं हो रही है, गश्त बढ़ाइये, गश्त बढ़ाइये, दिन-रात गाड़ी चलेगी और डीजल महीने का उसे 200 लीटर मिलेगा। चलें 200 लीटर भी दें। उसके बाद उस डीजल का पैसा, एक-एक साल हो जाता है, आन रिकार्ड चीज है, 50-50 लाख रुपये उधारी पर चल रही है गाड़ी और जो पैट्रोल पम्प वाला होता है, वह देने से मना कर देता है, दूसरे से लाओ, पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या हम सब लोग यह नहीं जानते कि वह गाड़ी का ड्राइवर है, हम कह रहे हैं कि वह ईमानदार रहे तो डीजल वह कहां से लायेगा, अपनी जमीन-जायदाद बेचकर के लायेगा या अपनी तनख्वाह से भरेगा? क्या यह तय नहीं किया जाना चाहिये कि उसे डीजल मिले, मेंटीनेंस का है। उसका बिल 20 हजार तक एसपी पास कर सकता है। फिर मोटर विभाग में जाओ, वह पास ही नहीं होता है। उन गाड़ियों की हालत ऐसी अटाळा-खटाळा पड़ी हुई है, क्योंकि तनख्वाह से कौन उसका मेंटीनेंस कराये, दो-चार हजार का छोटा-सा काम हुआ तो कहां से लगाये वह? उसके लिये चक्कर काटते रहो, कब मिलेगा, कब मिलेगा। गाड़ियां पुरानी हो गयी हैं। चलते-चलते कहीं बन्द हो जाती हैं। कभी टायर फट जाता है, कभी गीयर जाम हो जाता है, कभी क्लच फेल, ऐसी बुरी हालत है और एक गाड़ी थाने पर है। वहीं प्रत्येक क्रिमिनल के पास एक से एक लग्जरी कारें हैं, सबके पास आधुनिक अवैध हथियार हैं।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, एक गाड़ी एक जगह क्राइम हो गया, वहां चली गयी और यदि दूसरी जगह क्राइम हो गया तो गाड़ी वहां पहुंचेगी नहीं। फिर कहेंगे, पुलिस नहीं आयी। जैसे अभी कुछ सदस्य कह रहे थे कि पुलिस पिट जाती है, वह इसलिये पिट जाती है कि उसके पास गाड़ी तो है नहीं, उसे मोटर साइकिल पर भेजेंगे, दो लोगों को भेजेंगे, वहां क्रिमिनल हैं, उनके साथ मार-पीट होगी ही। अगर वास्तव में हम यह चाहते हैं कि कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हो, जैसा अभी सभी लोगों ने कहा कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, मुखबिर तंत्र बिलकुल फेल हो गया है और मैंने महसूस भी किया कि पुलिस में छोटी-छोटी-सी आईटी की जानकारी भी उन बेचारों के पास नहीं है। क्यों नहीं सरकार यह करे कि साइबर क्राइम के लिये जैसे और विभागों में आप डेपुटेशन पर भेजते हैं और विभागों में कान्ट्रेक्ट पर रखते हैं, साइबर थाना बना है, पुलिस के ही लोग हैं, क्यों नहीं प्रयास किया जाये, अगर इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है तो जो आईआईटियंस हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आईटी के अच्छे जानकार हैं, उनकी अलग-से क्यों नहीं पुलिस में भर्ती की जाये कि वे पुलिस का सहयोग करेंगे और अच्छे वेतन के ऊपर हम उन्हें रखें। ऐसा करके साइबर क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो अवैध हथियार बढ़ रहे हैं, पुलिस कुछ दिनों में एक अभियान चलाये और बॉडी चेक करे। आपको मोटर साइकिल पर चलते हुए हर पांचवें-सातवें लड़के के पास कट्टा रिवाल्वर मिल जायेगी।

इसी के साथ चूंकि कुछ डिमांड्स हैं, मेरा समय पूरा हो जायेगा, मैं कहना चाहूंगा, एसआई और जो ये अभी आपने प्लाटून कमांडर की एक सीधी भर्ती निकाली स्पोर्ट्स कोटे में और उसमें 81 पद हैं, अभी प्रक्रियाधीन हैं, उसके अन्दर हम तो यह कहते हैं कि खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ा रहे हैं हमारे स्टेट के, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया कि राजस्थान के खिलाड़ियों को ही लिया जायेगा। चाहे तो 81 के 81 पद दूसरे स्टेट के लोगों के पास जा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी कई बार कहा कि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ, राजस्थान के युवाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्य स्टेट्स में उन्हें लिया नहीं जाता और हमारे स्टेट में कोई रोक नहीं है।

(श्री बलजीत यादव)

मैं मांग करता हूं कि उसके अन्दर यह तय किया जाये कि सिर्फ राजस्थान के ही खिलाड़ियों को लिया जायेगा। दूसरा, कान्स्टेबल का जैसे मेस अलाउंस है 2000 रुपये, महंगाई बढ़ गयी है, उसे भी बढ़ाया जाये। जो डॉग रखते हैं, बॉम्ब स्क्वॉड वाले, उन्हें डॉग का अलाउंस 200 रुपये मिलता है। 20 साल हो गये उसे बढ़े हुए, क्या 20 साल में कोई महंगाई नहीं बढ़ी? अगर सबका बढ़ रहा है तो फिर उसी का क्यों नहीं बढ़ रहा है? इतनी इम्पोर्टेंट उसकी ड्यूटी है, 20 साल से उसकी सुध कोई क्यों नहीं ले रहा है?

सभापति महोदय, इसके अलावा होम गार्ड का, जो उनके वेलफेयर के लिये फंड होता है, वह पता नहीं किस चीज में खर्च होता है, वह चाहता है कि वह ईएसआई और पीएफ में वह जमा हो जाये, उसका लाभ मिले। उसे ड्यूटी वैसे भी हम पूरी नहीं दे रहे। उस चीज का भी उसे लाभ मिलेगा तो उसमें भी एक विश्वास जगेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो ड्यूटी है 24 घंटे की, पहले भी मैंने इस बात के लिये कहा कि जो दूसरे कर्मचारी होते हैं, उनके हिसाब से इनकी ड्यूटी भी तय की जाये कि आठ घण्टे इनकी ड्यूटी लें, आठ नहीं तो बारह घण्टे ले लें, लेकिन कभी तो पता हो कि इस टाइम आपकी ड्यूटी खतम होगी और आप अपना यह समय बीवी-बच्चों को दे सकते हैं।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): इसके अलावा अगर किसी पुलिसकर्मी के ऊपर भी किसी गुण्डे-बदमाश का अटैक होता है और वह उसमें शहीद होता है तो उसे भी सेना में जो शहीद होते हैं, उनकी तरह पैकेज मिले। यह मैं मांग करता हूं। कान्स्टेबल की जो छोटी-छोटी प्रोब्लम्स हैं, थाने में रहने के लिये जगह नहीं है और वह पड़ा रहता है तो उसके रहने की भी अच्छी-सी व्यवस्था की जाये। उसकी प्राब्लम्स को सुनकर सरकार अच्छी भावना रखते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करेगी, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं। धन्यवाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय के साथ क्राइम का तरीका बदला है। ऑनलाइन चीटिंग, फर्जी आईडी बनाकर नौकरियों का न्यौता देना, फिर लोगों से पैसे ऐंठना, फर्जी आईडी

(श्री बलवान पूनियां)

बनाकर फर्जी तरीके से वीडियो कॉल करके लोगों को ब्लैकमेल करना। इस मामले में राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस से उम्मीद करता हूं कि साइबर क्राइम के तंत्र को बहुत ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके।

मैंने खुद फेस की है यह बात कि पुलिस बहुत बार असहाय महसूस करती है ऐसे मसलों पर। पुलिस यह कहती है कि ये पकड़े नहीं जाते। राजस्थान में एक थ्रिल आया हुआ है। मुझे पता नहीं कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति है? वीडियो कॉल्स होती हैं सर, वीडियो कॉल्स से लोगों की ब्लैकमेलिंग का बहुत जोरदार धन्धा चल रहा है। इस मसले पर पुलिस को, राजस्थान सरकार को बहुत गम्भीरता से जनता को न्याय दिलाने का काम करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान पुलिस को इस बात के लिये धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि पुलिस थाना एक सार्वजनिक स्थल है और पुलिस थाने में पूजा स्थल नहीं होगा। हिन्दुस्तान के संविधान की व्याख्या को ढंग से समझते हुए इसे लागू करना एक जोरदार कदम था। हमने बड़ा एप्रीशिएट किया। बहुत सारे लोग, जो संविधान की बात को समझते हैं, वे जानते हैं कि सार्वजनिक स्थल कभी पूजा स्थल के रूप में काम में नहीं लिये जा सकते। इस बात के लिये मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, पुलिस ने एक सर्कुलर और निकाला कि जो दानदाता हैं, उनका नाम नहीं लगायेगा कोई। किसी ने लाख रुपये थाने में दे दिये, दो लाख दे दिये, पांच लाख दे दिये, थाने को जेब में घाले फिरता है और जी में आये जब थाने में फोन करता है। अभी थोड़े दिन पहले एक सर्कुलर निकला कि दानदाता का नाम नहीं लिखा जायेगा। उसके बाद अगर कोई दान देना चाहे, कोई संस्था थाने में कोई बैरक बनाना चाहे, कोई गार्डन बनाना चाहे, कमरा बनाना चाहे तो बनाये। अक्सर यह देखा जाता है कि थानों में दान करने वाले लोग थानों से उलटे-पुलटे काम करवाने की चेष्टा भी करते हैं, इसलिये जिन लोगों का नाम नहीं लिखा जाता, वे उछलते भी हैं।

सभापति महोदय, हनुमानगढ़ में एक पुलिस गेस्ट हाउस बना। सारे थानों से पैसे मांगे गये। एक तरफ तो पुलिस के डीजीपी साहब का सर्कुलर है कि, साहब, आप किसी का नाम नहीं लिखेंगे जो दान देगा, दूसरी तरफ पुलिस

(श्री बलवान पूनियां)

खुद गेस्ट हाउस बना रही है। यह सोचने वाली बात है। हम पॉजिटिव करते-करते एकदम नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान के एसीबी का जिन्होंने बहुत सारे भ्रष्ट लोगों को, अधिकारियों को पकड़ा है और पकड़कर उन्हें जेल तक भेजा। इससे लोगों में यह विश्वास जागा कि कोई अगर पैसा मांगेगा तो कोई उसे पकड़ भी सकता है। इस बात के लिये हम धन्यवाद करना चाहते हैं।

(समय: 15.00 बजे)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में फसल बीमा को लेकर एक फ्रॉड हुआ। सभापति महोदय, आपने तो यहां देखा है, प्रश्न का उत्तर भी आया, 164 करोड़ रुपये मेरे क्षेत्र के किसानों के बाकी हैं। एसीबी में कार्यवाही चल रही है पर कार्यवाही इतनी धीमी है कि सारे किसानों का अहित कर दिया बीमा कम्पनी ने। कुछ लोगों ने अपराध किया है, बाकायदा उनकी लिखित में शिकायत भी हुई है। मेरी एसीबी से मांग है कि आप तुरन्त कार्यवाही करिये। जमीन मेरी है और दूसरे ने किसी और नाम से केसीसी वहां से उठा लिया तो उसको मुलजिम बनाइये, जल्दी बनाइये ताकि नई फसल का क्रॉप कटिंग चल रहा है तो दिक्कत नहीं हो। दो गांव ऐसे हैं जहां के किसानों के करोड़ों रुपये पेंडिंग हैं इसलिए एसीबी उसमें तेजी से काम करने का काम करे।

सभापति महोदय, मैं आपकी यह बात भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो जेल की स्थिति है, मुझे किसान आन्दोलन में छह महीने जेल में रहने का मौका मिला और जेल में मैंने करीब सौ-सवा सौ किताबें पढ़ीं। मैं उसी चूरू जेल में अभी चार रोज पहले गया तो देखा कि चूरू जेल में एक जोरदार लाइब्रेरी बनी हुई है। मैं लाइब्रेरी देखकर आया और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा....

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हमारे चूरू से आये हुए साथी का, जिन्होंने जेल में लाइब्रेरी बनाने के लिए शायद दस लाख रुपये दिये भी हैं। हर जेल में लाइब्रेरी बने ताकि जो अपराधी लोग समाज से गये हुए हैं, जिनकी दिशा और दशा दोनों भटक गयी थीं वे वापस सही रास्ते पर आयें इसलिए राजस्थान में तेजी से इस पर काम होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि एमएलए लैड से मैं भी जेल में लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे जारी करूंगा और हर विधायक भी जारी करे ताकि लोगों को, अपराधियों को पढ़ाकर, मोटिवेशन

(श्री बलवान पूनियां)

करके मनोवैज्ञानिक तरीके से सुधारा जा सके। वहां चूरू जेल में रिटायर्ड कर्मचारियों का संगठन है जो काम कर रहा है। बड़ा एप्रिशिएट किया। वहां इतनी किताबें और बाकायदा सारे जो बन्दी हैं, महिला बन्दी भी थीं, पुरुष बन्दी भी थे, सबके नाम से किताबें आबंटित हो रही हैं और लोग पढ़ रहे हैं तो इससे लोगों की मनोदशा बदली जा सकती है।

सभापति महोदय, क्राइम इस बात के लिए भी नहीं होता कि क्राइम करना ही जरूरी है। जो परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थिति के अनुसार आदमी से होता। जैसे अभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का इस रीट के सारे मामले के बाद बयान आया कि आप कुछ भी कर लो पेपर लीक होंगे, क्योंकि बेरोजगारी है, बेरोजगार कहीं न कहीं हाथ-पैर मारता है। यह चीफ जस्टिस कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसी परिस्थिति में जहां बेरोजगारी बढ़ रही है, बेकारी और दूसरी चीजें बढ़ रही हैं वहां हमें दूसरे तरीके से टैकल करना पड़ेगा। हमें लोगों का मनोविज्ञान जानना पड़ेगा कि लोग किस तरीके से सही रास्ते पर जा सकते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं आपका इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान से होते हुए हरियाणा निर्मित शराब बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात जा रही है और इतनी बड़ी मात्रा में जा रही है कि राजस्थान की पुलिस इन दिनों में कुछ कार्यवाही भी नहीं कर रही है, क्या पता पुलिस दूसरे कामों में व्यस्त हो गयी। सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी बताना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र यहां से 350 किलोमीटर दूर है। जब हम रास्ते में जाते हैं तो कई बार तो रोककर जो आरटीओ की गाड़ी खड़ी है और जो जवान खड़े हैं उनको रोककर कहना पड़ता है कि कोई गाड़ी के नीचे दे देगा, साइड में होकर हाथ दे दे, खड़े हैं सारी जगह। ये खड़े-खड़े हाथ देकर गाड़ी रुकवाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मेरे तो दो मिनट हुए हैं, तीन मिनट तो पड़े ही हैं।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें, विराजिये आप। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, तीन मिनट तो और बोलूं। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां

(श्री बलवान पूनियां)
भी वाहनों को चैक करे तो उसके लिए बाकायदा चौकी बनी हुई हो। अब तो सड़क ऐसी है कि सड़कों से ही गुजरते हैं और यह नहीं कि लोग कच्चे मार्गों से जाएंगे। वहां चौकी बनी हुई हो, वहां बाकायदा संस्थानिक ढांचा बना हुआ हो ताकि उस सिपाही की जिन्दगी खतरे में नहीं आये। वाहन चोरी, वाहनों के साथ तस्करी और तस्करी के साथ टैक्स चोरी। इसलिए वाहनों को रोककर चैक करना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन उसके लिए ढांचागत निर्माण होना चाहिए। यह नहीं कि अनिश्चितता है और उस अनिश्चितता की वजह से साधनों की सीकर रोड पर इतनी आवाजाही है पर पुलिस ने गाड़ी रोक रखी है और वहां किसी भी स्थिति में एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए यह गम्भीर मसला है और हम सबके जीवन का मसला है।

सभापति महोदय, हमारे सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। मैं राज्य सरकार से मांग करना चाहता हूं....

श्री सभापति: विराजिये। श्री बाबूलाल मीणा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सर, लास्ट बात बची है। पुलिस को आपने जो पिछली बार बजट दिया वह बजट अभी लागू क्यों नहीं किया? मैंने गाड़ी मांगी भादरा और विराणी थाने के लिए और मुझे यह पता चला कि पिछली बार जो गाड़ियों के लिए साठ करोड़ रुपये दिये थे, मंत्री महोदय, अभी भी चालीस करोड़ रुपये ही पुलिस को दिये हैं, बीस करोड़ जारी ही नहीं किये।

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हम जिस तरीके से दूसरे कामों में एंगेज हो रहे हैं तो हमें कानून व्यवस्था के लिए भी जो बजट हमने अनाउंस किया वह बजट हमें जल्दी से जल्दी जारी करना चाहिए जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था बढ़िया होगी। आज भी मैं कह रहा हूं कि हरियाणा, पंजाब से हमारी पुलिस अच्छी है, हमारी पुलिस अच्छा काम कर रही है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): थानों में लोगों की सुनवाई होती है। इसलिए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए राजस्थान सरकार को खर्चा और बढ़ाना चाहिए। मेस अलाउंस से लेकर सिपाही के स्टेशनरी तक। एक लास्ट बात से बात पूरी कर रहा हूं। सभापति महोदय, जो सिपाही बी.ए., एम.ए. किये हुए हैं, बी.एड. किये हुए हैं, एक भी सिपाही रंगे हाथ नहीं पकड़ा गया क्योंकि वह आशान्वित है।

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री बाबुलाल मीणा। विराजिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16-पुलिस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं, धन्यवाद। सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विभाग की चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं। यह पुलिस विभाग, पुलिस का जवान हमारे समाज के बीच का ही, हमारा ही अंग है लेकिन उसको वर्दी दी है कि आप कानून की रखवाली करना और न्याय दिलाना जिससे समाज में एक आत्मविश्वास बढ़े, भय का माहौल न बने, भय मुक्त समाज हो, ऐसी हम सब की कल्पना थी।

सभापति महोदय, जितनी चर्चा हुई उसमें काफी आलोचना भी हुई लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि काफी पुलिसकर्मी, पुलिस के काफी अधिकारी ईमानदार हैं, अच्छे हैं और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करते हैं। उनको धन्यवाद भी देना चाहिए, प्रोत्साहित भी करना चाहिए लेकिन इनमें कुछ अपवाद हैं जिनके कारण से पूरा विभाग बुराई की चर्चा का एक विषय बन जाता है, चौराहे पर चर्चा होती है कि फलां पुलिसकर्मी इस प्रकार का है।

समापति महोदय, मैं आपको मेरे विधान सभा क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जिक्र करूंगा। अभी हमारे माननीय मदन जी ने जिक्र किया था पानरवा की डैया चौकी का। जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाये तो समाज किससे अपेक्षा करेगा? डैया चौकी में एक लड़कियां बेचान का मामला था और एक जांच थी। जिस पुलिसकर्मी को जांच दी वह पुलिसकर्मी जेर गांव से कुछ लोगों को लेकर जाता है जो न तो कहीं वांटेड हैं, न कहीं उनका कहीं उसमें नाम है लेकिन गुजरात तक ले जाकर घुमा-घुमाकर लाते हैं और रात को जब तीन बजे वापस आते हैं तो एक बच्ची, उसकी मां, उसके पिताजी और गांव के मौतबीर लोग साथ में थे। उन लोगों के बीच में वह कहता है कि थाने चलो तो उन्होंने कहा कि रात के तीन बज रहे हैं, सुबह हम लेकर आयेंगे आप इनको छोड़ दीजिये। आपको विश्वास नहीं है तो हम मौतबीर कह रहे हैं लेकिन नहीं माने। थाने में ले जाकर उस बालिका को अलग कमरे में सुलाते हैं, माताजी अलग है, पिताजी अलग है और पिताजी के साथ में मारपीट होती है। हमारे नेता, प्रतिपक्ष ने कहा था कि पुलिस थाने में जब तक मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं होती है तब तक मारपीट नहीं कर सकती है। उसके पिताजी से जिस तरह से मारपीट की कि उससे पीछे का हिस्सा इतना काला हो गया था कि वह बैठ

(श्री बाबुलाल)

नहीं पाता था। उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की, लड़की चिल्लाई तब उसकी मां दौड़कर आयी तब उसको छोड़ा। उसका मुकदमा दर्ज हुआ, मैं खुद गया। मैंने कहा कि जिस प्रकार का वातावरण हुआ है, सामान्य व्यक्ति होता तो आप उसको जेल के सींखचों में डाल देते, इतना होने ही नहीं देते लेकिन पुलिसकर्मी है इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं करते तो आप मुकदमा दर्ज करिये। वहां का सक्षम अधिकारी मुझे यह कहता है कि एमएलए साहब, पुलिस की बदनामी होगी, इसको आप जैसे-तैसे समझौते की स्थिति में लायें। मैंने कहा, एक सामान्य आदमी होता तो मैं समझौते की बात करता लेकिन पुलिसकर्मी की घटना है, पुलिसकर्मी इस तरह से ज्यादती करता है तो यह समझौते लायक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस पर मुकदमा दर्ज हो ताकि दूसरे व्यक्ति को सबक मिले। सभापति महोदय, तीन महीने हो गये हैं, 90 दिन में चालान पेश होता है कोर्ट में लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। वह किसका रिश्तेदार है?

सभापति महोदय, इसी प्रकार की घटना हमारे कोटड़ा में जूडा चौकी की है। एक अनुसूचित जाति की बच्ची को जाति विशेष का लड़का उठाकर ले जाता है और शाम को उसकी माता को पता लगता है कि मेरी बच्ची को उठाकर ले गये हैं। माताजी अवसाद में आकर, उसने पॉइजन पी लिया और रात को ही उसकी डैथ हो जाती है। सुबह मेरी बात होती है तो पुलिस यह कहती है कि लड़की तो उस लड़के के पक्ष में है। मैंने कहा एक बार लड़की को लेकर तो आओ, फिर पता लगेगा। बाद में समाज के लोगों का थोड़ा दबाव बना और उन परिवार वालों को लड़की सुपुर्द की गयी। लड़की ने कहा मुझे जबर्दस्ती ले जाकर मेरे साथ बलात्कार किया। इस प्रकार का बयान हुआ और जब उसकी माता की मृत्यु हो गयी तो वहां का डीवाई.एसपी रात्रि आठ बजे उन परिवार वालों पर दबाव डालकर कहता है कि अभी पोस्टमार्टम करिये। डिप्टी सीएचएमओ मुझे फोन करता है कि मुझे रात्रि को पोस्टमार्टम के लिये कह रहे हैं। मैंने कहा तुम्हारा जो कानून है, तुम्हारे दिशा-निर्देश हैं क्या? रात को पोस्टमार्टम कर सकते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं कर सकते हैं, तो नहीं करिये, दिन उगेगा तब होगा। इस प्रकार का वातावरण होता है तो हमको थोड़ा अविश्वास पैदा होता है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जूडा चौकी का मामला है, मामला दर्ज

(श्री बाबुलाल)

होता है। वहां का जांच अधिकारी एक महीने तक लेकर बैठा रहता है। फिर, मेरे पास लोग आते हैं। भाई साहब, एक महीने से मामला रफा-दफा करने के मूड में हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। जब मैं एज ए एमएलए के नाते फोन करता हूं तो वह अधिकारी मुझे यह कहता है कि आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। मैंने कहा आप तो एक महीने से देख रहे हो। मैं चाहता हूं ये जो परिवादी हैं वे कम से कम सन्तुष्ट हों। तब जाकर के मुकदमा दर्ज होता है।

सभापति महोदय, तब हमें इनमें अविश्वास पैदा होता है। हमारे यहां जनजाति बहुल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है। हमारा पुलिसकर्मी बिना आमद के गांव में जाता है, बिना वर्दी में जाता है। मैं शराब पीने वालों की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आदिवासियों का प्रचलन है, वे थके-मान्दे शाम को थोड़ा बहुत पीते हैं, पीने की आदत है, कुछ लोग निकालते हैं लेकिन पुलिसकर्मी जाता है और जाकर कहता है, तुम दारू निकालते हो। उनसे चौथ वसूली करता है और नहीं देते हैं तो उनको लाकर के दारू मिला या नहीं मिला, लेकिन कहीं से भी दारू लाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। इस प्रकार की घटना होती है।

आज मेरे पास फोन आया कि कल एक व्यक्ति के पास दो बार पुलिसकर्मी गया। वहां कुछ मिला नहीं तो दूसरी रात को उठाकर के ले आये। मैंने सीआई से बात की, सीआई साहब क्या मामला है तो मुझे पता नहीं, मैं पता करता हूं, जब पता लगता है तो कहता है, साहब एक बोतल का मुकदमा दर्ज किया है।

भैरोंसिंह जी शेखावत के समय में एक छूट दी थी कि दारू पीना आदिवासी की आदत में है तो पांच बोतल तक की हम छूट देते हैं, पुलिस मुकदमा नहीं करेगी। उन परिवार वालों ने मुझे फोन किया कि भाई साहब, एक बोतल नहीं, कुछ भी नहीं मिला, दो दिन से चक्कर काट रहे थे और बिना दारू के ले गये हैं। अब पुलिस कहीं से भी लाकर के, उनको अगर दर्शाना है तो कहीं से भी लाकर के दर्शाकर, इस प्रकार का कर्म करते हैं जिससे हममें अविश्वास पैदा होता है।

सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रकार का व्यवहार न हो, यह होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सभापति महोदय, दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): सभापति महोदय जी, एक बागपुरा पुलिस चौकी है। वहां बहुत ज्यादा अपराध होते हैं। अभी एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ और चौकी से 200 मीटर की दूरी पर हुआ। वहां की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सेम्डे उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। वहां इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। वहां के लोगों की यह मांग है कि उस पुलिस चौकी को थाने के रूप में क्रमोन्नत करें तो वहां के अपराध रुक सकते हैं।

सभापति महोदय जी, इसी प्रकार से एक हमारा पानरवा चौकी की तीन पंचायतें हैं। जो कोटडा से बिलकुल लगती हुई है। अगर उधर से घूमकर आयेंगे तो भी गुजरात होकर आना है और इधर कोटडा होकर जायेंगे तो भी गुजरात होकर जाना पड़ता है, काफी लम्बा चक्कर लगाना पड़ता है। केवल कोटडा से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वे पंचायतें कोटडा में जुड़ती हैं, तो कोटडा में बहुत सुविधा रहेगी। इतना घूमफिरकर नहीं आना पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय जी, बागपुरा चौकी की एक घटना है। मामा-भान्जे में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और भान्जे ने उस पर तमंचा निकाल दिया। वहां चौकी के इन्चार्ज ने सक्षम अधिकारी को दो दिन तक यह नहीं बताया कि इस प्रकार की घटना हुई है। वह लेकर बैठा रहा। मुझे पता चला तो मैंने सीआई को फोन किया। सीआई साहब, इस प्रकार की कोई घटना की जानकारी मेरे पास आयी है, आप मुझे बताइये क्या घटना है? तब सीआई कहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी करके बताता हूं। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो क्या होता? फिर पता लगा वह पुलिस वाला कहता है कि साहब वह तो एयर गन थी। अब पुलिस को एयर गन दिखती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल): इस प्रकार की वारदातें नहीं हों, इस पर लगाम लगे। यह कहकर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या-16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज महत्वपूर्ण मांग पर बहस हो रही है। मैं समझता हूं कि पुलिस का जो कर्तव्य है, पुलिस की जो ड्यूटी है, वह

(श्री पुखराज)

आमजन में विश्वास पैदा करने की है। सभी लोग में सामाजिक समरसता का भाव पैदा हो, इस टाइप से वे ड्यूटी करें। यह देखा गया है, सीएम साहब ने थानों के अन्दर स्वागत कक्ष भी बनवाये। मैंने भी मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर थानों में स्वागत कक्ष बनवाये, लेकिन अभी आवश्यकता है पुलिस की कार्य प्रणाली तथा जनता के प्रति व्यवहार में सुधार हेतु प्रशिक्षण देने की है।

अभी भी लोगों के अन्दर भय है, चाहे स्वागत कक्ष बन गये हों, लेकिन वहां जाने से पहले उनको दस बार सोचना पड़ता है। साथ ही, पुलिसकर्मियों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती रही है। उस पर भी अंकुश लगायें। मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आठ थाने लगते हैं। उन आठों थानों के अन्दर सभी तरह के अपराध कारित होते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जितने भी माफिया हैं। चाहे वे दारू माफिया हों, चाहे डोडा-अफीम माफिया हों, चाहे बजरी माफिया हों, सभी तरह के अपराध कारित करने वाले माफिया हों, वे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कार्यरत हैं, लेकिन किसी भी थाने के अन्दर न तो ढंग का व्हीकल है, न बराबर नफरी है, न पुलिस कर्मचारी हैं। जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको इस टाइप का प्रशिक्षण देने की जरूरत है कि जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा हो, उनका संवाद कैसा हो।

सभापति महोदय, मैं आपको एक-दो मुकदमों के उदाहरण बताना चाहूंगा। जोधपुर के अन्दर कुड़ी भगतासनी थाना, जिसमें नवम्बर 2020 में एक मुकदमा दर्ज होता है जिसमें दो जवान लड़कों का मर्डर कर दिया जाता है, मृत्यु कारित कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह शहर के अन्दर जोधपुर की सड़कों पर उनकी लाश फेंककर चले जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे बड़े अपराध के अन्दर भी तत्कालीन कुड़ी भगतासनी थाने के जो अनुसन्धान अधिकारी हैं। उन्होंने जान-बूझकर उस अनुसन्धान के अन्दर इस टाइप की कमियां रखीं। ऐसे अपराध के अन्दर उन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जहां इनाम रखा था, वे अपराधी दो-दो, चार-चार महीने के बाद में पकड़े गये थे, लेकिन पकड़े जाने के दो महीने बाद ही उनकी जमानत हो गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और मंत्री जी से मांग करना चाहूंगा कि ऐसे अनुसंधान अधिकारी जो जान-बूझकर इस तरह की कार्यवाही करते हैं, जान-बूझकर अनुसंधान के अन्दर

(श्री पुखराज)

ऐसी कमियां छोड़ते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये ताकि लोगों के अन्दर एक विश्वास पैदा हो कि पुलिस के अन्दर एफआईआर दर्ज होने के बाद सही कार्यवाही होती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा बाड़मेर के आरटीआई कार्यकर्ता जिसने सरकार की मंशा अनुसार, सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार के अन्दर जीरो टोलरेंस की बात होनी चाहिये, उस मंशा के अनुरूप वह कार्यकर्ता काम कर रहा था। उसके साथ में गम्भीर मारपीट हुई और मारपीट होने के तीन महीने बाद भी जो मुख्य साजिशकर्ता है वह खुला घूम रहा है तो इस टाइप की जो कार्यप्रणाली है उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है उसकी मानिटरिंग की जरूरत है और ऐसे पुलिसकर्मी जो जान-बूझकर इस तरह की घटना कारित कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं तीसरी घटना बताना चाहूंगा लोहावट थाने की। एक लड़की एक लड़के के साथ में भाग जाती है, शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में दोनों को पुलिस अरेस्ट करके ले आती है। बच्ची के 164 में बयान हो जाते हैं और बयानों में पुलिस को यह पता लगता है कि ये दोनों दम्पति ने गंगानगर के अन्दर एक दलित परिवार के बच्चे के वहां खाना खाया है। पुलिसकर्मी जाते हैं और दलित परिवार के बच्चे को गंगानगर से उठा कर लाते हैं, रास्ते में मारपीट करते हैं और रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे जो अपराध करने वाले कर्मचारी हैं, मैं आपके माध्यम से पुलिस के हमारे डीजी साहब से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अपराध करने वाले जो कर्मचारी हैं जिनकी प्रवृत्ति ही अपराधकारी हो गयी है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें ताकि लोगों के मन में पुलिस के प्रति एक अच्छी सोच बने और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं पुन: आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ के जितने भी थाने हैं, आठ थाने हैं इन थानों में नफरी बढ़ायी जाये। भोपालगढ़ थाना, अशोक थाना, बावड़ी, करवर थाना, बनाड़ थाना, डांगियावास थाना, पीपाड़ थाना और बोरूंदा थाना, इन आठों थानों में न ढंग का व्हीकल है और नफरी पूरी है इसलिये उनकी नफरी बढ़ायी जाये और साथ ही पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता हो चाहे यात्रा भत्ता हो उसको बढ़ाकर

(श्री पुखराज)

उनको सुदृढ़ किया जाये ताकि अभी जो माहौल है उस माहौल में पुलिस अच्छी तरह से कार्यवाही कर सके और अपराधों का पर्दाफाश कर सके।

(समय: 15.22 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-16, 17 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे विपक्ष वाले आरोप लगा रहे थे कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है इतने लोग पकड़े गये हैं। आपकी सरकार थी तब लोग थाने के चक्कर लगा-लगाकर परेशान हो जाते थे और कोर्ट में जाना पड़ता था तब तक लोगों का मुकदमा दर्ज भी नहीं करते थे थाने में। यह हालत थी और इस पुलिस का बेड़ा गर्क तो आपकी सरकार के माननीय आपके गृह मंत्री जी बेड़ा गर्क करके चले गये पूरी पुलिस का। वे कहते थे कि थाने का सिपाही भी मेरी बात को नहीं मानता है। यह अखबारों में निकली है, मैं जो कह रहा हूं वह इसलिये नहीं कह रहा हूं मैं कोई अख़बार का रिपोर्टर नहीं था। आपके गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है वो ही कहते थे कि मेरी कोई मानता ही नहीं है। यह आपके राज में गृह मंत्री जी की हालत थी। अब आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आप वाले ही चिल्ला रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हमारे वाले नहीं चिल्ला रहे हैं। अब आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि आपकी सरकार आने के बाद में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अच्छा बोल रहे हैं। मैं आपको टोकना नहीं चाहता हूं पर वो जगन गुर्जर ने क्या कहा था आपको?

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): वह भी बताऊंगा। आपकी सरकार आने के बाद में, जब पहले हमारी सरकार थी तब कितने मुकदमे थे और बाद में आपकी सरकार आयी, आपकी सरकार मुकदमे दर्ज ही नहीं करती थी।

श्री सभापति: आप उनको सम्बोधित नहीं करें। आप अपनी बात करें सिर्फ। आप अपनी बात करिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): करंट तभी बनता है, इधर देखने से। सभापति महोदय, जब हमारी सरकार आयी तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक निर्णय लिया कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनायें और हमारी सरकार आने के बाद में बड़े-बड़े आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है और उस पर डिसीजन भी लिये हैं कई लोगों के ऊपर और जांच भी चल रही है....

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बहुत बड़ी राशि लेकर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज बैठिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आप तो चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री सभापति: आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप भी सुनिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): तो सभापति महोदय, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने विभाग खुद अपने पास रखा। आप देखो कि कितने मुकदमे दर्ज कराये हम लोगों ने। अगर आपके पीरियड में मुकदमे दर्ज होते तो आज यह हालत नहीं होती। यह आपकी ही देन है।

सभापति महोदय, इनकी सरकार इतना गलत काम करके गयी है कि जो एक बेचारा कांस्टेबल था वह सात साल की भर्ती में जिले के लिये था पहले, इनकी सरकार आते ही पन्द्रह साल कर गयी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो सात साल का जिले से बाहर का नियम है इसको कम करके पांच वर्ष किया जाये। एक सिपाही की जो भर्ती होती है और वह 20-25 साल की उम्र में नौकरी लगता है और पन्द्रह साल वह दूसरे जिले में जाकर नौकरी करेगा तो उसकी जवानी तो वहीं निकल गयी। वह अपने घर परिवार को कब देखेगा।

सभापति महोदय, सब कुछ काम पुलिस के ऊपर ही छोड़ देते हैं कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और कुछ पुलिस के पास संसाधनों की भी कमी है तो जैसे अब जो गुंडे लोग हैं उनके पास तो बढ़िया तो फारचूनर है, जैसे उनको पैसे देकर तो लानी नहीं पड़ती है। मर्जी आये उसको छुड़ा लेते हैं और बढ़िया स्कोर्पियो गाड़ी है तो उनसे क्राइम करते हैं तो अपन बढ़िया इसी तरीके की गाड़ी दें पुलिस को तब जाकर वह गुंडों का मुकाबला कर पायेगी वरना

(श्री गिर्राज सिंह)

मुकाबला नहीं कर पायेगी। हमारे थानों में जीप है वह जीप क्या मुकाबला करेगी। वह 160 की स्पीड में चले और जीप की स्पीड रह जाती है 70-80 तो कैसे हम गुंडों को पकड़ पायेंगे।

सभापति महोदय, कुछ जगह पर जो जरूरत है जो डांग के गांव हैं या वैसे भी गांव हैं, मैं तो सारे प्रदेश के लिये ही मांग करता हूं कि गुंडों के पास तो हथियार रहते हैं और उनके पास हथियार रहते हैं नम्बर-2 के तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि पूरे प्रदेश में आप लाइसेंसों की छूट करें, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकेंगे। उनके पास कोई अलग से चीज नहीं है उनके कोई चार हाथ नहीं हैं, कोई चार पैर नहीं हैं गुंडों के कि उनसे लोग डरते हों, उनसे लोग उसी वजह से डरते हैं कि उनके पास हथियार हैं। जब अगर एक आम आदमी के पास हथियार रहेगा तो उस पर अटेक करने से पहले या उसकी लूटपाट करने से पहले या उसके घर पर हमला करने से पहले लोग डरते हैं कि इसके पास भी हथियार है यह भी हथियार चला सकता है। जब लोगों के पास हथियार रहेंगे तो मैं जानता हूं कि गुंडागर्दी स्वत: ही कम हो जायेगी तो अपन को लाइसेंस देने चाहिये हर जगह पर। विदेशों में भी सब जगह लाइसेंस है। ऐसे समझ लो कि जैसे पान खरीद कर ला रहे हों। ऐसे जाकर राशनकार्ड की फोटोकापी देकर लाइसेंस ले लेते हैं तो अपन को प्रदेश में लाइसेंसों की खुली छूट दे देनी चाहिये और जो भी क्राइम होते हैं वह लाइसेंसी हथियार से नहीं होते हैं, जो भी लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं वो नम्बर दो के हथियारों से कर रहे हैं। ए.के. 47 है डकैतों के पास, उनके पास उसका कोई लाइसेंस नहीं है। यह तो मिलिट्री के पास हथियार थे पहले बाद में पुलिस में आये हैं तो वो उनके पास कहां से आये तो वो नम्बर दो के जो काम करने वाले हैं, नम्बर दो के लोग हैं वो तो नम्बर दो का ही काम करते हैं और नम्बर दो की ही गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। यह नहीं है कि खुद के नाम से गाड़ी लेकर उस गाड़ी को लेकर गुंडे क्राइम करते हैं। वो सभी नम्बर दो की गाड़ी किसी की चोर लेंगे, किसी की छुड़ा कर नयी ले जायेंगे उससे वो क्राइम करते हैं तो सभापति महोदय, जब अपन जनता को हथियार उपलब्ध करा देंगे तो गुंडागर्दी स्वत: ही कम हो जायेगी। अब हमारे विपक्ष के उप नेता कह रहे थे जगन के बारे में, सभापति महोदय, मैं जगन के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने काम ठीक किया, हमारे धौलपुर की पुलिस ने काम अच्छा किया। उसके डर की वजह से उसको सरेण्डर करना पड़ा।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, इस मामले में मुख्य मंत्री जी ने अच्छा सहयोग किया उनको धन्यवाद पर सभापति महोदय, कुछ अधिकारियों ने या किसने किया मिलीभगत करके उस गुंडे का जब एंड आ रहा था उससे पहले इनकी क्या मजबूरी थी कि उसको सरेण्डर किया। किसके कहने से सरेण्डर किया। वो ऐसे कौन से योद्धा सिपाही हैं, वो तीन बहादुर सिपाही पुलिस वाले, न तो उसके पास कोई हथियार मिला जब उसको तीन-तीन प्रान्तों की पुलिस देख रही थी, उसके ऊपर 122 मुकदमे हैं, यह मेरे पास सूची है। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के 122 मुकदमे, 302 के मुकदमे इतने हैं, मुझे कहने में भी शर्म आती है। उस व्यक्ति ने औरतों से के संग क्या क्या कर्म किये हैं, औरतों को नंगा घुमाया है। यह सब टीवी पर पूरे प्रदेश ने देखा है। ऐसे व्यक्ति की क्या मजबूरी हो गई थी कि उसको पुलिस को सरेंडर करना पड़ा? मैं कोई आपके खिलाफ आंदोलन तो नहीं कर रहा था। फिर ऐसी आपकी क्या मजबूरी हो गई कि उसको सरेंडर करा दिया। सभापति महोदय, जिन तीन सिपाहियों ने उसको सरेंडर कराया है, ये वो ही लोग हैं जो इसकी मदद करते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये जो पुलिस वाले इनसे मिले हुए हैं। वो ही उनको हथियार देते हैं, वो ही इनको ले जाकर राउंड देते हैं। अब तक इन्होंने कितनी बार उसको सरेंडर करा लिया?

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, दो मिनट में तो नहीं हो पायेगा, अगर आप कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): जब कोई मामला इतना गंभीर है।

श्री सभापति: बोलिए आप, बोलिए आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जब धौलपुर पुलिस ने उस व्यक्ति पर शिकंजा कसा, जब उसके सलटने के दिन आ गये थे, तब जाकर हमारे अधिकारियों ने उसको सरेंडर कर दिया। किसके कहने से कराया, क्यों कराया, आपकी क्या मजबूरी थी, वो तीन पुलिस वाले कौन थे? वो इनसे मिले हुए हैं और वो इनको अपने घरों में रखते हैं। पुलिस के घर में रहते हैं, पुलिस की गाड़ी लेकर घूमते हैं। सभापति महोदय, गाड़ी पर आगे लिखा होता है 'पुलिस' और उसी गाड़ी में गुंडों को एमपी से राजस्थान ले जायेंगे, राजस्थान से उत्तर प्रदेश ले जायेंगे, धौलपुर से करौली ले जायेंगे। यह वो ही पुलिस वाले

(श्री गिर्राज सिंह)

हैं जिन्होंने इसको सरेंडर किया। उन्होंने ही अपनी गाड़ी में घुमाया है और उन्होंने ही अपने घर पर रखा है। सभापति महोदय, उसके पास एके-47 हथियार है। यह मैं कोई वैसे ही नहीं कह रहा हूं, आप बड़े-बड़े अखबारों में देख लो फोटो छपती हैं। यहां पत्रकार बंधु भी बैठे हैं जो फोटो छापते हैं, टीवी पर दिखाते हैं। उसने गुर्जर आंदोलन में सरेआम फायरिंग की हैं। उसका छोटा भाई पप्पू भी अभी जेल में है। उसके पास एसएलआर बंदूक है। सभापति महोदय, इन लोगों को आप अगर सरेंडर करते हैं तो आज तक आपने इनके हथियार तो जमा नहीं कराये। क्यों नहीं कराये, इसका क्या कारण है? ऐसी क्या आपकी मजबूरी है, क्यों आप बार-बार समझौता करते हैं? क्यों हमारी पुलिस इन गुंडों की मदद करती है? सभापति महोदय, इसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, जिन मुकदमों में यह बरी हो गया, उनको दुबारा से चालू कराया जाय। कोर्ट से जमानत लेकर नहीं आये हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके खिलाफ अपने वकील खड़े करें और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं, उन मुकदमों को चालू कराया जाय।

सभापति महोदय, जो गुंडे तत्व हैं और जिनसे हमारे पुलिस के जवान मिले हुए हैं, क्या कारण है कि वो ही लोग बार-बार जाकर इसको सरेंडर कराते हैं? किन-किन सिपाहियों के माध्यम से अब तक यह सरेंडर हुआ है? कौन-कौन इसके साथ थे? इसके साथ कोई एक आदमी तो था नहीं, 12 लोग थे और 12 लोग हथियार लेकर घूम रहे थे। इसने मुरैना में जाकर हमारे समर्थकों के एक ट्रक के टायर फोड़ दिये। सिर्फ इस वजह से फोड़ा कि उस पर परमार का बोर्ड लगा था। सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। यहां पर इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। हमारी पुलिस की ऐसी कौनसी मजबूरी है कि इसको सरेंडर करना पड़ा? क्यों करना पड़ा, आपकी क्या जरूरत थी? हमारा जो होता, वो हो जाता, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत क्या थी? मैं तो खुद में सक्षम हूं। मेरे को कोई पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है। मेरे को गार्ड लगाने के लिये बोला, मैंने मना कर दिया। मेरे को सिक्योरिटी देने के लिये बोला, मैंने मना कर दिया। मेरे को न कोई सिक्योरिटी की जरूरत है और न मुझे इन गुंडों से कोई डर है। ऐसे तमाम गुंडे चवन्ने आगे पीछे पड़ते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई डरने वाले नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभापति महोदय, इसकी जांच करानी चाहिये और अच्छे तरीके से करानी चाहिये, नहीं तो यह लीपापोती करके कह देंगे कि यह निर्दोष हो गये।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, एक जो आपने सिपाही के लिये 15 साल जिले से बाहर का कर रखा है, उसको पांच साल किया जाय। सभापति महोदय, जब इन सिपाहियों के प्रमोशन होते हैं तो उसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी होती है। इनका प्रमोशन भी उसी तरीके से होना चाहिये जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएसपी में सीनियरिटी के हिसाब से होता है, इनका प्रमोशन भी ऐसे ही किया जाय। आईपीएस अपने चहेतों को प्रमोशन दे देते हैं। उनके हाथ में ही रिजल्ट रहता है कि किसको पास करना है, किसको फेल करना है। सभापति महोदय, इसमें बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। प्रमोशन सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाय।

सभापति महोदय, मैं एक मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में कुछ पुलिस चौकी खोली जाय। एक तुडसीमा रोड है कृषि उपज मंडी के पास, एक बाड़ी सदर थाने के बिजौली गांव में एक पुलिस चौकी खोली जाय। एक कृषि उपज मंडी के पास ममोदर मोड़ के पास खोली जाय। सभापति महोदय, एक साइबर क्राइम का थाना खोला जाय। आजकल जो लोग क्राइम कर रहे हैं, वह मोबाइलों के माध्यम से कर रहे है। हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या आती है, इसके लिये हमारे यहां यह व्यवस्था करनी चाहिये। एक, सरकार ने इतने लोगों का उद्धार कर दिया तो होम गार्ड के जवानों का भी उद्धार कर दें। इनको भी परमानेंट कर दें ताकि इनका भी भला हो जायेगा। सभापति महोदय, हमारे पुलिस के जवानों के वेतन भत्ते भी बढ़ जाएं। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इनके भी वेतन-भत्ते बढ़ाये जाएं। सभापति महोदय, यह 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो 24 घंटे ड्यूटी करता है। ऐसा पुलिस का ही डिपार्टमेंट है जो हरदम ड्यूटी करता है और ऊपर से नीचे तक सब अधिकारियों की गाली भी खानी पड़ती है। सभापति महोदय, इनका वेतन बढ़ाया जाय। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री अशोक डोगरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इंटरवीन नहीं करना चाहता, पर मेरे पास पुख्ता जानकारी है बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य की जिंदगी को खतरा है। यह संकोच से बोल नहीं सकते। सरकार को चाहिये कि इनकी बात को संज्ञान में लें। यह बात अख़बार की सुर्खियों में आये कि एक माननीय सदस्य जिनको एक डकैत सरेआम थ्रेट कर दे और आज जिस तरह की बातें उन्होंने कहीं, इसलिए आफिसर दीर्घा में भी लोग बैठे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिये।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थाने में जाएं तो बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा दिखता है कि 'अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास।' लेकिन जब एक बलात्कार की पीड़ित महिला थाने में न्याय मांगने जाये और रात को वहीं का थानेदार उसके साथ बलात्कार करे तो फिर आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? आम आदमी में विश्वास भी कैसे जगेगा? यही इस राज में हो रहा है, चाहे अलवर का कांड हो, चाहे थानागाजी का कांड हो। महिला उत्पीड़न में राजस्थान भारत में सबसे टॉप पर है। साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई हल नहीं निकलता। साइबर क्राइम में लोग लुट गये, उनका पैसा आज तक वापस नहीं मिला। चाहे रेत माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, पुलिस की मदद से यह पनप रहे हैं। सभापति महोदय, चाहे सब-इंस्पैक्टर का पेपर हो, चाहे रीट का पेपर हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर हो, चाहे पटवारी का पेपर हो, सब पुलिस की मिलीभगत से आउट हो गये, सरकार ने कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे बूंदी विधान सभा क्षेत्र में तालड़ा उप खण्ड मुख्यालय है। यहां पर एसडीएम कार्यालय है, पंचायत समिति है, तहसील है, परन्तु उप अधीक्षक पुलिस का कार्यालय नहीं है। यहां पुलिस उप अधीक्षक मुख्यालय केशोरायपाटन में लगता है। यहां पर कई गांव अति संवेदनशील हैं, जैसे जमीतपुरा जहां कई बार साम्प्रदायिक तनाव व झड़पें हुई हैं। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय यहां से 25 किलोमीटर दूर पाटन में है और बीच में दो रेलवे फाटक आते हैं। इनके बंद होने पर इमरजेंसी में यहां आने में एक घंटा भी लग जाता है। यहां पर एक पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोला जाये जिसके अधीन थाना तालड़ा, नमाना व डाबी को शामिल किया जाय। इससे क्षेत्र में त्वरित पुलिस कार्यवाही हो सकेगी और आमजन को सुलभ पुलिस सहायता उपलब्ध हो सकेगी।

सभापति महोदय, दूसरा मेरे यहां 2017 में कृषि उपज मंडी शहर से बड़ी जगह पर 5 किलोमीटर दूर कुआरती गांव में शिफ्ट हो गई थी। वहां बड़ी मंडी है, करीब डेढ़ लाख बोरी रोज की सीजन में आती हैं। करीब 190 आढ़तिया हैं और 130 व्यापारी हैं और करीब-करीब 25 करोड़ रुपया रोज का किसानों का माल वहां बिकता है। अभी सरसों का सीजन शुरू हुआ है, 15-16

(श्री अशोक डोगरा)

करोड़ रुपये की रोज सरसों ही आ रही है, बाकी गेहूं और दूसरे सीड मिलाकर 24-25 करोड़ रुपये रोज का कारोबार होता है लेकिन वहां कोई सुरक्षा की जगह नहीं है। वहां बैंक तो खुल गया लेकिन सुरक्षा कुछ भी नहीं है। रोज पैसे लूटने की घटनाएं होती हैं, वह चाहे आढ़तियों से लूटे, चाहे व्यापारियों से लूटे, चाहे किसानों से लूटे। यदि वहां कम से कम 6:1 का स्टाफ देकर एक पुलिस चौकी खुल जाती है तो वहां यह सभी लोग सुरक्षित हो जायेंगे। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, वह भी नहीं होंगी। शहर से पांच किलोमीटर दूर है, सुनसान एरिया है, उसमें भी फर्क पड़ जायेगा। एक पुलिस चौकी नवाना थाने के गड़दा गांव में है। गड़दा वहां से 18 किलोमीटर दूर है। बोर्डर का गांव है और वहां सैण्ड स्टोन की माइनिंग भी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बरसात के दिनों में और वैसे भी वहां पर बाहर के जिलों से बहुत बड़ी मात्रा में भेड़ें चरने के लिए आती हैं, जिससे लोगों में टेंशन रहती है। यदि वहां परमानेंट चौकी लग जाये तो इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। डाबी थाने में एक डोरा गांव है, यदि वहां पर भी एक पुलिस चौकी लग जाये तो डोरा और खड़ीपुर वगैरह के एरिये में राहत मिलेगी। इस बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने रायथल गांव में पुलिस थाना खोलने की घोषणा की है। रायथल से पता नहीं मुख्य मंत्री जी क्या लगाव है? पिछली बार यहां पर उप तहसील खोली थी। वह भी गलत निर्णय था। जितनी पंचायतें उस उप तहसील में लगीं, वे सब परेशान हैं। यदि उस एरिये में थाना खोलना है तो खटकड़ में खोला जाये। रायथल की आबादी तो 1500 है और खटकड़ की साढ़े पांच हजार है। खटकड़ सेन्टर का एरिया है, कम से कम पचास गांवों का सेन्टर प्लेस है। यदि वहां पर थाना खुलेगा तो ज्यादा रिलीफ मिलेगा। रायथल से कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा।

मेरा दूसरा निवेदन यह था कि नमाणा थाना 2010 में बना था और 2010 में ही उसके लिए जमीन भी अलाट हो गयी थी, लेकिन आज तक वह थान एक प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग में चल रहा है। वहां थानेदार से लेकर पूरा स्टाफ गांव में अलग-अलग जगह पर किराये का मकान लेकर रह रहे हैं। सैकण्डरी स्कूल में जगह की कमी आ रही है, प्राइमरी स्कूल खाली कराना चाहते हैं, लेकिन वहां पर थाना बना हुआ है। थानेदार से लेकर सिपाही इधर-उधर रह रहे हैं। इसलिये थाने की बिल्डिंग बन जाये तो सब लोग एक जगह हो जायेंगे। कोई अचानक नाकेबन्दी लगानी होती है या रैड करने जाना होता है तो सबको इकट्ठा करने में ही कम से कम एक घंटे का समय लग जाता है।

(श्री अशोक डोगरा)

मेरी सरकार से मांग है कि नमाणा थाने के लिए बजट देकर बिल्डिंग बनायी जाये। एक रामनगर पुलिस चौकी है, उसे 40-50 साल से तो मैं देख रहा हूं। वहां पर एक स्कूल की बिल्डिंग में चौकी चल रही है। यहां पर भी बजट देकर चौकी लगायी जाये।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने सीसीटीवी कैमरों की बात बजट में की है। हमने विधायक कोष से शहरों और गांवों में भी बहुत सीसीटीवी दिये, लेकिन अभी भी अपर्याप्त हैं। इनकी संख्या जितनी पढ़ेगी, अच्छा रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि हर पंचायत मुख्यालय पर और बड़े गांव में जहां पर भी भीड़भाड़ का एरिया है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिये ताकि अपराधों में कमी आ जाये और मुलजिम जल्दी पकड़े जा सकें। इससे अपराधियों में डर भी बैठता है। पुलिस को कोई फैसिलिटी भी नहीं है। आज कांस्टेबल से लेकर सीआई तक को मैस भत्ते के नाम पर मात्र दो हजार रुपये दिये जाते हैं, उसे कम से कम तीन हजार रुपये करें। इनसे 24 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। उसके ड्यूटी ऑवर भी फिक्स हों। ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले खराब हैं, पुलिस में कई अच्छे लोग भी हैं जो कि अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं और खूब काम भी करते हैं। मेरे क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था की बात करूं। पूरे जिले हैडक्वार्टर में सिर्फ एक रेड लाइट लगी हुई है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि चार-पांच जगहें जहां पर ज्यादा भीड़ होती है या ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर रेड लाइट लगायी जाये, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो और ट्रैफिक सुलभ तरीके से चले। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-16 व 17 पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। राजस्थान सरकार की हमेशा सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रही है। कानून व्यवस्था स्टेट का विषय है। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी ने पिछले तीन साल में इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने का जो काम किया है, वह ऐतिहासिक काम किया है। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान की जनता को एंश्योर किया है, बार-बार शिकायतें आ रही थी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। एसपी लेवल के अधिकारी को पाबन्द किया गया कि हर व्यक्ति की एफआईआर दर्ज की जाये

(श्री जगदीश चन्द्र)

ताकि इस बात का अन्दाजा लग सके कि साल में कितने क्राइम हो रहे हैं? कौन-कौन लोग एफआईआर की शिकायत लेकर आ रहे हैं, जो वंचित थे। इसमें मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही जोरदार फैसला किया है।

माननीय सभापति महोदय, बजट घोषणा में मुख्य मंत्री जी ने 108 की तर्ज पर 100 और 112 का नम्बर पुलिस मोबाइल से जोड़ने का प्रबन्ध किया है। इससे निश्चित तौर पर क्राइम कंट्रोल होगा और इससे पुलिस की मोबलिटी भी बढ़ेगी एवं पुलिस को एसेसमेंट भी हो पायेगा कि किस जगह पर किस तरह का अपराध हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभय कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर 10 हजार से 30 हजार करने की जो व्यवस्था की गयी है, वह बहुत जरूरी थी। 2018 सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस नरीमन का एक जजमेंट था। स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था कि हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे हों। जो एनफोर्समेंट एजेंसी हैं, ईडी है, सीबीआई या फिर दूसरी एजेंसी है, सब की हर चीज रिकार्ड हो। यह दिसम्बर से पहले का जजमेंट है। हमारी सरकार दिसम्बर के बाद आयी थी, लेकिन राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने इस बात की कम्प्लाइन्स नहीं की और उसकी वजह से राजस्थान के कम से कम 800 के आस-पास पुलिस स्टेशन ऐसे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था नहीं हो पायी थी। माननीय सभापति महोदय, तत्कालीन सरकार को जरूरत थी कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करे और उस पर अमल करे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से साइबर क्राइम के केस बढ़ रहे हैं। यह बहुत ही चिन्ता की बात है और इस पर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर साइबर पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है, इससे निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को फायदा होगा और इससे अपराध भी कम होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ओपन जेल के जो बन्दी गृह हैं, अक्सर उनके जगह की कमी रहती थी, दिक्कत होती है, 240 नये भवनों का निर्माण करके नये बन्दी गृह बनाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने अच्छा फैसला लिया और सरकार ने 75 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का फैसला किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से महिला अपराधों की घटनाएं घट रही थीं, उसके लिए भी एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी को पाबन्द किया गया कि वह सुनवाई करे और न्याय मिले, यह सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

जब से हमारी सरकारी आयी है, तब से निश्चित तौर पर क्राइम में कमी आयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं दो-तीन बातें निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जो कि सदन में प्रतिपक्ष के उप नेता भी हैं। उन्होंने सदन में एक आंकड़ा पेश किया। उन्होंने क्राइम के मामले में राजस्थान सरकार और यूपी सरकार का कम्पेरिजन करके बताया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार औसतन 80 मर्डर रोज हुए, जिसमें सबसे ज्यादा हत्या के मामले उत्तर प्रदेश में आये हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार टॉप के पांच राज्यों में राजस्थान का नाम नहीं था। कुल अपराधों में वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में क्राइम रेट में 28 परसेंट के हिसाब से इजाफा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति पर दर्ज प्रकरणों में क्राइम अंगेस्ट स्टेट 4524 केस व पब्लिक प्रापर्टी डेमेज करने के 796 केस दर्ज हुए हैं, जो कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हुए हैं। सभापति महोदय, सितम्बर, 2020 में हाथरस और उन्नाव जैसी घटनायें, यह अख़बार की कतरन इस बात का साक्षी है, यह हिन्दुस्तान में शर्मनाक घटना हुई थी। ये दोनों केस उत्तर प्रदेश के ही हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम कंट्रोल हुआ है और क्राइम कंट्रोल करने से ही उनकी सरकार आ रही है। चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो। इसका फैसला तो कल होगा, लेकिन यह कागज और अख़बार की कटिंग मेरी नहीं है, ये हिन्दुस्तान के टॉप अखबारों की कटिंग्स हैं। सरकार के पास यह रिकार्ड है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को इस बात का भी एहसास होना चाहिये कि राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में जो क्राइम हुए हैं, वे बाकी प्रदेशों की तुलना में कम हुए हैं। मैं आपके सामने एक आंकड़ा निवेदन करना चाहूंगा। यह क्राइम इण्डिया, 2020 एनसीआरबी की रिपोर्ट है। जिसके अन्दर 302 के मर्डर केस, यूपी में 3779, एमपी में 2101, इसमें राजस्थान का नाम नहीं है। इस कागज पर राजस्थान का नाम नहीं है। मैं आपके सामने एक छोटा-सा उदाहरण पेश करना चाहूंगा, attempt to murder. इसमें यूपी में 4010, वेस्ट बंगाल में 12725,

(श्री जगदीश चन्द्र)

बिहार में 11784, इसमें भी राजस्थान का नाम नहीं है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण और देना चाहूंगा "deaths due to negligence relating to road accidents" यूपी में 19205, इसमें भी राजस्थान का नाम नहीं है। ये एनसीआरबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? यह सबको पता है। बार-बार स्टेट पुलिस पर इस बात का आक्षेप लगाया जाता है कि हर केस के लिए सीबीआई के लिए रेफर करो। हमने चार केस रेफर किये हैं। उसके रिजल्ट का आज तक क्या हुआ? पहले रीट के मामले में आवाज उठायी गयी। जो लोग दोषी थे, उनके खिलाफ एसओजी ने कार्यवाही की। एसओजी की तारीफ खुद कर चुके हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सोये नहीं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): एसओजी राजस्थान पुलिस का ही पार्ट है। हमारे हिन्दुस्तान की पुलिस एजेंसियों में एसओजी ने जो काम किया है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजस्थान में जो काम किया है, बेमिसाल काम किया है। वह प्रशंसा योग्य है। दूसरे स्टेट के लोग भी इस बात का एग्जाम्पल सैट करते हैं कि एसओजी कितना बढ़िया काम कर रही है। रीट में धांधली का मामला आया, एसओजी ने कार्यवाही की, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये और उसका रिजल्ट भी सामने आया। हाई कोर्ट भी कह चुका है कि एसओजी जो इंक्वायरी कर रही है, वह बिलकुल राइट डायरेक्शन के अन्दर है। इससे ज्यादा उदाहरण तो और कोई हो नहीं सकता राजस्थान में कानून व्यवस्था का।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दो तरफ तो पंजाब लगता हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान लगता हुआ है और एक्रास द बार्डर जिस तरह से तस्करी हो रही है और कच्ची शराब का जिस तरह से कारोबार हो रहा है। एक्साइज एक्ट के तहत कच्ची शराब निकालना इज बेलेबल आफेंस। मैं सरकार से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसको नॉन बेलेबल आफेंस बनाया जाए ताकि कम से कम कच्ची शराब जो निकलती है, उस पर पाबन्दी लगा सकते हैं। आज शराब पकड़ी जाती है और शाम को वह बेल कराकर आ जाता है। क्राइम रुक नहीं पाता इसलिए सरकार इस पर ध्यान दें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, निवेदन करना चाहता हूं कि तस्करी के मामले में, खासकर ड्रग्स का जो रेकैट पैदा हो गया पूरे हिन्दुस्तान में और एक्रास द बार्डर जो आ

(श्री जगदीश चन्द्र)

रहा है, राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कोई स्पेशल टीम बनाकर, आपने स्पेशल जो टीम बना रखी है, डीएसटी, पता नहीं कौनसी, एक संस्था आपने बनाई हुई है, उससे काम चलने वाला नहीं है। बेहतरीन तरीके से, अच्छे अफसर का सिलेक्शन करके आप बनाइए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आए दिन गंगानगर में पानी के लिए आन्दोलन होता है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): पानी पंजाब की तरफ से चोरी हो रहा है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पानी चोरी रोकने के लिए एक पुलिस की चौकी या पुलिस का थाना गंग कैनाल के ऊपर एस्टेब्लिश करें ताकि किसान का जो पानी चोरी हो रहा है, उसे रोक सकें और किसान को पूरा पानी मिले। जो कानून की व्यवस्था है, राजस्थान के अन्दर, पुलिस में महिला की नफरी की कमी है। हर पुलिस थाने में महिलाओं की कमी है। मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगा कि नई भर्ती करके नफरी में इजाफा किया जावे। यही बात कहते हुए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: थैंक यू। श्रीमती सूर्यकांता व्यास। आए नहीं शायद। श्री पूराराम जी चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16, 17 पर जो चर्चा हो रही है, बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस के ऊपर कई आरोप लगते हैं लेकिन सारे आरोप पुलिस के ऊपर जो लगते हैं, वे सही भी नहीं हैं और कुछ आरोप जो पुलिस के ऊपर लगते हैं, वे सही हैं। यह हकीकत बात है। आज राजस्थान के अन्दर लॉ एंड आर्डर वास्तव में बिगड़ चुका है। विशेषकर जो रीट पेपर का मामला चला, उसमें यदि सबसे ज्यादा कोई बदनाम हुआ है तो हमारा जालौर जिला बदनाम हुआ है। कई लोगों को एसओजी ने अन्दर डाला। सही काम किया एसओजी ने। उसकी मैं खिलाफत नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ पुलिस के लोग भी उसमें मिले हुए थे, उनकी मदद नहीं की।

अभी ताजा-ताजा मामला है। आज से दस-बारह दिन पहले जो मेरे सामने इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस के माननीय समरजीत सिंह जी, उनकी एक

(श्री पूराराम चौधरी)

पंचायत थी। +++ करके एक लड़की है उसकी शादी मेरे गांव में हुई है। एसएचओ को फोन करके मैंने शिवरात्रि के दिन कहा कि उस लड़की का अपहरण हुआ है। उसने कहा कि मुकदमा दर्ज गुमशुदा का हुआ है। यह बात सही है क्योंकि मेरे गांव के व उसके बीच में 13 किलोमीटर तो पूरा जंगल है, भीनमाल और उसके बीच में। वह 5 साल की लड़की को लेकर अपने पीहर का कहकर चली गयी कि मैं पीहर जा रही हूं। वह एक दिन नहीं लौटी, दूसरा दिन, तीसरा दिन, पूछा तो पता चला कि वह पीहर में तो है ही नहीं तो गई कहां? मुकदमा दर्ज हुआ। एसएचओ को शिवरात्रि के दिन फोन लगाया, लक्ष्मण सिंह जी थानेदार को, भीनमाल के, उन्होंने कहा कि आज शिवरात्रि है और मैं शिवजी का प्रसाद पी रहा हूं तो हमने कहा, कोई बात नहीं पीने दो शिवजी का प्रसाद।

(समय: 15.54 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

दो-तीन दिन के बाद में मैंने फिर फोन किया तो एसएचओ साहब ने कहा कि मैं कोई अफीम की बैठक में बैठा हूं। एस पी साहब को फोन किया, एस पी साहब ने सही जवाब दिया, गलत नहीं होगा। जब एक एस डी एम ने ताबड़तोड़ वह रिपोर्ट दे दी कि इसको सर्च वारंट दे दिया, आपको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको पकड़कर लाओ। आज उस लड़की को पेश किया क्योंकि आज पुलिस की डिमांड थी। 15 दिन के बाद में उस लड़की को पेश किया, फिर एसपी साहब का आज टेलीफोन आया, मैं बाहर खाना खा रहा था, लड़की को एसडीएम साहब के पास भेज दो। 15 दिन के अन्दर लड़की को तो क्या जानवर को भी बहला-फुसला कर कहीं न कहीं पक्ष में कर देते हैं।

इस तरह की जो घटना हुई पुलिस थाना भीनमाल में, एक घटना करड़ा पुलिस थाने की है, वह भी हमारे भीनमाल के अंडर में आता है, +++ दुर्भाग्य है कि वह हमारे भीनमाल प्रधान की चाचा की लड़की या ऐसे ही कुछ सम्बन्ध में लग रही है। प्रधान का फोन आया कि मेरा मामला आज उठाना। मेरे पास प्रधान का फोन आया। इसकी बहिन गयी है। वह इधर ही है अभी। उसका फोन चालू है, उसका इंटरनेट चालू है। नामजद रिपोर्ट दर्ज है। नामजद रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस उसको पकड़कर लेकर नहीं आ रही है। ऊपर से वह लेकर जाने वाला धमकी दे रहा है। उसका नाम है मुकेश कांतिलाल। खुले आम धमकी दे रहा है कि जो करना है कर देना, मेरा कोई कुछ नहीं

(श्री पूराराम चौधरी)

बिगाड़ सकता। इसी प्रकार भीनमाल थानेदार को मैंने अभी फोन किया, उसके परिवार वालों को भेजो। एस.पी. साहब ने कहा कि उस लड़की जो जाकर भीनमाल थाने में जो +++ करके लड़की गयी थी, दुर्भाग्य यह है कि वह लड़की भी मेरे ससुराल की है और हम दोनों कांग्रेस व बीजेपी से आमने सामने लड़ते हैं, यह भी तकलीफ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, वह लड़की इनके ससुराल की है, यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य है।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): यह दुर्भाग्य इसी बात का है। माननीय एक हैड कांस्टेबल उसको धमकाता है। पारसाराम करके हैड कांस्टेबल है भीनमाल का। बोलता है यहां से चले जाओ, नहीं तो तुमको भी अंदर डाल दूंगा। मेरे पास फोन आया अभी बाबूलाल करके, उनका कोई रिश्तेदार है क्योंकि जो लड़की गयी उसका बाप शराबी था। वह शराब पीकर मर गया। उसकी मां थी, वह एक्सीडेंट में मारी गयी। आगे-पीछे वे ही हैं। उसका एक लड़का आठ साल का है, एक लड़की पांच साल की है, उसको साथ में लेकर गयी। ये है इस राजस्थान की पुलिस के हाल। अब बताओ पुलिस क्या करेगी? उस हैड कांस्टेबल के खिलाफ कुछ कार्यवाही करके, आज भी मैंने एस.एच.ओ. फोन लगाया है। बोला मैं तो जोधपुर में हूं, बोला कि आज तो अफीम नहीं खा रहा है मेरे बाप। बोला वो जाने, उसका काम करे। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप लोगों ने कार्यवाही नहीं की तो चाहे सरकार इधर की हो, चाहे उधर की हो, आया राम गया राम, कोई दूध का धुला नहीं है। मैं भी यह मान रहा हूं कि सारे पुलिस वाले चोर भी नहीं रहते और सारे पुलिस वाले ईमानदार भी नहीं हैं। ये जो निचले पुलिस वाले हैं ये ऊपर वालों को बदनाम करते हैं और उस एस.एच.ओ. को फोन करके कहेंगे कि आप मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो ऊपर से आया हूं। आपके लोग भी यही कहेंगे, हकीकत बात है। हमारी सरकार में भी यही होता था, मैं सही कहने वाला आदमी हूं। होता था थोड़ा-बहुत क्योंकि मामला पुलिस का है, हकीकत मामला है।

श्री सभापति: इस वक्त तो मिथ्या बोल ही नहीं सकते। इस वक्त तो जो कुछ बोलेंगे, सही बोलेंगे।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): सभापति महोदय, वास्तव में यह जो मामला है पुलिस का, इस पर यदि कंट्रोल नहीं किया गया, चाहे इधर की सरकार हो, चाहे उधर की सरकार हो तो आने वाले समय के अन्दर, समय

(श्री पूराराम चौधरी)

इतना खराब आ जाएगा कि बहन-बेटियों का रोड पर चलना पाबन्द हो जाएगा। रोड पर कोई लड़कियां, बच्चियां नहीं चलेंगी। हमारी बहन-बेटियां चल नहीं सकतीं। इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भीनमाल की घटना तो बहुत ही बड़ी खतरनाक घटना है। वास्तव में उस एसएच.ओ. को या तो सस्पेंड करें और हैड कांस्टेबल को, जो जवाब ही नहीं दे रहा है, मेरे से फोन, एम एल ए ने फोन किया कि उस लड़की को कम से कम पेश तो करो एस डी एम के सामने। पेशी करने के लिए ही तो कहा मैंने उसको और कुछ थोड़े ही कहा। ऐसे पारसाराम हैड कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाए। आज की जो घटना है, वास्तव में बहुत ही बड़ी भयानक घटना हुई है। तीसरी एक घटना हुई है पाली जिले की, मारवाड़ जंक्शन, ग्राम कराड़ी +++ उसके पैर काटकर कुछ अज्ञात लोगों ने, यह मुझे केसाराम जी ने दिया है, वह बाहर है, इसलिये।

(समय: 16.00 बजे)

दूसरी घटना हुई, माननीय सदस्य आ रहे हैं, उनके गांव की है। मारवाड़ जंक्शन का भी मामला है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, यह बिलकुल....

श्री सभापति: विराजिये। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सदस्य, आपके ऊपर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैंने मेरे खुद का भी तो कहा है। मैं इस बात का आपका समर्थन कर रहा हूं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे अपराधियों को, दस साल की लड़की को उठाकर ले गये। हकीकत यह भी कह रहे हैं, माननीय मारवाड जंक्शन से आने वाले सदस्य। एक्स एमएलए हैं, उन्होंने भी यही कहा।

श्री सभापति: आप चश्मा लगाकर देखते हो, तो उनको पता नहीं चलता कि आप इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): मैं तो आपकी तरफ ही देख रहा हूं। (व्यवधान) चश्मा लगाये, नहीं लगाये, मेरे को वैसे ही दिखता है।

श्री सभापति: पता नहीं चलेगा, आप इधर देख रह हो, उधर देख रहे हो।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, यह मामला बहुत ही गम्भीर है।

श्री सभापति: मामला गम्भीर कौनसा है आपका फोन नहीं उठाये वह गम्भीर है (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): दोनों बहुत गम्भीर हैं। एक, हमारे भीनमाल के प्रधान की बहन का अपहरण हुआ। पुलिस अभी तक नहीं पकड सकी, नामजद आरोपी है। दूसरा, +++ नाम की लड़की को लेकर आये, उसको बहला फुसला दिया। अब वह क्या करेंगे, अगर आत्महत्या करेंगे, उसका जवाबदार कौन होगा? इसलिये उस एसएचओ व हैड कांस्टेबल को सस्पैंड किया जाये। उसको जवाब देने का तरीका नहीं है। शिवरात्रि को फोन किया तो बोला मैं भांग पी रहा हूं। दूसरे दिन फोन किया, अफीम खा रहा हूं। पता नहीं, आज क्या कर रहे होंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): सभापति महोदय, उस पर सख्त कार्यवाही की जाये। एक और, यह पूरे राजस्थान का मामला है। कल कोटा की तरफ बरसात हुई थी, सबको पता है। कोटा से हम आ रहे थे। काफी माननीय सदस्य थे। पुलिस रोके, भले ही रोके। नाकाबन्दी होनी चाहिये, मैं भी इसके पक्ष में हूं। जब एमएलए की प्लेट लगी हुई है उनको कार्ड बताने के बाद भी कह रहे हैं कि नाकाबन्दी हो रही है। नाकाबन्दी हो रही है तो क्या अन्दर डालोगे क्या?

श्री सभापति: आप विराजिये। प्लीज, सहयोग करें। अभी मंत्री जी का स्टेटमेंट होना है, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, मुझे दो जगह रोका है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पुलिस ने इनको खुद को रोका है। (व्यवधान)

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): यह हकीकत है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): मेरे को एक जगह नहीं, दो-तीन जगह रोका है। (व्यवधान) दो-तीन जगह मुझे रोका है। बोले कि आपका ड्राइवर शराब पीये हुए होगा। (व्यवधान) मैं शराब पीने वाले के साथ कहीं जाता ही नहीं हूं।

(श्री पूराराम चौधरी)

तो बोले, आप शराब पीये हो। मैं शराब पहले पीता था, अभी पीता ही नहीं हूं, यह गारन्टी है, आप डाक्टरी करा सकते हो। (व्यवधान) पहले तो पीता था, मना कौन कर रहा है।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे एक ही आखिरी निवेदन है, पहले ब्रिटिश के जमाने में हमारे पुलिस थाना था मोदडा, आप भी वहां एक बार पधारे हुए हो। आशापुरी का बहुत बड़ा मन्दिर है। ब्रिटिश के टाइम का पुलिस थाना था। माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब ने उसको सीआई पोस्ट की थी, लेकिन पूरा थाना ही उठाकर दूसरी जगह डाल दिया। नम्बर एक, मोदडा को पुलिस थाना बनाया जाये। दूसरा, पुलिस चौकी, दासवा के पास कोहरा करके एक गांव है, उसमें पुलिस थाने दोनों 38 किलोमीटर के ऊपर-ऊपर हैं। एक पुलिस चौकी, एक पुलिस थाना खोला जाये।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): आपने समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: आबकारी थाना तो नहीं खोलना न। श्री गोविन्द राम मेघवाल।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की घटना है।

श्री सभापति: मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकार लिया। विराजिये, प्लीज। प्लीज विराजिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): उस महिला के बेरहमी से पैर काटकर अलग कर दिये गये।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। आप विराजिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी मुलजिम पकड़े जायें।

श्री सभापति: विराजिये, अंकित नहीं होगा। विराजिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): 000

शासकीय वक्तव्य

ओलावृष्टि से फसल खराबे की प्रारम्भिक सूचना

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): सभापति महोदय, सदन ने ओलावृष्टि के सम्बन्ध में चिन्ता की। राजस्थान में 6 ज़िलों में ओलावृष्टि हुई है। उस सम्बन्ध में मैं सदन को प्रारम्भिक सूचना देना चाहता हूं।

रबी फसल, सम्वत् 2078 में दिनांक 8.3.2022 को हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे की जिलों से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना। प्रदेश में 8.3.2022 को प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा एवं जोधपुर ज़िले में ओलावृष्टि होने की सूचना प्राप्त हुई है। ज़िलों से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना के अनुसार फसल खराबे की स्थिति निम्नानुसार है:-

जिला प्रतापगढ़ की तहसील प्रतापगढ़ एवं छोटी सादड़ी में ओलावृष्टि से 23 पटवार मण्डलों में 15-20 प्रतिशत फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है।

जिला राजसमंद की कुम्भलगढ़ एवं खमनोर तहसील में ओलावृष्टि हुई है। कुम्भलगढ़ तहसील के 18 पटवार मण्डलों में, अनुमानित 20 प्रतिशत तथा खमनोर तहसील के 5 पटवार मण्डलों में, अनुमानित 10 परसेंट फसल खराबे की सूचना प्राप्त हुई है।

जिला चित्तौड़गढ़ की राशमी, भदेसर व चित्तौड़गढ़ में ओलावृष्टि हुई है, किन्तु फसल खराबे की सूचना शून्य है।

जिला पाली की तहसील देसूरी एवं जैतारण में ओलावृष्टि हुई है। जैतारण तहसील के 36 पटवार मण्डलों में 15 से 25 प्रतिशत फसल खराबा एवं देसूरी तहसील में फसल खराबा शून्य है।

जिला जोधपुर की तहसील ओसियां व बिलाड़ा में ओलावृष्टि हुई है, किन्तु फसल खराबे की सूचना शून्य है।

जिला भीलवाड़ा की तहसील मांडलगढ़ एवं कोटड़ी में ओलावृष्टि हुई है। माण्डलगढ़ तहसील में 15 प्रतिशत फसल खराबा एवं कोटड़ी तहसील में 10 से 20 प्रतिशत खराबा हुआ है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर ही, एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार, किसानों को फसलों में 33 परसेंट या इससे अधिक खराबा प्राप्त होने पर प्रभावितों को कृषि आदान-अनुदान वितरण करने का प्रावधान है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय.....

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सवाल तो कर ही सकते हैं।

श्री सभापति: आप एक मिनट विराजिये। विराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ओलावृष्टि से...

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा। श्री हमीर सिंह भायल।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): 000

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्या, विराजिये। प्लीज, सहयोग करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, कल ओलावृष्टि हुई है, यह तो पूरे राजस्थान में, जगह-जगह हुई है। आज से पहले जहां बरसात होकर पाला पड़ा था, उसमें जोधपुर डिविजन में औषधि के रूप में जीरा होता है, वह नाजुक फसल है। भीनमाल से जालौर जिला, पूरा बाड़मेर...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप स्पेसिफिक जो भी कुछ पूछना चाहें, क्वेश्चन पूछें। यह डिबेट का तो कोई प्रकरण है ही नहीं।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मैं वह ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): ज्यादा गर्मी व हवा की मिलावट से जीरा की फसल चौहटन से लगाकर, समदड़ी से लगाकर, जैसलमेर से लगाकर, जहां भी जीरा की फसल थी, वह सारी नष्ट हो गयी। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि दूसरी जगह गिरदावरी हो गयी है। जीरा की फसल जो औषधि के काम आती है, यह फसल नष्ट हो गयी। इसकी गिरदावरी नहीं हुई है। तुरन्त गिरदावरी कराकर इसमें सम्मिलित किया जाये, ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हो जाये। अभी जो थोड़ा बहुत रहा है, कटिंग हो जायेगी, उसके बाद उसकी गिरदावरी भी नहीं होगी, इसलिये किसानों को राहत देने के लिये, इसकी गिरदावरी कराई जाये। सभापति महोदय, 80 परसेंट जीरा खराब हो गया है। किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, उसकी भरपाई के लिये। फसल बीमा कम्पनी है, जब तक यह

(श्री हमीर सिंह भायल)

गिरदावरी नहीं होगी, बीमा कम्पनी भी नहीं देगी, इसलिये इसको किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): सभापति महोदय...

श्री सभापति: सबका जवाब एक साथ ही दे देना।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, कल की ओलावृष्टि से मारवाड़ जंक्शन तहसील से 8-10 जो पहाड़ी क्षेत्र में गांव हैं, कोरसोल्यकान, जोजावर, बोरीमाता, फौलाद, खिवाड़ा, पनौता। देसूरी तहसील के भी कुछ गांव हैं। वहां कल शाम को ओलावृष्टि हुई है। रिपोर्ट आज नहीं आ सकती, इसलिये मेरा अनुरोध है कि दो दिन में सर्वे कराकर, वह रिपोर्ट मंगवाकर, फिर उन किसानों को किस तरह लाभ दिया जा सके। मेरा अनुरोध यही है।

श्री सभापति: श्री गोपीचन्द मीणा। श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय द्वारा जैतारण के 36 पटवार मण्डल में 15 से 25 प्रतिशत खराबा बताया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह अख़बार की कटिंग है, इसमें यह जो फोटो लगा हुआ है, इसमें खेतों में पानी भरा हुआ है। इसमें खेतों में पानी भरा हुआ है और आपके अधिकारियों ने आपको गलत सूचना दी है कि 15 से 20 प्रतिशत के करीब खराबा हुआ है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे साथ अधिकारी को भेजें। मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में 80 परसेंट के करीब फसल खराबा हो गया। कल जो ओलावृष्टि हुई है।

श्री सभापति: प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन रहेगा, आप अपने पटवारियों को, कृषि पर्यवेक्षकों को, मेरे साथ वहां भेजें। आप उचित गिरदावरी करवायें। जो वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिये, किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिला सके, राहत मिल सके। ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, उसका कारण मैं बताता हूं कि पटवारी हो या चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो या चाहे फसल बीमा वाले अधिकारी हों, यह कम्पनी वाले सारे मिलते हैं, एक दूसरे से सांठगांठ करते हैं और किसानों के हित के लिए जितना पैसा उनको फसल खराबे का मिलना चाहिए वह आपसी सांठगांठ करके वास्तविक रिपोर्ट बताते नहीं हैं, इसके कारण उसको फसल खराबे का नुकसान मिलता नहीं है।

मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि मेरे जैतारण क्षेत्र में जिन 36 पटवार मण्डल का जितना नुकसान हुआ है, उसकी वास्तविक रिपोर्ट मंगायें और उनको जितना नुकसान हुआ है, उस फसल का मुआवजा दिलाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, कल जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है, उसमें चित्तौड़गढ़ जिले में काफी नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, वहां पर अफीम (व्यवधान)

श्री सभापति: आप प्रश्न पूछिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): वहां पर अफीम की खेती होती है। अफीम की पूरी फसल तहस-नहस हो गयी है, पूरी हालत खराब है। आप जो गिरदावरी करवाने की बात कह रहे हैं, यह तीन तहसीलों में ही हुई है, दूसरी जगह नहीं हुई है। पूरे जिले में यह ओलावृष्टि हुई है। आप एक बार गिरदावरी पूरी करवायें, अच्छी गिरदावरी करवायें क्योंकि जितना भी गेहूं था वह नष्ट हो गया, सरसों थी वह नष्ट हो गयी और अफीम की खेती इतनी इम्पोर्टेंट खेती है, वह बिलकुल ही तहस-नहस हो गयी, यह पूरे जिले में हो गया है। एक बार आप कलेक्टर साहब के यहां से आदेश फरमायें, उसकी अच्छी गिरदावरी करवायें और एस.डी.आर.एफ. को छोड़कर सरकार के अपने फण्ड से उनको मुआवजा भी दिलायें क्योंकि अफीम की खेती ऐसी खेती है क्योंकि एक बार पट्टा कटने के बाद मिलता नहीं है, उनको वह पूरा देना पड़ता है अगर गिरदावरी सही से नहीं होगी तो हम लोगों के अफीम के पट्टे कट जायेंगे और लोग बेरोजगार हो जायेंगे इसलिए मेरी सरकार से इतनी ही गुजारिश है कि आप अच्छी गिरदावरी करवाकर उन लोगों को अच्छा मुआवजा मिल जाये। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्री महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि 08 मार्च को ओलावृष्टि की आपने प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एक दिन में यह गिरदावरी हो नहीं सकती। एस.डी.आर.एफ. के नोर्म्स हैं कि 33 परसेंट से कम होगा तो मुआवजा आप दे नहीं सकते तो आपकी प्रारम्भिक गिरदावरी हुई नहीं, यह 15 परसेंट, 22 परसेंट आपने किस आधार पर कर दिया? नम्बर एक बात।

नम्बर दो बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप, या तो स्पेशल गिरदावरी का आर्डर करो तब जाकर कोई बात सामने आयेगी। आज की तारीख में जीरा और अफीम की खेती खतम हो गयी है, यह बिलकुल बरबाद हो गयी। उस खेती का नेचर, स्वभाव ही ऐसा है कि इस ऋतु में थोड़ा सा पानी और थोड़े से ओले से ही वह नष्ट हो जाती है इसलिए आप विशेष गिरदावरी के आदेश फरमायें।

श्री सभापति: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि यह आपने भी माना और हमने भी माना कि ओलावृष्टि हुई है और उसके कारण से फसल खराबा हुआ है। अब यह है कि यह परसेंटेज कितना है और कितना नहीं है। यह तो एक अनुमानित आप कह रहे हो। मैं यह सोचता हूं कि किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हुए सही ढंग से यह गिरदावरी करवा लें और उसमें जो कुछ उनकी मदद हो सकती है, हमको मदद करने का मानस रखकर यह करना चाहिए।

मैं यह सोचता हूं कि विशेषकर चित्तौड़गढ़ जिले का जो माननीय सदस्य ने कहा कि यह जो अफीम की खेती है, यह एकदम ऐसी है और इस समय चीरे लगने शुरू हो गये, ऐसे समय में उस पर हलकी-फुलकी भी अगर ठंडक भी आ जायेगी तो उसकी जाम हो जायेगी वहीं की वहीं तो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। मैं सोचता हूं कि इसमें पक्ष और विपक्ष मत मानिये। हम सब लोगों का एक दिमाग रहना चाहिए कि यह तो हुआ है, ओलावृष्टि हुई है। अब उस ओलावृष्टि का सही आकलन करवाकर आपको जिन अधिकारियों को भी भेजना है, भेज दीजिए और उसमें किसान की मदद जितनी की जा सकती है, वह मानस रखकर इस काम को करेंगे तो मैं यह सोचता हूं कि इस तकलीफ से किसानों को आप और हम सब बैठकर मदद कर सकेंगे।

श्री सभापति: मंत्री महोदय।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले जोधपुर के सम्बन्ध में सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जीरा के सम्बन्ध में जो बात कही है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात की घोषणा की है और गिरदावरी के आदेश कर दिये गये हैं। प्रधान मंत्री फसल बीमा के आकलन का आदेश भी जारी कर दिया है।

दूसरा, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्दजी कटारिया साहब और राठौड़ साहब ने जो बात कही है यह बहुत ही गम्भीर बात है, मैंने एक शब्द यूज़ किया है प्रारम्भिक सूचना आयी है। यह बात बिलकुल ठीक है कि रात को घटना हुई तो अभी गिरदावरी की सूचना कैसे मिल सकती है? इनकी चिन्ता बिलकुल वाजिब है। अगर ये मुझे अलग से लिखकर देंगे तो भी ठीक अन्यथा जो सदन में इन्होंने यह बात रखी है, मैं बिलकुल आदर करता हूं। किसानों के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं।

पहले भी खरीफ फसल के मामले में 131 करोड़ रुपये पूरे प्रदेश में बांटा गया है। समय-समय पर जो भी ओलावृष्टि हुई है या चाहे बाढ़ आयी है, समय-समय पर किसानों के मामले में राज्य सरकार ने आदेश जारी करके आपदा विभाग ने बजट जारी किया है और मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि स्पेशल गिरदावरी के आदेश हमने दे दिये हैं और जैसे यह पूरी अगर इनको कहीं पर डाउट हो, जैसे यह जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने गम्भीर बात उठायी है कि वहां पर काफी नुकसान हुआ है, हम स्पेशल गिरदावरी करवायेंगे। पटवारी और जो भी यह कृषि पर्यवेक्षक इनको साथ लेकर मौके पर जायेंगे और हम यह चाहेंगे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। बजट की किसी तरह से कमी नहीं है, लेकिन जैसे उप नेता महोदय ने कहा कि 33 परसेंट की हमारी भी सीमा है क्योंकि भारत सरकार के यह नियम हैं तो हम यह चाहेंगे कि हमारी मौके पर जाकर विस्तृत इसकी जांच हो, स्पेशल गिरदावरी के माध्यम से यह पूरी रिपोर्ट आयेगी तो किसानों को पूरा लाभ दिया जायेगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अफीम वाला स्पेशल करवा दें, साहब।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): हां, अफीम भी साथ में है।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): बिलकुल चित्तौड़गढ़

(श्री गोविंद राम)

से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी है, मैं पूरे स्टेट की बात कह रहा हूं। चूंकि अभी भी मौसम 24 घंटे खराब रहेगा, उसका मैंने नहीं बताया है और भी जहां भी कहीं भी आपको डाउट हो बिलकुल हम सब किसानों के साथ हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम आपके सुझाव का आदर करते हैं और पूर्ण रूप से स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के हित में काम किया जायेगा, उसमें अफीम भी साथ में है। अफीम की भी जांच करवायेंगे।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। श्री अमित चाचाण।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): समय सीमा भी बताइये कि कितने समय में करवायेंगे?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): विद इन टाइम करवायेंगे।

श्री सभापति: विराजिये। चर्चा समाप्त।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 एवं 17 पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, यह स्लोगन कांग्रेस शासन काल में सार्थक हो रहा है। हमारी सेना सीमाओं पर खड़ी रहती है और हमारी पुलिस हमारे क्षेत्र में रहकर हमारी सुरक्षा मुहैया करवाती है जिसकी वजह से हम रात को चैन की नींद सो पाते हैं। चाहे आज किसी भी तरह का कोई धार्मिक उत्सव हो, मेले हों, चुनावी सभा हो, रैलियां हों या चुनाव हो, यह पुलिस ही है जो 24 घंटे मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए उन सबका सफल संचालन हो पाता है।

हालांकि, हम यह भी कहना चाहते हैं कि पुलिस विभाग में सभी लोग भ्रष्ट नहीं हैं और सभी ईमानदार भी नहीं हैं। अगर इस विभाग में जयकांत शिक्रे जैसे भ्रष्ट लोग हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बाजीराव सिंघम जैसे बहुत से बहादुर हमारे साथी भी हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है तो उसको संरक्षण देने का काम हम जन-प्रतिनिधि भी करते हैं,

(श्री अमित चाचाण)

यह भी मैं मानता हूं। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी से काम करें तो इनकी भी कोई औकात नहीं, चाहे वह पानी माफिया की बात करें, चाहे वह अन्य गैंगवार की बात करें तो वह किसी भी क्षेत्र में नहीं पनप सकते। अगर सरकार के जन प्रतिनिधि चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों और अधिकारी मिलकर काम करें तो हम इस राजस्थान में एक अच्छा सुशासन दे सकते हैं।

हमारे मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़ते हुए पुलिस विभाग को मजबूत करते हुए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। चाहे पूर्व के बजट में स्वागत कक्ष की घोषणा की बात करें या हमारी महिलाओं के मान और सम्मान के लिए हर जिला स्तर पर एक एडिशनल एस.पी. रैंक के अधिकारी की नियुक्ति की बात करें या इस बजट की हम बात करें, 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 500 पुलिस मोबाइल यूनिट चलाने की बात करें या हम बात करें Centre for Cyber Security के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से बनाने की घोषणा की बात करें। साइबर क्राइम जिसके लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि आज के इस दौर में, आधुनिक इस दौर में साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज डिजिटल धोखाधड़ी का दौर बढ़ता जा रहा है। चाहे हम बैंक की बात करें, अकाउंट की बात करें, चाहे वह भोले-भाले व्यक्तियों से फोन पर बात करके उनके खातों से पैसे निकालने की बात करें तो इस दौर में हमें साइबर थानों को आगे बढ़ाना होगा जिसके लिए मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक जिले में साइबर थाने खोलने की घोषणा की है, इसके लिए भी हम मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि समय का अभाव है, मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि इन्होंने इस बजट में मुझे फेफाना में चौकी को क्रमोन्नत करके थाने की सौगात दी क्योंकि यह जिले का बड़ा गांव और बोर्डर पर स्थित है, जहां हरियाणा बोर्डर लगता है, आपराधिक घटनाएं घटती रहती थीं, उसको संतुलित करने के लिए थाने में यह क्रमोन्नत किया।

इसके साथ ही, पिछले बजट में राजस्थान का एकमात्र ऐसा पुलिस थाना जो सिर्फ पानी चोरी रोकने का काम करेगा, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नोहर में इसकी घोषणा की और नोहर में उसका संचालन भी शुरू हो चुका है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं और मैं यह निवेदन करता हूं कि उसके लिए 6 बीघा भूमि का हमने आवंटन करवा दिया

(श्री अमित चाचाण)

है अत: शीघ्र ही उसमें अगर भवन का निर्माण किया जाता है तो पुलिस के जो भी अधिकारी वहां लगे हुए हैं उनको सुविधा होगी और पानी चोरी रोकने का वे काम कर सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा पवन व्यास हत्याकांड जो 2017 में धनतेरस के दिन घटा था और बड़ा खेद का विषय है, माननीय सभापति महोदय, एक ई-मित्र संचालक जिसकी पंचायत घर में दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी लेकिन उसका आज दिनांक तक खुलासा नहीं हुआ है। उसके परिवार के सदस्य नोहर से चलकर विधान सभा तक वे पैदल भी आये थे, बार-बार प्रतिनिधि मण्डल भी मिल चुका है पुलिस के उच्चाधिकारियों से, एस.ओ.जी. भी जांच कर चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक खुलासा न होना, यह बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है क्योंकि दिन्दहाड़े हत्या की गई थी, गांव के पंचायत घर में की गई थी तो यह नहीं हो सकता कि वह कातिल पकड़ा नहीं जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आप चाहे किसी भी तरह के संसाधन लगायें, किसी भी जांच एजेंसी को लगायें लेकिन उसका खुलासा होना चाहिए क्योंकि नोहर क्षेत्र की जनता इस बात से चिन्तित है कि उससे पूर्व 2009 में एक चक राजासर हत्याकाण्ड हुआ था। 13 साल गुजरने के बाद भी, चार सदस्यों की जो निर्मम हत्या हुई थी, उसका आज दिनांक तक खुलासा नहीं हुआ और जब सीबीआई की हम बात करते हैं, 2017 से सीबीआई भी जांच कर रही है लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक उसका खुलासा नहीं हुआ है।

इसके साथ ही, मेरे क्षेत्र का कांस्टेबल सुभाष चन्द हिन्दूमल कोट थाने में पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गयी और 2015 से आज तक लगातार वह कोमा में चला गया लेकिन आज दिनांक तक न तो उसको सैलेरी मिली, न कोई दवाई पानी का खर्चा मिल रहा है। मैं आपसे मांग करूंगा कि अगर इस तरह के प्रकरण और भी हैं तो उनको भी सरकार नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए उनको सैलेरी का भुगतान किया जाए या उनकी जगह उसके परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा।

इसके साथ ही पुलिस विभाग में यात्रा भत्ता और मैस भत्ता को बढ़ाया जाए। पिछली बार कांस्टेबल के लिए 10 परसेंट की वृद्धि की गई थी, लेकिन उसमें एसआई, एएसआई और सीआई वर्ग को वंचित रख दिया गया था

(श्री अमित चाचाण)

तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसके भी वेतन भत्तों को बढ़ाया जाए क्योंकि पुलिस चौबीस घंटे हमारी सुरक्षा करती है और हमारी व्यवस्था में लगी रहती है और जो चौबीस घंटे सेवा करते हैं तो उनका साप्ताहिक अवकाश भी होना चाहिए।

मैं पुन: आपके माध्यम से यही मांग करूंगा कि पवन व्यास हत्याकाण्ड का जल्द से जल्द खुलासा करें। इसके लिए सरकार एसआईटी का गठन करते हुए उसमें उच्चाधिकरियों को लगाये जिससे कि पंचायत घर में जो दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, उसके कातिलों को पकड़ा जा सके ताकि नोहर की जनता में एक बार पुन: पुलिस के प्रति विश्वास हो सके। पुन: आपका आभार, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्री बिहारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। पुलिस और कारागार पर डिमाण्ड है। पुलिस का नौजवान खाकी वर्दी पहनकर 12 से 18 घंटे की ड्यूटी करता है। उसके सेवाकाल में न इतवार है, न सरकारी छुट्टी है। सरकारी छुट्टी को भी वह 4 बजे उठता है। वर्दी लगाता है, बैल्ट लगाता है, जूते पालिश करता है और अपने ड्यूटी पाइन्ट पर जाता है और समाज तथा जनता के बीच में आदर्श बनकर खड़ा होने की कोशिश करता है। सरकारी महकमे तो और भी हैं, सरकारी कर्मचारी और भी हैं, वहां 52 रविवार की छुट्टियां भी हैं, 36 सरकारी छुट्टियां भी है, 12 सैकण्ड सेटरडे हैं, कुल मिलाकर 365 दिनों में सौ अवकाश हैं और वह 24X7 लगातार नौकरी करने वाला कार्मिक है। इस बात को अगर दो लाइनों में हम समझें तो, पुलिस जनता की सेवा के लिए त्यौहार और परिवार छोड़ देती है। पुलिस की पत्नी करवा चौथ का व्रत भी फोटो देखकर खोल लेती है। ऐसी कठिन और हार्ड ड्यूटी करने वाला पुलिस कार्मिक, और उसके बाद भी प्रदेश में हमारे लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति है कि महिला अत्याचार में प्रदेश अव्वल, दुष्कर्म के मामलों में प्रदेश अव्वल, दलितों पर अत्याचार में प्रदेश अव्वल, लॉ एण्ड आर्डर की ऐसी स्थिति बिगड़ी है कि उसके मूल में, उसके जड़ में और उसके कारण में हमें जाना होगा। तभी बजट के प्रावधानों से एक अच्छे प्रदेश के संचालन की संकल्पना को हम साकार कर पायेंगे।

बीकानेर का भास्कर कल लिखता है कि दो साल में बीकानेर के 27

(श्री बिहारीलाल)

थानों में दर्ज चोरी, लूट और डकैती के मुकदमों की पड़ताल, दो साल में 1.6 करोड़ पर हाथ साफ कर गये चोर लुटेरे, रिकवरी सिर्फ 35 प्रतिशत। चोरी के 349 मुकदमों में 65 प्रतिशत का पता नहीं लगा। कैसे इकबाल बुलन्द रहे। दो साल में लूट और चोरी की 226 वारदातें नहीं खोल पाई पुलिस। माल भी पूरा नहीं मिला। इनकी जड़ में हमें जाना होगा माननीय मंत्रीजी। पुलिस की फंक्शनिंग की जो मेन यूनिट है, जिसको हम पुलिस थाना कहते हैं, और इन आपराधिक गतिविधियों पर अनुसंधान अधिकारियों की स्थिति थानों में क्या है? नफरी जिस थानों में जितनी सेंक्शन हैं, उसकी आधी भी नफरी नहीं है। अनुसंधान अधिकारियों की बहुत बड़ी कमी है और माननीय सभापतिजी, उसकी बानगी देखिए कि सब इंस्पैक्टर उपलब्ध हैं 2675 और रिक्त हैं 2080, एएसआई उपलब्ध हैं 4973 और रिक्त 5149, हैड कांस्टेबल 16024 उपलब्ध हैं और 4334 रिक्त हैं और कांस्टेबल 59000 की नफरी है और 4000 के लगभग रिक्त हैं। कुल नफरी हमें बढ़ाने की जरूरत है और उसमें भी अगर अनुसंधान अधिकारियों की स्थिति ऐसी है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अपराधों पर हम अंकुश किस तरह लगा पाएंगे।

सभापति महोदय, राजधानी में कमिश्नरेट की स्थिति देखिए माननीय मंत्रीजी। 2013 के बाद आज तक कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के प्रमोशन नहीं हुए। 2016 से हैड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन नहीं हुए। 2015 से एएसआई से सब इंस्पैक्टर के प्रमोशन नहीं हुए और रेट, जो हमारा ट्रिब्यूनल है, उसने स्पष्टत: अधिकारियों को कहा है, प्रमोशन देने के आदेश भी किये और भर्ती की लापरवाही के लिए अधिकारियों को डांट भी लगाई है लेकिन हमारे अधिकारी रेट को तो कोर्ट ही नहीं मानते। जरूरतमंदों को वास्तव में प्रमोशन मिल जाना चाहिए था। थानों में अनुसंधान अधिकारियों की तादाद बढ़ जाती, कानून व्यवस्था और मजबूत होती, लेकिन अधिकारियों को इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। इसके लिए कौन दोषी है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी चाहिए।

राजधानी के थानों की यह स्थिति है तो हम प्रदेश के थानों की कल्पना कर सकते हैं सभापतिजी। बड़े अधिकारियों का प्रमोशन तो एक दिन भी लेट हो जाए तो हाय-तौबा मच जाती है और इन लोगों के आठ साल से प्रमोशन अटके पड़े हैं और थानों में नफरी की तो उल्टी गंगा बह रही है। थाना, जो मैन यूनिट है, जो लॉ एण्ड आर्डर को नियंत्रित करती है, वहां

(श्री बिहारीलाल)

नफरी होनी चाहिए वह तो आधी है, लेकिन जहां अधिकारी बैठे हैं, जहां सीओ बैठा है, जहां एसपी बैठा है, जहां कमिश्नर बैठा है, जहां डीजी बैठा है, वहां तो नफरी की संख्या और उपस्थिति दुगुनी है। थाने में अनुसंधान अधिकारी पांच हैं, उसको मानिटरिंग करने वाले 15 हैं तो एक आदमी काम करे, उसकी दिन में दस बार तो मानिटरिंग होती है। दस चीजें उससे मांगते हो तो जब संख्या नहीं बढ़ाओगे, प्रमोशन नहीं करोगे तो आप थानों की स्थिति कैसे सुधार पाओगे।

माननीय सभापतिजी, संसाधनों का बंटवारा, यह महत्वपूर्ण बात है, इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। सरकार बजट में संसाधन देती है, लेकिन संसाधनों का बंटवारा जिस तरह होता है, उस बंटवारे की धारा को बदलने की जरूरत है। संसाधनों का बंटवारा ऊपर से शुरू होकर नीचे तक आता है और जहां पहुंचना चाहिए मैन यूनिट है, वहां आते-आते वही खटारा जीप और वही टूटी-फूटी मोटरसाइकिल हिस्से में आती है। इसलिए इस बात को भी बदलने की जरूरत है कि संसाधनों का बंटवारा, अगर आप पुलिस का स्ट्रेंथन करना चाहते हो, राजस्थान पुलिस का इकबाल बुलन्द करना चाहते हो, लॉ एण्ड आर्डर मेनटेन करना चाहते हो तो आपको संसाधनों का बंटवारा भी नीचे से शुरू करके ऊपर तक ले जाना होगा। इस महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार को मैं इंगित करना चाहूंगा।

(समय: 16.27 बजे)

(श्री जे. पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, सरकार की मंशा थी कि स्वागत कक्ष विधायक कोष से बने इसलिए सभी विधायकों ने विधायक कोष से स्वागत कक्ष बनवाये। विधायक आपके संसाधन को और दुरुस्त करना चाहते हैं। हम एम्बुलेंस के रूप में व्हीकल देते हैं अस्पतालों में। हम एमएलए लैड से पुलिस को गाड़ी देने को तैयार हैं, लेकिन एमएलए लैड में संशोधन हमने हमारी कमेटी से, पंचायती राज की कमेटी से एक संशोधन सरकार को भेजा है तो सरकार उसमें संशोधन करे, एमएलए लैड में अनुमत करें तो संसाधनों के लिए एमएलए लैड काम आ सकता है।

पुलिस की बहुत सारी छोटी-छोटी मांगें हैं। एक-एक शब्द मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 करने के लिए राजस्थान के, इस सदन के सवा सौ से ज्यादा विधायकों ने

(श्री बिहारीलाल)

सरकार को लिखा है। दूसरे जो समकक्ष विभाग हैं, उनमें कार्मिकों की यह ग्रेड पे है इसलिए राजस्थान पुलिस के नौजवान की भी इस स्थिति को समझते हुए हमें 3600 ग्रेड पे करनी चाहिए।

प्रमोशन की बात मैंने कही, प्रमोशन समय पर करने चाहिए और 24X7, हार्ड ड्यूटी के लिए मिलने वाला हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी हमें बढ़ाना चाहिए। ड्यूटी का समय भी निर्धारित करना चाहिए। आठ घंटे, दस घंटे, सप्ताह में एक अवकाश की लम्बे समय से मांग चल रही है। हैडक्वार्टर इसके लिए कई कमेटियां बना चुका है तो उस पर भी हमें मंथन करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक अवकाश तो इन कार्मिकों को मिले। मैस भत्ते की बात हमारे साथियों ने की, वह भी बढ़ाना चाहिए। वर्दी भत्ता बढ़ाना चाहिए। कार्मिकों को इस बजट में मोटरसाइकिल की बात मुख्य मंत्रीजी ने कही तो निश्चित रूप से एक-एक थाने में दस-दस मोटरसाइकिल और प्रत्येक कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल को पैट्रोल-डीजल का अलाउंस मिले तो त्वरित कार्यवाही हेतु साधन से वहां जा सके। उप निरीक्षक के पद की आरपीएससी जो सीधी भर्ती कराती है, उसमें भी 20 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति से होना चाहिए क्योंकि सभी सर्विसेज में होता है तो फिर इसमें क्यों नहीं?

सभापतिजी, आरएसी की स्थिति, आरएसी में कम्पनियों का रोटेशन हर एक साल या हर दूसरे साल बदल दिया जाता है। कम से कम पांच साल का स्थायित्व तो उनको दीजिए और अगर आप एक साल में बदल देते हो तो कितने पारिवारिक कष्टों को वह आरएसी का जवान झेलता है। मानसिक संताप तो रहता है, उसको सत्ता पक्ष के साथियों को तो भुगतना नहीं पड़ता, हम विपक्ष के लोग तो आन्दोलन में जाते हैं, तो वह कितनी जोर से लाठी चलाता है, उसके संताप को भी समझने का काम आप करिए।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): दो मिनट का समय और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, आर.ए.सी. की स्थिति को सरकार सुधारने की कोशिश करे। हमारी आज कारागार पर भी डिमाण्ड है। गृह विभाग के अन्तर्गत पुलिस भी आती है, कारागार भी आता है, आर.ए.सी. भी आती है और नियमित नियोजन है फिर जेलकर्मियों को असमान वेतन क्यों? इस बात की ओर सरकार और मंत्रीजी ध्यान दें। जेलों से अपराध की बात उप-नेता प्रतिपक्ष, राजेन्द्र जी राठौड़ ने कही। यह लारेंस गैंग, 007 गैंग, गुठली गैंग, हड्डी गैंग, यह किस

(श्री बिहारीलाल)

तरह की गैंग हैं? राजस्थान की पुलिस अगर मजबूती से इरादा कर ले और एक जिले में, एक शहर में पांच-सात-दस लोगों का इलाज ढंग से कर दे तो दूसरे लोग सबक लेंगे और राजस्थान में अमन-चैन और भाईचारा कायम रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, होमगार्ड की स्थिति खराब है। मानदेय 10 प्रतिशत कोरोना काल में बढ़ाने का किया तो इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। इनकी भी लम्बे समय से मांग है। FSL की लैबोरेट्रीज की जो पेंडेंसी है, वह अब राजस्थान में बहुत चिन्ताजनक है। माननीय सभापति महोदय, सरकार FSL की लैबोरेट्री बढ़ाए या संसाधन बढ़ाए और रिक्त पदों को भरे तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आये तो कानून का न्याय सही समय पर मिले। अगर न्याय समय पर नहीं मिलेगा तो न्याय अन्याय के बराबर है।

माननीय सभापति महोदय, ए.सी.बी. की बात आयी। ए.सी.बी. ने राजस्थान में बहुत प्रभावी कार्यवाहियां की हैं और बड़ी-बड़ी कार्यवाहियां की हैं लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट कहती है कि हम भ्रष्टाचार में भी अव्वल स्थिति में हैं। इसके लिये ए.सी.बी. तो अपना प्रयास कर रही है मुस्तैदी से, लेकिन इसके लिये जिस तरह एक विचार सदन में आया कि हमें हमारे कार्मिकों का एक ओरिएंटेशन करना चाहिए, उनके नैतिक बल को मजबूत करने के लिए, उनमें इस बात को संचारित करने के लिये लगातार ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहने चाहिए ताकि हमारे कार्मिकों का समाज में भ्रष्टाचार के विरोध में उनका ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है। इन सब बातों को रखते हुए, माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को पूरी करना चाहूंगा मेरे नोखा क्षेत्र की दो-तीन बातों को लेकर। नोखा में हमारा एक पांचू थाना है, जो बहुत रिमोट एरिया में है और बहुत छितरी हुई और बड़ी आबादी का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। इसलिए मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए और इस सारी कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस पांचू थाने के अन्तर्गत कत्थू गांव में एक चौकी की स्थापना की जाए। इसके साथ ही, रेलवे स्टेशन पर जी.आर.पी. चौकी की स्थापना हो और महिला अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नोखा के अन्दर एक महिला थाने की भी स्थापना हो। माननीय सभापति महोदय, मैं, आपका पुन: बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इन सारी बातों पर गौर करें।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद अपने बजट भाषण में जिक्र किया कि देश में असुरक्षा का माहौल बना है। देश में असुरक्षा है तो प्रदेश इससे अछूता कैसे रह सकता है? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश की बात करूं तो राजस्थान की कानून-व्यवस्था और बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर जो हालात बने हुए हैं, वह हम सबके लिए चिन्ताजनक हैं। हत्या, बलात्कार, चोरी, नाबालिग से दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न, दलित अत्याचारों के मामलों में जिस तरह बढ़ोतरी हुई, उससे अपराध में राजस्थान, जो देश में कभी 23वें पायदान पर होता था, आज बिलकुल सर्वोच्च स्थान की ओर धीरे-धीरे आता हुआ दिख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय' यह जो स्लोगन हमारी पुलिस का रहा है, निश्चित रूप से कोरोना काल के अन्दर जिस तरह से पुलिस ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसमें जनता के अन्दर जरूर एक अच्छा मैसेज गया और आमजन के अन्दर पुलिस के प्रति विश्वास भी कायम हुआ।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2018 के लेकर वर्ष 2020 तक खनन माफिया, बजरी माफिया द्वारा राजस्थान में अधिकारियों पर जो हमले किये गये, ऐसे 274 प्रकरण दर्ज किये और माफियाओं की इतनी हिम्मत सिस्टम में बैठे लोगों की शह के बिना यह असम्भव है।

माननीय सभापति महोदय, कल हमने महिला दिवस मनाया, लेकिन प्रदेश में आज हमारी बेटियां, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। 01 जनवरी, 2019 से लेकर 31 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बलात्कार के 4,106 प्रकरण दर्ज हुए और 18 वर्ष से अधिक उम्र की बालिकाओं और महिलाओं के साथ बलात्कार के 8,179 मामले दर्ज हुए। इसी प्रकार 01 जनवरी, 2019 से लेकर 31 दिसम्बर, 2020 तक दलितों पर अत्याचार के मामलों पर अध्ययन किया था तो ऐसे 17,121 मामले राज्य में दर्ज हुए। महोदय, आखिर हम सबको यह सोचना है कि राजस्थान प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, नागौर जिले की यदि मैं बात करूं तो हत्या के वर्ष 2017 में 52, 2018 में 45, 2019 में 67 व 2020 में 48 मामले दर्ज हुए हैं। इसी प्रकार बलात्कार के वर्ष 2017 में 98, 2018 में 132,

(श्री नारायण बेनीवाल)

2019 में 170 व 2020 में 149 मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही चोरी, नकबजनी सहित अन्य गम्भीर अपराधों की बात करूं तो आंकड़े हम सबके लिये चिन्ताजनक हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमें पुलिस का जो नया एक्ट है, उसको हमें ईमानदारी से यहां लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 1965 का जो पुलिस एक्ट बना हुआ है, उस पर ही हमारी पुलिस कार्य कर रही है। माननीय सभापति महोदय, बोर्डर होम गार्ड के जवान आज आन्दोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अन्दर। पड़ोसी राज्य गुजरात में जो बटालियन का गठन हुआ, वह राजस्थान से 32 वर्ष बाद हुआ और वह नियमित हो गयी पर राजस्थान का जो बोर्डर होम गार्ड का जवान है, वह अभी भी इस चिन्ता में है और अपने भविष्य को लेकर चिन्तित है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इनके जो 2,664 जवान हैं, इनके नियमितीकरण की बात भी सरकार करे।

माननीय सभापति महोदय, ह्यूमन इंटेलीजेंसी की बातें बार-बार आती हैं। आज जिस कानून के मंदिर में हम लोग बैठे हैं, उसकी सुरक्षा का बहुत बड़ा दायित्व भी ह्यूमन इंटेलीजेंस पर है, लेकिन ह्यूमन इंटेलीजेंस की चौकियां धीरे-धीरे खतम कर दी गयीं, उनके पदों में बहुत कटौती की गयी। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमें निश्चित रूप से हम आई.टी. के अन्दर आगे बढ़ें, लेकिन, ह्यूमन इंटेलीजेंसी को हम दरकिनार नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, एस.ओ.जी. की बात यदि हम करते हैं तो संगठित अपराध को लेकर राजस्थान की विंग हमेशा जांच करती है लेकिन रीट भर्ती परीक्षा का जो मामला है, उसमें हमारी एस.ओ.जी. पर कहीं-न-कहीं बट्टा लगा है। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि ऐसी एस.ओ.जी., जिसके अन्दर सी.बी.आई. की बात, यदि हम राजस्थान की बात करें तो एस.ओ.जी. पर हमेशा आम व्यक्ति का विश्वास रहा है। इस विश्वास को हम वापस कैसे कायम करें, इस बात पर हमें गहन चिन्तन की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए। साल 2006 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। अदालत ने केन्द्र और राज्य सरकारों को पुलिस सुधार से जुड़े सात दिशा-निर्देश जारी किये। इन निर्देशों में पुलिस सुधार शुरू करने के लिये एक व्यावहारिक तंत्र का खाका प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी। मैं आपके

(श्री नारायण बेनीवाल)

माध्यम से मंत्रीजी जब जवाब दें, तब हम सब लोगों की एक ही मंशा है कि कैसे करके हमारा राजस्थान प्रदेश कानून-व्यवस्था के अन्दर पूरे देश के अन्दर एक नजीर बने। इन सबके ऊपर कैसे ट्रांसफर-पोस्टिंग की एक पालिसी बने, कैसे व्यक्ति कम से कम दो साल एक जगह काम करके अपनी बेस्ट परफोर्मेंस दे सके, कैसे जो अधीनस्थ जवान हैं, उनकी नौकरी को लेकर कई माननीय सदस्यों ने अलग-अलग मांग की, उन सब पर विशेष दिशा-निर्देश सरकार जारी करे।

माननीय सभापति महोदय, आज हालांकि केन्द्र सरकार ने कई दिशा-निर्देश जारी किये। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बार-बार ऐसी गाइड लाइन भी सरकारों को दी, लेकिन कहीं-न-कहीं वह धरातल पर खरी नहीं उतरी है और उसी के कारण पुलिस को कहीं-न-कहीं बदनाम होना पड़ रहा है। ऐसी सारी व्यवस्थाओं का एक बार पुन: विचार करके कोई ऐसी ठोस कार्ययोजना बनाएं।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी को 10 मिनट बोलने के लिये आसन से व्यवस्था दी थी।

श्री सभापति: कंटीन्यू बोलें आप।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): निश्चित रूप से हम यह उम्मीद करते हैं कि हम भी नये हैं, लेकिन कोई ठोस हमारे मन के जो उद्‌गार हैं, कहीं-न-कहीं आपको बताएंगे।

श्री सभापति: कमप्लीट करिए आप।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, जब अपराध की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं तो सरकार किस प्रकार से लोगों की सुरक्षा कर पाएगी। डीडवाना के पालोट, अलवर का गैंग रेप, बाड़मेर के आर.टी.आई. कार्यकर्ता अमराराम पर हमला सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर महिलाओं के साथ शर्मसार करने जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, उनके परिजनों को विशेष आर्थिक पैकेज मिले, इसके लिये भी सरकार को बजट में घोषणा करके सुरक्षित राजस्थान बनाने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। पुलिस की माफियाओं व चोरों से मिलीभगत कब रूकेगी, इस पर भी कुछ ठोस प्रावधान करने की जरूरत है, क्योंकि गत दिनों लुटेरों ने दिन-दहाड़े नागौर के मालगांव में डबल मर्डर करके बड़ी राशि लूटने की घटना को अंजाम दिया।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, अभी सादुलशहर से आने वाले माननीय विधायक ने ऑनलाइन एफ आई आर की बहुत बड़ी बात की लेकिन हमें सच को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में एक माननीय सांसद और केन्द्रीय मंत्री पर बाड़मेर के अन्दर हमला हुआ। उसको प्रिविलेज कमेटी के अन्दर चैलेंज किया और पूरे देश के अखबारों के फ्रंट के ऊपर यहां के डी.जी., यहां के चीफ सेक्रेट्री और सारे अधिकारियों की बाहर बैंच पर बैठे हुए फोटो आयी, उस दिन हम सबको शर्मसार होना पड़ा। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि यह महसूस करे कि जो मुख्य मंत्रीजी की ऑनलाइन एफ.आई.आर. की भावना है, उस पर यह खरे उतरें, ऐसी कोई ठोस कार्ययोजना कहीं-न-कहीं बने। पिछले साल सितम्बर में एक आरपीएस अधिकारी का अश्लील वीडियो देश और दुनिया में वायरल हुआ जिससे पूरी राजस्थान पुलिस को शर्मसार होना पड़ा। दुर्भाग्य इस बात का है कि जयपुर पुलिस आयुक्तालय के कई आईपीएस अफसरों के यह मामला संज्ञान में होने के बावजूद उन्होंने मामले को दबाने का प्रयास किया जबकि उनको न्यायोचित कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। बड़ा लेन-देन इस प्रकरण में हुआ ताकि मामले को दबाया जा सके। जिन्होंने वर्दी को दागदार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, वह शर्मनाक है।

मेरे क्षेत्र के बावण्डा में अक्टूबर, 2021 में हुए सुनील ताड़ा मर्डर काण्ड की बात करूं। सामने आया कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपराधियों तक पहुंचने के लिये तेल भराने के लिये रुपये मांगता है। जब तक गरीब परिवार वाले पुलिस की गाड़ी में तेल भराते हैं, अपराधी घटना करके भाग जाते हैं। यह एक घटना नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कमोबेश ऐसे हालात बने हैं।

आज मेरे गृह जिले नागौर की बात करूं तो जिस प्रकार पूर्व के जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल में सट्टे और मादक पदार्थों की तस्करी का कारोबार बढ़ा, उनका परिणाम लोग आज तक भुगत रहे हैं। नागौर में संस्थागत भ्रष्टाचार का एक ढांचा पनपा दिया। जिसमें पुलिस के ही लोग शामिल थे।

श्री सभापति: अब आप कन्क्लूड करिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि नागौर जिले के कोतवाली थाने में मालखाने से डोडा-पोस्त चोरी होता है, जिसका मुकदमा 432/18 दर्ज होता है। वहां उस समय जो थानाधिकारी थे, उनकी भूमिका निश्चित रूप से उसमें थी।

(श्री नारायण बेनीवाल)

उसके बावजूद आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन अधिकारी को डीवाईएसपी के पद पर लगा दिया। वहीं पुलिस विभाग के एक सब इंस्पेक्टर ने उन डीवाईएसपी पर बजरी माफियाओं से सांठगांठ करने के लिये दबाव बनाने का आरोप लगाया।

मैं यह बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि तंत्र में बैठे भ्रष्ट लोगों पर हम कार्यवाही करने के स्थान पर उनकी पदोन्नति करके, उनको फील्ड पोस्टिंग देंगे तो भ्रष्टाचार निश्चित रूप से बढ़ेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार जीरो टोलरेंस की बात कर रहे हैं। उसमें हम कभी खरे नहीं उतर पायेंगे। इससे भ्रष्ट अधिकारी का हौसला भी बढ़ेगा। सरकार को ऐसे संवेदनशील मामलों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है।

नागौर जिले के कोतवाली थाने में दर्ज डिस्काम कर्मी किरण शर्मा की हत्या का मामला हो, चाहे कुचामन थाने में दर्ज रश्मि गौड़ की हत्या का मामला हो या फिर पूरे पुलिस सिस्टम को शर्मसार करने वाला श्रीबालाजी थाने के अधिकारी को दिन-दहाड़े गाड़ी से कुचलकर चले गये, आज तक उन ब्लाइंड मर्डर केसों का खुलासा नहीं हो पाया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से मांग करूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें तो ऐसे ब्लाइंड मर्डर मामलों में अलग से किसी विशेष अधिकारी की नियुक्ति करके ऐसे मामले खोले जायें। इससे निश्चित रूप से आम जन में पुलिस की जो छवि है, वह सुधरेगी।

श्री सभापति: श्रीमती गायत्री त्रिवेदी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं एक-दो बात कहकर अपनी बात खतम करना चाहूंगा। एक तो इस कानून के मन्दिर में कानून तो बन जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। हो गया।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): लेकिन उनके एग्जीक्यूशन के लिये मैं निवेदन करूंगा कि एक तो हर थाने में 2-2 वाहन दें। मेरा विधान सभा क्षेत्र खींवसर भी बहुत लम्बा-चौड़ा इलाका है। थानों में नफरी भी कम है।

उसके अलावा पे ग्रेड भी 2400 से 3600 की जाये। नागौर जिला मुख्यालय पर एक एक्सीडेंटल थाना खोलने की घोषणा करें।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें ...(व्यवधान)

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर ...(व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा ...(व्यवधान) त्वरित कार्यवाही की आपसे मांग करूंगा।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): 5 मिनट का टाइम दिया है। अब हो गया। बैठ जाओ।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): जिस तरह से सेना के शहीदों को परिलाभ मिलते हैं, वैसे ही पुलिस के जवान की भी कहीं शहादत होती है तो उसको भी सेना के शहीदों की तरह ...(व्यवधान)

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, इनको बैठाइये। इनका समय हो गया है। बैठाइये आप ...(व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 पुलिस और मांग संख्या 17 कारागार पर चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस का ध्येय वाक्य, 'आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय' को लागू करने के लिये व्यापक कदम उठाये हैं। प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष का निर्माण कराया जिससे थाने में

(श्रीमती गायत्री त्रिवेदी)

आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्याओं को पुलिस कर्मी सुनकर उसका निराकरण करने में उसकी मदद कर सकें।

मेरी विधान सभा क्षेत्र के गंगापुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा हम्मीरगढ़ में थाना भवन का निर्माण कराने हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

मेरी विधान सभा क्षेत्र के रायपुर कस्बे में स्थित पुराने पुलिस थाना परिसर में कस्बा चौकी खोलने के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करती हूं। साथ ही यह भी बताना चाहती हूं कि थाना रायपुर एवं कारोई के थानाधिकारियों के द्वारा कार्यकर्ताओं सहित आम जन को आईपीसी की धारा 151 के तहत पाबन्द कर, उनको प्रताड़ित कर वसूली की जाती है। वहीं पारिवारिक मामलों में भी समझाइश नहीं की जाती है बल्कि उनको डरा-धमकाकर वसूली की जाती है। इस सम्बन्ध में आम जन द्वारा बार-बार इनकी शिकायत की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रही हूं कि इन दोनों थानेदारों को जल्दी से जल्दी वहां से हटाया जाये ताकि मेरी जनता प्रसन्न रहे। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का जो अवसर दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।

इस बजट सेशन में राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये पुलिस को एक अच्छी सौगात दी है। राज्य में और देश में क्राइम बढ़ रहे हैं विशेषकर साइबर क्राइम, उनकी रोकथाम के लिये प्रत्येक जिले में जो व्यवस्था की है, उसके लिये धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है, 'सेवार्थ कटिबद्ध' यानी सेवा के लिये हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। हर थाने में, हर जगह एक लाइन लिखी होती है, 'अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास'। अगर यह आदर्श वाक्य सही में डिपार्टमेंट के अधिकारी, कर्मचारी फोलो करते तो राज्य में और देश में जो दिक्कतें आ रही हैं और पुलिस पर जो अंगुलियां उठ रही हैं, वह नहीं उठतीं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने एक बार एक कहानी पढ़ी थी। इस कहानी में लिखा था कि देश आजाद होने से पहले अन्धा कानून हुआ करता

(श्री राजकुमार रोत)

था। उसमें लिखा था कि जो राजा होता था वह दिन में भी अपने सेनापति को कहता था कि यह दिन नहीं, यह रात है तो वह सेनापति कहता, यस सर, यह दिन नहीं रात है। वह सेनापति सारी सेना को कहता कि यह दिन नहीं रात है, तो सारी सेना भी यही कहती कि यस सर, यह दिन नहीं रात है। इस आजाद भारत के पुलिस विभाग में कहीं न कहीं यह शब्द आज भी प्रचलन में हैं और यह होता है। यह कटु सत्य है इसको स्वीकार करना पड़ेगा। विशेषकर पुलिस विभाग में यह चीज कहीं न कहीं देखने को मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी बहुल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर आजादी से पहले अंग्रेजों ने 1841 में भील कोर बटालियन की स्थापना की। उस इलाके में कानून-व्यवस्था बनाने के लिये, कब्जा करने के लिये अंग्रेजी शासन में कहीं न कहीं अवरोध आ रहा था। उन्होंने अपनी व्यवस्था लागू की। उन्होंने अपने सिपाही छोड़े लेकिन आदिवासी इलाके में उनको सफलता नहीं मिली। इस कारण से उन्होंने 1841 में भील कोर बटालियन की स्थापना की। वहां के जो भील थे, उनको 100 परसेंट उस भील कोर बटालियन में लिया गया। आदिवासी लोगों को विश्वास में लेकर के उस इलाके में कानून-व्यवस्था स्थापित की गयी।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन आज के समय में जो भील कोर बटालियन की परिभाषा और उद्देश्य था, वहां से हम भटक चुके हैं। उस बटालियन को इस आदिवासी इलाके से कहीं दूर छोड़ दिया है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग में कई कर्मचारी मानसिक तनाव में रहते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी चौबीसों घण्टे रहती है और जो वेतन मिलता है, वो वेतन भी उनके लिए और उनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अभी कुछ वृद्धि हुई है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे लेकिन फिर भी इतने से कहीं न कहीं उनकी जो आवश्यकता है वह पूरी नहीं हो पायेगी। उनकी वेतन वृद्धि, मैस भत्ता, उसमें वृद्धि की जाये और साथ ही उनको एक साप्ताहिक अवकाश देने का भी प्रावधान किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, हमेशा देखा गया है, चाहे इधर की सरकार हो या उधर की सरकार हो, आमने-सामने आरोप लगाते हैं, कोई आरोप लगाता है तो कोई तारीफ करता है लेकिन जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है उसमें कोई भी सरकार आये इतना सुधार नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की लाठी और पुलिस का कानून,

(श्री राजकुमार रोत)

गरीब-अमीर को देखकर चलता है। ये हर जगह हमको देखने को मिलेगा कि पुलिस की लाठी है, पुलिस का कानून है वो गरीब-अमीर को देखकर वो लाठी और कानून की कलम चलती है।

श्री सभापति: प्लीज कन्क्लूड कीजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी से हम दो विधायक हैं और मुझे आज अवसर मिला है और मुझे दस मिनट मिले हैं तो मैं कम समय में अपनी बात रख दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरी कुछ बातें हैं, मैंने जो बताया कि पुलिस की लाठी और पुलिस की कलम, गरीब-अमीर को देखकर चलती है। मैं हमारे इलाके के कुछ उदाहरण बताऊंगा कि हमारे अभी वर्तमान में साबला में एक महिला प्रधान है और महिला प्रधान ने अपने कर्मचारी से कैश बुक मांगी और कैश बुक मांगे जाने पर कर्मचारी द्वारा बदतमीजी की गयी और उसको जातिसूचक शब्द कहे गये। अब कर्मचारी की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया कि राजकार्य में बाधा डाली गयी और प्रधान की तरफ से भी मुकदमा दर्ज किया गया लेकिन उस मुकदमे में यह होता है कि एक महिला प्रधान के साथ बदतमीजी होती है और उसने जो मुकदमा दर्ज कराया उसमें एफआर देने की तैयारी कर ली गयी है और कर्मचारी की तरफ से महिला प्रधान पर राजकार्य में बाधा का केस दर्ज कराया गया था, वह अभी जारी है।

माननीय सभापति महोदय, 2 अप्रैल, 2018, पूर्व में जो सरकार थी उसमें एट्रोसिटी को लेकर पूरे देश में, पूरे राज्य में आन्दोलन हुए और हमारे डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने के सामने, थाने के जस्ट सामने घटना होती है, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में और वीडियो वायरल होता है, तलवार लेकर लोग खड़े होते हैं और एससी, एसटी के लोगों पर अत्याचार होता है, उनकी अंगुलियां और हाथ-पैर काट दिये जाते हैं लेकिन आज तक उस मुकदमे में कोई भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। भले ही पहले उधर की सरकार थी, आज इधर की सरकार आ गयी लेकिन उस मुकदमे को दो-तीन साल होने को आ गये लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में हर जगह बजरी को लेकर देखा जाये, भ्रष्टाचार को लेकर देखा जाये तो कहीं न कहीं ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं और उसी के अनुरूप हमारे इलाके में आसपुर थाने में पुलिस बजरी का ट्रक लेकर आ जाती है थाने में और कुछ लोग आते हैं थाने में और थाने

(श्री राजकुमार रोत)

में जितने कार्मिक होते हैं उनको डरा-धमकाकर थाने में से वह बजरी का डम्पर निकालकर लेकर भाग जाते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मैंने शुरू ही अभी किया है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके में एक घटना हुई थी डम्पर व बाइक सवार के साथ में और उसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गयी थी। वहां पर एक माहौल खड़ा हो गया और उसमें मुकदमा हो गया और उस मुकदमे में आज तक लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, धरियावद विधान सभा क्षेत्र में धरियावद थाने की घटना थी। कोविड काल में कोविड का कैसा फायदा उठाया। कोविड काल में एक मर्डर होता है, सरदार पिता लालसिंह जाति राजपूत, उस आदमी का मर्डर होता है और पुलिस उस आदमी की बॉडी को उठा लाती है और कहती है कि कोविड की वजह से मरा और उसका पुलिस ही दाह संस्कार कर देती है और परिवार तक कोई जानकारी ही नहीं। उसकी कोविड की कोई रिपोर्ट भी नहीं आयी थी और न ही निगेटिव, न ही पोजिटिव, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं मर्डर है, धरियावद थाने में हुआ था, सरदार पिता लालसिंह, इसकी जांच करायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने मांग उठायी थी एफएसएल रिपोर्ट को लेकर। हमारे धम्बोला थाना क्षेत्र के अन्तर्गत फरवरी 2021 में बसन्त डामोर की मौत होती है, उस व्यक्ति की मौत होने के बाद अभी तक कह रहे हैं यह आदमी वही था या नहीं था, एफएसएल रिपोर्ट आयेगी, एफएसएल रिपोर्ट आयेगी, इसकी आज तक एफएसएल रिपोर्ट नहीं आयी है। उस व्यक्ति के परिजन जो मरने पर क्रियाकर्म होता है वह क्रियाकर्म भी नहीं कर पाये हैं। माननीय सभापति महोदय, ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस मित्र और सीएलजी का विशेषकर गठन होता है। मैं विधायक बना और विधायक बनने के बाद कई थानों में हमने देखा, सीएलजी के कौन सदस्य होते हैं, जो थाना इलाका है उसमें जितनी जिसकी जनसंख्या है, वह किस-किस वर्ग के लोगों की जनसंख्या है उसके हिसाब से सीएलजी में सदस्य होने चाहिए। मैंने देखा और पूछा कि कितने सदस्य हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। आपका समय पूरा हो गया है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, मुझे दस मिनट मिले हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सीएलजी की बात कर रहा था कि जिस इलाके में जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुरूप एक तरफ नियम कहता है कि किसी पार्टी का पदाधिकारी सीएलजी का सदस्य नहीं होना चाहिए लेकिन अधिकतर थानों में जो सीएलजी के सदस्य हैं वो किसी न किसी पार्टी विशेष के लोग हैं, उनकी वजह से अपराध बढ़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस मित्र जो लगाये गये हैं, अच्छी बात है कि पुलिस मित्र होने चाहिए पुलिस को मदद मिले लेकिन वो उस पुलिस मित्र की ड्रेस में क्या काले कारनामे करते हैं, इनके बारे में कोई स्पष्ट गाइड लाइन नहीं है। एक बेरोजगार आदमी पुलिस मित्र लग गया, छह-सात साल तक रेगुलर वह काम कर रहा है, न उसको भुगतान दिया जा रहा है तो क्या वह फ्री में काम कर रहा है? वह काले कारनामों में लिप्त रहता है, वो शराब तस्करी करने वाले जैसे लोगों के टच में रहता है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य में, हमारे इलाके में भी देखा गया है कि चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे एसीबी का मामला हो, इसकी जिला स्पेशल टीम होती है। जो अपराध प्रवृत्ति के लोग होते हैं, विशेषकर भ्रष्टाचारी अधिकारी जो लोग होते हैं।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक मिनट का रहा है। मैं समाप्त करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र में जो पुलिस भर्तियां की जा रही हैं, इनमें कहीं न कहीं आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं, जो एससी, एसटी के लोग हैं, उनके साथ अन्याय किया जाता है। मैं एक भर्ती का हवाला देना चाहूंगा, 2019 में जो भर्ती हुई थी उसमें 197 कुल पद थे, उसमें से 158 पद अनारक्षित थे, उन अनारक्षित पदों पर एक भी रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति नहीं लिया गया। 2013 से अब तक कई भर्तियां हुई, कई भर्तियों में अनारक्षित सीटों पर रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को नहीं लिया गया।

श्री सभापति: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): यह कई बार देखा गया है, हमेशा अन्याय हुआ है उस इलाके के बच्चों के साथ, भले इधर की सरकार रही हो या उधर की सरकार रही हो। माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ बिन्दु रह गये थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं टेबल कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आदिवासी इलाके में दहेज प्रथा नहीं होती है लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से मुकदमे दर्ज होते हैं। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में एक काकरी डूंगरी की एक घटना हुई थी, उस घटना के द्वारा समाज में डर पैदा किया जा रहा है।

श्री सभापति: आप बैठें। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): 000

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, एक बार मेरा टाइम भी नोट कर लेना।

श्री सभापति: टाइम नोट होता है। काउंट भी होता है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जो कानून-व्यवस्था बिगड़ी है इन पिछले तीन-साढ़े तीन साल से, आप खुद भी जज कर रहे होंगे कि वास्तव में पूरे राजस्थान में जिस प्रकार जीते हुए एमएलए हो या चाहे हारे हुए एमएलए हो, पूरी कानून-व्यवस्था तहस-नहस हो रखी है। यूपी में जो चुनाव हुए हैं, उसमें कानून-व्यवस्था के आधार पर हम कल चुनाव जीत रहे हैं। बम्पर सीटें आ रही हैं और उसमें योगीजी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उन्होंने वहां पर कानून-व्यवस्था को बहुत सुधारा है। गहलोत साहब और उनके जो मंत्री बैठे हैं, इनको भी कानून-व्यवस्था कैसे सुधरे उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि अभी भी साल-डेढ़ साल का समय है, अगर आप सुधार देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राज्य में हत्याएं हुई हैं, दुष्कर्म हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, स्कूलों में छोटी-छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहां के गुरुजी कर रहे हैं, इनको भी देखने की जरूरत है। पुलिस के साथ जिस प्रकार से मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उनको धमका रहे हैं, अभी लेटेस्ट वीडियो डीजी साहब ने भी देखा होगा कि इनके थानेदार के साथ एक एमएलए ने क्या किया, कैसे किया और उसकी अभी तक

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई और कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवायी है, इसको भी देखने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में कानून-व्यवस्था को सुधारने की बात तो हम करते हैं पर यह तब तक नहीं सुधरेगी जब तक आप पुलिस को स्वतंत्र नहीं करेंगे, इसे राजनीति से दूर नहीं रखेंगे। जिस प्रकार से इन पर अंकुश लगाये हुए रखते हैं, थानेदार इनकी इच्छानुसार लगे, डिप्टी इनकी इच्छानुसार लगे, फिर तो उनको गाली-गलौच करना, दबाना स्वाभाविक ही है, इसको अगर आप देखेंगे तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार की बात करें तो मैंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में भी शिकायत की थी, मेरे वहां के परिवहन विभाग की, आरटीओ की, वहां पर 6 लेन और 8 लेन पर गाड़ियों को रोकते हैं बैरियर लगाकर और पैसे वसूल करते हैं, इससे आये दिन एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर बहुत से लोगों की डैथ हो गयी, आठ-आठ, दस-दस जनों की डैथ हुई है। इस

(समय: 17.00 बजे)

प्रकार का हुआ है और उन्हें कहते हैं कि आरटीओ साहब इस प्रकार मत करें, जैसे राजस्थान-एमपी बोर्डर है, वहां भी ओपनली लूट-खसोट हो रही है। वे कहते हैं कि एंटी करप्शन वालों को पैसा जाता है और ऊपर सीएम तक हमें पैसा देना पड़ता है। इस चीज को भी आप देखें। जितने सब मंत्री और एमएलए बैठे हैं, कभी भी जब वे हाईवे पर निकले होंगे तो उन्होंने आरटीओ की गाड़ी जरूर देखी होगी। जिस प्रकार वे पैसे लेते हैं, वह आपके सामने है, उसे भी आपको सुधारने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में एनटीपीएस का मामला बहुत होता है। उसमें एक धारा 29 होती है, उसके नाम पर, किसान कोई तस्कर नहीं हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, पर उनके यहां वास्तव में कोई छोटा-मोटा कुछ डोडा चूरा या अफीम पैदा होता है तो उसको मिलने वाले रिश्तेदार, कहीं खाने-खिलाने के लिये ले जाते हैं और उस प्रकार कहीं हाथ लग जाता है तो धारा 29 के नाम से उनके आठ-दस नाम डिटेन कर लेते हैं और फिर उनसे काफी पैसे वसूल किये जाते हैं। धारा 29 के लिये अपने यहां से राजस्थान सरकार केन्द्र को प्रस्ताव भेजे कि यह धारा खतम होनी चाहिये, क्योंकि जो एनटीपीएस के हाथ लग गया, उस तक तो ठीक है, पर वे दूसरों

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

को पकड़ते हैं। उसे भी आपको देखने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, पुलिसकर्मियों की बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

पुलिस प्रणाली में जनता के साथ व्यवहार कैसे सुधरे, आम चर्चा होती रहती है, आस-पास के लोगों से बातें भी होती हैं, पर जब तक वहां के थानेदारों, अधिकारियों का लोगों से संवाद अच्छी तरह नहीं होगा, वहां का माहौल नहीं सुधरेगा, क्योंकि वहां त्योहारों वगैरह पर झगड़े होते रहते हैं। इसे भी सुधारने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस थानों के मालखानों में काफी पुराना माल पड़ा है। अभी हमारे बेगूं थाने में भी काफी चोरी हो गयी। उस माल का 15-15, 20-20 सालों तक डिस्पोजल नहीं होता है। उसके कारण चोरियां भी होती हैं और अधिकारियों को दिक्कत भी आती है। पुराने मालखानों की गाड़ियां वगैरह भी काफी बेकार पड़ी हैं। उन्हें नयी गाड़ियां देनी चाहिये, क्योंकि पुलिस से ज्यादा तस्करों के पास अच्छी और बड़ी गाड़ियां होती हैं। उनके कम्पैरिजन में इनके पास पुरानी जीपें हैं। थानेदारों या डिप्टी साहब को अच्छी गाड़ियां कैसे उपलब्ध करवा सकते हैं, उसे भी देखने की जरूरत है। पुलिस कर्मचारियों का पेंशन भत्ता भी बढ़ाना चाहिये। उसे भी आप देखें।

माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक कांस्टेबल भर्ती में साइबर क्राइम का 10 परसेंट का रिजर्वेशन रखना चाहिये, क्योंकि कभी भी कोई बच्ची गुम जाती है या ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उसकी रिपोर्ट दो दिन तक नहीं आती है और तब तक तो वे लोग राजस्थान पार कर जाते हैं या बाहर चले जाते हैं। इसे भी आप देखें। साइबर क्राइम के अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल लगेंगे तो उस केस को जल्दी साल्व कर सकते हैं। इसे भी आप लोग देखें।

आज जो गवाहियां वगैरह होती हैं, वे न्यायालयों में न होकर, वहीं एक बार उसे ढंग से देख लें। इसे भी आप देखें। सभापति महोदय, पुलिस की नौकरी वास्तव में बहुत कठिन नौकरी होती है। उन्हें 24 घण्टे ड्यूटी पर रहना पड़ता है। उनकी ड्यूटी हम कैसे 8 घण्टे, 10 घण्टे, 12 घण्टे फिक्स कर सकते हैं, इस ओर भी ध्यान दें। जैसे दूसरी सर्विसेज में सैटरडे-संडे के साथ और भी कई छुट्टियां रहती हैं, वैसे पुलिस की कोई छुट्टियां नहीं रहती हैं। इस कारण उनके ड्यूटी आवर्स हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसका भी आप ध्यान रखें।

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

पुलिस की बहुत हार्ड ड्यूटी है। उनकी तनख्वाहें हम कैसे बढ़ाएं, कैसे उन्हें एक्स्ट्रा भत्ते हम दे सकते हैं, उनके खाने का भत्ता कैसे बढ़ सकता है, हार्ड अलाउंस कैसे बढ़ सकता है, इसे भी देखें। माननीय डीजी साहब भी यहां विराज रहे हैं, सीएम साहब से सिफारिश करके, उसे देखें। होम गार्ड के लोगों को ड्यूटी नहीं मिलती है और वे लोग काफी बेरोजगार भी हैं, क्योंकि उन्हें महीने में तीन-तीन, चार-चार ड्यूटीज मिलती हैं और वे लोग...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, अभी दस मिनट भी नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में हो जायेंगे दस मिनट।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, आप पहले ही टोक देंगे तो कैसे होंगे?

इन होम गार्ड्स को महीने में 15 दिन ड्यूटी कैसे मिले, उसे भी आप देखें, क्योंकि उन्हें पैसे भी कम मिलते हैं, तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है। कैसे न कैसे उनके बारे में सोचकर उन्हें परमानेंट करने की कोशिश करें। महीने में 15 से 20 दिनों की उन्हें ड्यूटी मिले। उन्हें पुलिस की वर्दी देने जैसी कोई घोषणा सरकार करे।

माननीय मंत्री महोदय आज यहां मौके पर नहीं हैं। दूसरे मंत्री जी बैठे हैं। उन्हें हम सिफारिश करेंगे कि उन्हें हम क्या दे सकते हैं। उसे देखें। पुलिस महकमे में बहुत-से ऐसे अधिकारी भी मेरे यहां लगे हुए हैं, जो खुद तस्करी करते हैं और कोर्ट से, थाने से बरी होकर वापस आ जाते हैं। डीजी साहब भी विराजे हैं, डीजी साहब, उसका भी आप ध्यान रखें। ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से कैसे हटाया जा सकता है, उसे भी आप देखने की कोशिश करें। उसके बारे में भी सोचें।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, बहुत-से अधिकारी लम्बे टाइम से जमे हुए हैं। कई थानेदार एक ही जिले में लम्बे टाइम से जमे हुए हैं, कोई डिप्टी साहब जमे हुए हैं तो वे वहां प्रोपर्टी का धन्धा करना चालू कर देते हैं। उसका भी आप ध्यान रखें। प्रोपर्टी का धन्धा भी इतना करते हैं कि वे पूरा ठेका ले लेते हैं। इसे भी आप देखें, डीजी साहब।

श्री सभापति: आप इधर बात करिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): बहुत-से अधिकारी प्रोपर्टी का धन्धा करके लम्बे टाइम तक वहीं जमे रहते हैं और लम्बे टाइम तक लूट-खसोट करते हैं, उनका उन जिलों से स्थानान्तरण करके उनकी प्रोपर्टी के, जमीनों के विवाद इस तरह के अधिकारी सुलझाते हैं, उनको भी आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। जब से यह सरकार बनी है, उसमें अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी मंत्रियों और एमएलएज के कंट्रोल में काम कर रहे हैं। इससे वे अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें थोड़ा स्वतंत्र करें। जिस प्रकार की लूट-खसोट और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: कृपया सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि अधिकारियों को आपको एड्रेस नहीं करना है। आपको एड्रेस करना है हाउस को। श्री गिरधारीलाल जी।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। आजादी के बाद कानून-व्यवस्था पर सदन और संसद में चर्चा होती आयी है। प्रदेश में जब-जब सरकारें आयी हैं, चाहे कांग्रेस की आयी हैं, चाहे बीजेपी की आयी हैं, सदैव कानून-व्यवस्था सुधारने की बात हुई है, मगर रोजाना अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, विशेषकर जहां राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं। पहले मैं वहीं से शुरू करता हूं।

सभापति महोदय, प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा राज्य में राजनीतिक द्वेष से राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज किये गये थे, जिनमें माकपा, भाकपा, बसपा, कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजस्थान में तीन साल से ज्यादा कांग्रेस को सत्ता में आये हो गये हैं, फिर भी साधारण कार्यकर्ता तो दूर, इस सदन के सम्मानित सदस्य, जो यहां विराजमान हैं, उन पर भी गत भाजपा सरकार ने जो असत्य मुकदमे बनाये थे, आज दिनांक तक भी कांग्रेस की सरकार खुद अपने ही विधायकों के मुकदमे वापस नहीं ले पायी है।

सभापति महोदय, इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि भाजपा के राज में भाजपा के कार्यालय से किसी कार्यकर्ता ने भी अगर गृह मंत्री या पुलिस अधिकारी को मुकदमे वापस लेने के लिये चिट्ठी लिख दी तो वे मुकदमे वापस हो जायेंगे। सभापति महोदय, अत:

(श्री गिरधारीलाल)

मेरा सरकार से आग्रह है कि राजनीतिक द्वेष के कारण जन आन्दोलनों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर असत्य मुकदमे वापस लिये जाएं। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि किसान आन्दोलनों में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो पिछले तीन सालों से मुकदमे लगे हुए हैं, उन्हें भी तुरन्त वापस लिया जाये।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र का गांव रीड़ी एक बड़ा कस्बा क्षेत्र है। रीड़ी गांव के नजदीक के दायरे में 40-50 गांव हैं। आपराधिक दृष्टि से इस क्षेत्र में यहां कई घटनाएं हुई हैं। यहां आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस थाना खोला जाये। अत: मेरी सरकार से मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांव रीड़ी में एक पुलिस थाना खोला जाये। सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों- धर्मास, अड़सर, कीतासर, कुंटोर आथूणी में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये इस क्षेत्र में पुलिस चौकी स्थापित की जाये।

सभापति महोदय, विधान सभा के सत्र के दौरान भिन्न-भिन्न राजनीतिक, विद्यार्थी, कर्मचारी एवं अन्य संगठन अपनी मांगों को लेकर विधान सभा पर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने के उद्देश्य से आते हैं, किन्तु पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को विधान सभा के नजदीक आने की अनुमति नहीं दी जाती, जिससे संगठनों को ऐसा लगता है कि सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरा सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह है कि लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन के लिए पहुंचने वाले भिन्न-भिन्न संगठनों के प्रदर्शनकारियों के लिए विधान सभा भवन के नजदीक स्थान चिह्नित करके विभागीय पहल की जाये ताकि प्रदर्शनकारियों को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का एक अच्छा मंच मिल सके। इससे सरकार के सुशासन का सन्देश आमजन तक जा सके।

सभापति महोदय, प्रदेश के पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भिन्न-भिन्न पद रिक्त पड़े हुए हैं जिससे कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश भर में पुलिस विभाग के तमाम कार्यालयों में सभी पदों को तुरन्त भरा जाये ताकि वर्तमान में कार्यरत पुलिसकर्मियों को भी अतिरिक्त कार्यभार से राहत मिल सके।

साथ ही, मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के स्थानान्तरण की नीति कांस्टेबलों के लिए मानसिक परेशानी का सबब बनी हुई

(श्री गिरधारीलाल)

है। अपने गृह जिले में 15 साल तक स्थानान्तरण नहीं करवा पाने की बाध्यता से पुलिस कांस्टेबल अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं।

श्री सभापति: कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): एक मिनट। मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के पुलिस कांस्टेबलों की पीड़ा को समझते हुए पूर्व की भांति गृह जिले में स्थानान्तरण के लिए 7 साल का किया जाये।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट और बोलूंगा। सभापति महोदय, जेलों में बन्दियों को जेल मैन्युअल के अनुसार खाने के अलावा अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जेल में बन्दियों के लिए खाने-पीने की सुविधा के लिए विभाग के अधिकारी खानापूर्ति कर रहे हैं जबकि वास्तव में जेल में बन्दियों को जेल मैन्युअल के अनुसार सुविधा नहीं मिल रही है, अतः सरकार से आग्रह है कि प्रदेश की जेलों में बन्दियों को जेल मैन्युअल के अनुसार ही खाने-पीने के अलावा अन्य सुविधाएं दी जायें।

सभापति महोदय, श्रीडूंगरगढ़ के सेरूणा थाना क्षेत्र के सम्बन्धित अपराधियों को कोर्ट की पेशी के लिए बीकानेर कारागार से श्रीडूंगरगढ़ लाना पड़ता है जिससे अवांछित घटना होने की आशंका बनी रहती है। अतः सरकार से मेरी मांग है कि श्रीडूंगरगढ़ में नवीन उप खण्ड कारागार खोला जाये। प्रदेश के ज्यादातर कारागारों में बन्दियों के अनुपात में बैरक नहीं बने हुए हैं जिससे एक ही बैरक में एक साथ कई बन्दियों को रखना पड़ता है। मेरी मांग है कि प्रदेश भर के कारागारों की रिपोर्ट लेकर बन्दियों के अनुपात में बैरकों की संख्या बढ़ायी जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

सूचना

मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कल 11 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार हो गया। मैं सदन से, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि पुलिस हालांकि कार्यवाही कर रही है, लेकिन मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ी उसमें गति प्रदान करें। एक-दो लोगों को बुला रखा है, लेकिन तुरन्त मुलजिम को पकड़ा जाये।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मुझे मांग संख्या 16 और 17 पुलिस के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जिस तरह से आज पक्ष-विपक्ष सभी पुलिस की कुछ बड़ाई कर रहे थे, कुछ बुराई कर रहे थे उस पर मैं बोलना चाहूंगी। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहूंगी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में टिमेड़ा बड़ा में नवीन चौकी खोलने की घोषणा की। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

मेरे कसारबड़ी क्षेत्र में 2012 से पुलिस चौकी है उसको क्रमोन्नत थाना किया जाये क्योंकि यह मध्य प्रदेश व गुजरात की सीमा से लगता हुआ एरिया है और आये दिन चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। मेरी यह मांग है कि जिस तरह से अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चौकी की घोषणा की है और यह पहले से चौकी है तो इसको थाने में क्रमोन्नत किया जाये। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि मेरा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो तीन सीमाओं से लगता हुआ है। वहां छोटी सरवा में आये दिन चोरियां हो रही हैं, लगातार चोरियां होती जा रही हैं पर आज तक इन चोरियों को पकड़ा नहीं गया है तो मेरी मांग है कि छोटी सरवा में एक चौकी खोली जाये।

मेरे सज्जनगढ़, कुशलगढ़ व पाटन थाने हैं, उनमें पुलिस कांस्टेबल बहुत कम हैं। आये दिन वहां घटनाएं होती जा रही हैं पर हमारे जवान समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि थाने में पर्याप्त स्टाफ नहीं है इसलिए घटना घटने के बाद वे पहुंचते हैं और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। मेरी मांग है कि हमारे पाटन, कुशलगढ़ व सज्जनगढ़ जो थाने हैं उनमें पर्याप्त कांस्टेबल दिये जायें।

सभापति महोदय, हमारा इलाका आदिवासी बहुल है। दुखद घटना है जो मैं आपको कहना चाहती हूं। 2020 में राहुल पिता वरसिंह निवासी गलधर की 4 अप्रैल, 2020 को हत्या की गयी, परन्तु वरसिंह जो इनके पिता हैं,

(श्रीमती रमीला खड़िया)

उन्होंने एफआईआर दर्ज करायी और आज दो साल होने को आ गये और अपराधियों के नाम सहित देने के बाद भी आज तक उसकी चोरी पकड़ी नहीं गयी। उन्होंने सबूत दिया था, उनका मर्डर करके तीन फीट, चार फीट कुएं में दो-तीन फीट पानी में डाला गया और पुलिस यह बता रही है कि पानी पीने से उसकी मौत हुई है। उस क्षेत्र में एक शादी थी। उस शादी में मैं जाकर आ रही थी तब मौके पर मैने देखा कि वहां पुलिस क्यों इकट्ठी है तो मैं भी वहां पहुंची थी। मैंने खुद ने मौके पर जाकर देखा, वह एक जवान लड़का था। उसके घर में अब तक चार मौतें हो चुकी हैं, पर नाम सहित देने के बाद भी उन परिवारों को आज तक शान्ति नहीं मिली और चार मर्डर हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत कराना चाहूंगी कि जिस तरह से ये अपराधी आये दिन बढ़ते जा रहे हैं उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे जो मरने वाले हैं उनकी आत्मा को शान्ति मिले। मैं आपसे निवेदन करती हूं और मेरी बात सदन के सामने रखती हूं, प्रशासन यहां सामने है तो वह तत्काल प्रभाव से उसमें संज्ञान ले।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में थाना बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है और एक भी महिला कांस्टेबल मेरे थाने में नहीं है। कभी ऐसी कोई घटना सामने आती है तो हमारे पुलिस प्रशासन को रात के समय बांसवाड़ा से महिला कांस्टेबल को बुलाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि हमारे कुशलगढ़ में एक महिला थाना खोला जाये, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात से लगता हुआ एरिया है। मैं आपके माध्यम से यह बात रखती हूं कि इस बात को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लें। जिस तरह से एक हत्या का मामला और सामने आया है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें, प्लीज। आप बोलिये।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं के हॉस्टल हैं। बालिकाओं के हॉस्टलों के पास दारू के अड्डे चल रहे हैं। उनको आज तक बन्द नहीं किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है। सभी अधिकारी एक जैसे नहीं रहते हैं। एक अधिकारी खराब रहता है तो पूरे थाने को बदनाम करता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, हॉस्टलों के आसपास दारू के अड्डे चल रहे हैं। उनको तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाय, क्योंकि हमारी बहन, बेटियां कोरोनाकाल से पीड़ित हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं और आये दिन वहां अजीब घटनाएं घटित हो रही हैं।

(श्रीमती रमीला खड़िया)

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस तरह के जो शराब के अड्डे हैं, जो हॉस्टल के पास में हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाय।

जिस तरह से हमारी पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम रात-दिन जिस तरह से सोते रहते हैं और ये जागते रहते हैं, 24 घन्टे ड्यूटी निभाते हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): अधिकारियों की तनख्वाह, पेंशन बढ़ायी जाय। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, आपने मांग संख्या 16 व 17, पुलिस व कारागार पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश में मजबूत कानून-व्यवस्था देना। प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हो, भय मुक्त हो, आमजन में विश्वास हो, निडर व भय मुक्त होकर आमजन काम करे।

राजस्थान में कांग्रेस की तीन वर्षों से सरकार है। यह सरकार कानून व्यवस्था बनाये रखने में बिलकुल विफल साबित हो रही है। अपराध बढ़ रहे हैं। पुलिस सरकार के अधीन है। पुलिस की मिलीभगत के बिना अपराधी अपराध करने की हिम्मत नहीं करता है। पुलिस की कार्यप्रणाली से अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। अपराध पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

प्रात: जब हम अख़बार पढ़ते हैं तो सुबह अखबारों में खबरें आती हैं। पूरा अख़बार रेप, मर्डर, झगड़े, चोरी जैसी घटनाओं से भरा रहता है। छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिला अत्याचार में राजस्थान देश में नम्बर एक पर आ गया है। खराब कानून-व्यवस्था में राजस्थान पूरे देश में दूसरे नम्बर पर है। एससी, एसटी अत्याचार में राजस्थान पूरे देश में तीसरे नम्बर पर है।

राजस्थान में कई तरह के माफिया पनप गये हैं। वर्तमान में माफिया ही राज चला रहे हैं। खनन माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, भू-माफिया, गैंगवार, लूटमारी, डकैती, नशीले पदार्थों के माफिया, बाइक चोर माफिया, घर व मन्दिरों में चोर माफिया, पुलिस को सख्ती बरतकर इन माफियाओं को रोकने की जरूरत है।

(श्री जोराराम कुमावत)

मैं मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो पिछले एक साल में सुमेरपुर क्षेत्र में विभिन्न मन्दिरों व घरों में ताले तोड़ने की खूब सारी घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने आज तक एक भी चोरी की घटना नहीं खोली है। सुमेरपुर में युवा पीढ़ी में आजकल हेरोइन और चरस की तरह एक नया नशीले पदार्थ का सेवन चल रहा है। एमडी नाम का नशीला पदार्थ वहां सुमेरपुर में धड़ल्ले से बिक रहा है। मेरे ख्याल से पुलिस की मिलीभगत के बिना यह सम्भव नहीं है। एक ऐसा गिरोह है, जो एमडी नाम का पदार्थ धड़ल्ले से बेच रहा है।

भ्रष्टाचार भी पुलिस विभाग में चरम सीमा पर है। यदि भ्रष्टाचार कम हो तो लोगों को सही रूप से न्याय मिलने की सम्भावना रहती है। पाली जिले में वर्तमान में खूब सारी अपराध की घटनाएं हो रही हैं।

पिछले तीन साल में पाली जिले में 20 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। अभी मेरे सुमेरपुर विधान सभा क्षेत्र में पिसावा गांव में पिछले महीने 10 वर्ष की एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर उसी गांव के एक युवक ने मारकर कुएं में डाल दिया।

2016 में नेतरा गांव के स्कूली छात्र मनोहर राजपुरोहित का अपहरण एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया। पुलिस 5 वर्षों में भी मनोहर का पता नहीं लगा पायी है। सीआईडी-सीबी को यह केस सौंपा, लेकिन सीआईडी-सीबी भी उस केस को नहीं खोल पायी। सरकार को लगा कि पुलिस व सीआईडी-सीबी फेल हो रही है। तब उन्होंने इस प्रकरण को सीबीआई को सौंपकर इतिश्री कर दी जबकि अपहरण के मामले की जांच कर सुलझाने की जिम्मेदारी राजस्थान पुलिस की है, लेकिन सीबीआई को सौंपकर इतिश्री कर ली।

अभी पाली जिले में एक-दो घटनाएं और हुई हैं। दिनांक 07.03.2022 को पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन के गांव कराडी में पानी देवी, नारायणलाल नाइक, जो खेत पर लकड़ियां लेने गयी थी। उसकी गर्दन व दोनों पैरों को काट दिया। अज्ञात व्यक्ति निर्मम हत्या कर पैरों में पहने हुए कड़ों को लेकर फरार हो गये। इसी तरह की एक घटना दिनांक 08.03.2022 को पुलिस थाना सिरियारी, ग्राम जोजावर में स्कूली छात्रा +++ उम्र 10 वर्ष, स्कूल की छुट्टी होने के उपरान्त पुलिस चौकी के पास बैठी थी। एक अनजान मोटरसाइकिल सवार आया। उसे घर छोड़ने का कहकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर सुनसान जगह पर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म करके फरार हो गया। उसके ऊपर भी पुलिस ने अभी तक कोई अच्छी कार्यवाही नहीं की है।

(श्री जोराराम कुमावत)

आज दिनांक 09.03.2022 को पुलिस थाना मारवाड़ जंक्शन के भगवानपुरा में सुबह करीब 9 बजे अपने कुएं पर, नवोडा खेत पर एक महिला काम कर रही थी। तीन अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर आये। उसके कानों में पहनी हुई टोटियां, नाक में पहनी हुई फैणी तथा गले में पहनी हुई कण्ठी लूटकर उसे मारने लग गये। मगर पास में कुछ दूरी पर खड़ी महिला लट्ठ लेकर दौड़ी तो लूटकर के वहां से भाग गये। अगर महिला नहीं आती तो उस महिला की भी हत्या हो जाती। इस तरह की लूट, हत्या और रैप की घटनाएं पाली जिले में खूब सारी हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकें और कानून-व्यवस्था बनाने में मदद करें। माफियाओं पर नकेल कसना और कानून-व्यवस्था बनाना पुलिस का काम है। पुलिस अपना कर्तव्य समझे, पुलिस किसी के दबाव में नहीं आये और समाज में शान्ति और सौहार्द्र का माहौल कायम करने में मदद करे।

पुलिस ने कई अच्छे काम भी किये हैं। कोरोना के समय में पुलिस की सेवा पूरे राजस्थान में सराहनीय थी, पूरे देश में सराहनीय थी। उस सेवा के लिए भी मैं इस अवसर पर पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा। पुलिस और भी कई अच्छे काम करती है। जैसे एक्सीडेंट का कोई मामला होता है तो एक्सीडेंट के मामले में पुलिस हमेशा निष्पक्ष होकर के पीड़ित पक्ष की मदद करती है। उसके लिए मैं पुलिस के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार में बैठे कई अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं। उनको प्रोत्साहन देने की जरूरत है। उनको सम्मानित करने की जरूरत है। जो बेईमान अधिकारी हैं, उनको सज़ा देने की भी जरूरत है।

आज मांग संख्या 16 व 17 में, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग रखता हूं मणिहारी खौड व चाणोद में वर्तमान में जो पुलिस चौकी है, उसे क्रमोन्नत करके पुलिस थाना करवाने की मांग करता हूं। ढोला में एक नया पुलिस थाना खोलने की मांग करता हूं। सुमेरपुर में विवेकानन्द बस स्टैण्ड पर अस्थायी पुलिस चौकी चल रही है। उसे स्थायी करवाने की मांग करता हूं। टेवाली कलां व टेवाली खुर्द दोनों एक ही गांव है, लेकिन पुलिस थाने दो हैं। एक का गुड़ा एंदला लगता है और एक का सदर थाना लगता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि टेवाली कलां व टेवाली खुर्द को पुलिस थाना सदर में जोड़ने की कार्यवाही करावें।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, दो मिनट में करता हूं।

सभापति महोदय जी, सुमेरपुर में चार कोर्ट है। कैदियों को सुमेरपुर से बाली जेल लेकर जाना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उन कैदियों के लिए सुमेरपुर में ही जेल स्वीकृत करवाने का श्रम करावें। पुलिस थाना सुमेरपुर की नफरी बढ़ायी जाय। सुमेरपुर बहुत बड़ा शहर है। वहां ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है।

सभापति महोदय, मैं मांग करूंगा कि सुमेरपुर में जो वर्तमान में ट्रैफिक की नफरी 1:4 है उसकी जगह 1:20 करवायें। तख्तगढ़ में अभी नगरपालिका क्षेत्र है और वहां पर ट्रैफिक के लिये पुलिस के जवान नहीं हैं। तख्तगढ़ में 1:4 की ट्रैफिक चौकी की स्वीकृति की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, वर्तमान में सुमेरपुर में एक आंदोलन चल रहा है और वहां कानून व्यवस्था खराब होने की सम्भावना है। मैं आपसे मांग करूंगा कि सुमेरपुर में किसान प्रतिनिधियों व किसानों की सहमति के बिना जवाई नहर के पाइप बदलकर छोटे पाइप डालने का काम किया जा रहा है इसे रोक कर किसान प्रतिनिधियों की सहमति लेकर के कार्य करें, नहीं तो यह आंदोलन विकराल रूप लेगा और उसको सम्भालना सरकार के लिये मुश्किल होगा। यही निवेदन करते हुए बहुतबहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री हाकम अली खां।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16, पुलिस पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान प्रदेश की पुलिस बेहतर कार्य कर रही है जिसके कारण अन्य राज्यों की तुलना में हमारे प्रदेश में अपराध की गिनती कम है, परन्तु पुलिस को आधुनिक सुविधाएं व संसाधन नहीं मिलने के कारण पुलिस अपना कार्य करने में थोड़ी असमर्थ रहती है जैसे थानों में पुलिस की नफरी कम है, अधिकारियों की कमी है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां थानों में नफरी कम है वहां भर्ती करके पुलिस के जवान और अधिकारी लगाये जायें, जिससे आमजन को सुरक्षा मिल सके।

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय, दूसरा, आजकल अपराधियों के पास आधुनिक व नयी-नयी गाड़ियां, नयी टेक्नोलोजी के हथियार हैं लेकिन हमारी पुलिस के पास वही पुरानी वाली जीप और अरमाडा और बोलेरो गाड़ियां हैं। मैं दुबई में रहकर आया हूं। दुबई में जो गाड़ी पुलिस के पास होती है वह आमजन के पास नहीं होती है, जो सबसे अच्छी गाड़ी होती है वह पुलिस को दी जाती है कि पुलिस अपराध को रोकती है और जनता की सेवा में लगी रहती है। इसलिये पुलिस को भी अच्छी गाड़ियां, अच्छे आधुनिक हथियार और अच्छी टेक्नोलोजी के जैसे लैपटोप, टैबलेट नेट में जो भी आज के जमाने में संसाधन काम में आते हैं वो देने चाहिये।

सभापति महोदय, वर्तमान में टेक्नोलोजी का जमाना है नयी टेक्नोलोजी विकसित हो चुकी है। विशेष रूप से बैंकों का लेनदेन ऑनलाइन हो रहा है, जिसका इस्तेमाल आमजन कर रहा है और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ता भी बढ़े हैं। आमजन द्वारा तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल बिना तकनीकी ज्ञान व जागरूकता के किया जाता है जिसका फायदा साइबर अपराधी उठाते हैं। किसी के खाते से बिना जानकारी के पैसे निकाले जा रहे हैं तो कहीं कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लेकमैल हो रहा है और फिर वह पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मेरे बैंक से पैसे निकल गये, कोई कहता है कि सोशल मीडिया पर मुझे फंसा कर ब्लेकमैल किया जा रहा है और पुलिस पर आरोप लगाये जाते हैं कि पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस क्या कर रही है, लेकिन पुलिस भी असमर्थ है उसमें, क्योंकि पुलिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं, जितने संसाधन उन ठगों के पास हैं।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन यह है कि प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर पुलिस लाइन के आस-पास पुलिस के क्वार्टर हैं, पुलिस के सारे जवान उन क्वार्टरों में अपने परिवार सहित रहते हैं। वहां पर कोई ऐसे संसाधन किये जायें, जैसे मेरे सीकर जिले में वहां से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र जी पारीक साहब बैठे हैं, मेरे बड़े भाई। पिछले दिनों हमने एक भामाशाह के द्वारा एक योगा सेन्टर का उद्घाटन किया था, उसी तर्ज पर अगर पुलिस लाइन के अन्दर कोई लाइब्रेरी खोल दी जाये हर जिला हैड क्वार्टर पर तो पुलिस जवानों के जो परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको आर्थिक बोझ न पड़े और उनको वहीं लाइब्रेरी के अन्दर किताबें उपलब्ध हो जायें, तो वे पढ़ सकें। दूसरा, पुलिस की बहुत सारी परेशानियां रहती हैं।

(श्री हाकम अली खां)

कई बार देखने में आता है कि जब कभी प्रदेश में किसी प्रकार के आंदोलन धरना प्रदर्शन होते हैं तो वहां एकत्रित भीड़ कई बार उग्र हो जाती है तथा पुलिस पर हमला हो जाता है। ऐसे में पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में या अन्य कारणों से वहां तैनात पुलिस के अधिकारी व कर्मचारियों पर ही कार्यवाही की जाती है, जिससे पुलिसकर्मियों का हौसला पस्त होता है और वे मायूस होते हैं। अत: जब कभी भी ऐसे प्रकरण हों तो उच्च अधिकारियों को इसकी पूरी जांच करनी चाहिये तथा बिना किसी वजह से किसी पुलिसकर्मी पर कार्यवाही नहीं करनी चाहिये।

सभापति महोदय, पुलिस द्वारा जब किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में या किसी शांति भंग के आरोप में पकड़कर लाया जाता है तो पुलिस उसके साथ थोड़ा-सा अव्यवहार करती है। जब थाने में लाते हैं तो उसके कपड़े उतरवा कर उसको अन्दर किया जाता है, तो मेरा निवेदन है, सरकार के माध्यम से, कि ऐसा कोई प्रावधान किया जाये कि उसको लाकर के कपड़े न उतरवा कर कपड़े सहित ही बैरक में रखा जाये, क्योंकि जब वह आता है उस टाइम पूरी जांच नहीं होती है कि वह दोषी है या नहीं है, लेकिन जब उसको कपड़े उतार कर अन्दर किया जाता है तो उसको दोषी माना जाता है कि इतना बड़ा क्या दोष कर दिया कि इसको नंगा करके बैरक में डाला जाता है।

सभापति महोदय, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि देश और प्रदेश की आबादी दिनोंदिन बढ़ती जा रही है जिसके कारण हमारे वाहन भी बहुत बढ़े हैं टू व्हीलर, फोर व्हीलर और शहरों के बाजारों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था की अव्यवस्था रहती है जो कि यातायात पुलिस की कमी के कारण है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रत्येक उपखण्ड स्तर पर यातायात पुलिस की 1:10 के जाब्ते की व्यवस्था की जाये तो वहीं यातायात पुलिस पूरे शहर में मोटरसाइकिल से या गाड़ी से गश्त करती रहेगी और पूरी यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाती रहेगी, जिससे आमजन को शहर में जाने में बाजार में जाने में अव्यवस्था नहीं होगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें हैं, उनकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मेरा स्वयं का गांव नेशनल हाईवे पर पड़ता है और जो पुलिस स्टेशन लगता है उससे काफी दूर है। वहां एक पुलिस चौकी काफी लम्बे समय से संचालित है, चौकी संचालित है। वहां मात्र एक हैड कांस्टेबल बैठता है तो

(श्री हाकम अली खां)

उस पुलिस चौकी को थाने में अगर क्रमोन्नत कर दिया जाये तो नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट्स में जो पुलिस देरी से पहुंचती है उसकी व्यवस्था हो सके।

दूसरा, एक नेशनल हाईवे अम्बाला से पाली निकलता है जिस पर बहुत ही भारी वाहनों का आवागमन है और ट्रैफिक का बहुत दबाव है आये दिन वहां एक्सीडेंट होता है और पुलिस व्यवस्था के कारण थोड़ी लेट पहुंचती है तो आमजन में आक्रोश हो जाता है कि पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची। इस कारण एक्सीडेंट में अगर लोगों की मौत हो गयी, अगर टाइम पर पहुंच जाती तो उनको हास्पिटल पहुंचाया जाता। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि उस हाईवे पर कारंगा और मल्डाटू एक चौराहा पड़ता है उस पर अगर पुलिस चौकी खोल दी जाये तो वहां अपराधियों पर भी अंकुश लगेगा और जो एक्सीडेंट होते हैं उन पर टाइम पर पुलिस पहुंच जाती है तो जो दुर्घटना में घायल होते हैं उनको जल्दी हास्पिटल पहुंचाया जा सकता है।

दूसरी, मेरी फतेहपुर से नवलगढ़ जो रोड जाती है उसके ऊपर एक चनाणा जोड़ा बेसवा गांव से पहले पड़ता है वहां पर भी बहुत सारे अपराध होते हैं। आये दिन वहां लूट-खसोट होती है और 2017 के अन्दर तो कुछ अपराधियों ने पुलिस के सीआई को और एक कांस्टेबल को भी वहां गोली मार करके हत्या कर दी थी और हत्या करके वे भाग गये थे, लेकिन वे बाद में पकड़ में आ गये तो वहां भी एक अपराधियों का अड्डा बन चुका है तो वहां एक पुलिस चौकी खोल दी जाये तो आमजन के लिये अच्छी व्यवस्था होगी। एक रामगढ़ शहर पड़ता है, उपखण्ड कार्यालय है, नगरपालिका है, तहसील है। वहां पर ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां रामगढ़ शहर के अन्दर 1:10 का जाब्ता अगर लगा दिया जाता है तो आमजन को अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था मिलेगी।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): इसी के साथ पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह जो पुलिस की, सामने बैठे हुए अभी मेरे साथी अलवर से आने वाले बोल रहे थे कि पुलिस ने यह नहीं किया, वह नहीं किया। आपने तो पुलिस पर भरोसा नहीं किया, आपने सीबीआई को जांच दे दी। अब करवा लो सीबीआई से, आपकी पार्टी की सरकार है आपकी सरकार है वहां। पुलिस तो, कोरोना काल के अन्दर मेडिकल टीम के बाद अगर कोई आमजन की सुरक्षा के लिये खड़ा था तो पुलिस का जवान खड़ा था। हर चौराहे पर, हर नाके पर,

(श्री हाकम अली खां)

हर रोड पर और हर एक को समझा-समझा कर घरों में भेज रहे थे कि बीमारी बहुत गम्भीर है, आप लोग घर जाइये चाहे रात हो चाहे दिन हो, पुलिस अपनी जान की परवाह किये बगैर, अपने परिवार की परवाह किये बगैर सबकी सुरक्षा में लगी हुई थी। इसलिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुलिस को। सभापति महोदय, अगर आपने बोल दिया कि मेरा टाइम हो गया तो मैं अनुशासन का बहुत ही प्रिय हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री छगनसिंह जी राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, आज सुबह से पुलिस पर चर्चा हो रही है तो जायज है अंगुली उठनी ही है। जब पुलिस थाने में व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर जाता है तो वहां लिखा होता है 'आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय।' लेकिन अब पिछले कुछ समय से आमजन में विश्वास कम होता जा रहा है और अपराधियों में भय खतम हो रहा है। अगर हम पक्ष और विपक्ष वाले इसी तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगेंगे कि पुलिस वालों ने अच्छा काम किया है और इधर से कहेंगे खराब किया है। हम कोई पुलिस वालों पर अंगुली नहीं कर रहे हैं। हम यह बता रहे हैं कि वास्तव में जो समस्या बढ़ रही है, उस समस्या का समाधान कैसे हो। यह बताना हमारा दायित्व बनता है क्योंकि हम जिस लिये यहां आये हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिये। इसीलिए सभी का दायित्व बनता है कि जो कमियां हैं, उनको बताना चाहिये। गुणगान भी होना चाहिये, अच्छा काम हो रहा है। यह तो नहीं हो सकता कि शत-प्रतिशत काम हमेशा सही हो लेकिन फिर भी अच्छे काम होते हैं, लेकिन कुछ जगह पर जब बड़ी-बड़ी घटनाएं होती हैं, उसका जब परिणाम नहीं आता है तो दिल में दु:ख होता है। आजकल मंदिरों में इतनी बड़ी-बड़ी चोरियां हो जाती हैं। मेरे क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्र में करीब-करीब 10 चोरियां हुई हैं। उसमें कामेश्वर महादेव मंदिर कांबा में, भाद्राजून में सुभद्रा माता जी के मंदिर में, उसके बाद में दानाराम जी मंदिर में, वहां मीणा धर्म का बहुत बड़ा स्थल है। तीनों जगह की सीसीटीवी फुटेज हैं, तीन दिन कंटीन्यू चोरी होती है और वे के वे चोर नजर आते हैं फिर भी उन चोरों को नहीं पकड़ा जाता है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं पकड़े जाते जबकि सीसीटीवी फुटेज में चोर आ रहे हैं, फिर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं।

(श्री छगनसिंह)

मैं मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में 2-3 हत्याओं की बात करुं। भाद्राजून थाने के लक्ष्मण मीणा के हत्याकांड की बात करूं। उसके बाद आहोर थाने के टीकम सिंह राजपुरोहित हत्याकांड की बात करूं। आज तक पता ही नहीं चला कि किसने हत्या की। टीकम सिंह राजपुरोहित का परिवार बार-बार गुहार कर रहा है। उनके घर के मोबाइल तक सीज किये हुए हैं लेकिन जब मांगते हैं तो मोबाइल नहीं देते, फिर भी उनका परिवार बार-बार मेरे पास आकर गुहार करता है कि हमें न्याय दिलाओ। हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटना हो सकती है। उसका पर्दाफाश किया जाय कि किसने हत्या की है और जिसने भी हत्या की है, उसको सज़ा दी जाय।

मैं लम्बा विषय नहीं रखूंगा, मेरे विषय चोरी के थे। चोरी की घटनाओं को कैसे रोका जाय। मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में सबसे पहले उम्मेदपुर चौकी बनी थी, जो कि आहोर थाने से पहले चौकी बनी थी। यह करीब 50 साल पहले बनी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि उम्मेदपुर चौकी को थाने में तब्दील किया जाय क्योंकि आहोर थाना बहुत लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। वहां कभी-कभी बहुत बड़ी घटना होती है और थानाधिकारी अगर उस क्षेत्र में गये हुए होते हैं तो इस क्षेत्र में आने में दो-दो घंटे लग जाते हैं। इसलिए आहोर में उम्मेदपुर पुलिस चौकी को थाने में तब्दील किया जाय।

इसके साथ हरजी, जो बड़ा कस्बा है, जहां आस पास के गांवों से काफी लोग आते हैं और कई बड़ी घटनाएं होती हैं। इसलिए वहां पर पुलिस चौकी खोली जाय। बोहड़ा गांव में दिन दहाड़े डकैती हुई थी, भाद्राजून थाने की घटना है। वहां पर चार गुंडे बाहर से आये और ज्वैलर की दुकान को लूटा, उसको मारा। वह हथियारों से लैस थे, तलवार लेकर आये थे। हालांकि आहोर थाना और सभी थानों ने मिलकर उन सभी अपराधियों को पकड़ लिया और उस पर कार्यवाही भी हो रही है। इस प्रकार की घटना दुबारा नहीं हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि बोहड़ा में भी पुलिस चौकी खोली जाय क्योंकि वहां का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। वहां पर आये दिन घटनाएं बढ़ रही हैं। आहोर विधान सभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसलिए बोहड़ा में भी चौकी खोली जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जन आंदोलन होते हैं, वह कहीं न कहीं जनता के लिये होते हैं। हम लोगों ने 22 दिन तक 'रोड नहीं तो टोल नहीं' आंदोलन किया। हम लोग धरने पर बैठे थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम साइड में बैठे थे। कुछ आनाकानी हो सकती है। एक दिन हमने

(श्री छगनसिंह)

पुलिस वालों से बात की तो कुछ गहमा गहमी हो गई। वहां के टोल कर्मी वगैरह हमसे मिले नहीं। फिर भी एक टोल कर्मी ने हमारे 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया और उसमें हाथों हाथ चालान भी हमारे पर बना दिया। जिसने मुकदमा दर्ज कराया था, उसने बयान भी दे दिये कि यहां इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। न ही विधायक महोदय वहां आये और न ही जिन 10 लोगों के नाम लिखाये थे, वह कोई नहीं मिला। फिर भी उसमें बिना तफतीश के सीआईडी, सीबी केस में चालान पेश कर दिया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि या तो उसकी दुबारा जांच हो जाय या जिसके बयान लिये हैं, उसके द्वारा एफआर लगा दी जाय। मैं यह विषय इसलिए रखना चाहूंगा कि अगर हम जनता के लिये नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर रोड बना हुआ होता तो टोल दे देते और हम साइड में बैठे थे, फिर भी मुकदमा दर्ज कर लिया। जिसने भी मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने वापस ले लिया।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में कंटीन्यू चोरियां हो रही हैं। करीब-करीब हर गांव में चोरियां हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उम्मेदपुर, गुढ़ा, ऊण, भागली, शाकरना और अन्य थानों में जो चोरियां हो रही हैं, उनका पर्दाफाश किया जाय। अभी भागरा थाने में एक असत्य मुकदमा दर्ज कराकर जो मुजरिम नहीं थे, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया।

श्री सभापति: कृपया कन्क्लूड कर लें।

श्री छगनसिंह (आहोर): बिलकुल कर रहा हूं। भागरा थाने में जो असत्य मुकदमा दर्ज किया गया, जो व्यक्ति वहां था ही नहीं, उन पर अगर मुकदमा दर्ज किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि इसका भी पर्दाफाश हो। मैं पुन: आपको ध्यान दिलाऊंगा कि पुलिस का काम न्याय दिलाना है। मैं विशेषकर पुलिस पर किसी प्रकार की अंगुली नहीं करता, लेकिन फिर भी हम सबका दायित्व है कि पुलिस प्रशासन इसमें साथ दे, जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करूंगा कि इस बजट में कानून-व्यवस्था के लिये उन्होंने पुलिस स्तर पर बहुत से प्रावधान किये हैं। 10 हजार से सीधे 30 हजार कैमरे बढ़ाने का उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है और साथ ही प्राइवेट काम्प्लेक्सों में अलग से कैमरे लगाने के लिये उन्होंने निर्देशित

(श्री मनोज कुमार)

किया है। पुलिस विभाग में भर्तियों के लिये भी प्रावधान किया है। साथ ही आज के समय को देखते हुए साइबर थाने खोलने की व्यवस्था की है, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पहले से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय है और एक और पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोला है जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था में और मदद मिलेगी, उसके लिये मैं आभारी हूं। हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि हर आदमी पुलिस को कोसता है, पुलिस से बहुत ज्यादा शिकायत करता है, परन्तु एक बात निश्चित है कि जिस तरह से आज मिलिट्री है तो हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। वैसे ही यह पुलिस है तो हमारी शांति है, हम चैन से सो पाते हैं, वरना अपराधी लोग, दबंग लोग आम आदमी को जीने नहीं देंगे। जब दो पक्ष पुलिस के पास जायेंगे तो वह दोनों यह सोचते हैं कि हम सही हैं। एक गलत, एक सही होगा तो पुलिस से एक आदमी को शिकायत रहेगी। इसलिए इस शिकायत को अन्यथा नहीं लेना चाहिये।

मैं सुजानगढ़ क्षेत्र की बात करूं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला है, साथ ही उन्होंने बजट में एक बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान प्रदेश में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं, उनमें जो बचे हुए थाने हैं, जो सीआई स्तर के नहीं हैं, उन सब को क्रमोन्नत करके सीआई स्तर का किया जायेगा। उन्होंने करीब 42 थाने चिह्नित किये हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र के हैं, इनको सीआई स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा। माननीय यूडीएच मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से सरकार का थोड़ा-सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि शायद गलती की वजह से या कुछ छूट गया, नगरपालिका के साथ नगर परिषद् को जरूर लेना चाहिये क्योंकि नगर परिषद् का एरिया नगरपालिका से बड़ा है। वहां पर ज्यादा आबादी है। वहां के थानों में अपराध अवश्य ज्यादा होंगे। नगरपालिका के साथ नगर परिषद् छूटी हुई है, उनको भी साथ में लें। मेरा तो आग्रह है कि आप पहले नगर परिषद् को लें। यह आप नोट करें, क्योंकि नगर परिषद् के एरिये में ज्यादा जनसंख्या होती है। मैं सुजानगढ़ की बात करूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में छह थाने हैं। छह में से दो थानों पर एसएचओ सीआई स्तर का है। सबसे बड़ा थाना नगर परिषद् सुजानगढ़ का है, सबसे पुराना है। वह थाना अभी भी सीआई स्तर का है, जो भी एसपी लगता है सबको पता है,

(श्री मनोज कुमार)

विभाग को पता है कि बड़ा एरिया है। वह 25-30 साल से सीआई स्तर का SHO लगता है। C.I. स्तर का क्रमोन्नत हो जाये, दो अन्य छोटे थाने हैं, पर यह बड़ा थाना है तो यहां पर नफरी बढ़ सकती है और स्टाफ बढ़ सकता है।

जो शहरी थाने हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या यातायात की आ रही है। हम जानते हैं कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर बड़े शहर हैं। यहां पर एसपी स्तर तक यातायात का पूरा ढांचा सैटअप है। आज के समय में इनसे ज्यादा समस्याएं छोटे कस्बों और छोटे शहरों में हो रही है। इसका कारण यह है कि छोटे शहरों की गलियां तंग हैं। लोगों में अनुशासन नहीं है। सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, उससे कुछ कंट्रोल हो जाता है, पर छोटे शहरों में वह व्यवस्था भी नहीं होती है। इसलिये वहां पर यातायात कर्मियों की बहुत जरूरत पड़ती है। इन शहरों में यातायात की पूरी व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए छोटे शहर और विशेषकर सुजानगढ़ नगर परिषद् है, उसके थाने को सीआई स्तर में क्रमोन्नत करें। साथ ही यहां पर यातायात के लिये अलग से व्यवस्था की जाये, क्योंकि यातायात की बहुत बड़ी समस्या हो गयी है।

पुलिस क्या-क्या काम करे? पुलिस के पास बहुत काम हैं। उनके पास कानून-व्यवस्था का काम है। वीआईपी की ड्यूटी आ जाती है, पुलिस उनके साथ है। मेरे क्षेत्र में सालासर जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध है, वह पड़ता है। वहां पर रोज किसी न किसी वीआईपी की विजिट रहती है। उनकी ड्यूटी में रहना पड़ता है। इसलिये सुजानगढ़ में यातायात के लिये अलग से नफरी की व्यवस्था की जाये। सालासर की बात आयी, जो सालासर थाना है, सबसे बड़ी बात यह है कि सालासर छोटा-सा कस्बा है, छोटा-सा गांव है, पर उससे ज्यादा धर्मशालाएं हैं और वहां पर बाहर के लोग हैं। मंगलवार और शनिवार को तो वहां पर लाखों लोग आ जाते हैं। बहुत भीड़ रहती है। अपने वहां पर रिजर्व लाइन से व्यवस्था भी कर रखी है, पर वहां पर कोई परमानेंट चौकी लगे या वहां पर परमानेंट स्टाफ लगे, ताकि वह व्यवस्था भी देखे, यातायात की भी देखे। मन्दिर व्यवस्था में जो 5 आदमी लगा रखे हैं, यदि वे वहां पर परमानेंट लगा दें या कोई चौकी खोल दें तो उनके पास अधिकार आ जाये, जिससे वे चालान वगैरह कर सकें, क्योंकि इधर-उधर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। वहां पर भी ऐसी व्यवस्था करें।

श्री सभापति: दो मिनट में कन्क्लूड करें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): दो मिनट में करता हूं।

सुजानगढ़ में CID स्तर का थाना चल रहा है। उसकी भूमि भी नगर परिषद् के द्वारा आबंटित हो चुकी है। अगर उसके भवन की व्यवस्था हो जाये तो वहां रहने वाले स्टाफ के लिए काफी सुविधा हो जाये, यह मैं मांग करता हूं। जो उप जिला कारागर है, वह जिले में एक बनाने की बात हो रही है। अगर वह सुजानगढ़ में खुल जाता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि छह थाने हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दो पुलिस अधीक्षक के वहां पर दफ्तर हैं। इससे वहां की पुलिस को भी मदद मिलेगी, क्योंकि उन्हें कैदियों को छोड़ने लाने में भी दिक्कत होती है, पेशियों में भी दिक्कत होती है। यह व्यवस्था हो जाये तो बहुत बढ़िया होगा।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात विशेष तौर पर कहूंगा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता आंकड़ों में तुलना कर रहे थे कि 2020 में यह हो गया, 2021 में बढ़ गये, तो मैं उनको ध्यान दिलाता हूं कि 2020 का आधे से ज्यादा समय लॉकडाउन में निकला। दो महीने सख्त लॉकडाउन में निकले, तब एक भी अपराध नहीं हो रहा था। पूरा साल नाइट कर्फ्यू और सख्त पाबन्दी से निकला। उस समय से अब की तुलना करना जायज नहीं है। आपने दो मिनट का समय और दिया। मैं अंत में यही कहूंगा कि जो पुलिस काम कर रही है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। खामियां हर जगह हो सकती हैं, उसको सुधारा जा सकता है, पर आज के समय में पुलिस है तो आम आदमी सुरक्षित है, आम आदमी भय से दूर है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)। श्री अर्जुन लाल जी जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16-पुलिस और मांग संख्या 17-कारागार पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। प्रदेश में सुशासन व कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस एक महत्वपूर्ण विभाग है और इसकी आवश्यकता भी महसूस की जाती है। पुलिस जितनी मुस्तैद होगी, अपराधों में कमी आयेगी। वही सरकार अच्छी होती है, जो पारदर्शी हो, संवेदनशील हो और जनता के प्रति जवाबदेह हो, लेकिन हम इस बात को देख रहे हैं और थानों के बाहर लिखा होता है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, लेकिन हम सबने देखा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? अपराधी तो खुले घूम रहे हैं और आम जन डर के मारे घरों में बैठा हुआ है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की स्थिति हमने देखी है। राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। वे यदि आंकड़ों के अनुसार बताऊं तो 2020 की तुलना में 17.03 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान पुलिस के अनुसार ही 2020 की तुलना में 2021 में अनुसूचित जाति के खिलाफ 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में 12.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020 की तुलना में राजस्थान में टोटल मिलाकर देखें तो 11 प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है। सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में 20.99, डकैती में 2.63, लूट के मामलों में 28.57, नकबजनी के मामलों 17.04, चोरी के मामलों में 21.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब मैं इस बात को देखूं, गत ढाई-तीन साल में देखें तो हत्या के 4069 मामले दर्ज हुए। हत्या के प्रयास 4709 हुए, लूट के 3109, अपहरण के 1750 और छोटी बच्चियों तथा महिलाओं के साथ दुष्कर्म के 5793 मामले दर्ज हुए हैं। इससे हमको ऐसा लगता है कि प्रदेश में अपराधी खुले में घूम रहे हैं और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों के हौसले इतने बुलन्द हैं कि पुलिस के ऊपर माफिया डॉन गाड़ियां चढ़ा देते हैं, एटीएम तोड़कर ले जाते हैं। थानों के पास ही या थानों के सामने मन्दिर से चोरी हो जाये, डकैती हो जाये, मर्डर हो जाये, फिर भी अपराधी आसानी से भाग जाते हैं। बजरी और शराब के माफियाओं का तो कहना ही क्या है? आये दिन फायरिंग करते रहते हैं और पुलिस लाचार होकर मूकदर्शक बनकर देखती रहती है। कानून-व्यवस्था सख्त होने के बावजूद भी महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप ज्यादा हो रहे हैं। यह हम सब प्रदेशवासियों के लिये एक चिन्ता का विषय बना हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, जैसी सरकार की मंशा होती है, वैसी ही प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है। सरकार मन, कर्म और वचन से अपराधों को रोकना चाहे तो अपने आप अपराध रुक जाते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है। राजस्थान पुलिस का इंटेलीजेंस तंत्र भी सरकार के तीन वर्षों के कार्यकाल में देखें तो बिलकुल नाकाम सिद्ध हुआ है। इस दौरान बजरी माफियाओं से सांठगांठ के प्रकरण मुख्य मंत्री जी के सामने लाये गये और इस पर खुद गहलोत साहब ने नाराजगी व्यक्त की और तत्कालीन उप मुख्य मंत्री पायलट साहब ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं जानता हूं कि ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। प्रदेश में अभी कोई गृह मंत्री नहीं

(समय: 18.00 बजे)

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

है। गृह विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है। जब मुख्य मंत्री जी के पास ही गृह विभाग होगा तो उनको समय ज्यादा नहीं मिलता है। हमारी सरकार में गृह मंत्री हमारे गुलाब जी कटारिया थे। वह हर महीने पुलिस मुख्यालय में जाकर फीडबैक लेते थे, अपराधों की बैठक लेते थे, इस कारण अपराधों पर अंकुश लगा हुआ था। मैं चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर अलग से एक गृह मंत्री बने। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इतना मजबूत विधायक होगा जो गृह मंत्रालय को संभाल सके। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री कोई न कोई बने तो ठीक रहेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भाजपा ने सुशासन दिया। पुलिस बिना दबाव के, जिस पर किसी जन प्रतिनिधि का दबाव नहीं हो तो, निष्पक्ष रूप से काम करती है लेकिन कांग्रेस के राज में पुलिस पर इतना दबाव है कि वह अपना मुंह तक नहीं खोल पाती है। मैंने देखा है अभी जन प्रतिनिधि अपना हित साधने के लिए पुलिस पर अनुचित काम कराने के लिए दबाव डालते हैं। जब पुलिस उस अनुचित काम करने से मना कर देती है तो फोन पर जन प्रतिनिधि भद्दी-भद्दी गालियां निकालते हैं। एक सभ्य आदमी उसको सुन भी नहीं सकता है। अभी आपने देखा होगा बेगूं के विधायक का एक ऑडियो जारी हुआ। कितनी भद्दी-भद्दी गालियां उसमें दी गयी हैं। मैं सोचता हूं कि बेगूं विधान सभा में तो पुलिस बेचार और लाचार बनी हुई है, जिसका कोई तोड़ नहीं है। वहां पर कोई कानून व्यवस्था बिलकुल भी नहीं है। गाली-गलौज करने वाले जन प्रतिनिधियों को बचाने के लिए भी सरकार के मंत्री आगे चलकर उनका बचाव करते हैं। यह बड़े शर्म की बात है। जब सरकार ही अपराधियों को बचाएगी तो पुलिस तो बेचारी और लाचार बनकर देखती रहेगी।

वर्तमान सरकार पर यह सटीक कहावत उतरती है 'जिसकी लाठी-उसकी भैंस', जिसके पास ताकत है, वह ज्यादा अपराध करता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा अपराध किस प्रकार से हो रहे हैं, दो-तीन उदाहरण देकर, मेरे क्षेत्र की करूकडा निवासी +++ की एक बच्ची है, जो 13 साल की है। दिनांक 10/01/2022 को उसका अपहरण होता है। भादसौडा थाने के अन्दर एफ.आई. आर. दर्ज होती है। आज तीन महीने हो गये हैं, लेकिन वहां के एसएचओ के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और कोई जांच भी नहीं कर पा रहा है। वह 13 साल की बच्ची कहां होगी, तीन महीने से लापता है, उसका मर्डर कर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

दिया है या वह कैसी स्थिति में है? यह हम सबके लिए एक चिन्ता की बात है।

अभी वर्तमान में, 25 तारीख की घटना है, फलौदी में जीनगर समाज में नवयुवक राहुल देवड़ा पुत्र नारायण लाल जीनगर, 25/02/2022 को अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने उसको फोन करके बुलाया। नवयुवक वहां गया तभी से वह वहां से लापता हुआ। इन्होंने तलाश की, वह मिला नहीं। पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने नदी के किनारे से मोटरसाइकिल बरामद की लेकिन उस युवक का पता नहीं चला। 28 तारीख को फलौदी की झील के किनारे उस युवक की लाश मिली पुलिस विभाग को और लोगों ने जो लाश देखी थी, ऐसा लगेगा कि 5-6 घंटे पहले ही इसका मर्डर करके उस नदी में डाला गया है लेकिन अपराधी, चिकित्सक और पुलिस...

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट में। मिलकर के उस हत्या के मामले को आत्महत्या में बदलने का काम कर रही है। मेरा आग्रह है कि मुख्य मंत्री जी इस मामले में दखल देकर निष्पक्ष जांच कराएं और फलौदी के राहुल जीनगर को न्याय दिलाने का काम करें।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, इसके पीछे कारण ये है कि पुलिस के पास संसाधन नहीं है। अपराधियों के पास अच्छे संसाधन हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे हथियार हैं, पुलिस को भी अच्छे हथियार मिलें, अच्छी गाड़ियां मिलें, पर्याप्त मात्रा में डीजल व पेट्रोल मिले। आजादी के बाद थानों के अन्दर जो नफरी थी, वह नफरी आज तक चली आ रही है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। अधिक पद सृजित करने की आवश्यकता है। पुलिस 24 घंटे कानून व्यवस्था में मुस्तैद रहती है और उनकी पे-स्केल, एक फोर्थ क्लास के बराबर। हमको शर्म आनी चाहिए। जो पुलिस डिपार्टमेंट हम सबके लिए पूरा का पूरा मुस्तैद रहता है, उनकी पे-स्केल बढ़ाने में हमको क्या दिक्कत है? इसलिए पुलिस विभाग के अन्दर पद भी बढ़ाए जाएं और उनकी पे-स्केल को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, थानों के अन्दर मालखाने में नशीले पदार्थ पड़े हुए हैं, शराब पड़ी हुई है, डोडा-चूरा पड़ा हुआ है अफीम पड़ी हुई है, सोने-चांदी, जेवर पडे हुए हैं और गाड़ियों का अम्बार लगा हुआ है। मेरा आग्रह है कि ऐसी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कोई न कोई व्यवस्था कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी ये जो कबाड़ पड़ा हुआ है, इसको नीलाम कर दें और राजकोष के अन्दर उस राशि को जमा कर लें। जब भी मुकदमे में फैसला होगा, उस हिसाब से उसको राशि लौटा दी जाए या राजकोष में उस राशि को जमा कर दी जाए।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): दो मिनट। पुलिस विभाग कम्प्यूटरीकृत हो गया है। पुराने जमाने के सिपाही काम कर रहे हैं तो आई.टी. सेल के बच्चे, नौजवानों की भर्ती करने की हमको आवश्यकता है। थानों के अन्दर, थाने छोटी-छोटी जगह में चल रहे हैं, उनमें आवास की व्यवस्था नहीं है। थानों में कमरे बनाए जाएं। भवनों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए। मेरे क्षेत्र के अन्दर भी राशमी, कपासन, भादसौडा और आकोला थाने के अन्दर नवीन थाना बनाने के लिए बजट आबंटित किया जाए।

मैं एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अवैध बजरी का कारोबार बहुत है। इतना अवैध बजरी का कारोबार है कि मेरे सड़कें टूट जाती हैं। अपराधी और पुलिस मिलकर इस कारोबार को बढ़ा रही है। मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है...

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक ही मिनट में बात कह रहा हूं। अफीम का क्षेत्र होने के कारण वहां पर 8/18 के केस तो होते हैं, कोई बात नहीं पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे लेकिन पुलिस विभाग के लोग 8/29 में अन्य लोगों का नाम लेकर, उनको छोड़ने के नाम पर लाखों रुपये की वसूली करते हैं, अवैध रूप से। इसलिए 8/18 के इन केसों में किस प्रकार से समाधान हो सकता है, यह करना चाहिए।

कारागार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा जेलों के अन्दर कैदी आवश्यकता से अधिक रखे गये हैं। इन जेलों के अन्दर अतिरिक्त भवन बनाने की आवश्यकता है। जेलों के अन्दर सज़ा काट रहे अपराधियों के पास हथियार, मादक पदार्थ, मोबाइल कहां से आते हैं? ये हमारे सबके लिए प्रश्नचिह्न है कि जेल के अन्दर इतनी पुलिस लगी है और कैदी अन्दर बन्द है तो उसके पास नशीला पदार्थ कहां से आ रहा है, मोबाइल कहां से आ रहा है? हथियार कहां से आ रहे हैं? वह अन्दर बैठे-बैठे माफिया डॉन बनकर बाहर से वसूली कर रहे

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि हम सबको इस बात की चिन्ता करनी चाहिए। पुलिस विभाग इतना मुस्तैद रहे कि जेलखाने के अन्दर जो कैदी बैठे हुए हैं, उनके पास किसी भी प्रकार से कोई हथियार नहीं पहुंचाना चाहिए। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री अमर सिंह।

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, मांग संख्या 16-पुलिस पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। पुलिस पर चर्चा पक्ष और विपक्ष की चलती आ रही है। पुलिस भी जानती है कि सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है? जब पुलिस सत्य की ओर बढ़ती है और निकालती है तो उसको छेड़ना भी नहीं चाहिए क्योंकि पुलिस का भी कहना है-

"मुझे अभिमान है इसका, मैं हूं अंग वर्दी का,
बड़ी किस्मत से मिलता है, ये खाकी रंग वर्दी का,
वर्दी वालों ये जीवन का भी अजब फसाना है,
तीर भी चलाना है और परिंदे को भी बचाना है,
आंखों में नींद ना दिल में करार,
यह मुहब्बत नहीं, ये पुलिस की नौकरी है मेरे यार।"

सभापति महोदय, पुलिस के लिए कोई थाना हो, कोई भी चौकी हो, सबसे पहले वाहनों की जरूरत होती है, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जीप हो, चाहे स्पीड कार हो, तभी हम पुलिस वाले उस अपराधी को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ में चौकियों व थानों पर पुलिसकर्मियों के जो आवास हैं, लम्बे समय से जीर्ण-शीर्ण हो रहे हैं। उनके रहने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। नये निर्माण करने चाहिए। प्रत्येक पुलिस थाने पर पूर्ण जाप्ता भी होना चाहिये। जहां कमी है, वहां पूर्ति होनी चाहिये। मेरा विधान सभा क्षेत्र बयाना एक पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़-खाबड़ जमीन है। वहां पर जितने भी ठगी के मामले चलते आये, पूरे देश में भी चल रहे हैं। प्रत्येक विधान सभा में एक साइबर यूनिट लगा दिया जाये तो जो अपराध हो रहे हैं, जो ठग ठगी कर रहे हैं, उनमें रूकावट आयेगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक चौकी में थाना चल रहा है। वहां बाजार भी है। लम्बे समय से चलता आ रहा है। उस थाने की भूमि आबंटित हो चुकी है लेकिन अभी तक वहां कोई भवन निर्माण नहीं हुआ है।

(श्री अमर सिंह)

(समय: 18.10 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं माननीय मंत्री साहब से कहना चाहता हूं, रूदावल थाने के लिये भूमि आबंटित हुई है वहां भवन निर्माण होना चाहिये। बीच बाजार चौकी में थाना चल रहा है। वहां न तो कोई वाहन खड़ा कर सकता है, न ही वहां कोई व्यवस्थाएं हैं, न ही कोई सुविधाएं हैं। जो भूमि आबंटित हुई है अगर वहां भवन निर्माण हो जायेगा तो क्षेत्रवासियों को सुविधा मिलेगी। वाहन खड़े करने के लिये सुविधा मिलेगी। तमाम सुविधाएं मिलेंगी।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मेरे बयाना क्षेत्र में एक सदर थाना होना चाहिये। एक साल के अन्दर तकरीबन 1200 मुक़दमे दर्ज होते हैं जबकि 20-25 गांव की दूरी लगभग 40-45 किलोमीटर की है। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्र में कुछ इलाकों में डकैती की आमद रहती है। अपराध होने पर, अपराधी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाते हैं, इसलिये यहां पर एक सदर थाना खोलने की कृपा करें।

सभापति महोदय, रूपवास उपखण्ड में, 45 ग्राम पंचायत उपखण्ड होते हुए, वहां एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोला जाये। रूपवास पूर्व में विधान सभा रही थी। परिसीमन में बयाना व रूपवास एक हो गयी। इसलिये वहां एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलना जरूरी है। रूपवास की आबादी करीबन ढाई लाख है, इसलिये यह व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदय, जितनी भी पुलिस चौकियां हैं, कुछ चौकियां किराये पर चल रही हैं। जैसे कि झील का बाड़ा बयाना में पड़ता है, खैरिया मोड़ है, घाटोली है, वहां जितनी भी चौकियां चल रही हैं, वहां भवन के अभाव में कोई सुविधा नहीं है इसलिये चौकियों का, भवनों का निर्माण होना चाहिये।

जितने भी थाने हैं, पुलिस वहां रहती है, चोरों को पकड़ने के लिये, अपराधियों को पकड़ने के लिये सीसीटीवी कैमरा लगाये जायें। अपराधी रात्रि का मौका देखकर या सीसीटीवी कैमरे की जहां नजर नहीं है, वहां तमाम चोरियां होती हैं इसलिये प्रत्येक थाने पर, चौकियों पर, सीसीटीवी कैमरे लगाये जायें ताकि आमजन को सुविधा मिले।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बयाना एक मात्र जेल है, जो एक छोटी सी जगह पर संचालित है। पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण कैदियों को परेशानी होती है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बयाना जेल को, कस्बे से बाहर आधुनिक जेल बनाई जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमर सिंह (बयाना): भरतपुर की सबसे बड़ी जेल सेवर है, आधुनिक बनाया जाये। आये दिन अपराधियों के पास फोन और हथियार मिलने की सूचना मिलती है, उन पर अंकुश लगाया जाये। आपने बोलने का मौका दिया, जय हिन्द, जय भारत, नमस्कार साहब।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 व 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, जिस प्रकार हम विपक्ष में हैं, पुलिस की आलोचना करें, सरकार की आलोचना करें, कभी हम उधर बैठते हैं तो पुलिस व सरकार की तारीफ करें, इस बात से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिये। आपको व हमारे को वहां की जनता अच्छा काम करने के लिये भेजती है। हम सब 5 साल के लिये आते हैं और यह अधिकारी 60 साल के लिये आते हैं। आपको सोचना चाहिये। यह आपको व हमारे को देखते हैं, कि यह पांच साल में कितनी उछल कूद करवा दें। कौन कितना ज्यादा बोलता है, कौन कम बोल रहा है। सवाल यह पूछना चाहिये, पुलिस हमारी रक्षक है, हमारे क्षेत्र के अन्दर कोई भी अपराध घटने पर पुलिस हमारी मदद करेगी, इस बात की हर व्यक्ति आशा लेकर चलता है।

सभापति महोदय, इनको पूछना चाहिये कि पुलिस के कितने अधिकारियों ने और कितने कर्मचारियों ने, आपने घटना घटाई है, रेप किये हैं, नंगा नाच किया है, उसका क्या जवाब है आपके पास? सरकार को यह पूछना चाहिये। उसके बाद वहां की जनता की सुध लेनी चाहिये, यहां पर इतनी घटनाएं घटी हैं, यहां इतनी घटनाएं नहीं घटी हैं। हम पूछते ही नहीं हैं। हम एक दूसरे की आलोचना करके वहीं रह जाते हैं, कि आपने इतने केस खराब कर दिये, आपके टाइम में भी आपने ऐसा कर दिया। हमने किया होगा, लेकिन आपको उससे ऊपर उठकर, कम से कम पुलिस में ऐसा कानून बनना चाहिये, पुलिस का कर्मचारी व अधिकारी कोई अपराध कर लेता है, तो उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिये। चाहे वह कांस्टेबल हो, थानेदार हो, पुलिस के अधिकारी चाहे एसपी हो, सिर्फ अधिकारी, कर्मचारी को बचाने की कोशिश करेंगे न कि उसको किसी अपराध में लिप्त करने के लिये करेंगे। जांचें चाहे ऊपर तक आ जायेंगी, फाइल होकर, नीचे होकर, नीचे वाला फोन कर देगा ऊपर वाले को, सर, यह तो अपना ही है। अच्छा, ठीक है। इससे ऊपर उठकर

(श्री शंकर सिंह रावत)

न्याय मिलना चाहिये, तब जाकर न्याय होगा। आपकी जनता आप लोगों से आशा रखती है, हमारे आदमी वहां गये हैं, हमने जिनको चुनकर भेजा है, वह क्या करेंगे। वर्तमान में, राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। लूटपाट हत्याएं, बच्चों, महिलाओं के अपराध, बलात्कार, चोरी की घटनाएं, रोज अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर आती है।

महोदय, सरकार द्वारा प्रदेश में कठोर कानून नहीं बनाये जायेंगे, कानून मुताबिक अपराधियों पर कठोर कार्यवाही नहीं की जायेगी, यह अपराध बढ़ते जायेंगे। अपराधी के हौसले बुलन्द होते जायेंगे। पुलिस को धता बताते रहेंगे।

महोदय, प्राय: देखा गया है अपराधों में सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका नजर आ रही है। अपराधी फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए भोले-भाले लोगों को जाल में फंसाकर अपराध को बड़ी चालाकी से अन्जाम दे रहे हैं। पुलिस मूक दर्शक बनकर रह जाती है। मेरी मांग है, प्रदेश में हो रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिये कठोर कानून बनना चाहिये।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में सबसे बड़ा उपखण्ड है। एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां संचालित हैं। ब्यावर चारों तरफ से राजमार्गों से घिरा हुआ है। यहां पर औद्योगिक विस्तार, आबादी विस्तार के कारण आये दिन अपराध बढ़ते रहते हैं। इतने बड़े शहर में एक ही थाना कई वर्षों से संचालित है। यहां प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। एक थाना होने, स्टाफ कम होने तथा मुक़दमों की संख्या अधिक होने के कारण आम जनता को समय पर राहत नहीं मिल पाती है। अपराध बढ़ने के कारण सिटी थाना, सदर थाने पर मुक़दमों का अत्याधिक भार बढ़ रहा है।

मैं पिछले काफी समय से साकेत नगर पुलिस चौकी को पुलिस थाने में बदलवाने के लिये मांग कर रहा हूं, लेकिन नहीं बने। साकेत नगर चौकी में पुलिस थाना खोला जाये। विभाग द्वारा भी कई बार प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है लेकिन अमल नहीं हो रहा। मेरी सरकार से मांग है, साकेत नगर को थाना बनाया जाये। टाडगढ़ उपखण्ड मुख्यालय है, वहां सीओ सर्किल खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, करीब तीन लाख की आबादी वाले ब्यावर शहर में यातायात सम्भालने के लिए मात्र तीन और आठ पुलिसकर्मी ही वहां पर तैनात हैं। शहर की यातायात व्यवस्था बिलकुल चरमराई हुई है। पुलिस जवानों की संख्या कम होने के कारण दिन-ब-दिन बड़े वाहन शहर में प्रवेश

(श्री शंकर सिंह रावत)

कर जाते हैं जिसके कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मेरी सरकार से यह मांग है कि ब्यावर में यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाकर यातायात को सुलभ बनाया जाये।

मेरे ब्यावर विधान सभा में साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाये रखने के लिए 1997 से आर.ए.सी. की 9वीं बटालियन तैनात की गयी थी, जिसके कारण कई वर्षों से शहर में साम्प्रदायिकता का अच्छा माहौल रहा। कम्पनी अच्छी सेवाएं दे रही थीं, कम्पनी को अभी छह बीघा भूमि भी वहां पर आवंटित कर दी गयी है और वहां पर भवन, ट्यूबवैल, इत्यादि भी सब करवाये हैं लेकिन बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि वहां ब्यावर से इस कम्पनी को हटा दिया गया है। मेरी यह मांग है कि आर.ए.सी. की 9वीं बटालियन को वापस ब्यावर में यथावत रखा जाये।

माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के संचालन हेतु प्रत्येक थाने में एरियावाइज बीट अधिकारी लगे हुए रहते हैं। जिस प्रकार कलेक्टर बैठा हुआ पूरे जिले में कौन अतिक्रमण कर रहा है किस जमीन के ऊपर, वह पता लगा सकता है, इसी प्रकार एस.पी. भी यहां बैठा हुआ जिले के अन्दर क्योंकि हर बीट पर उसका प्रभारी रहता है, प्रभारियों की मीटिंग लेकर उनको ऐसे सख्त निर्देश दिये जायें कि वे निश्चित तौर पर किस बीट क्षेत्र के अन्दर कौनसे व्यक्ति का लड़का अपराधी है, कौनसे का अच्छा है, कौनसे का बुरा है, हरेक की वह जानकारी रख सकता है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उसके ऊपर सख्ती करके अगर पुलिस चाहे तो अपराध को निश्चित तौर के ऊपर कम समय में वह अपराधियों तक पहुंचने के लिए कार्य कर सकती है।

दूसरा, पुलिस की ग्रेड-पे भी जो है वह 2400 रुपये से बढ़ाकर 3600 रुपये करनी चाहिए। मेरी सरकार से यह मांग है कि पुलिसकर्मियों की इस जायज मांग पर विचार करते हुए 3600 रुपये ग्रेड-पे दे दी जाये और इसमें प्रमोशन में भी इनकी जो कमियां हैं उनमें भी सुविधा करनी चाहिए।

पुलिस के द्वारा जो जिस प्रकार के अपराध घट रहे हैं, उसके ऊपर हमारे को बहुत सीरियस लेकर माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दें तो आपके यह पुलिस ने, यह आपकी पुलिस, मेरी पुलिस, यह बोलकर पल्ला मत झाड़ा करो और कुछ सुधार के लिए आपसे निवेदन है। जनता आपसे पूरी आशाएं लगाये बैठी है।

(श्री शंकर सिंह रावत)

पुलिस के द्वारा जिस प्रकार का जो अपराध, शराब माफिया का अपराध हो, चाहे वह बजरी माफिया का हो, किसी भी अपराध में बिना पुलिस की शह के वह घटनाएं घट नहीं सकती हैं इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि पुलिस के ऊपर आप तारीफों का पुल बांधने की जगह, ये हमारे दुश्मन भी नहीं हैं, पुलिस में अच्छे अधिकारी भी हैं जो आनेस्ट है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): किसी प्रकार का कोई दाग नहीं लगने देते हैं लेकिन पुलिस के अन्दर जिस प्रकार से अजमेर जिले में चौथ वसूली का काम एस.पी. बैठा हुआ, हर थाने से वसूली लेकर ट्रांसफर करता है और उसकी कितनी भी शिकायत हो उस थानेदार की, तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पास में कोई प्रूफ हो तो दीजिए तो मैं इसका ट्रांसफर करूं, तो अब आप उसका क्या प्रूफ दोगे? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी वसूली आ रही है, पहले भी एस.पी. ट्रैप हुए हैं और अब शायद तीन साल से वह ही धन्धा वापस से चालू है। उसी कारण यह वहां पर नौजवानों के नशे और अपराध की तरफ कदम बढ़ रहे हैं।

मेरा यह निवेदन है मंत्री महोदय, इसके ऊपर आप पुलिस को सख्त निर्देश दें कि बीट प्रभारियों की आप सख्ती से मीटिंग लेकर उनके दायित्व के ऊपर सख्ती लागू की जाये कि वह वहां पर किस प्रकार के लोग गांव में रहते हैं, क्षेत्र में कौनसा अपराधी है और कौनसा नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री वेद प्रकाश सोलंकी। आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): लेकिन जिस प्रकार बाड़ ही अगर खेत को खाने लग जायेगी तो क्या हम आशा रखेंगे? इसलिए पुलिस में भी यह सुधार अभी हो सकता है कि पुलिस का कर्मचारी जो अपराध करता है, उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की है, यह ध्यान रखने की चीज है। धन्यवाद।

श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया।

सबसे पहले तो अच्छा प्रशासन चलाने के लिए पुलिस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की जो व्यवस्था है वह पुलिस पर चल रही है और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है, इसी वजह से हम लोग बचे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि पहले भी कई विधायकों ने कहा कि जिस तरह से हम एम्बुलेंस देते हैं, उसी तरह से गाड़ियां देने के लिए हमने बात की थी। हम यह चाहते हैं कि आज भी जिस तरीके से, आज हमारे किसान नेता, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गये थे तो एस्कॉर्ट नहीं मिल पायी और हम यह कहना चाह रहे हैं, थानों को बार-बार यह कह चुके कि आपके पास गाड़ी नहीं है, कई थानों के पास गाड़ियां नहीं हैं तो हमारे अपने विधायक कोटे से भी इन गाड़ियों को देने के लिए तैयार हैं, तो जिस तरह से एम्बुलेंस जरूरी सेवा है उसी तरह से पुलिस भी बहुत जरूरी सेवा है तो कम से कम विधायक को अपने कोटे से देने के लिए एग्री करें, जिला परिषद् इसके लिए मना नहीं करे तो हम अपने कोटे से यह गाड़ियां उपलब्ध करवा दें।

माननीय सभापति महोदय, पहले भी हमने स्वागत कक्ष के लिए सात-सात लाख रुपये दिये थे। कुछ जगह यह बनकर तैयार हो गये लेकिन अभी तक हमारे यहां पर स्वागत कक्ष बनकर तैयार नहीं हुए हैं। पैसे तो हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं। उसी तरह से पुलिस की मदद करने के लिए हमने पूरे चाकसू के अन्दर कैमरे लगाने की बात की, कैमरे भी लगा दिये। कैमरे लगाने के बाद में जो कैमरों का काम है कि अपराधियों को पकड़ना, वह काम भी कर लिया। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि कुछ डाक्टर्स ने मेरे यहां पर एक प्राइवेट हास्पिटल खोला, अच्छा हास्पिटल खोला लेकिन 17 जनवरी को कुछ नकाबपोश लोग आते हैं और हास्पिटल की सारी की सारी मशीनरी लाखों रुपयों की तोड़कर चले जाते हैं। वे कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। उनकी मोटरसाइकिल भी दिखती है, स्कूटी भी दिखती है परन्तु वे हमलावर आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से हमारा एक किसान का बेटा था, मोहनपुरा में हत्या हो गयी, हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया, दो दिन तक उसकी बॉडी नहीं उठायी गयी। पुलिस अधिकारियों ने गांव वालों को सात दिन का समय दिया। मैं बाहर था, उसके बाद सात दिन बाद में लिखित में समझौता हुआ, हम सब लोग गवाह बने परन्तु बड़े दुःख की बात है, माननीय सभापति महोदय, जो अधिकारी है उन्होंने उनका फोन उठाना बन्द कर दिया। हमारी स्थिति यह बन गयी कि अब गांव वाले हमसे पूछते हैं कि आपकी वजह से हमने बॉडी उठा ली, पुलिस के लोग जवाब देने के लिए तैयार नहीं हैं न उनकी एफ.एस.एल. की रिपोर्ट आज तक आयी।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

माननीय सभापति महोदय, जो पुलिस काम कर रही है, मैंने पहले भी यह कहा था कि जब बजरी का काम था, थानेदार लगते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। नया थाना बन रहा हो, चाहे डिप्टी नया लगता हो, चाहे एस.पी. नया लगता हो, एक-दो दिन जब नया लगता है तो उस समय तो बजरी डम्परों पर कार्यवाही हो जाती है परन्तु उसके बाद जैसे ही वह सैट हो जाता है तो यह कार्यवाही बन्द हो जाती है, इसका क्या कारण है, यह समझ में ही नहीं आता। बजरी के अवैध डम्पर चल रहे हैं, रोड्स टूट रही हैं परन्तु अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं होती है।

माननीय सभापति महोदय, जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं, यह कैसे बढ़ रहा है वहां पर क्षेत्र के अन्दर, यह जो क्रिमिनल लोग हैं उनके घरों में, शादी-ब्याह में, अन्य प्रोग्राम के अन्दर हमारे पुलिस के अधिकारी चले जाते हैं। वे अपराधी अपनी फोटो दिखाकर जो दूसरे काम हैं वह करवाना चाहता है, तो आपसे यह मांग है कि इस तरह के जो क्रिमिनल लोग हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं, उन पर थोड़ी रोक लगायी जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक अभी कोटखावदा के अन्दर ए.सी.बी. में थानेदार ट्रैप किया, थानेदार ट्रैप हो गया, गलत काम करेंगे तो ट्रैप होंगे परन्तु जिसका ट्रांसफर हो चुका था उसके बाद भी यहां के अधिकारी ने उसको रिलीव नहीं किया, तो जो अधिकारी भ्रष्ट था उसके छींटे हम पर भी पड़े क्योंकि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर वह ट्रैप हुआ। अगर वह अधिकारी उस समय दूसरी जगह पर होता तो हम इन छींटों से बच जाते।

माननीय सभापति महोदय, एक जो प्रमुख हमारी मांग है कि हमारा एक रेनवाल मांजी है, सी.ओ. सर्किल लगता है दूदू, वह 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि हमारा सीओ. सर्किल जब पूरा का पूरा क्षेत्र हमारा कमिश्नरेट में पड़ता है तो कम से कम हमारे क्षेत्र के अन्दर जो पड़ने वाला सी.ओ. सर्किल में जो रेनवाल मांजी थाना है, उसको कमिश्नरेट में ही किया जाये और देहलाला, जो कोटखावदा से बीस किलोमीटर है, हमारे चाकसू से पैंतीस किलोमीटर दूर है, वहां पर पुलिस चौकी की शायद दो साल पहले घोषणा भी हुई थी लेकिन अभी तक बनी नहीं है। कादेड़ा के अन्दर पुलिस चौकी नहीं बनी है, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी यहां पर पुलिस चौकी मिले तो लोगों को लाभ मिलेगा, यही मैं कहना चाहता हूं।

(श्री वेद प्रकाश सोलंकी)

सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो थानों की नफरी है, बहुत कम है और थानों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। हमारे साथियों ने पहले भी दिये थे नाम, कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो दस-दस साल से पन्द्रह-पन्द्रह साल से लगे हुए हैं, उनके लिए अधिकारियों ने कहा था कि सात साल से जो कर्मचारी, सिपाही वहां लगे हुए हैं, वह वहां नहीं रहेंगे परन्तु आज भी कई संख्या में लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जो लम्बे समय से कार्यरत हैं, उनको थानों से हटाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे विचार पुलिस के प्रति सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही हैं। पुलिस की नौकरी करने वाले हमारे ही समाज के हैं फिर भी अन्य सर्विसेज में और दूसरों में अन्तर क्यों है? सभापति महोदय, हमारे राज्य में 80 हजार पुलिसकर्मी तैनात हैं जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं। सत्यता यह है कि पुलिस की कोई यूनियन नहीं है, जिसके कारण से उनकी भावनात्मक मांग सरकार तक पहुंच नहीं पाती है। सरकार अपनी ओर से ध्यान नहीं देती इसलिए पुलिस अपने आपको शोषित, कुंठित महसूस करती है। मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर में सर्दी की रात में रुक कर देखा, पुलिसकर्मी के दर्द को जाना, मगर उनके दर्द और पुलिस की मांगों को भी इस बजट में भी नहीं रखा गया। मैं पुलिसकर्मियों की समस्याओं का ध्यान आपकी ओर खींचना चाहता हूं ताकि पुलिस अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर सके।

पुलिसकर्मी का वेतन ग्रेड 3600 किया जाए। डीपीसी टाइम पर करें तथा उनके स्केल का ध्यान रखा जाए। पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाए ताकि वह तनावमुक्त रह सकें। ड्यूटी का समय आठ घंटे किया जाए। मैस भत्ता 5 हजार रुपये किया जाए। वर्दी भत्ता 7 हजार से बढ़ाकर 10 हजार किया जाए ताकि पुलिसकर्मी बिना तनाव से अपना कार्य ढंग से कर सके।

इसके साथ-साथ पुलिस की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है, पर इनके पास जो संसाधन हैं उनसे यह लगता है कि डिपार्टमेंट की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि पुलिस के बिना एक मिनट भी काम नहीं चलता। जब कोई

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

वारदात हो जाती है तो इनकी गाड़ियों की हालत देखी जाती है तो वह गाड़ी के बिना नाकाबिल हो जाते हैं। गाड़ियां घटना स्थल पर जाती हैं और वारदात के पीछे भी जाती हैं। उनकी खटारा टाइप गाड़ियां हैं जिसके कारण से अपराधी जो अच्छे संसाधन लेकर आते हैं, हमारा जिला तो पंजाब और हरियाणा की सीमा पर है, वहां पर अपराध करने वाला 30 से 60 मिनट के अन्दर पंजाब चला जाता है और हमारे पुलिसकर्मी हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस चौकी और थानों में अच्छी गाड़ियां, पेट्रोल-डीजल, ड्राइवर और हथियार उपलब्ध करवाये जाएं ताकि चैन स्नेचिंग, मोटरसाइकिल, घर में चोरी, वाहन चोरी, हत्या जैसी घटनाएं रुक सकें।

इसके साथ-साथ, मैं पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल भी उठाऊंगा कि मेरे यहां रावतसर थाने में सतपाल सुथार एफआईआर नम्बर 577/2018, अभिषेक विश्नोई एफआईआर नम्बर 156/2019, ये दोनों व्यक्ति घर से निकले और दोनों का आज तक पता नहीं चला। अभिषेक की तो साइकिल एक साल बाद में राजस्थान कैनाल की नहर की बन्दी के दौरान नहर के अन्दर मिली परन्तु फिर भी अभी तक उनके घर वाले आस लगाये बैठे हैं, पर दोनों व्यक्तियों का अभी तक पता नहीं चला कि वह जिन्दा हैं या मुर्दा हैं, या वह कहां हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं बात करूंगा। पुलिस की कार्य प्रणाली सही नहीं है। पुलिस के पास परिवाद आता है तो बीट इंचार्ज को भेजा जाता है। बीट इंचार्ज सीधा जिस व्यक्ति के खिलाफ आता है, उसी से पूछताछ करता है और उसी को प्रताड़ित करता है या परिवाद देने के बाद उसी पीड़ित व्यक्ति को गाड़ी लाने के लिए कहा जाता है। कहता है कि मैं मौके पर जाऊंगा। एक गरीब व्यक्ति के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराना मुश्किल है। तब पुलिस दूसरे पक्ष से बात करती है। फिर वह उसके हिसाब से कार्य करता है और जो अपराधी से उससे पैसा लेकर परिवादी के साथ न्याय की बजाय अन्याय करता है। वह गरीब व्यक्ति लाचार होकर घर बैठ जाता है। सरकार यह कहती है कि एफआईआर दर्ज करो ताकि पीड़ित को न्याय मिले परन्तु भ्रष्टाचार खतम नहीं हो रहा है इसलिए परिवाद की जगह पहले एफआईआर दर्ज करें ताकि उस पीड़ित को न्याय मिले।

प्राय: देखने को मिलता है कि समय-समय पर पुलिस नाका लगाती है। उन नाकों के दौरान वाहन चैकिंग, कागज चैकिंग के बहाने कमी निकाल कर उसे परेशान किया जाता है। चालान इतना भारी भरकम बना दिया जाता

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

है कि व्हीकल थानों में गल जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाहन चैकिंग के नाम पर नाकों पर जो लूट-खसोट हो रही है, उसको बन्द किया जाये। हनुमानगढ़ जिले में भ्रष्टाचार साबित हुआ परन्तु कार्यवाही नहीं हुई और उन भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों को बहाल करके वापस ड्यूटी पर लगा दिया। जिला पुलिस की उदासीनता इतनी है कि हमारे यहां नशे के कारण, बढ़ते हुए नशे के कारोबार का, युवा पीढ़ी नशे के गर्त में जा रही है और सरेआम नशीली दवाइयों में अफीम, डोडा, पोश्त की भरमार है। इसे रोकने के लिए सरकार कार्यवाही करे।

चोरियां खूब होती हैं परन्तु बरामद नहीं होती हैं। घरों में चोरियां, मोटरसाइकिल चोरी, चेन स्नेचिंग, मोबाइल छीनना आये दिन वारदात होती हैं लेकिन केवल परिवाद लेते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। एफआईआर के लिए यदि कोई कहता है तो यह कह दिया जाता है कि यदि एफआईआर दर्ज कराओगे ता आपकी चोरी बरामद नहीं हो पायेगी और बरामद होगी तो कोर्ट के माध्यम से मिलेगी इसलिए वह डर जाता है। एक मोटरसाइकिल तो 15-20 दिन पहले चोरी हुई और तीन दिन बाद मिल गई। 15 दिन बाद उसको संभलाया। यह रावतसर थाने की घटना है, यह कहा कि यदि इसको एफआईआर के अन्दर लेते हैं तो तेरी मोटरसाइकिल यहां पर गल जायेगी। उस मोटरसाइकिल की चोरी किसने की, ऐसे व्यक्तियों की पहचान की जाए ताकि चोरी की घटनाओं पर काबू पाया जा सके।

सभापति महोदय, अब मैं मूल बात पर आता हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोलूवाला थाना, सीआई थाने में है, बडाली, जाखरावाली पुलिस चौकी है, उनको थानों में क्रमोन्नत किया जाए और गन्धेली में नयी चौकी स्थापित की जाए ताकि वहां पर आम आदमी को लाभ मिल सके।

आपने स्वागत कक्ष तो बना दिये विधायक कोष से, जब महिला थाने में परिवाद लेकर जाती है तो थाने में बैठने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं है। अत: मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पुलिस थानों में महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की जाए।

इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि फलौदी में जीनगर समाज के राहुल देवड़ा को 25.02.2022 को धमकी मिली थी। उसके बाद 28 तारीख को उसकी हत्या कर दी गयी और उसके दो दिन बाद झील के

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

अन्दर उसका शव मिला। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके साक्ष्य मिटाये नहीं जायें और राहुल देवड़ा के परिवार को न्याय मिले। धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मांग संख्या 16- पुलिस और 17- कारागार पर मैं सोचता हूं कि आलोचना जितनी भी करनी थी, विभिन्न प्रकरणों को लेकर, वह आलोचना कर दी। उसका लब्बोलुआब यही है कि इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ने के लिए हमें स्पेशल एफर्ट्स भी करना चाहिए और जनता को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम लोग सब मिलकर ऐसे अपराधियों को नियंत्रण करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे लेकिन, मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विभाग का जितना स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही यह विभाग सफल होगा। होता यह है कि इसको हम बजट अलाटमेंट तो करते हैं लेकिन बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण से जो सुविधाएं इसको मिल जानी चाहिए बजट के हिसाब से, परव्यू में रहते हुए, वह भी ठीक प्रकार से समय पर नहीं मिलती हैं।

मैं केवल आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, यह जो राजस्व व्यय है, आपने देखा होगा कि 2019-20 में आपने बजट में 6 हजार 245 करोड़ रखा था, उसमें से केवल आप 6 हजार 65 खर्च कर पाये। इसका मतलब 179 करोड़ रुपया जो आपने प्लान बनाया, उसमें आप खर्च तक नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं कि जितना पैसा अलाट करते हैं, इसकी मानिटरिंग करके निश्चित रूप से वह काम उनको किसी प्रकार से मिल जाए।

इसी तरह से 2020-21 में भी, 2019-20 में भी ऐसा ही हुआ और 2020-21 में तो यह बढ़कर 507 करोड़ रुपया, आप जो बजट अलोकेशन किया इनको, वह भी आप इनको दे नहीं पाए। 6,791 करोड़ किया और उसमें से खर्च हुआ है 6,283 करोड़ तो मैं चाहता हूं कि इसकी प्रोपर मानिटरिंग, जो भी धन इनको उपलब्ध कराते हैं, उसकी प्रोपर मानिटरिंग होकर जो काम इनको मिलना चाहिए, वह निश्चित रूप से मिले।

यह जो पूंजीगत व्यय होता है, वह किसी-न-किसी असेट को तैयार करने के लिये होता है, जो बड़ी मुश्किल से पैसा डवलपमेंट के लिए मिलता है, लेकिन उसमें भी ऐसी स्थिति ही है। मेरा आपसे आग्रह है कि यह जो 2018-19 वाला बजट था, उसमें तो जितना अलाटमेंट हुआ, उससे 60 करोड़ अधिक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

खर्च करके इनको स्ट्रेन्थन किया और 2019-20 में आते ही जितना आपने अलाटमेंट किया, 254 करोड़ रुपया अलाटमेंट किया था पूंजीगत खाते में, उसमें से केवल 208 करोड़ ही खर्च कर पाए, 45 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। 2020-21 में भी आपने 213 करोड़ रुपया इनको इस बात के लिये रखा था, उसमें से केवल और केवल 137 करोड़ रुपया खर्च किया। आपका लगभग 76 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अब आपने यहां जो 113 करोड़ पूंजीगत खर्चा माना, उसमें आपने अगला जो बजट 2021-22 का अभी 31 मार्च को पूरा हो जाएगा, सीधा उठाकर 310 करोड़ रुपया रख दिया। यह केवल और केवल फिगर एडजस्टमेंट होता है। सच में इतना जल्दी 137 करोड़ रुपया जो खर्च करता है, 31 दिसम्बर में, 2022 में आते-आते मार्च में 310 करोड़ रुपया खर्च कर देगा, यह केवल हवाई किले हैं। इसको आप थोड़ा-सा देखो कि वास्तव में जो अलाटमेंट होता है, वह धरती पर लाने जैसी स्थिति में भी है कि नहीं है, केवल डवलपमेंट के नाम से दिखाते हैं, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं होता और खर्च नहीं कर पाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस आवास, मैं सोचता हूं कि बहुत प्रयत्न करके, अब आपको मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमने कर्जा लेकर भी 10 हजार क्वार्टर्स बनाए ताकि पुलिस के लोग अपने परिवार के साथ रहकर थोड़ा बहुत शान्ति का जीवन गुजार सकें और आपकी 24 घंटे की ड्यूटी भी दे सकें। इसलिए 10 हजार क्वार्टर्स बनाने का हमने प्रयत्न किया, लेकिन आपका यह जो पिछला फिगर मैं देख रहा हूं 2020-21 का, आपको अलाटमेंट हुआ था 220 करोड़ रुपया। आपके अलग-अलग हैड में समय बहुत लगेगा। पुलिस प्रशासनिक भवन, पुलिस आवासीय भवन, 10 हजार पुलिस आवासीय भवनों हेतु ऋण का पुनर्भुगतान, पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य, पुलिस प्रशासनिक भवनों की मरम्मत, पुलिस आवासीय भवनों की मरम्मत, यह सब मिलाकर आपको 220 करोड़ रुपया अलाट हुआ। इसमें आप केवल 116 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। अब आपके पास रुपया था। आप यह सुविधा जुटाते तो पुलिस का 103 करोड़ रुपया, एक तरह से उसमें से आप खर्च नहीं कर पाए। 116 करोड़ खर्च किया और 103 करोड़ रुपया आपने बचा लिया।

इसी तरह से आपने देखा होगा कि 2021 वाला जो बजट है, 2021 वाले बजट में भी टोटल अलाटमेंट था 233 करोड़ और खर्च कर पाए 106

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़, मतलब अब कोई इसको देखता ही नहीं है कि हमारे पास उपलब्ध साधन क्या है और उन साधनों का हम उपयोग कैसे करें, इसकी ओर निगाह ही नहीं जाती है।

इसी तरह से आपने देखा, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर आप इस बारे में देखो कि वास्तव में पुलिस और विशेषकर महिला अपराध की दृष्टि से हमारा ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो पूरे प्रदेश को एक तरह से दु:खी कर रहा है। केवल आप और मैं नहीं, जो सर्वसाधारण आदमी भी जब उस घटना को सवेरे पढ़ता है तो उसके दिमाग में करंट की तरह से चुभता है। मैं सोचता हूं इस पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी थोड़ा सख्त करिए ताकि कम से कम अपराध होगा, लेकिन अपराधी को पकड़ना और सज़ा तक पहुंचाने में जितनी तेजी ला सकते हैं, उतनी तेजी लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसकी गिनती कराने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा।

माननीय सभापति महोदय, 2019 में आपका 41,155 महिला अपराध, सारा मिलाकर और अभी 2020 में, यह जो कोविड काल था उसमें भी 34,300 था और 2021 में वापस 40 हजार हो गया। यह सारा मिलाकर अपराध 17 प्रतिशत बढ़ा है, केवल महिला अपराध, बाकी अपराधों के बारे में नहीं कह रहा हूं। महिला अपराध के कारण से हमारी क्या स्थिति बनी? यह जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, इसके तहत 2019 में भी राजस्थान महिला अपराध की दृष्टि से नम्बर वन है। मैं यह बोलने के लिये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चिन्ता करने के लिये बोल रहा हूं कि आखिर इसके कारण से प्रदेश की बदनामी होती है और प्रदेश को इससे थोड़ा शर्मिन्दा होना पड़ता है और 2020 में भी यही रहा। नेशनल क्राइम रिपोर्ट में हिन्दुस्तान में हम नम्बर वन पर हैं और अफसोस इसलिए है कि जो नम्बर दो पर है, वह उत्तर प्रदेश है। नम्बर दो वाला उत्तर प्रदेश हमसे आबादी में कई गुना अधिक है। हमारे अपराध हैं 5,310 और उनके अपराध हैं 2,796, लगभग-लगभग आधे। इसका मतलब निश्चित रूप से इस बारे में हमको चिन्ता करनी चाहिए।

हम हत्या की दृष्टि से भी देश में छठे स्थान पर हैं। पोक्सो एक्ट के पंजीकरण का मैंने आपको उस दिन भी प्रश्न के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि पोक्सो एक्ट की यह जो धारा 4 और 6 का है, इसमें भी आपकी बढ़ोतरी 18 प्रतिशत है। इसी तरह से पोक्सो एक्ट और सारा मिलाकर लगभग 11 परसेंट की एक तरह से वृद्धि है। इस पर आपको निगाह डालनी चाहिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इस पर चिन्ता करनी चाहिए। विशेषकर यह अपराध केवल वहीं नहीं, जनजाति और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं के साथ जो बलात्कार के प्रकरण हैं, वह भी एकदम बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसके बारे में अलग से मानिटरिंग करनी चाहिए कि वास्तव में 2019-20 में 655 था, वह 2020 में हो गया 595 और 2021 में सीधा ही बढ़कर 715 हो गया। इसका मतलब इनकी मानिटरिंग चाहिए। यह डिपार्टमेंट की कुछ कमी निकालना नहीं है। अगर एस.पी. निरन्तर अपने सारे एस.एच.ओ. को महीने में एक बार बुलाकर उसके यहां जो भी अपराध दर्ज हो रहा है, उसके बारे में पूछताछ करने का भी प्रयत्न करे कि हमें निश्चित रूप से जाकर इस बारे में अपनी बात कहनी पड़ेगी तो मैं सोचता हूं कि धीरे-धीरे कार्य में सुधार होगा। अब यह 20 परसेंट, यानी शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिला, बलात्कार वाले मामलों में कह रहा हूं, 20 परसेंट की बढ़ोतरी होना, यह राजस्थान को शोभा देने लायक नहीं है, इस पर गहराई से विचार करना चाहिए।

आपने देखा होगा कि मेरे समय में भी, दुर्घटनाओं में जो डैथ हो रही है, लगातार हम हर साल टार्गेट तय करते हैं, लेकिन हम अचीव नहीं कर रहे हैं। लगभग-लगभग 10 हजार लोगों की मृत्यु इसमें होती है, तो मैं सोचता हूं कि हमारे प्रयत्न, हमारी मीटिंगें, हमारा टार्गेट, हम इतना परसेंट कम करेंगे, यह केवल और केवल अभी कपोल-कल्पित है। इसके बारे में निश्चित रूप से विचार करें। इसमें या तो आपकी ट्रैफिक पुलिस सशक्त नहीं है और सबसे बड़ी राजस्थान अगर कोई कमजोरी है, तो हमारे पास ट्रैफिक पुलिस जितनी होनी चाहिए और उसके लिये जिस प्रकार की मोबाइल वैन होनी चाहिए, वह उनको उपलब्ध नहीं होने के कारण से यह नेशनल हाईवे और बड़ी सड़कों के ऊपर जिस प्रकार का ट्रैफिक चल रहा है, इसको समय पर कंट्रोल करने के लिये किसी के पास कोई साधन नहीं है। मैं सोचता हूं इसको अगर कम करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करना चाहिए।

अब मैं पाली जिले के बारे में तो जो घटनाएं हुई हैं आज और कल की, उसको छोड़िए, वह तो चर्चा में आ गया। एक बच्चों की सुरक्षा के लिये आप इसमें थोड़ी चिन्ता करिये। राजस्थान में बच्चों के प्रति अपराध की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पर निगाह डालने की जरूरत है। ऐसे ही किशोर न्यायालय अधिनियम,1955 में सभी जिलों में जिला स्तर पर विशेष किशोर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुलिस इकाई का गठन करने का प्रावधान है। अधिकांश जिलों में यह इकाई गठित ही नहीं हुई है। प्रावधान किया था इसको गठित करने का, और जहां कहीं गठित है वहां उसका कोई काम ही नहीं है। वह खाली कागजों पर ही रह गयी है। किसी ने भी उसके बारे में यह चिन्ता ही नहीं की कि इसके गठन के पीछे कोई उद्देश्य था, उस उद्देश्य की दृष्टि से हम कामयाब नहीं हो पाए। जिला स्तर पर विशेष किशोर पुलिस इकाई के संचालन के लिये अलग से कैडर बनाया जाना चाहिए। जैसे आपने महिला अपराध के लिए, एस.सी., एस.टी. अपराध के लिए किया है वैसे ही निश्चित रूप से बच्चों के ऊपर कोई अपराध या उनके साथ जो घटनाएं हुई हैं, उनके लिए भी कोई न कोई अलग कैडर तय करना चाहिए ताकि वह इसको समय पर कंट्रोल करें और इसको कम करने का प्रयास करें। किशोर न्याय अधिनियम, 1955 में थाने के स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है। इस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की भूमिका थाने में आने वाले बच्चों के मामले में अनुसंधान कर कार्यवाही करने की है। गत वर्ष में बच्चों के विरुद्ध अपराध, 7 हजार से अधिक मामले राज्य में दर्ज हुए हैं। यह सामान्य घटना नहीं है। बहुत बड़ा फिगर है। इस पर हमें ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

बाल कल्याण का जो है, इसमें हमने एक प्रयोग किया था, अगर आपको ठीक लगे तो उसको आप आगे बढ़ाइये। हमने 2014 में गांधी नगर पर जयपुर पुलिस सहयोग से, देखभाल, संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पुनर्वास करने और उनके माता-पिता से मिलाने में सहयोग करने के उद्देश्य से देश का पहला सेंटर 2014 में एनजीओ के माध्यम से स्थापित किया था। उसके कारण से केवल इस एक थाने से हम 2700 बच्चों को वापस उनके माता-पिता से मिलाने में सफल हो गये। मैं सोचता हूं कि ऐसी अगर कोई हर जिले में चिंता करे तो जो बच्चे इधर-उधर हो गये हैं, उनको हम उनके घर तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

अब यह जो आपकी एफएसएल यूनिट है, यह वास्तव में हमारे लिए क्राइम को सज़ा तक पहुंचाने में सबसे सशक्त साधन है। इसको केवल बातों में टालकर के कि मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं सोचता हूं कि इस यूनिट को जितना स्ट्रेंथन करोगे उतनी ही परफेक्ट सज़ा दिलाने में हम सफल हो जायेंगे। कई केसों में जिसके परिवार के साथ हुआ, वह भी प्रेशर से या लालच से, अपने गवाहों को बदलकर के पक्षद्रोही बन जाता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। ऐसे समय में एफएसएल के द्वारा जो जांच हुई है, वह एविडेंस के रूप में काम आकर के उसको सज़ा तक निश्चित रूप से पहुंचाया जा सकता है।

एक बच्ची के साथ में रेप हुआ, उसमें बच्ची के हाथ में बाल आ गये। बाल का इंवेस्टिगेशन होने के बाद पता चला कि यह फलां आदमी का बाल है। उसको आजीवन कारावास हुआ। मैं सोचता हूं कि इतनी परफेक्ट यूनिट है। इस यूनिट को आप जितना स्ट्रेंथन करोगे, उतना ही अपराध पर कंट्रोल करने में हम सफल हो जायेंगे लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि डायरेक्टर का कोई अता-पता नहीं है।

इसी तरह से हमने उस दिन भी कहा था कि आपके वरिष्ठ वैज्ञानिक और विशिष्ट वैज्ञानिकों के पद इतनी बड़ी तादाद में खाली हैं कि जिनकी कोई चिन्ता करने वाला है या नहीं, मुझे नहीं मालूम।

अब यह आपने कहा कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हमने जो किया वह आपकी फाइल पर पड़ा होगा। जब 10 हजार केसेज एफएसएल के थे, जो जांच होने बाकी थे, उसको मैंने निरन्तर मानिटरिंग करके 6455 पर लाया था। लास्ट में जब मैंने आपको दिया तो 6512 पर दिया था। आज की तारीख में 19526 केस पैंडिंग हैं। घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं आपकी एफएसएल यूनिट जो मोबाइल यूनिट भी है और आपके जिले में भी है, हर एक 30 जिलों में मोबाइल यूनिट दे रखी है, आखिर वह काम क्या करते हैं? उसका अगर उपयोग वहां नहीं है तो आपकी जो सम्भागीय स्तर पर लैबोरेट्री बनी हुई हैं, उनमें पावर देकर के स्ट्रेंथन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां जांच होकर परिणाम आ सकें।

अब एक आपसे आग्रह है, हम भी उसके कितने दोषी हैं वह नहीं, मैं एक वकील भी रहा हूं, इसलिए मुझे लगता है कि यह जो पीपी बनाते हैं, यह पोलिटिकली बनाते हैं। इनका आप सज़ा का परसेंटेज देखें तो आपकी आंखें खुल जायेंगी। जो आदमी मर्डर के केस को डील करता है, जिसमें आजीवन कारावास होता है, वह अगर कानूनी रूप से स्ट्रांग नहीं है, केवल बीजेपी, कांग्रेस का कार्यकर्ता है इसलिए उसको बनाना उचित नहीं रहेगा। इस पर आप निश्चित रूप से विचार करिये कि इसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकें, ताकि उसके कारण से जो इस प्रकार के केसेज को डील करते हैं, वह इस तरह के लोगों के द्वारा नहीं हों।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरे आपको कुछ सुझाव हैं अगर आप कुछ कर सको तो। एक तो यह जो कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल से एएसआई, एसआई बनते हैं। मैंने मेरे सब अधिकारियों से खूब माथा मारा लेकिन पता नहीं उनका दिमाग ही नहीं चलता। कहते हैं कि इनकी परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि अयोग्य हैं। यह सब योग्य हैं? एक बार आरपीएस बन गये, आईपीएस बन गये, इनका तो टाइम पर प्रमोशन नहीं हो 4 दिन, तो इनको कीड़ियां लग जाती हैं और वह 18, 22 साल तक कांस्टेबल पड़ा रहता है। उसका बच्चा बार-बार जब कहता है कि मेरा पिता क्या है, कांस्टेबल है, तो उसको दर्द तो होता है। बड़ी मुश्किल से प्रयत्न करके इनको समझा-समझा करके, बार-बार कहकर मैंने कोशिश की कि चलो 50 परसेंट आप इनका सलेक्शन कर लो। 50 परसेंट इनको सीनियरिटी के आधार पर भी बना दो। मैंने एक साथ 5 हजार हैड कांस्टेबल बनाये। वह प्रोसेस वहीं का वहीं रुक गया। उसका प्रमोशन समय पर हो जाये, एएसआई से एसआई बने, उसका प्रमोशन हो या न हो, उसकी इन सब बड़े-बड़े लोगों को कोई चिन्ता नहीं है। लेकिन इनका प्रमोशन 4 दिन देर से हो तो आपको, मेरे को, सबको पहुंच जायेंगे कि डीपीसी नहीं हो रही है। फलां फाइल वहां दिल्ली में फंस गयी है या फलां फाइल वहां अटकी हुई है। आपको इतनी चिन्ता होती है तो उस गरीब का क्या दोष है?

मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं मैं सोचता हूं कि जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, वह छोटा आदमी जितनी आपके लिये जान लगाता है, इस कोरोना काल में वह सड़क पर खड़ा रहा, उसको धन्यवाद देना चाहिए। आप और हम सब घरों में ही इन्तजार कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि कोविड के समय में जो भी पुलिस की नौकरी देता हुआ, अगर उसकी कोविड से डैथ हो गयी तो उसके बच्चे की हायर से हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार को वहन करनी चाहिए, ताकि कम से कम उसके बच्चे को यह अहसास हो कि वास्तव में सरकार ने मेरे इस काम को इस तरह से सराहा है।

मैं सोचता हूं कि पुलिस विभाग में राजनैतिक दखलन्दाजी आप जितनी कम कर सकोगे उतनी पुलिस स्ट्रेंथन होगी। चाहे वह सरकार मेरी रही हो, चाहे आपकी रही हो, मजबूरियां आपकी हैं, मेरी भी हैं, मैं भी इसको मानता हूं, लेकिन कोशिश करिये कि इस राजनैतिक दबाव से पुलिस को बाहर लाने का प्रयास करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दूसरा, यह है कि आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, वह डिपार्टमेंट बहुत भाग्यशाली है कि आज दिन तक जितने डीजी रहे हैं, वह एक से एक बढ़िया रहे हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं निकाल सकते। जब आपके पास इतना बढ़िया मैटेरियल है तो फिर नीचे यह कचरा क्यों हो रहा है? किस कारण से जिस परिणाम को हम लाना चाहते हैं, वह हम नहीं ला पा रहे हैं? उसका कारण यह है कि हमारा सलेक्शन प्रोपर नहीं है। मैं सोचता हूं कि किसी को अगर हम एसपी लगायें तो उसको एसपी होने का अहसास भी होने दो। वह एक कांस्टेबल का ट्रांसफर भी आपसे और मेरे से पूछे बिना नहीं कर सकता तो फिर क्या थाना चलायेगा? अगर कोई एसपी किसी थानेदार की गलती के आधार पर उसको सज़ा नहीं दे सकता है तो वह कैसे प्रशासन चलायेगा? अगर आपको लगता है कि एसपी काबिल नहीं है तो उसको सज़ा दो लेकिन उसको फ्री रखो, उसको मौका दो। यह टार्गेट मत करो कि 2 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा, 3 साल तक ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ट्रांसफर होगा। गलती करेगा तो उलटा लटकायेंगे। वह चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो।

मुझे बहुत खुशी होती है कि आईजी को भी ट्रैप किया जा सकता है। एसपी को भी ट्रैप किया जा सकता है। यह राजस्थान का उदाहरण, हिन्दुस्तान में बहुत सम्मानजनक बना है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि उसका परिणाम जब देखने को मिलता है तो बहुत दुख होता है। इतने बड़े काम के लिये जिस आदमी ने हिम्मत की होगी उसको थपथपी देने के बनिस्बत, उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाये तो बहुत दुख की बात है।

राजस्थान में संगठित गैंग्स हैं। यह कौन नहीं जानता है? आपका भी इतना साल का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। इन गैंग्स को अगर पुलिस का आदमी नहीं जानता है कि रेत माफिया कौन है, मेरे जिले में शराब माफिया कौन है? अगर वह यह नहीं जानते हैं कि भूमि माफिया कौन हैं, गैंग लीडर कौन है, अगर यह नहीं जानता तो उसको पुलिस की ए, बी, सी, डी ही नहीं आती। उसको डिपार्टमेंट से बाहर निकालो अगर उसको आंख के नीचे यह नहीं दिख रहा है कि कौन-कौन हैं, लेकिन कई बार तो वह पुलिस के संरक्षण में बढ़ रहे हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ा सख्त हो जाओ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अगर पुलिस चाहे तो इस प्रकार के शराब माफियाओं की गैंग को नहीं पहचाने? आपने देखा होगा सिरोही के एसपी की क्या दुर्गति हुई थी? क्या यह सबको दिखती नहीं थी? हमारे पिण्डवाड़ा के एमएलए ने बार-बार इस विषय को उठाया था लेकिन ऊपर से सभी आंखें बंद करके बैठे हैं।

हमारे यहां हैडक्वार्टर पर बैठा हुआ पुलिस का आफिसर अगर यह नहीं पता कर सकता है कि उसका कौन-कौन एसपी लेने-देने के धंधे में है। आप और हम नहीं जानते हैं क्या कि थाने पर वह लगेगा, बिछीवाड़ा में, जो ज्यादा पैसे देगा। यह जो सिस्टम है, इसको जब तक नहीं तोड़ोगे, पुलिस ताकतवर नहीं होगी। पुलिस को अगर ताकतवर करना है तो व्यक्ति का चयन करो। अच्छे व्यक्ति को सम्मान दो। बुरे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करो, तब तो जाकर आप कुछ काम कर सकते हो, बाकी तो हम केवल बातें करते रह जायेंगे।

एक मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैंने कोशिश की थी कि हर महीने में, हर थाने को ग्रेडिंग देना, हर एसपी को उसके विभिन्न कामों के बारे में ग्रेडिंग देना। उसको पता था कि 961 अगर राजस्थान में थाने हैं तो मेरा थाना 815 पर आया, मेरा थाना 10वें नम्बर पर आया, मेरा थाना फर्स्ट आया। हर बार काम्पीटिशन होता था काम के बारे में थानों के अंदर। उसके कारण से एक सुधार हुआ लेकिन आपने उसको दफ्तर दाखिल कर दिया। यहां तक कि 44 एसपी हैं, उनको भी हर महीने में रैंक मिलती थी कि अब की बार उत्तर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के एसपी की रैंक 44 आयी, 33 आयी या 12 आयी, तो उसमें काम करने की जिज्ञासा पैदा होती है और काम भी होता है। मैं सोचता हूं कि इसमें आप सुधार करें।

(समय: 19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा यह कहना है कि जन प्रतिनिधि को आप ऐसे ही मत समझो। कम से कम साल में तीन बार या चार बार उस जिले के जन प्रतिनिधि जो आपके कैडर में आते हैं, उनके साथ आपका हायर आफिसर जाकर एसपी के साथ बैठे और क्राइम रिपोर्ट के बारे में एक-एक थाने का विश्लेषण करे तो जो भाषण हम यहां देते हैं, उसको देने की जरूरत ही नहीं है, वहीं समस्या सामने आयेगी और उसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित रूप से सुधार आयेगा। अगर मेरी भी कोई मानिटरिंग करने वाला हो कि गुलाबजी, आज दिन भर में क्या किया तो मैं भी अपने आपको सुधारने का प्रयत्न करूंगा। व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसको निरन्तर देखना भी जरूरी होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर निवेदन करता हूं कि पुलिस को जितनी सुविधाएं दे सकते हो, दो। पुलिस जिस प्रकार से काम करती है, वह तो आप और हम एक दिन करें तो हम चीं बोल जायेंगे लेकिन वो किस तरह से काम करता है इसको आप और हम अच्छी तरह से रोज देखते हैं। अगर पुलिस के साथ मारपीट हो जाये, पुलिस को कोई दबंग मार जाये और उसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ बांधे बैठी रहे, मैं कहता हूं कि मेरे किसी कांस्टेबल पर अगर किसी ने मारा है तो मैं उसका पूरा कचूमर निकालकर छोड़ूंगा तब तो जाकर पुलिस का इकबाल बचेगा। यह क्या बात हुई, वह कांस्टेबल है तो इसका मतलब यह थोड़े है कि वह थप्पड़ मारने के लिए है, कोई भी आये कुछ भी कर जाये।

माननीय सभापति महोदय, सच कहता हूं कि इस बार मुझे खुशी हुई कि कुछ ऐसे अधिकारियों ने, डीजी ने उल्टे लटकाने का प्रयास किया, मैं उसकी तारीफ करता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है चाहे वो कुछ भी हो। हमारा छोटे से छोटा कर्मचारी भी हमारी ताकत है, उसके सम्मान की रक्षा करना हमारा धर्म है और अगर आप यह करोगे तो वह चौगुना दौड़ेगा, चौगुना काम करने का प्रयास करेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने स्वागत कक्ष तो बनाये, वहां पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एक सीसीटीवी कैमरा तो लगा दो, जिसके कारण से वास्तव में वह स्वागत कक्ष में बैठकर दिन भर में किसी से बात भी करता है कि खाली गपोड़े मारता है। थाने में आने वाला व्यक्ति स्वागत कक्ष में बैठा कि नहीं बैठा, इसकी दिन भर की रिपोर्ट तो इकट्ठी करो कि स्वागत कक्ष में आज कौन-कौन आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ?

माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, हमारी पुलिस अभी उसके लिए उतनी एफिशिएंट नहीं है। आज साइबर क्राइम के लिए अलग से भर्ती करो, इस प्रकार के टैलेंटेड बच्चे जो साइबर क्राइम के आधार पर अपराधी तक पहुंच सके, उनका अलग से कैडर बनाओ और अलग से कैडर बनाकर हर थाने में एक-दो साइबर क्राइम का एक्सपर्ट चाहे वह कांस्टेबल ही हो, आजकल तो कांस्टेबल ही इतने होशियार हैं, जिनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कई चीजें निकालकर वे दे देते हैं, हम ढूंढ़ते ही रहते हैं। मैं सोचता हूं कि उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग में डालो। जिनमें भी इस प्रकार की क्षमता हो तो वह विकसित की जाये।

माननीय सभापति महोदय, एक बात मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, मैं सोचता हूं कि इस जेल को जिस प्रकार से दुर्गति में लाये हैं, इस पर विचार करो। जेल नौकरी में आदमी मजबूरी में आता है, करनी पड़ती है। उसका कारण यह है कि 1998 में वेतन आयोग के कारण से पहले पुलिस कांस्टेबल और मेरा प्रहरी एक ही स्केल में था। यानी उस समय 2750-4400 वाली ग्रेड थी, उसमें पुलिस कांस्टेबल भी था और हमारा प्रहरी भी उसी में था, मुख्य प्रहरी भी उसी में था और हैड कांस्टेबल भी उसी में था। 1998 के बाद आपने क्या किया, हमारे वित्त विभाग का एक आदेश निकला उसमें विभाग के कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल और उप निरीक्षक के वेतनमान संशोधित कर दिये गये, इस संशोधन के बाद कांस्टेबल का वेतन 2750-4400 के स्थान पर 3050-4590 कर दिया गया और हैड कांस्टेबल का 3050-4500 के स्थान पर 3200-4900 रुपये कर दिया। उसके कारण से ये जो पे स्केल का अन्तर 1998 में आया तो पुलिस के साथ-साथ जो प्रहरी समान वेतनमान लेता था उसको आपने बहुत नीचे रख दिया, वह लगातार अपनी मांग करता रहा और उस मांग के लिए एक नहीं, तीन-तीन कमेटियां बनीं। तीनों कमेटियों ने उनके पक्ष में दिया, वो न्यायालय में भी गये 2003 में तो न्यायालय ने भी उनका फैसला कर दिया कि आप इनके वेतनमान की विसंगति को ठीक करो। वित्त

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विभाग ने भी उसे मान लिया। सारा डिपार्टमेंट मानता है, लेकिन डिपार्टमेंट के मानने के बाद में भी, निर्णय हो जाने के बाद भी, भूपेन्द्रजी के समय में निर्णय हो गया था कि इनको यही वेतन मिलेगा जो कांस्टेबल को मिलता है लेकिन आज दिन तक उसको ये वेतनमान नहीं मिला। उसके कारण से जैसे ही उसकी नौकरी कहीं लगती है तो वो यहां से छोड़कर दूसरी जगह जाता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि पुलिस के साथ-साथ अगर आप जेल को भी ठीक करना चाहते हो तो यह जो वेतनमान का अन्तर है, वो फाइल पर बिलकुल कम्पलीट हुआ पड़ा है। मेरे समझ नहीं आता कि कौन इसको बार-बार इधर से उधर करता है और उसके इतने बड़े हक को मार लेता है क्योंकि वह बिलकुल असहाय है, कहीं जाकर कह नहीं सकता, कहीं बोल नहीं सकता तो मैं सोचता हूं कि इसके बारे में आपको जरूर विचार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से एक और सजेशन दिया है शायद डीजी ने, एक नई स्केल बना दो, वरिष्ठ प्रहरी। एक मुख्य प्रहरी होता है, वरिष्ठ प्रहरी होता है, तो उसमें उन्होंने एक और वेतन स्केल बीच में से निकाला क्योंकि मुख्य प्रहरी के बढ़ने के लिए जो पद है वह केवल 613 है और हमारी जो सारी स्ट्रेंथ है वह लगभग 3000 है प्रहरियों की, उसमें से प्रमोशन होकर जायेगा तो 15-20 साल तक वह प्रमोशन नहीं ले सकता। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि वरिष्ठ प्रहरी का एक और ग्रेड बीच में बना दो जिसके कारण से उसका प्रमोशन जल्दी हो जाये उसको यहां अपने काम में इंटरेस्ट रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, जेल की जो दुर्गति है, हम इधर-उधर से, कहीं आरएसी को लगाते हैं, कहीं और किसी को लगाते हैं और एक बार काम धकाने का काम करते हैं। हम उनसे चाहते तो बहुत हैं कि ये इल्लीगल काम हो रहा है लेकिन स्ट्रेंथ ही नहीं है और स्ट्रेंथ जो है उसके मन में कोई चाव ही नहीं है नौकरी करने का, उस समय उसको कैसे सम्भाला जाये? हम बाहर से लोगों को भेज-भेजकर उस जेल डिपार्टमेंट को सम्भाल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि आपके अधीक्षक ग्रेड सैकंड, 18 पद कुल हैं, ये आपके 2019 में भी 15 खाली थे, 2020 में भी 15 खाली हैं और 2021 में 14 खाली 18 में से 14 खाली, 15 खाली, यहां सुपरिंटेंडेंट जेल होता है उसके बाद नैक्स्ट जो पोस्ट होती है, जो सम्भागीय जेलें हैं, केन्द्रीय जेलें हैं उनमें तो आपका सुपरिंटेंडेंट रहता है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसका सैकंड अधिकारी रहता है। इसमें उप अधीक्षक 36 में से 2019 में 25 पद खाली हैं। 2020 में भी वो ही 36 में से 26 खाली हैं, फिर आपके 2021 में 36 में से 30 खाली हैं। जब अधिकारी ही नहीं होगा, कोई सम्भालने वाला व्यक्ति ही नहीं होगा तो आपके उस जेल प्रशासन को दोष देने से क्या फायदा होगा कि यह हो गया, वहां यह हो गया, आलोचना करना बहुत आसान है पर मैनपावर तो हो जो कंट्रोल करे, वह नहीं है तो कंट्रोल कौन करे? आपके यहां तो दुर्भाग्य यह है कि 2019 में 3849 में से 739 पद खाली थे, 2020 में आपके 3849 में से 839 पद खाली थे और 2021 में बढ़कर 3849 में से 923 पद खाली हैं। अब जहां स्ट्रेंथ ही नहीं हो, आप उधर से आरएसी को भेज कर काम चलाओ तो कैसे चलेगा?

माननीय सभापति महोदय, जेल में जिस प्रकार से लोगों को ठूंस रखा है, मैं सच कह रहा हूं आपको, भगवान न करे कि आपको और हमको वह दिन देखना पड़े, आप वहां सो नहीं सकते, करवट नहीं ले सकते। मतलब उस बैरक में करवट लेना भी मुश्किल है, जो जिस तरफ सोया है, उसी तरह से सोया रहे। विचार तो करना पड़ेगा। मेरा सुझाव है कि जो सज़ायाफ्ता हैं, जिनको आलरेडी सज़ा हो गयी, दस साल, बारह साल, पन्द्रह साल, जो कुछ भी हो गयी, उनके लिए एक सेपरेट जेल बना दो, कम से कम जो जिला केन्द्र है, आपके जो मेन जेल है, जिसको सेंट्रल जेल है उनमें कम से कम इनकी एक अलग जगह बना दो ताकि दोनों का मेल मिलाप न हो तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वहां जिस प्रकार के लोग, अब मुझे तो यहां 20 साल रहना है, 25 साल रहना है, तो मैं तो ऊंट-पटांग जो भी मन में आये करता ही रहूंगा लेकिन जो नये आये हैं, जो बिलकुल ट्रायल पर आते हैं उनको वे चूसने का धन्धा करते हैं। उनको डरा धमका कर उनके पैरेंट्स से पैसे मंगवाते हैं, सामान मंगवाते हैं, हर चीज की पूर्ति करवाते हैं। मेरा निवदन है कि यदि सम्भव हो सकता हो तो कम से कम जो सजायाफ्ता हैं, चाहे वो चार सौ हैं, तीन सौ हैं, पांच सौ हैं, उनके लिए ही अलग एक सेपरेट जेल बना दो तो कम से कम इन दोनों का मेल मिलाप नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, कैदियों की आपके बड़ी अजीब स्थिति है। उदयपुर में 910 की स्ट्रेंथ है 1276 है, 140 परसेंट है। कैसे रहेंगे? यह स्थिति सभी जगह है। कोटा में 1009 की कैपेसिटी है 1323 है। इसी तरह से आपके जयपुर में 1173 की है, 1465 लोग हैं तो कम से कम इस पर निगाह तो हो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है, राजसमन्द की जेल में कैपेसिटी है 55 और इसकी जगह कैदी कितने 162, मतलब उस कमरे में कैसे तो रहे, कैसे लैट्रिन जाये, कैसे काम करे। मैं सोचता हूं कि इस पर आप कुछ विचार कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, इसमें भी फीगर देखने से दिमाग में यह आया कि हमारे जो विचाराधीन कैदी हैं, इनमें से अधिकांश नौजवान विचाराधीन कैदी हैं, अधिकांश। बहुत बड़ी संख्या में हैं। आपको आश्चर्य होगा कि राजस्थान में विचाराधीन बन्दी, अंडर ट्रायल, 2020 में इनकी संख्या 14126 थी जो वर्ष 2021 में बढ़कर 17954 हो गयी। ये सब यंग बच्चे हैं, ये बन्दी हैं जिनको सज़ा नहीं हुई और आवश्यक भी नहीं है कि इनको सज़ा होगी लेकिन पड़े हुए हैं। कोई आठ बरस से, कोई सात बरस से, कोई छह बरस से और विशेषकर मेरे ट्राइबल एरिया में उनकी कोई जमानत देने ही नहीं आता है। छोटी-मोटी जमानत के कारण से भी वह वहीं पड़ा रहता है। मैं सोचता हूं, इसके बारे में विचार करना चाहिये और इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिये, चाहे इन्हें जमानत पर, चाहे पेरोल पर, चाहे जिस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं। ये जो आंकड़ों के अनुसार 31 दिसम्बर, 2020 को प्रदेश में कुल विचाराधीन 16908 बन्दियों में से लगभग आधे 8828 विचाराधीन बन्दी 18 से लेकर 30 वर्ष की आयु के थे। अब आप विचार कर सकते हैं कि अगर इन्हें यही पता नहीं है कि हमें सज़ा होगी या क्या होगी तो पड़े हुए हैं, क्या इनकी मानसिकता होती होगी, इसके बारे में हमें स्वयं विचार करना चाहिये। जेल में सुधार के लिये मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक जेल विकास बोर्ड का गठन 18.09.2019 को किया गया था। आज तक एक मीटिंग नहीं हुई।

ये जो चीजें हम बनाते हैं न, वापस कोई इन्हें देखता नहीं है कि यह बोर्ड क्यों बनाया। वह भी मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में। इसका मतलब जेल के ऊपर बार-बार विचार हो और उसमें सुधार की कहां-कहां गुंजाइश है, उसके लिये प्रयत्न करें। अब यह मोबाइल, मादक पदार्थ और इन समस्याओं का हल, मैं सोचता हूं कि जब तक आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होगा और साधन नहीं होंगे, हमने 18-20 करोड़ के जैमर लगाये थे, बहुत दुख है मन में आज की तारीख में मुझे, मुझे जो साइंटिस्ट्स ने कहा था कि इसके कारण से जेल में मोबाइल काम में नहीं आयेगा, हमने आर्डर दिये और लगा दिये। वे ठूंठ की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तरह खड़े रह गये। 18-20 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। कहीं भी उपयोग ही नहीं हो पाया।

इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हमें निश्चित रूप से विचार करना चाहिये। खुली जेल के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं। राजस्थान हिन्दुस्तान का पहला राज्य है, जहां खुले बन्दीगृह के कारण से हमें हर न्यायालय में बहुत ही एप्रीशिएशन मिला कि एक अच्छा प्रयोग राजस्थान ने किया खुली जेल में जिन लोगों को रखकर उनके जीवन को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसमें केवल 310 बन्दी हैं, जबकि आज की तारीख में हमारी कैपेसिटी 1424 की है। अच्छा हो कि जिन लोगों का भी आचरण ठीक हो, उन्हें खुली जेल में लाएं ताकि वे काम-धन्धा भी कर सकें और परिवार के साथ रहने की भी उन्हें सुविधा मिले। यह बहुत ही सफल प्रयोग राजस्थान ने किया। इसके बारे में सोचना चाहिये।

अभी यह जो 2015 में नया जेल मैन्युअल बनाने के लिये विश्वास जी की एक कमेटी बनायी थी, उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट दे दी कि हम जेल मैन्यूअल में क्या-क्या चेंज कर सकते हैं। वह आपके पास ही कहीं पड़ी है। मैं सोचता हूं, तब से लेकर उन्हें 2015 में बनाया था शायद, उन्होंने कब रिपोर्ट दी, आप एक बार अपने डिपार्टमेंट में उसे ढूंढ़ना। उसे अगर लागू करके जेल में रहने वाले कैदियों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है तो निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिये।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अब यह जो एसीबी है, मैंने बहुत मन से इन लोगों को धन्यवाद दिया। इन्होंने इतने बड़ेबड़े लोगों पर भी हाथ डाला। वास्तव में राजस्थान ने एक बहुत अच्छी पहचान लोगों के बीच बनायी, पर मुझे दु:ख इस बात का है, जो मैंने पहले भी कहा था, लेकिन कई हमारी सरकार के पास, जब वे कहते हैं कि इसे मुझे चालान करना है तो चालान की स्वीकृति ही नहीं मिलती। वर्षों तक पेंडिंग रहता है। जो भी आपके और मेरे पहुंचने वाला होता है, मेरा कोई परिवार का आदमी है तो मैं आपको कह दूंगा, वह उसको कह देगा, डिपार्टमेंट को कह देगा और परमिशन नहीं मिलती। यह मैं बताता हूं आपको फिगर।

2019 के अभी भी 197 केसेज ऐसे हैं, जो केवल और केवल सरकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की परमिशन के लिये पड़े हुए हैं। 2020 से 244 केसेज पड़े हैं और अभी इस साल 2021 के, जो केवल और केवल आपकी परमिशन मिल जाये तो चालान हो जाये, वे 442 हैं। मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहता हूं कि ये कौन्से डिपार्टमेंट्स हैं, जिन डिपार्टमेंट्स की सूची आपके पास है- राजस्व विभाग के 2018 से पेंडिंग पड़े हैं 28 केसेज। पंचायती राज के 39 केसेज पड़े हैं 2017 से परमिशन के लिये कि उनकी स्वीकृति मिल जाये, पर वे फाइल पर धूला डालकर बैठ जाते हैं। बाबू ही आपको बचा देते हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फाइल ही ऊपर नहीं आयेगी तो अधिकारी भी कहां माथा मारेगा, कहां देखेगा, कैसे देखेगा। कोई चार्ट ही नहीं बना हुआ है कि क्या चीज करनी है और क्या नहीं करनी है। इस तरह से सभी विभागों में, लगभग मैंने सारे विभागों का लिखा है। स्वयं पुलिस विभाग में 23 केसेज ऐसे हैं, जो 2018 से पैंडिंग हैं। ये वही कलाकार हैं, मैं सोचता हूं, पुलिस के लिये दागी हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार के दागी लोग अगर हमारी फौज में हैं तो उन्हें 244(2) में घर रवाना करें। केस जीतकर आ जायेंगे तो तनख्वाह देकर हम कम से कम प्रदेश को बचा लेंगे, पैसे का ही नुकसान होगा, पर उनके कृत्यों से नुकसान नहीं होगा। आप उपयोग करना शुरू करें। कई केसेज हैं, कुछ तो नाम भी हैं मेरे पास, कौन-कौन आदमी कहां-कहां से, आपके यहां से 'ना' लिखकर आ गया कि इसे स्वीकृति ही नहीं है तो वह तो अमर ही हो गया। जिसे इतने लम्बे समय बाद डिपार्टमेंट यह लिखकर भेज देता है कि इसकी स्वीकृति ही नहीं है तो वह तो अमर ही हो गया।

आप और हम सब लोगों के पास ऐसे लोग आते ही रहते हैं कि इसे कहकर मुक्त करा दें। डिपार्टमेंट को कहीं न कहीं इसके बारे में थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। मंत्री जी, आलोचना के साथ-साथ मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। पुलिस को स्ट्रेंथन करने के लिये एक तो राजनीतिक दखलंदाजी से जितना बाहर निकाल सकें, नहीं निकाल पायेंगे, आपकी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी थी, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन जितना किया जा सकता है, उतना करें। एसपी को पूरे पावर दें।

डिपार्टमेंट का जो हैड है, कौन-से एसपी को लगायें, अगर आपको लगे कि यह कोई कम-ज्यादा है तो आप आपस में डिस्कस करके उसे कर लें, लेकिन लगने के बाद अगर उसका वर्क ठीक नहीं है, मेरे यहां कई एसपी ऐसे रह गये हैं, जो करोड़ों लूटकर ले गये, आज बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हैं। मेरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आंखों के सामने, मैंने गृह मंत्री होते हुए भी उस पीड़ा को बर्दाश्त किया तो मैं सोचता हूं, आज भी वे इतना बढ़िया माल खा रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं डिपार्टमेंट के मन में कोई न कोई कमजोरी है। यह कमजोरी निकालें अगर वास्तव में जनता को कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो।

मैं इस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी यह डिपार्टमेंट रात और दिन काम करता है, जो आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन इनकी पीठ थपथपाने की जरूरत है। खराब और दागी लोग जो हैं, उन्हें 244(2) में बाहर करें, आउट करें। ज्यादा से ज्यादा मुकदमा जीत जायेगा तो पेंशन, पैसा, सब परिलाभ देंगे, पर कम से कम हर साल 200-400 लोग रवाना होते रहने चाहिये ताकि पता लगे कि पुलिस डिपार्टमेंट अगर नौकरी देता है तो नौकरी से निकालने की भी ताकत रखता है। मैंने अपने कुछ सुझाव आपको दिये, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाइनों से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा:

"जब न हो संघर्ष, न हो तकलीफ तो क्या मजा है जीने में,
बड़े-बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में।।"

इसी के साथ दो लाइनें और कहना चाहूंगा:

"कैदियों की हर समस्या को समझें, हम सब जाने उनकी पीर,
कारागार व्यवस्था के प्रति हमारी सरकार है बहुत गम्भीर।।"

आज मांग संख्या 17 की अनुदान मांगों पर 158 कटौती प्रस्ताव हमें मिले हैं, जिनके जवाब हमने भिजवा दिये हैं, रवाना कर दिये हैं। 33 माननीय सदस्यों ने आज मांग संख्या 16 और 17 पर अपने विचार रखे हैं, जिसमें मात्र 7 सदस्यों ने ही मांग संख्या 17 पर अपने विचार रखे हैं। मुख्य तौर पर कारण भी यही है कि पुलिस में तो आप सब लोग सुधार चाह रहे हैं, लेकिन जेल पर आप लोगों ने बहुत कम बात रखी। पुलिस पकड़कर लेकर कहां जायेगी, जाना तो कारागार में ही है। हम वहां की बात भी प्रोपर रखें तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हम कारागार को भी और कारगर बना सकते हैं।

यहां पर हमारे चूरू से आने वाले माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष ने लारेंस

(श्री टीकाराम जूली)

विश्नोई का जिक्र किया। शायद आपको ध्यान होगा, राजस्थान की जेल में सख्ती की वजह से 30.10.2021 को ही वे अपना स्थानान्तरण कराकर दिल्ली चले गये हैं। राजस्थान में वे हैं नहीं अब। आपने सम्पत नेहरा के साथियों को कहा कि चूरू जेल में धमकी दिलवायी, वह धमकी उन्होंने दिल्ली से दी है, न कि चूरू जेल से। मैं समझता हूं कि आप आंकड़े प्रस्तुत करके पूरे सदन में सनसनी फैला देते हैं। आपने कहा कि 22 हजार के विरुद्ध हमारे यहां पर डेढ़ गुना कैदी बन्द हैं लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमारी क्षमता 22897 है और उसके विरुद्ध 22938 कैदी यहां पर बन्द हैं तो यह आप जरा करेक्ट कर लेना। साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भरतपुर जेल से जो ज्वैलर्स को धमकी दी गयी थी उनके खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है और हमारी जो उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर है वहां पर हमने उनको शिफ्ट किया है।

जनवरी, 2020 से हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। लगातार जेलों की सफाई, बैरकों की फिनाइल से सफाई और इन सबसे बढ़िया बात यह है कि जो फिनाइल है, जो झाड़ू है, जो पोछे हैं वे हमारे जेल के कैदी ही बना रहे हैं। उनको हम काम भी दे रहे हैं और उन्हीं के द्वारा बनायी हुई वस्तुओं का हम उपयोग भी कर रहे हैं। इससे कोरोना के संक्रमण में भी हमें काफी मदद मिली और बन्दियों की जो बीमारियां हैं उनमें भी बन्दियों को राहत मिली।

राजस्थान राज्य विधिक सहायता समिति द्वारा जेलों का जो सर्वे किया गया है उसके बाद हमारी जेलों की प्रशंसा भी की गयी है। हमारा जो मुख्य तौर पर ध्येय है सुरक्षा, स्वावलम्बन और सुधार, इसको लेकर है और उस पर हम काम कर रहे हैं।

मैं, साथ-साथ यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश के राज्यों की जो जेलें हैं उनमें सुरक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान मिला है। आईसीजेएस में कारागार विभाग को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, नई दिल्ली में सीसीटीएनएस तथा आईसीजेएस अवार्ड की घोषणा की गयी है जिसमें राजस्थान पूरे देश के अन्दर फर्स्ट रहा है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा जिक्र किया कि आपके समय में जेलों में जो बन्दियों की संख्या है उससे ज्यादा बन्दी आप जेलों के अन्दर रख रहे हैं लेकिन शायद आपने 2015 का रिकार्ड नहीं देखा होगा जब 17 हजार के विरुद्ध 20359 आपके समय में आपकी जेलों के अन्दर बन्द थे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो हार्डकोर कैदी हैं उनको बारबार कोर्ट

(श्री टीकाराम जूली)

की कार्यवाही के लिए ले जाना पड़ता है, कोर्ट के अन्दर पेशी होती है। 2018 के अन्दर के सिर्फ 25 जेलों के अन्दर वी.सी. की सुविधा थी और आज हम 25 से उसको बढ़ाकर 92 कारागारों में यह सुविधा हम कर चुके हैं और शेष जो हैं उनमें भी बहुत ही जल्दी नेटवर्क के लिए केबल बिछायी जा रही है और जैसे ही केबल बिछेगी तो 100 परसेंट राजस्थान की जेल वी.सी. से जुड़ जायेंगी जिससे समय भी और हमारा मानव श्रम भी उससे बचेगा।

तलाशी के लिए, जांच के लिए, सुरक्षा उपकरण हम बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी की जो बजट घोषणा है उसके क्रम में डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, एनएलजेडी, बैगेज स्कैनर व फुल बॉडी स्कैनर के लिए भी हम लोगों ने आदेश कर दिये हैं जो बहुत जल्दी लग जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमने तलाशी का भी रिकार्ड तोड़ दिया है। 2019, 2020 और 2021 के अन्दर जो तलाशियां हुईं, मैं 2021 की तलाशियां बताना चाहूंगा कि 2021 के अन्दर 31 हजार 182 बार तलाशी ली गयी है जिसकी वजह से पहले और आज में बहुत ज्यादा अन्तर हम लेकर आये हैं।

अभी हमारे माननीय सदस्य पूनियां जी हैं उन्होंने लाइब्रेरी की बात रखी थी। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने लाइब्रेरी के लिए पैसे भी दिये हैं और हम भी हर वर्ष लगभग 20 लाख रुपये की लागत से पुस्तकें कैदियों के लिए देते हैं ताकि वे लोग उनको पढ़कर अपने जीवन के अन्दर सुधार ला सकें, उनको पढ़कर अपना समय व्यतीत कर सकें और जो उनसे गलती हुई है उसको मन ही मन नहीं लेकर आने वाले समय में वे भी अच्छे नागरिक बनें, यह हमारा प्रयास है।

जेल मैन्युअल के बारे में सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य रामप्रताप जी ने बात रखी थी कि जेल मैन्युअल के हिसाब से खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम प्रतिदिन उसके लिए 550 ग्राम आटा और 600 ग्राम अन्य डाइट में नाश्ता और जो भी भोजन है वह दे रहे हैं और जेल मैन्युअल के अनुसार ही दे रहे हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कटौती हम नहीं कर रहे हैं।

हमारे सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने सुजानगढ़ में जेल के लिए कहा था तो उसके नये प्रस्ताव बनाकर भेजे हुए हैं।

साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर जो हमारे बन्दियों की संख्या हैं, बैरकों की संख्या बढ़ायी है। 2015, 2016 और 2017

(श्री टीकाराम जूली)

में आपके समय में मात्र 854 ही संख्या बढ़ायी थी, स्वीकृत पद थे और हमने 2018-19 के अन्दर लगभग 1748 बन्दीगृह, जेल और बैरक बनाये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2018 में आ गये थे आप?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आ गये थे साहब, हमारी एंट्री 2018 में ही हो गयी थी। आपने अभी कहा कि 36 पद हमारे सुपरिंटेंडेंट के खाली हैं। निश्चित तौर पर हमारे अधीक्षक ग्रेड फर्स्ट के 11 पद स्वीकृत हैं जिनमें 10 कार्यरत हैं और एक खाली है। अधीक्षक ग्रेड सैकण्ड के 18 पद स्वीकृत हैं, 6 कार्यरत हैं, 12 खाली हैं। इसके अन्दर भी जो प्रमोशन होता है उनके लिए तीन साल का अनुभव जरूरी है, उसके बाद ही प्रमोशन होता है और प्रमोशन के बाद ही ये सीटें आधी-आधी हैं जिनमें 18 आरपीएससी से भरी जाएंगी और 18 प्रमोशन से भरी जाएंगी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज के समय में हमारे विभाग के कोई प्रमोशन बाकी नहीं हैं। जितने भी प्रमोशन थे वे सारे हम पिछले तीन वर्षों के सारे कम्पलीट कर चुके हैं।

साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जेल विकास बोर्ड का हमने गठन किया है। कैदियों की सुरक्षा पर पैसे खर्च हों, उनकी सुविधा बढ़े, उसके लिए हमने पेट्रोल पम्पों की स्थापना की है। पांच जगह पेट्रोल पम्प स्थापित हो गये और एक पेट्रोल पम्प हमारा जयपुर का चल रहा है जो बहुत ही अच्छी स्थिति है।

सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रिजन बिल भी लेकर आ रहे हैं। जो आपने कहा कि बहुत पुराना एक्ट है और उसके बाद काफी सुधार होने की गुंजाइश थी तो बहुत ही जल्दी सरकार उसको भी लागू करेगी, यह हम लेकर आये हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे कार्मिकों में 105 पद लांगरी के हमने स्वीकृत किये हैं, वर्दी भत्ता के भी माननीय मुख्य मंत्री जी 7 हजार रुपये दिये हैं। प्रहरी के पदों में भी 670 पदों की भर्ती हमने 2019 के अन्दर की है।

हमारे माननीय सदस्य ने सुबह क्वेश्चन भी लगाया था कि बन्दियों को छोड़ने का क्या विचार रखते हैं तो 30 मार्च, 2021 को हमने 1349 बन्दियों को विशेष परिहार स्वीकृत किया जाकर समय पूर्व रिहा भी किया है। 11 नयी बैरक भी बन रही हैं। हमने जो 791 विभिन्न पदों पर नियुक्ति

(श्री टीकाराम जूली)

प्रदान की है, 250 पदों पर प्रमोशन दिये हैं, 32 जो मृतक आश्रित हैं उनकी नियुक्ति भी की है, 18 करोड़ से मरम्मत भी की है और 1584 लाख रुपये की लागत से नये बैरक का निर्माण भी हम कर रहे हैं।

ई-मुलाकात का कोविड के समय में एक बहुत ही अच्छा हमारे द्वारा काम किया गया है। वीडियो कॉल के माध्यम से कैदी अपने फिंगर प्रिंट के माध्यम से अपना अंगूठा लगाने से ही वह उसको ऑन कर सकता है और उसकी ई-मुलाकात होती है। मैंने स्वयं जाकर देखा है कि बहुत ही अच्छा यह सिस्टम हुआ है। अब वीडियो कॉल पर वह अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे मित्रों के साथ, सबके साथ वह बात कर सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी आपने खुले बन्दीगृह की बात रखी। निश्चित तौर पर खुले बन्दीगृह बनेंगे तो कैदियों को उनका लाभ भी मिलेगा। 240 आवासों के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 75 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये हैं। बहुत ही जल्दी हम खुले बन्दीगृह बनायेंगे।

जो कैंटीन की सुविधा है, पहले जो सिस्टम था, क्वालिटी का कोई मापदण्ड नहीं था। हमने अभी कानफैड के माध्यम से सभी जिला जेलों, सेंट्रल जेलों में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करायी है और उनमें ब्रांडेड सामान उपलब्ध रहेगा। ई-पेमेंट होगी और 2500 रुपये तक का सामान बन्दी एक महीने में खरीद सकता था। उसे हमने बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है ताकि वह अपनी कोई भी चीजें खरीद सके। हमने आरएसएलडीसी के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण भी वहां पर चला रखे हैं ताकि कोई कैदी यदि कौशल प्रशिक्षण लेना चाहे तो वहां पर उस चीज को सीख सकता है।

सभापति जी, मैंने स्वयं जेल में जाकर देखा, काफी ऐसे कैदी हैं, जो कई कार्यों में दक्ष हैं। एक व्यक्ति मूर्ति बहुत शानदार बना रहा है एक पेंटिंग बहुत अच्छी बना रहा है, काफी लोग, जो हमारी आईटीआई अन्दर खुली हुई हैं, उनमें क्राफ्ट का काम सीख रहे हैं और वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं। इस प्रकार से हम अपनी जेलों में उनको करा रहे हैं। मैं दो लाइनें और कहना चाहूंगा-

"कारागार कैद स्थल नहीं, कारागार कैद स्थल नहीं,
है समाज का अंग, कैदी लोग सीखते यहां जीवन को जीने का ढंग।।"

मेरे दिमाग में भी, जब मैं कैदियों से मिलने गया, उससे पहले एक मानसिकता इस प्रकार की थी कि जेलों में तो बहुत बुरे लोग रहते हैं, अपराधी

(श्री टीकाराम जूली)

लोग रहते हैं, जिन्होंने समाज में गलत काम किया है, लेकिन जेल में जाने के बाद में दो कैटेगरी हैं। एक ऐसे हैं, जो हार्डकोर अपराधी हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने जन्म ही अपराध करने के लिये लिया है। दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो अज्ञानता में, भूल में या क्षणिक आक्रोश में उनसे हो गया और वे लोग जेल में आ गये।

हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लोग जेलों में हैं, वे आने वाले समय में जेल का समय पूरा करने के बाद में जब समाज में आयें तो अपने आपको अलग नहीं समझें। वे भी समाज का अंग हैं। जेलों में रहते हुए हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम उन्हें अच्छे से आगे भी जीवन उनको जीना है, उसके लिये हम उन्हें सिखाएं। उसके लिये हम उन्हें योगा भी कराते हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी हम कराते हैं। उन्हें आपस में प्यार, प्रेम और भाईचारा भी सिखाते हैं, यही कहना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इसमें सिर्फ इतना ही जो वेतन विसंगति हो गयी, प्रहरी और कांस्टेबल में, 1998 से लेकर अब तक, वह जो एक भारी असंतोष है, उसके बारे में कोई विचार करने को तैयार है?

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): जरूर आपने अच्छा याद दिला दिया। माननीय सभापति महोदय, यह वेतन विसंगति आपके समय में हुई। 1998 में वेतनमान आया और आर्डर लागू हुए 2005 के अन्दर। 2005 में आपकी सरकार थी, उस समय यह लागू हुआ। 2003 में ये लोग कोर्ट के अन्दर गये, 2005 में कोर्ट के आदेश भी आये, आप लोग नहीं कर पाये। उसके बाद दुबारा आपकी सरकार बनी 2017 के अन्दर फिर वापस आपने दो-तीन कमेटियां बनायीं। आपका फाइनेंस से भी पास हुआ, सारी चीजें हुई। आप लोग लागू नहीं करा पाये।

मैं यह कहना चाहूंगा हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब संवेदनशील हैं। इस विषय पर निश्चित तौर पर जेल प्रहरी, जो हमारे स्टाफ के लोग हैं। उनकी जरूर मदद होगी। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जेलों के अन्दर जिस प्रकार से हमारे प्रहरी काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है, हमें राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। उसके लिए भी मैं मेरे पूरे अधिकारी-कर्मचारी, जेल के सभी साथी, उन सबको धन्यवाद दूंगा। उन सबके सहयोग से हमें राजस्थान में अवार्ड में मिला है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति: सदन का समय आज की मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धारीवाल जी

अनुदान की मांग

मांग संख्या 16 एवं 17 पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, आज पुलिस की मांग संख्या 16 पर चर्चा के दौरान 26 माननीय सदस्यों ने तो एक्सक्लुसिवली पुलिस पर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं और 7 ऐसे माननीय सदस्य थे, जिन्होंने इस पर भी और कारागार पर भी मिले-जुले सुझाव रखे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने का प्रयत्न किया। यथा सम्भव मैं उनके निराकरण के लिए प्रयास करूंगा और जो आपके सुझाव आये हैं, उन पर शीघ्र ही अमल करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ-साथ 320 कटौती प्रस्ताव मुझे प्राप्त हुए हैं। उन सभी के जवाब माननीय सदस्यों के पास वक्त रहते-रहते भिजवा दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति मोटे तौर पर सामान्य रही। शायद मेरे विपक्ष के साथी इस बात पर एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में आप अपनी गलती को स्वीकार करें।

जहां तक सवाल 2020 का, मुख्य रूप से कोविड से सम्बन्धी ड्यूटियों के नाम पर रहा। वहीं 2021 में कोविड के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के कारण पुलिस की कार्य प्रणाली में मोडिफिकेशन कर सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा याद रखा जायेगा।

33 माननीय सदस्यों ने जो आज सुझाव दिये, उनमें से सिर्फ एक

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रतिपक्ष के नेता ऐसे थे, जिन्होंने कोविड के बाबत पुलिस की तारीफ की और तारीफ ही नहीं की, बल्कि उनको इनाम देने का भी, सरकार की तरफ से उनको हर तरह का, उनके बच्चों को पढ़ाई-लिखाई वगैरह-वगैरह करने का, यह सब कुछ करने का सुझाव दिया है। मैं आपको उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

आज वाद-विवाद के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने पुलिस की कमियां भी निकालीं, कमियां ही नहीं निकालीं, नाकामियां भी गिनायीं और सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद इस बात के लिए देते हुए मुझे दुःख तो होता है कि अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद पुलिस की उपलब्धियों को आप लोगों ने नजरअंदाज किया। पुलिस ने जिस प्रकार की अभूतपूर्व परिस्थितियों में जिस प्रकार का हौसला दिखाया और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाये रखा, वह निश्चित तौर पर इतिहास में लिखा जायेगा। गुलजार का एक शेर है, राठौड़ साहब आपको पेश कर रहा हूं-

"उम्र जाया कर दी लोगों ने नुक्स निकालते-निकालते,
इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ता बन जाते।"

सभापति महोदय, 2020 में ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा। जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, कोई सोच ही नहीं सकता था ऐसे दिन इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को देखने पड़ेंगे। दो विश्व महायुद्ध हुए, उन महायुद्धों में भी इस प्रकार की मुश्किलें पैदा नहीं हुई थीं जो कि इन दो सालों के अन्दर कोविड के दौरान पैदा हुईं। पूरे विश्व में 44 करोड़ आदमी संक्रमित हुए। राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। राजस्थान में भी 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए और आपको याद होगा कि 2020 में सदन की कार्यवाही चल रही थी और इसी वक्त राजस्थान में कोविड का आगमन हो गया, दस्तक हो गयी, कुछ भी कह दें। राजस्थान वह प्रदेश था प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा उन दिनों की कि राजस्थान वह प्रदेश था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन किया था, सबसे पहले। बाकी पूरे देश में एक-एक करके धीरे-धीरे चरणों में जाकर के लॉकडाउन हुआ था। उस वक्त न तो मास्क हुआ करते थे न सेनेटाइजेशन हुआ करता था। कुछ भी तो नहीं हुआ करता था और इस अदृश्य बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। हर व्यक्ति, जैसे अभी संयम लोढ़ा साहब ने कहा था कि मैं जब वहां पर पहुंचा तो एक खिड़की में से देख करके कहा कि संयम आ गया, संयम आ गया, लेकिन खिड़की खोली नहीं। हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

था कि कहीं इसके कोविड तो नहीं है, मेरे चिपक जायेगा और उस वक्त हेलमेट और सीट बैल्ट पहन करके अपनी जान को बचाने वाली पुलिस ने जनता को मास्क पहनाना सिखाया। वोट डालने के लिये पोलिंग बूथ पर लाइन लगाने वाले कांस्टेबल ने लोगों को दुकान के सामने सोशल डिस्टेंसिंग करना सिखाया। कोई ट्रेनिंग नहीं थी पुलिस वालों को कि कोविड से किस प्रकार से निपटा जाये। बगैर ट्रेनिंग के उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया और होता भी है। यह कई बार हुआ है। ट्रेन्ड नहीं है कोई आदमी, लेकिन काम ऐसा करके दिखायेगा कि जनता देखती रहेगी।

सभापति महोदय, याद करिये एक प्लेबेक सिंगर हुआ करते थे किशोर कुमार। किशोर कुमार को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं था। वो जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छह मात्रा गिन करके दादरा सुनाया और दादरा ही नहीं सुनाया, शिवरंजनी आधारित गीत भी गाये तो यह सब कुछ जो पुलिसकर्मियों ने करके दिखाया, निश्चित तौर पर यह तभी पुलिस वाले कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पुलिस चौराहे पर कमाई के लिये खड़ी होती है। लोग कहते हैं कि पुलिस चौराहे पर कमाई के लिये खड़ी होती है, सारे चौराहे वीरान पड़े थे पुलिस फिर भी वहीं खड़ी थी। कोरोना काल के बहुत किस्से हैं। आपको भी मालूम है सब लेकिन दो-एक दोहराना चाहता हूं।

सभापति महोदय, आप सीकर से पधारते हैं। आपने देखा होगा कि महामारी के डर के मारे पलायन करते हुए कुछ श्रमिक सीकर पहुंचे। सीकर की पुलिस को जब पता लगा कि ग्रुप पैदल-पैदल सर के ऊपर गठरी बांध करके सीकर की तरफ बढ़ता चला आ रहा है तो एक हायर सैकण्डरी स्कूल में उनको जगह दे दी गयी। पुलिस ने बाकायदा जनता के सहयोग से वहां पर भोजन की व्यवस्था की, उनके ठहरने की व्यवस्था की और सब तरह की व्यवस्था की, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ। उसके बाद उन श्रमिकों ने वह 9-10 साल से जिस बिल्डिंग में कोई रंगरोगन नहीं हुआ था उसका रंगरोगन किया और रंगरोगन ही नहीं किया, जो खाली जमीन पड़ी हुई थी वहां पर छायादार, फूलदार, फलदार वृक्ष भी लगाये और इस बात के लिये हमें गर्व है कि भारत के प्रधान मंत्री ने अपने मन की बात में यह बात बतायी और उसी में नहीं बतायी बल्कि प्रिन्ट और सोशल मीडिया में भी वह छाया रहा।

इसी तरीके से उदयपुर की महिला पुलिस का, पुलिस महिला अधिकारियों ने गर्भवती महिलाओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए हेलो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मम्मी, हेलो-हेलो, हेलो मम्मी व्हाट्सग्रुप बनाया। जयपुर की कमिश्नरेट की निर्भया स्क्वाड ने इन इलाकों में गर्भवती महिलाओं की सूची प्राप्त करके उनका सर्वे करवाया। दिल्ली के मुख्य मंत्री जब उनका राज नहीं बना था तो आपको याद होगा कि अरविन्द केजरीवाल साहब ने पुलिस वालों के लिये क्या कहा था कि ये पुलिस के ठोलिये, यह अख़बार में छपा था काफी। पुलिस वालों ने काफी एतराज भी किया था कि इस तरह की भाषा हमारे लिये नहीं बोलनी चाहिये लेकिन उन्होंने बोला पुलिस के ठोलिये तो पुलिस वाला कहता है कि 'अपनों के लिये हर वादे को तोड़कर आया हूं। मैं खाकी हूं तुम्हारे लिये अपनों को रोता छोड़कर आया हूं।' तो आखिर में मैं राजस्थान की पुलिस के प्रत्येक अधिकारी को और कर्मचारी को सैल्यूट करता हूं। उन्होंने संकट की इस घड़ी में अपने कर्तव्य का पालन करने की एक नयी मिसाल कायम की और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि कोविड के बाबत आपके जो विचार थे, पुलिस ने जो काम किया, उसके लिये आपने बहुत अच्छा बोला।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि पुलिस पापुलेशन, रेशो एक लाख की जनसंख्या पर पुलिसकर्मियों की संख्या 142 है राजस्थान में और राष्ट्रीय औसत है 195, जो काफी कम है राष्ट्रीय औसत से। राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां एक पुलिस थाने का एवरेज एरिया 383 स्क्वायर किलोमीटर है जबकि देश का यह केवल 193 स्क्वायर किलोमीटर है जो कि राजस्थान से लगभग आधा है। क्या करें, न आप सुधार पाये। सुधारने की कोशिश की, आपने कुछ-कुछ सुधारा भी और हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसको और सुधारें। तीन साल में बढ़े हुए रजिस्ट्रेशन से आप चमकते हो। बढ़े हुए रजिस्ट्रेशन एक ऐसी बड़ी उपलब्धि गहलोत सरकार ने दी है कि जिससे वह सारी की सारी गणित फेल हो गयी विपक्ष वालों की। आपने बढ़े हुए एफआईआर रजिस्ट्रेशन को अपराध बढ़ने का मुखौटा पहना करके सरकार को घेरने की कोशिश की और भोली-भाली जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। जिस जनता को और जिस कमजोर वर्ग के व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उसका राहत का चेहरा देखते हुए हमें बड़ा प्रोत्साहन का स्रोत मिलता है।

मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में पूरे देश में 26,47,722 आईपीसी के प्रकरण दर्ज हुए थे। 26,47,722 2013 में और 2019 में वह बढ़ करके 32,25,701 प्रकरण आईपीसी के यानी कि छह साल में कुल मिलाकर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आईपीसी के अपराधों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी पूरे देश में। आप राजस्थान को ही गिनाते रहते हो। राजस्थान में यह हुआ, वह हुआ उसका भी जवाब दूंगा मैं आपको। राजस्थान में वर्ष 2013 में जब हमारी सरकार थी, 2019 के अपराध केवल 14 प्रतिशत बढ़े। 6 वर्षों में देखें तो लगभग 2.3 प्रतिशत आता है हर वर्ष। सामान्य वृद्धि जो नेशनल एवरेज प्रतिशत से भी कम है। पांच वर्षों तक एफआईआर रजिस्ट्रेशन का दम घोंट करके जो आंकड़ों में आप कमी लाये केवल उसका परिणाम है वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 और उसके बाद अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। अगर आप उस वक्त जो हमने किया फ्री रजिस्ट्रेशन, अगर वह फ्री रजिस्ट्रेशन कर देते तो इतना अन्तर नहीं आता लेकिन आपने फ्री रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भारत सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो जो हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट का प्रकाशन करती है उसकी टिप्पणी के बारे में तो आपने कुछ कहा था। यह भी टिप्पणी की आपने कि अपराध में वृद्धि हुई। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध में वृद्धि और अपराध के पंजीकरण में वृद्धि, दोनों में अंतर होता है। लेकिन अगर दोनों को शामिल कर दोगे तो वह बहुत बड़ी गलती होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन पालिसी को लागू करने के बाद एसपी आफिस से फ्री एफआईआर रजिस्ट्रेशन की सुविधा, पुलिस थानों को चैक करने के लिये डिकाय आपरेशन किया गया। इसी के साथ-साथ जैसा आपने फरमाया था कि स्वागत कक्ष बनाये गये। 756 थानों में इसका संचालन सुचारु रूप से प्रारम्भ किया गया। इसके संचालन के लिये पुलिस मुख्यालय से एसओपी जारी की गई। स्वागत कक्ष के कर्मियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई जिससे कि वह सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर के माध्यम से उनकी बेहतर सेवा कर सके। आपने कहा था कि वहां पर कम से कम सीसीटीवी लगा दो, लगा दिये। स्वागत कक्ष में भी सीसीटीवी कैमरा लगाये जा रहे हैं। कुछ में लग गये, कुछ में लगने वाले हैं। स्वागत कक्ष माननीय सदस्यों के योगदान से बने। सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने भी एमएलए लैड से स्वागत कक्ष निर्माण के लिये राशि उपलब्ध कराई है, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह नहीं मानते कि 2020

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

एक असाधारण वर्ष था? लगभग पूरे 2020 में कोरोना महामारी के कारण सभी सामान्य गतिविधियां प्रभावित रहीं। जिसके कारण अपराध और अपराध पंजीकरण का कोई निश्चित पैटर्न उभर कर ही नहीं आया। हम कैसे उन आंकड़ों को जोड़ें? 2020 में तो टोटल लॉकडाउन था इसलिए अपराध कम ही हुए। अब आप 2020 से कम्पेयर करना चाहते हो 2018 को। उस वक्त था क्या, मैं फिर कह रहा हूं कि वह असाधारण वर्ष था। इस दृष्टि से 2021 के आपराधिक आंकड़ों की तुलना वर्ष 2020 के स्थान पर 2019 के आंकड़ों से करना अधिक प्रासंगिक होगा। अगर आप 2021 के आपराधिक आंकड़ों की तुलना करना चाहते हो तो 2020 से क्या करते हो, 2019 से कीजिए। 2020 में आदमी सड़क पर निकला ही नहीं, लॉकडाउन था। वर्ष 2021 की तुलना वर्ष 2019 से करेंगे तो पायेंगे कि अपराधों में 5 प्रतिशत की कमी हुई है। अगर आप 2021 की तुलना 2019 से करते हो तो। पूरे देश में 2019 दूसरा और वर्ष 2020 में तीसरा सबसे कम पैंडेंसी रखने वाला राज्य था, पैंडेंसी बहुत कम थी। निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों ने विभागीय कर्तव्यों को अपने निजी जीवन पर पारिवारिक उत्तरदायित्व से ऊपर रखकर उपलब्धि हासिल की।

पैंडेंसी क्यों रहती है, मेरे ख्याल से मुझ से 10 गुना ज्यादा आप जानते हैं कि पैंडेंसी क्यों रहती है। किसी न किसी कारणवश पैंडेंसी रहती है और उसकी वजह से तफतीश अटकी रहती है। सभापति महोदय, साउथ इंडिया में कमल हसन नाम के एक अभिनेता हैं, बड़े फेमस अभिनेता हैं। उनकी एक फिल्म थी 'पुष्पक'। उसमें जो अपराधी होता है वह कटार को महीनों तक फ्रीज में रख देता है और कटार के ऊपर इतनी इतनी मोटी बर्फ जम जाती है और फिर वह उससे हत्या करता है। आज तक यह पता नहीं लग पाया कि वह हत्या किससे की गई। पुलिस के आज तक समझ में नहीं आई कि वह हत्या किससे की गई। हथियार नहीं मिलने के कारण केस कमजोर हो गया और बरी हो गया। इस प्रकार कई चीजें रहती हैं जिससे पैंडेंसी रहती है।

गाली देना भी अपराध है, हत्या करना भी अपराध है, लेकिन दोनों की ग्रेवेटी में फर्क है, उस अंतर को समझ जाओ। विपक्ष ने बड़ी बुलंद आवाज से राजस्थान के अपराध के आंकड़े एनसीआरबी 'क्राइम इन इंडिया' में वायलेंट क्राइम, यानी हिंसक अपराध, यानी ऐसे अपराध जिनसे कि समाज में दहशत और असुरक्षा की भावना पैदा होती हो, का अलग से एनेलेसिस पेश किया जाता है। मैं आपको योगी जी का बताना चाहता हूं। योगी जी के पांच साल में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राज्य में उत्तर प्रदेश वायलेंट क्राइम में पूरे देश में नंबर एक था। जहां राजस्थान के मुकाबले दुगुने से भी अधिक हिंसक घटनाएं हुईं। हत्या, दहेज हत्या, अपहरण जैसे अपराधों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें, शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वहां तो ऐसे-ऐसे होते हैं, हरिद्वार में देखो आप, साधु संत वस्त्र धारण करके भाषण दे रहे हैं, वचन और साधुत्व की मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। हरिद्वार के धार्मिक समारोह में एक साध्वी ने कहा कि किताबें एक तरफ रख दो, शस्त्र धारण करके संहार पर निकल जाओ। दूसरे संत ने यह कह दिया कि भारत में अपने तीज त्योहार नहीं मना सकते क्योंकि यहां सैकड़ों पाकिस्तानी मुसलमानों की घुसपैठ है। इस तरीके के भाषण होते हैं।

आपने एक बात उठाई थी, मैंने परसों भी माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय के एक सवाल का जवाब दिया था और आपने फिर वही बात आज उठाई और गलत तरीके से उठाई। मेहरबानी करके उसको करेक्ट कर लें। कोर्ट के माध्यम से 156 (3) सीआरपीसी के अलावा पहले कोई विकल्प नहीं होता था। बहुत अफसोस की बात है कि राजस्थान में बलात्कार जैसे अपराधों में भी 2017-18 तक 30 प्रतिशत से अधिक पीड़िताओं को अपने प्रकरण दर्ज कराने के लिये कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था। कोर्ट जाने के लिये मजबूर होना पड़ता था। 2019, 2020 और 2021, इन तीन सालों में लगातार गिरावट आई और 2021 में यह प्रतिशत घटकर सिर्फ 16.7 परसेंट रह गया। आप एग्री करेंगे मेरी बात को? आपने फिर यह कहा कि 16 परसेंट भी क्यों रहा? ऐसा होता है क्या कि कोई चीज बिलकुल साफ ही हो जाय।

आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से राजस्थान पुलिस ने भविष्य में चुनौतियों के संबंध में रिसर्च कर 'राजस्थान पुलिस विजन 2030' तैयार किया है। देश में राजस्थान ही ऐसा पहला प्रदेश है जिसने 2030 का विजन डाकूमेंट तैयार किया है, विजन प्लान। इसमें खास बात यह है कि इसमें हर दो साल का एक्शन प्लान भी शामिल है। और कोई स्टेट नहीं है, सिर्फ एक केरल है, केरल ने विजन डाकूमेंट तो निकाला लेकिन यह पाबंदी नहीं लगाई कि हर दो साल में उसका एक्शन प्लान क्या होगा। हमने यह पहला निकाला।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान पुलिस को आर्गेनाइज क्राइम और साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये मोडर्नाइजेशन और वैलफेयर पर फोकस किया गया है। आपने फरमाया कि मुख्य मंत्री जी को खास तौर पर साइबर क्राइम पर ध्यान देना चाहिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान को एक

(समय: 20.00 बजे)

ऐसा मुख्य मंत्री मिला हुआ है जो संवेदनशील होकर ज्यों ही कोई सामने चीज आती है, उस पर कड़ाई से फैसला लेता है और उसी का कारण है कि भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अशोक गहलोत जी से दोस्ती का हवाला देते हुए उनकी जमकर तारीफ की, मौका था राजस्थान के चार मेडिकल कालेज के शिलान्यास समारोह का। जिस अन्दाज से मोदी जी ने तारीफ की, उसकी सियासी हलकों में चर्चा है। यह पहला मौका नहीं है, जब मोदी जी ने गहलोत जी की तारीफ की हो। इससे पहले भी कोरोना काल में गहलोत जी के फैसलों की पीएम मोदी जी खुलकर तारीफ कर चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने मोदी जी के लिए कभी एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मोदी जी तो देश के प्रधान मंत्री हैं, आदरणीय हैं। इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन वे जो गलतियां करते हैं, उनको सुधारने के लिए आप सुझाव ही नहीं भेजते हैं। आप सुझाव तो भेजा करो। हर जिले में एसपी के अण्डर डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम गठित की गयी है, जो इंटेलीजेंस कलेक्ट करके संगठित अपराधों के विरुद्ध कार्यवाही करती है। हमने लगातार अवैध फायर आर्म्स के विरुद्ध कार्यवाही की है। यहां पर एक सज्जन ने बोला था, जिनका नाम मैं भूल रहा हूं। उन्होंने बोला था कि सीमावर्ती जिलों में नकली हथियार बनते हैं और वे आकर राजस्थान में बिकते हैं, वह बात सही है। इसमें कोई दोराय नहीं है। उनके विरुद्ध काफी तेजी से कार्यवाही की जा रही है।

इसी प्रकार से अवैध शराब के विरुद्ध तीन वर्षों में 55702 प्रकरणों में 58471 तस्कर और अपराधी पकड़े गये और हजारों लीटर अवैध शराब भी जब्त की गयी। यह सबसे खराब अपराध, युवकों का भविष्य बिगाड़ने वाला रहा है। पुलिस द्वारा गत तीन वर्षों में अधिक से अधिक कार्यवाही कर एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गयी है। ऐसे तस्करों और हत्यारों को पकड़ा है, बल्कि ऐसे अपराधियों से हमदर्दी रखने वाले पुलिस वालों को भी सेवा से

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

बर्खास्त किया है। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम 20 अलग-अलग श्रेणियों में सम्मिलित होकर इस टीम ने वर्ष 2021 में 1414 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ 998 मुकदमे दर्ज किये गये।

रोजाना कई लोग साइबर ठगी के शिकार होते हैं। हमने पहले राष्ट्रीय क्राइम रिपोर्टिंग हैल्पलाइन, 155260 से राजस्थान के अभय कमाण्ड सेन्टर को जोड़ा है। मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा इस बजट में राज्य में Center for Cyber Security एवं प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। आप भी यही चाहते थे। आपने वारंटियों को पकड़ने के लिए बात कही कि वारंटियों को पकड़ा नहीं जाता, मुल्जिमों को पकड़ा नहीं जाता। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। आजकल अपराध में ज्यादातर बेरोजगार युवक शामिल हैं। ये बेरोजगार युवक जिस तरीके से गायब होते हैं। अगर कोई ट्रेंड क्रिमिनल गायब होता है तो उसके ठिकाने तो पुलिस को पहले से मालूम होते हैं कि यह कहां-कहां जा सकता है और कहां-कहां नहीं जा सकता है। उसको पकड़ना तो फिर भी आसान होता है। हार्डकोर क्रिमिनल को भी पकड़ना आसान होता है, लेकिन यदि कोई नया आदमी क्राइम कर देता है, जिसने पहली बार कोई क्राइम किया है और जिसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती है, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यों तो वारंटियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाये गये हैं। 60 दिन के अल्प समय में राजस्थान पुलिस ने अन्य चुनौतियों के बीच 15 हजार से अधिक वारंटों का निस्तारण किया। इस अभियान का प्रभाव इतना अच्छा रहा कि गिरफ्तारी के डर से 2470 अपराधियों ने तो कोर्ट में सरेण्डर कर दिया। इस अभियान में 597 इनामी अपराधी भी पकड़े गये। यह बेरोजगारी की समस्या वाकई गम्भीरता से सुलझाने वाली समस्या है और अपराधों की संख्या तभी कम हो सकती है। यदि बेरोजगारी बढ़ेगी तो आदमी क्या करेगा? किस तरह से अपना पेट पालेगा? यह बहुत बड़ी समस्या है। पूरे देश की समस्या है, आप तो राजस्थान की बात करते हैं। फिर आप वादे देख लें, 2 करोड़ हर साल देंगे, 200 करोड़ हर साल देंगे, 10 लाख ये देंगे, वह देंगे, इस तरह के वादे। यही वादा हिटलर ने किया था, जब जर्मनी में बेरोजगारी बुरी तरह से फैली तो उसके पास कोई कल-कारखाने नहीं थे। उसको तो युद्ध लड़ना था तो उसने वहां पर बन्दूक, तोप, बारूद इत्यादि के कारखाने शुरू कर दिये और बेरोजगारों को काम मिल गया। हिटलर को महान नेता का अवतार मिल गया। हिटलर की

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

छवि महान हो गयी और कमोबेश जर्मनी बारूद के ढेर पर बैठ गया। निदा फाजली शायर ने कहा है 'बारूद के गोदाम पर माचिस को पहरेदार नियुक्त कर दिया'। बेरोजगारों को रोजगार दो, इधर-उधर की बातें कहने से कोई काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, महिला सुरक्षा की बात को लेकर सिर्फ होहल्ला करके, यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा की घटनाओं से पब्लिक का ध्यान हटाने और डायवर्ट करने का प्रयत्न करते हैं। यह मेरा आरोप है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या हम होहल्ला करने के लिए बैठे हैं? आपको सुन रहे हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर): यह असंसदीय है।

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अच्छा होहल्ला नहीं। ये आरोप लगाकर, आप निश्चित तौर पर यह तो करते हैं कि वहां से लोगों का ध्यान हट जाये, जो यूपी में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो गुजरात में हो रहा है, जो हरियाणा में हो रहा है, उस पर ध्यान चला जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उत्तर प्रदेश में जहां से खुद प्रधान मंत्री एक सांसद हैं, वहां पर आज महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात वहां एफआईआर कराना ही टेढ़ी खीर है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुन भी लो क्या हो रहा है, विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हम होहल्ला कर रहे हैं तो वे बकवास कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिये। उत्तेजना पैदा करने का कोई कारण है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ये इर्रिलेवेंट बातें सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: जितना आपने कहा, उतना तो कहा ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ..(व्यवधान) क्या हम यह सुनने के लिए बैठे हैं। कभी होहल्ला बोलते हैं तो कभी यूपी की बात करते हैं। इन्होंने राजस्थान को अपराधियों की शरणगाह बना दिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज बैठें। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: प्लीज, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): भगोड़े, भगोड़े।

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जिस प्रकार से देश में माहौल है, इन-टोलरेंस। ये इन-टोलरेंस वाले लोग हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं आपको साबित करूंगा आंकड़ों से। बाकायदा क्राइम रिपोर्ट से साबित करूंगा जो गवर्नमेंट आफ इंडिया निकालती है। क्राइम इन इंडिया, उससे साबित करूंगा कि महिलाओं के प्रति उत्तर प्रदेश नंबर एक है, अत्याचार में। वे जानते थे कि मैं दिखाऊंगा ये, इसलिए भाग लिये।

श्री सभापति: सदन का ज्ञानवर्धन कीजिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप भी तो जाने देते हो साहब उनको। जाने ही मत दीजिए उनको।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह बहुत बड़ी सज़ा है, उनके लिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मतलब वहां पर तो एफ.आई.आर. दर्ज कराना ही टेढ़ी खीर है। बमुश्किल एफ.आई.आर. दर्ज होने के बावजूद भी एन सी आर बी, क्राइम इन इंडिया, 2020 के अनुसार महिला अत्याचारों में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का है।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान में वर्ष 2020 में महिला अत्याचार के कुल दर्ज प्रकरणों में लगभग 45 प्रतिशत अनुसंधान के बाद में असत्य पाये गये। इसका मुख्य कारण ये ही है कि हमारी फ्री रजिस्ट्रेशन पालिसी है। उत्तर प्रदेश में तो न केवल सबसे ज्यादा प्रकरण दर्ज हुए हैं उनमें भी 95 प्रतिशत प्रकरण सही पाये गये। हमने पीड़िता की आवाज को दबाया नहीं। उन्हें जागरूक और सशक्त बनाकर अपराधों के रोकथाम की योजना बनाई है।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये टिकते नहीं है आपके आगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ये तो इनकी प्रेक्टिस हो गयी है अब। जैसे स्पेन में वो लाल कपड़ा दिखाता है, बैल जो है भागता है उसकी तरफ। मुझे देखकर पता नहीं क्या होता है इनको? महिला पुलिस की बाबत यह बात कर रहे हैं। मैंने परसों भी इनको बता दिया था कि हमने कितना किया? नये नवाचार किये हैं इसमें। आवाज अभियान चलाया है, सुरक्षा सखी योजना, महिला शक्ति आत्मरक्षा, मॉडल केस स्टडी, मतलब आप ये देखिए महिलाओं के प्रकरणों में पॉक्सो एक्ट में, जो प्रकरण पहले 2019 में 137 दिन में जाकर निस्तारित होता था, 2020 में सिर्फ 116 दिन में होने लग गया और 2021 में घटकर 79 डेज में उसका निस्तारण होने लग गया। कई केस तो ऐसे हैं जो 9 दिन में, 10 दिन में, महीने भर में, सवा महीने में उनमें बाकायदा सज़ा मिल गयी। आजीवन कारावास मिल गया या फांसी की सज़ा मिल गयी।

ये देखिए आप, कोटखावदा जयपुर में 9 वर्ष की बालिका, 9 दिन में सज़ा, पिलानी 26 दिन में सज़ा, कांकरोली में 30 दिन में सज़ा, भानीपुरा, चूरू 10 दिन में सज़ा, आजीवन कारावास, मुंह बोले मामा द्वारा 7 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म पर पादुकलां, जिला नागौर में 30 दिन में फांसी की सज़ा, सवाई माधोपुर में 16 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 2 माह में सज़ा, बच्ची का पिता होते हुए बालिका से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में 4 महीने की अवधि में मृत्युदंड की सज़ा, पुष्कर में, नवलगढ़ में, झुंझुनूं में ढाई साल की मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को 4 माह में सज़ा। इसी के साथ-साथ अभी दो रोज पहले 6 वर्ष की बच्ची के साथ, दो रोज का मतलब आज चार रोज हो गये, दुष्कर्म कर हत्या करने वाले को फांसी की सज़ा सुनाई गयी, चार दिन के अन्दर। इनके टाइम पर हुआ क्या कभी ऐसा? अब ये कैसे सुनें? यह बात कैसे सुन सकते हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): भागने की भी सज़ा होनी चाहिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सामने बैठकर इन बातों को कैसे सुनें, इसलिए प्लान करके भाग जाते हैं। जयपुर में मनोहरपुर की एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना में खुद पीड़िता और उसके माता-पिता कोर्ट में होस्टाइल हो गये, सभापति महोदय, मां-बाप होस्टाइल हो गये, उसके बावजूद भी साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई। केवल तीन वर्षों में पुलिस ने 510 पॉक्सो एक्ट के प्रकरणों में सज़ा दिलवाई जिसमें 35 प्रकरणों में लाइफ इम्प्रिजनमेंट और चार प्रकरणों में डैथ पेनल्टी तक दिलवाई। अब इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है, बताइए आप? अभी आपने टोन देखी होगी आज प्रतिपक्ष के नेता की। आलोचना नहीं कर पाए, वह समझ गये कि इन्होंने तीन साल में तरक्की कर ली है। मामला जमाया है। ये मान के चलिए इसकी बेसिक जड़ जो है जड़, वह है इंटरनेट और सोशल मीडिया, जिसमें बेरोकटोक अश्लील सामग्री परोसी जा रही है। इसको कौन रोक सकता है? राजस्थान की सरकार रोक सकती है क्या या केन्द्र में ये अफीमची सरकार रोकेगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रयास इन्होंने भी किये हैं। हमने भी किये हैं।

अब आप कन्विक्शन टंट देखें। कन्विक्शन टंट के लिए आज बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण दिया था राजेन्द्र जी राठौड साहब ने। रेप का केस है, नेशनल एवरेज बैठता है 39.3 जबकि राजस्थान का एवरेज बैठता है 45.4, कितना अच्छा एवरेज है हमारा नेशनल एवरेज से। 354, छेड़छाड़ का जो मुकदमा होता है, उसमें नेशनल एवरेज बैठता है 17.9, हमारा बैठता है 56 परसेंट। वीमेन एट्रोसिटीज, 29.8 नेशनल एवरेज, हमारा बैठता है 47.5, क्राइम अंगेस्ट चिल्ड्रंस 45 बैठता है उनका, यहां 58 बैठता है। इस तरीके से आप सबमें देखेंगे तो हम सभी में नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं।

अनुसूचित जाति की और जनसंख्या के अनुसार राजस्थान देश का छठा और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान देश में दूसरा है। ज्यादातर जो प्रकरण इसमें दर्ज होते हैं, वे सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं। लगभग इनमें 97 डेज में फैसला हो जाता है। लगातार कम होकर 97 डेज आ गया। अभी दलित व्यक्ति की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठने की बात को लेकर विवाद की घटना सामने आयी। हमने गत दस वर्षों में, विगत दस

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वर्षों में घटनाओं का जो विश्लेषण किया गया, पूरे राजस्थान में तो सबसे ज्यादा पाया गया कि ऐसी घटनाएं मेवाड़ में घटित हुई हैं, सबसे ज्यादा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): जहां पर ये हैं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): जहां भाजपा है, वहां अपराध है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इमरजेंसी रेस्पोंस सपोर्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा हाल ही में निगरानी हेतु लगाये सी सी टी वी कैमरों की संख्या दस हजार से बढ़ाकर तीस हजार की है। अब हम ऐसा कानून ला रहे हैं जिससे बड़े निजी संस्थान और व्यावसायिक स्थलों पर सी सी टी वी कैमरा लगाना और उसका फीड अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को देना अनिवार्य होगा। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट्स की भी घोषणा की गयी है, जिसमें पेनिक बटन भी होगा। प्राकृतिक आपदाएं भी आईं। उसमें पुलिस ने एस डी आर एफ से मिलकर अच्छा काम किया है।

सभापति महोदय, पुलिस सशक्तीकरण के बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में आई टी इनिशिएटिव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कभी राजस्थान सी सी टी एन एस में अंतिम पायदान पर था। आज राजस्थान इस श्रेणी में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आता है। हमने पुलिस कांस्टेबल को छोटे अपराध, बात आयी थी, उनका सुझाव अच्छा था, कटारिया साहब का, कटारिया साहब ने दो-चार सुझाव अच्छे दिये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। कांस्टेबल का और इन सबका प्रमोशन, बड़े-बड़े अधिकारी तो प्रमोशन ले बैठते हैं। अब इनको तो कैसे रोकें? ये रुकें क्या? ये तो लेंगे ही। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि जो छोटे लोग हैं, कांस्टेबल हैं, हैड कांस्टेबल हैं, उनका भी प्रमोशन टाइम पर हो जाए तो अच्छा रहता है। उन्होंने एक बात उठाई थी, पोलिटिकली इंटरफियरेंस, पोलिटिकल इंटरफियरेंस से चार लाइन बोलने के बाद में आखिर में इस बात पर आ गये थे कि न तो आप कर पाये, न हम कर पाये। बात सही है, पोलिटिकल इंटरफियरेंस होता है। जहां पोलिटिकल इंटरफियरेंस होता है, केस बिगड़ता है, अपराधी छूटता है। यह बात सही है। जितना कोशिश होती है, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी के द्वारा जितना प्रयत्न इस बाबत किया है, शायद किसी भी मुख्य मंत्री के द्वारा नहीं किया गया होगा।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हर साल रैंक दो, यह रैंक देने वाली बात, दस साल तक तो, इनको दस साल हो गये न। होम मिनिस्टर, दो बार रहे। उनको मालूम ही नहीं है, बताओ आप। भाषण दे गये और चले गये। टाइम ही खराब कर दिया।

थाना सर्किल एसपी की, मानिटरिंग रैंकिंग के लिये, परफोरमेंस मेजरमेंट सिस्टम लागू किया गया था। हमने इसे बन्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि बन्द कर दिया, हमने बन्द नहीं किया, बल्कि हम इसे सीसीटीएमएस से जोड़ रहे हैं, जिससे सही आंकड़ों के आधार पर रैंक तैयार हो सके।

हमने पुलिस कांस्टेबल को भी छोटे, पेटी, पेटी आफेंसेज होते हैं न, 354 ऐसे छोटे-छोटे होते हैं, वगैरह-वगैरह, के अनुसंधान की शक्तियां कांस्टेबल को दे दी ताकि वह भी अपने आप को मजबूत समझे। वह समझे कि मुझे कुछ जिम्मेदारी दी है। वह समझता है, मैं पुलिस में हूं, तो मेरी कुछ जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को इसके ज़रिये दी गयी है। वह भी अपने आपको सशक्त महसूस करें। मोटिवेट होकर कार्य करें। इस हेतु 4 हजार से ज्यादा कांस्टेबल्स को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेन्स्ट द वूमन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत, साइबर फोरेंसिक कम ट्रेनिंग लैब की स्थापना की गई हैं, जिसमें अब तक 552 पुलिस, 52 प्रोसीक्यूशन और 43 ज्युडिशियरी के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

यह फिगर बहुत जरूरी है। समझाना चाहता हूं। दूसरी बात तो यह कि राजेन्द्र जी राठौड़ ने यहां जितने भी, 10-12 हत्याओं के केस, या इधर उधर के केस उन्होंने बताये, उनके डिटेल जवाब, आज आपकी इजाजत हो तो, मैं टेबल पर रख देता हूं।

(मा. श्री शान्ती कुमार धारीवाल, स्वायत्त, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री द्वारा टेबल किये गये वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री सभापति: आप टेबल कर दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): लेना भई। उनके जवाब हैं, वह अच्छी तरह से, तसल्ली से पढ़ लेंगे। उनको तसल्ली मिलेगी। नेशनल क्राइम रिपोर्ट, यह है साहब, नेशनल क्राइम रिपोर्ट। इस नेशनल क्राइम रिपोर्ट में लिखा हुआ है, हत्या के मामले में देश में, 44 प्रतिशत कंविक्शन रेट है, यह कंविक्शन रेट है, जिनको सज़ा मिली है, यहां मिली है 59 प्रतिशत को। हत्या के प्रयासों के मामले में सिर्फ

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

24.8 प्रतिशत को मिली है, यहां मिली है 55.8 प्रतिशत को। बलात्कार के मामले में भारत में, पूरे देश में 39.5 को, जबकि यहां 44.4 प्रतिशत को मिली है। आप कंविक्शन रेट देखिये, पूरे हिन्दुस्तान की कंविक्शन रेट, दूसरे राज्यों की सारी, औसत जो आती है, उससे राजस्थान का कितना अच्छा औसत है।

इसी तरीके से महिला अत्याचार के मामले में 29.8 प्रतिशत है, भारत का, पूरे देश का कंविक्शन रेट, यहां पर 47.5 प्रतिशत है। बच्चों के अपराध के मामले में 45.1 प्रतिशत भारत का है, राजस्थान का 58.4 प्रतिशत है। इस तरीके से बता रहा हूं, मैं आपको।

इसके साथ-साथ यह भी बताना चाहता हूं, आप यह देखिये। जो इन्होंने बताया न कि राजस्थान नम्बर एक है, राजस्थान नम्बर एक है, क्राइम में नम्बर एक है। मर्डर, मर्डर के मामले में हमारी छठी पोजिशन है। नम्बर एक पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दो पर बिहार। तीन पर महाराष्ट्र। चार पर एमपी। पांच पर वेस्ट बंगाल।

अटेम्प्ट टू मर्डर देखिये आप, उसमें हमारी नवीं पोजिशन है। नम्बर एक पर वेस्ट बंगाल, दो पर बिहार, तीन पर उत्तर प्रदेश, चार पर उड़ीसा, पाँच पर महाराष्ट्र, छह पर झारखण्ड, सात पर कर्नाटक, आठ पर तमिलनाडु।

रायटिंग, रायटिंग के बाबत भी राजेन्द्र जी राठौड़ बहुत बोले थे। उसमें हमारी 21वीं पोजिशन है, पूरे देश में जबकि पहले नम्बर पर कौन है? बिहार। दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र। नम्बर तीन पर उत्तर प्रदेश। नम्बर चार पर कर्नाटक। नम्बर पांच पर केरल। नम्बर छह पर झारखण्ड। सात पर हरियाणा। आठ पर तमिलनाडु। नौ पर उड़ीसा। दस पर एमपी। ग्यारह पर गुजरात।

डकॉटी, डकॉटी पर हम 12वीं पोजिशन पर हैं। पहला तो महाराष्ट्र बैठा हुआ है। दूसरा उड़ीसा है, बिहार है, हरियाणा है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, सातवें नम्बर पर झारखण्ड है।

रेप के मामले लीजिये। रेप विद् मर्डर। दो तरह के हैं। रेप अलग, रेप विद् मर्डर अलग। रेप विद् मर्डर के 11वीं पोजिशन पर है राजस्थान जबकि नम्बर एक पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। नम्बर दो पर मध्य प्रदेश। नम्बर तीन पर आसाम। नम्बर चार पर महाराष्ट्र। नम्बर पांच पर उड़ीसा। नम्बर छह पर तेलंगाना। नम्बर सात पर झारखण्ड। नम्बर आठ पर वेस्ट बंगाल। रेप के मामले में हम नम्बर एक पर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यह रेप के मामले में क्यों हैं? कहीं न कहीं गलती है। +++ नम्बर दो पर है, साहब उत्तर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

प्रदेश। नम्बर तीन पर एमपी। नम्बर चार पर महाराष्ट्र। नम्बर पांच पर आसाम। नम्बर छह पर हरियाणा। यह मैंने आपको बता दिये हैं। इन्होंने जो गलत फिगर दी, उसको सुधारने के लिये।

2021 में प्रदेश भर में 48 डिकॉय आपरेशन किये गये। जिसमें 906 पुलिसकर्मियो के विरुद्ध कार्यवाही और मिसकंडक्ट के लिये विभागीय कार्यवाही की गयी। गम्भीर दुराचरण के प्रकरणों में 67 कर्मियों को सर्विस के बाहर निकालकर, वापस घर भेज दिया।

आपने मुख्य मंत्री जी का कमिटमेंट देखा होगा। मुख्य मंत्री जी ने सीधे सिरोही जिले के पुलिस कांस्टेबल, जिसने सीसीटीवी में देखकर, एक बच्ची की रक्षा की थी, उससे फोन पर बात की, उसका मनोबल बढाया। यही नहीं, उसे विशेष पदोन्नति भी दी गयी। सड़क सुरक्षा के बाबत भी बात हुई। सड़क सुरक्षा में भी मोटे तोर पर 27 परसेंट की कमी आई है। दुर्घटना में, मृत्यु में तो 27 परसेंट की कमी आई है लेकिन 2021 की गतिविधियों में थोड़ा बहुत, सड़क में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, आखिर में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार प्रदेश में संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रशासन प्रदान करने के लिये कटिबद्ध है। राजनीतिक स्पर्धा के कारण, पुलिसकर्मियों को डिमोटिवेट नहीं किया जा सकता। यह पुलिस न तो कांग्रेस की है, न बीजेपी की है। पुलिस वालों की जिंदगी का एक अलग फसाना है। पुलिस वालों की जिंदगी का एक अलग फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है।

पेशेवर आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी और कठोर कानूनी कार्यवाही, आम जनता, विशेषकर महिलाओं, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को सुरक्षा और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान थानों में, आम जन के सहयोग से अपने लक्ष्य प्राप्त करती है। लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होगी।

आज आपको राजस्थान पुलिस की ओर से पुन: यही विश्वास दिलाता हूं कि सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय का अनुसरण करते हुए राजस्थान और देश की जनता की सेवा में हम तन, मन, धन से समर्पित हैं।

यह +++ शब्द बोला है, इसको डिलीट करें।

श्री सभापति: टेबल करें, जो भी आपको टेबल करना है टेबल करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस में ए.एस.आई. के 3500 पद बढ़ाये गये हैं, इससे कांस्टेबल के प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मांग संख्या 16 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: जो भी असंसदीय और अवांछित शब्द हैं उन्हें विलोपित करने का निर्देश देता हूं।

मांग संख्या 16-पुलिस का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16- पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 82,50,74,13,000/- (बयासी अरब पचास करोड़ चौहत्तर लाख तेरह हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 17-कारागार का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-17 -कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,47,71,51,000 (दो अरब सैंतालीस करोड़ इकहत्तर लाख इक्यावन हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.31 बजे गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

गोगुन्दा में संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय

222. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित है? क्या उक्त विद्यालय में वर्तमान में बालिकाएं अध्ययनरत हैं?

(2) क्या उक्त आवासीय विद्यालय की चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो उक्त चारदीवारी को पूर्ण कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई व अब कब तक उक्त कार्य पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय दादिया संचालित है जिसमें वर्तमान में बालिकायें अध्ययनरत हैं।

(2) इस आवासीय विद्यालय दादिया की चारदीवारी का कार्य अपूर्ण है। शेष रही बाउण्ड्रीवाल के निर्माण के लिए राशि रुपये 39.26 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (परिशिष्ट 'अ')

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

बामनवास में आवासीय पट्टे

228. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त आदेश के तहत किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने प्रस्ताव आये व कितने व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आदेश जारी होने के पश्चात् भी कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा आदेश की पालना नहीं की जा रही है? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायतों द्वारा व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देश क्रमांक एफ 4 (78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1469 दिनांक 30.11.2017 के द्वारा सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिये जाने का प्रावधान है। निर्देश की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

उक्त आदेश के तहत विधान सभा क्षेत्र बामनवास में भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(2) सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों की भूमि का रूपान्तरण नहीं होने से पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सूरजगढ़ में राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

229. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के कितने राशन डीलर कौन-कौनसे

(श्री सुभाष पूनिया)

स्थानों पर कार्यरत हैं? उक्त राशन डीलरों में से किन-किनके विरुद्ध वर्ष 2021-22 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई व उक्त शिकायतों के आधार पर कौन-कौनसे राशन डीलर को दंडित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के लिये पीओएस मशीन के माध्यम से खाद्यान वितरित कर रही है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौनसे डीलर्स पीओएस मशीन का उपयोग नहीं कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में 141 कार्यरत राशन डीलरों का विवरण "परिशिष्ट-1" पर संलग्न है।

उक्त क्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 9 राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है। राशन डीलरों को दण्डित किये जाने का विवरण परिशिष्ट- "2" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के सभी राशन डीलरों द्वारा पॉस मशीन से वितरण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोहावट में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की स्थापना

230. श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लोहावट में उपखण्ड मुख्यालय पर बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नवीन बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में ही खोला जा सकता है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

राज्य में जनसंख्या वृद्धि आबादी घनत्व मे वृद्धि/भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य को नवगठित/सृजित पंचायत समितियों/शहरी निकायों के अनुसार नवीन बाल विकास परियोजनाएं खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को पत्रांक 134120 दिनांक 30-09-2021 को लिखा गया है जिस पर भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अभी अपेक्षित है।

(2) वर्तमान में नये आंगनबाड़ी व मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की रोक है। स्थानीय प्रतिनिधियों/जनप्रतिनिधियों के द्वारा नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में निरन्तर की जा रही मांग को देखते हुए मांग आधारित नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र की स्वीकृति बाबत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 31.12.2020, 24.02.2021, 27.08.2021 व 21.01.2022 को भी पत्र लिखा गया, जिनके क्रम में भारत सरकार स्तर से स्वीकृति अपेक्षित है।

चौमूं में विकास पथ

231. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितनी ग्राम पंचायतों में विकास पथ बन चुके हैं व कितनी में बनाया जाना शेष है? जिला जयपुर के विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में विगत तीन वर्षों में सिर्फ एक ग्राम पंचायत कालाडेरा में ही विकास पथ बनाया गया है? यदि हां, तो क्या एक ही विकास पथ स्वीकृत था? यदि नहीं, तो और कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में विकास पथ बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट घोषणा के समय राज्य में कुल 9891 ग्राम पंचायतें थी जिनमें से 172 ग्राम पंचायतों में विकास पथ बनाये जा चुके हैं तथा 9719 में बनाया जाना शेष है।

जयपुर जिले में निर्मित तथा शेष रहे विकास पथों की विधान सभा क्षेत्रवार सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 व 2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्र चौमूं की ग्राम पंचायत कालाडेरा में एक ही विकास पथ स्वीकृत कर पूर्ण किया गया है। विवरण परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(सूचीव विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पाली के सिलिकोसिस मरीजों को देय सहयोग राशि

232. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला पाली के किस-किस क्षेत्र के, किस-किस सिलिकोसिस के मरीज को कितने-कितने समय से सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि देनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मरीजों एवं मृतकों के परिजनों को उक्त राशि कब तक दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में राशि दिये जाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को समय पर राशि देने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के सिलिकोसिस मरीज/पीड़ित के सिलिकोसिस सहायता हेतु कुल 174 प्रकरण लम्बित हैं। इनमें से जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर सत्यापन हेतु लम्बित 17 प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-अ तथा स्वीकृति के पश्चात् भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन 157 प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त मरीजों के लम्बित प्रकरणों का सत्यापन नोडल अधिकारी स्तर से होने उपरान्त तथा स्वीकृति उपरांत भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन प्रकरणों का कोषालय से बिल पास होते ही भुगतान कर दिया जाएंगा।

सिलिकोसिस मरीजों के परिजनों को देय मृत्यु सहायता के 43 प्रकरण सत्यापन हेतु/परीक्षणाधीन हैं, जिनका भुगतान सत्यापन/परीक्षण के पश्चात् किया जाएगा एवं स्वीकृति के उपरांत भुगतान हेतु प्रक्रियाधीन 38 प्रकरणों का भुगतान कोषालय से बिल पास होते ही भुगतान कर दिया जाएंगा।

(3) सिलिकोसिस सहायता के प्रकरणों के आनलाइन निस्तारण हेतु

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

राज सिलिकोसिस पोर्टल विकसित किया गया है जिस पर प्रमाणीकरण से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया आनलाइन है। प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु केन्द्रीकृत आनलाइन भुगतान प्रणाली से सहायता राशि का भुगतान किया जा रहा है।

सिलिकोसिस सहायता के प्रकरणों में समयबद्ध रूप से भुगतान हेतु प्रमाणीकरण, स्वीकृति एवं भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए आटो अप्रूवल की व्यवस्था के साथ नवीन सिलिकोसिस पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

वन-स्टॉप-शॉप प्रणाली से रोजगार

233. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के बजट में प्रदेश में उद्योगों की सुगमता के लिए वन-स्टाप-शाप प्रणाली की स्थापना की गई थी? यदि हां, तो इसके क्या उद्देश्य थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वन-स्टाप-शाप प्रणाली के अन्तर्गत कितने प्रकरणों को स्वीकृति मिली? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रणाली के अन्तर्गत कितने उद्योग स्थापित हुए तथा कितने लोगों को रोजगार मिला? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम को सुदृढ़ बनाने एवं 10 करोड़ रु. से अधिक के निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने तथा त्वरित स्वीकृतियां एवं अनुमतियां एक ही स्थान पर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 में संशोधन करते हुए "वन-स्टाप-शाप" प्रणाली की स्थापना बी.आई.पी. में की गई है।

(2) वन-स्टाप-शाप प्रणाली के अंतर्गत 95 प्रकरण स्वीकृत हुए। जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) वन-स्टाप-शाप प्रणाली अंतर्गत 15 उद्योग स्थापित हुए तथा

(उद्योग मंत्री)

1345 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूचीव विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

उदयपुर ग्रामीण में मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण

234. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन बनने शेष हैं व कितनों के कार्य प्रगति पर हैं? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मां-बाड़ी केन्द्रों के भवनों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए किसी संस्था को जिम्मेदारी दी गई है? यदि हां, तो किसको? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है व उक्त में क्या-क्या कार्य सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 18 मां-बाड़ी केन्द्रों में से 16 के भवन बनने शेष हैं। इन 16 में से 10 के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त है, जिसके निर्माण कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही की जा रही है। (परिशिष्ट अ एवं ब)

(2) मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन की गुणवत्ता की निगरानी के लिए संबंधित स्वच्छ कार्यालय को जिम्मेदारी दी गई है, जिनके तकनीकी स्टाफ के माध्यम से भवन की गुणवत्ता की देखरेख की जाती है।

(3) जिन 10 केन्द्रों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है, उनके लिए कुल राशि प्रति केन्द्र आठ लाख रुपये स्वीकृत है, जिसके तहत एक कमरा, एक स्टोर, एक रसोई घर, एक बरामदा, एक शौचालय एवं एक हैंडपम्प वैधन एवं स्थापना का कार्य सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

महिला चिकित्सालय एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र

212. श्री कालूराम (डग): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में कितने महिला चिकित्सालय, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र संचालित हैं? जिलेवार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कितने स्त्री रोग विशेषज्ञ व बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों पर सरकार द्वारा कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? जिलेवार, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रवार, संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरित की जाने वाली दवाओं के वितरण व खरीद की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महिला चिकित्सालय तथा मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में जिलेवार, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रवार कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ तथा रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों की सूचना परिशिष्ट द पर संलग्न है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से सेवारत स्त्री रोग एवं बाल रोग विशेषज्ञों का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा संस्थानों में स्त्री रोग एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पी.जी. पूर्ण करने पर उपलब्ध चिकित्सकों से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा स्त्री रोग विभाग के 40 एवं शिशु रोग विभाग के 22 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को अर्थना भिजवाई गई है। आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों पर वितरित की जाने वाली दवाइयों एवं खरीद की स्थिति सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-र पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आरजीएचएस व चिरंजीवी योजना में सम्मिलित अस्पताल

213. श्री पुखराज (भोपालगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आरजीएचएस व मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में किस-किस जिले में किस-किस निजी अस्पताल को अनुबंधित किया गया है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में किस-किस श्रेणी के इलाज पैकेज में सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आरजीएचएस में अनुबन्धित अस्पतालों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में अनुबन्धित निजी अस्पतालों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) उक्त अस्पतालों में इलाज की श्रेणी व पैकेज राशि का विवरण परिशिष्ट-3 एवं परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

करौली में जनता क्लिनिक की स्थापना

214. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट में मौहल्ले व गलियों में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला करौली में अब तक कितनी जनता क्लिनिक खोली गईं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लाखन सिंह)

(2) क्या सरकार द्वारा जनता क्लिनिक के लिए बजट आबंटन किया गया था? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में अब तक 13 जनता क्लिनिक खोले गये हैं।

उक्त के अतिरिक्त राज्य में 129 जनता क्लिनिक खोले जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है जिसके क्रम में करौली जिले में 4 जनता क्लिनिक खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जनता क्लिनिक हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22,56,930 रुपये, वर्ष 2020-21 में 36.81 लाख रुपये एवं वर्ष 2021-22 में 90.71 लाख रुपये का बजट आबंटन किया गया है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में कोरोना वैक्सीनेशन

215. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार का वर्तमान में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम में 60 वर्ष से कम उम्र के नागरिकों को प्रिकाशन डोज लगाने की क्या योजना है? उक्त डोज कब तक लगा दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में अब तक उक्त कार्यक्रम में कितने लोगों को पहली व दूसरी दोनों डोज लग चुकी हैं व कितने शेष हैं? शेष नागरिकों का वैक्सीनेशन कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा?

(3) सरकार की बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन की क्या कार्ययोजना है व उक्त का वैक्सीनेशन कब तक कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत दिनांक 10 जनवरी 2022 से हैल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स एवं 60 वर्ष से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की प्रिकाशन डोज से टीकाकरण हेतु निर्देशित किया गया है। हैल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स के अतिरिक्त 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की प्रिकाशन

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

डोज से टीकाकरण करने हेतु भारत सरकार के स्तर से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) कोविड वैक्सीनेशन के प्रारम्भ से (दिनांक 16 जनवरी, 2021 से) दिनांक 03 मार्च, 2022 तक नागौर जिले में लाभार्थियों को निम्न तालिकानुसार कोविड वैक्सीन (कोविन साफ्टवेयर के अनुसार) की डोजेज लगाई गयी है।

क्र.सं.	**कोविड वैक्सीनेशन लक्ष्य**	**कोविड वैक्सीन की प्रथम डोज से टीकाकृत किये गये लाभार्थियों की संख्या**	**कोविड वैक्सीन की द्वितीय डोज से टीकाकृत किये गये लाभार्थियों की संख्या**
1	24,81,698	23,73,340	21,37,823

शेष नागरिकों का वैक्सीनेशन पूर्ण किये जाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार किया जा रहा है। बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हेतु आज दिनांक तक भारत सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

बार लाइसेंस फीस

216. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि होटल बार लाइसेंस की फीस निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो जिला सीकर में कितने लाइसेंसी बार हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बार लाइसेंस की वार्षिक फीस राशि 5,50,000 रुपये निर्धारित है?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला सीकर के बार लाइसेंसों में जलसा बार होटल, फतेहपुर वर्ष 2016 से 2017 में चालू था, किन्तु वर्ष 2017 से 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बार लाइसेंस फीस 5,50,000 रुपये माह फरवरी में जमा करवा दी गई थी? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त बार लाइसेंस फीस को लौटाया जाना था अथवा उक्त फीस वित्तीय वर्ष में समायोजित की जानी थी? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे? सरकार अब कब तक उक्त कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला सीकर में बार लाइसेंस का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान आबकारी (होटल बार/क्लब बार लाइसेंस) नियम 1973 तथा राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंस) नियम, 2004 के अन्तर्गत बार की लाइसेंस फीस निर्धारित है। वर्तमान में निर्धारित फीस का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) यह सही है कि सीकर जिले के रेस्टोरेन्ट जलसा बार फतेहपुर नगरपालिका वर्ष 2016-17 में चालू था। उक्त रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञाधारी ने वर्ष 2017-18 के लिये नवीनीकरण हेतु बार लाइसेंस फीस राशि रु. 5,50,000/- दिनांक 27.02.2017 को जमा करवा दी गई थी। अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2017-18 में उक्त रेस्टोरेन्ट बार की नवीनीकरण फीस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमा न करवाकर उक्त होटल बार के अनुज्ञापत्र को नियमित रूप से संचालित करने के लिये आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2017-18 के अनुसार जमा करवाई गई थी।

(4) जी नहीं। जलसा रेस्टोरेन्ट फतेहपुर जिला सीकर द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जमा कराई गई राशि रिफण्ड/समायोजन योग्य नहीं होने के कारण लौटाई नहीं गई। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) राजस्थान उदयपुर से जारी पत्र दिनांक 24.02.2020 की छायाप्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि संयंत्रों पर अनुदान

217. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा किसानों को कृषि संयंत्रों पर कितना-कितना अनुदान दिया जाता है? संयंत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गिरधारीलाल)

(2) क्या सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कृषि संयंत्रों पर अनुदान की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार एवं उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी यंत्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) कृषि यंत्रों के क्रय पर केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अनुदान प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के स्तर से अनुदान बढ़ाने की स्थिति में ही राज्य में भी कृषि यंत्रों पर अनुदान राशि में वृद्धि की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में रिक्त पद

218. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में विभाग में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत हैं व उक्त में से कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालौर में कृषि विभाग के विभिन्न संवर्गों के कुल 85 पद स्वीकृत एवं 37 पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विभाग में पदोन्नति एवं सीधी भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चयन सूची प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर के किसानों को अनुदान

219. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों को सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान देय है? यदि हां, तो किन-किन उपकरणों पर कितना-कितना अनुदान देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में विगत तीन वर्षों की अवधि में कितने किसानों को किन-किन संयंत्रों पर कितना-कितना अनुदान दिया गया? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में किसानों को अनुदान के अनेक प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों के क्रय पर कृषकों को अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार एवं उद्यान विभाग द्वारा उद्यानिकी यंत्रीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकों को कृषि यंत्र क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जिसका विभागवार एवं योजनावार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) श्रीगंगानगर जिले में विगत 3 वर्षों के दौरान कृषि यंत्रों पर किसानों को दिये गये अनुदान का विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में गत वर्षों में कृषि यंत्रों पर देय अनुदान राशि के भुगतान का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण

220. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2021 में किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के उद्देश्य से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त

(श्रीमती मीना कंवर)

घोषणा की अनुपालना में अब तक कितने केन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व कितनों का अपूर्ण है? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त किसान सेवा केन्द्रों हेतु कृषि पर्यवेक्षकों के पद भी सृजित किये गये हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। "मुख्य मंत्री बजट घोषणा" वर्ष 2021-22 बिन्दु संख्या 74 के तहत "किसानों को विभिन्न प्रकार की सेवायें देने के उद्देश्य से आगामी 3 वर्षों में 125 करोड़ रुपये की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में एक हजार किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जायेगा। इसके लिए कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नये पद भी सृजित किये जायेंगे की घोषणा की गई थी।

बजट घोषणा की अनुपालना में 1000 किसान सेवा केन्द्रों में से राज्य के विभिन्न जिलों में अब तक 632 किसान सेवा केन्द्रों के मुख्यालयों का चयन किया जा चुका है। इन 1000 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण 03 आगामी वर्षों में किया जाना है। उक्त में से अभी तक किसी भी जिले में किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण नहीं हुआ है।

(2) जी हां। "मुख्य मंत्री बजट घोषणा" वर्ष 2021-22 के बिन्दु संख्या 74 की अनुपालना में 1000 कृषि पर्यवेक्षकों के नवीन पद सृजित किये जाने हेतु अब तक कुल 632 किसान सेवा केन्द्रों के मुख्यालयों का चयन किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट "अ" पृष्ठ संख्या 01 से 18 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खातीपुरा व कुन्दनपुरा (बगरू) को बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति

221. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्राम खातीपुरा, कुन्दनपुरा एवं वार्ड नं. 120 के शेष भाग को बीसलपुर पेयजल योजना से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके आस-पास के कौन-कौन से क्षेत्र में बीसलपुर से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों व उक्त वार्ड के शेष भाग को भी

(श्रीमती गंगा देवी)

बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर के बीसलपुर की पेयजल आपूर्ति से वंचित विधान सभा क्षेत्र बगरू के वर्णित 02 ग्राम एवं वार्ड संख्या 120 के शेष अलाभान्वित भाग सहित अन्य वंचित क्षेत्रों को तकनीकी सम्भाव्यता, बीसलपुर बांध में जल की उपलब्धता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार चरणबद्ध रूप से योजनाएं स्वीकृत की जाकर इनकी क्रियान्विति की गई/जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र बगरू के वार्ड संख्या 120 के आंशिक भाग तथा इसके आस-पास के वार्ड संख्या 114, 121, 122 (आंशिक), 123 (आंशिक) एवं 124 में बीसलपुर का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 07.04.2018 को राशि रुपये 75.93 करोड़ की स्वीकृति खो-नागोरियान पेयजल योजना कार्य पूर्णता के अंतिम चरण में है तथा इस योजना अंतर्गत 9.0 मिलियन लीटर बीसलपुर का स्वच्छ पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाकर मांग अनुसार नियमित जल संबंध दिये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बगरू के ग्राम खातीपुरा एवं कुन्दनपुरा तथा जयपुर नगर निगम (ग्रेटर) के वार्ड संख्या 120 के शेष अलाभान्वित क्षेत्र को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित इन्दिरा गांधी नगर के सैक्टर संख्या 9 एवं 1 में निर्मित पम्प हाउस से इंदिरा गांधी नगर के मध्य में अवस्थित ग्राम खातीपुरा एवं कुन्दनपुरा में बीसलपुर का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्रमशः राशि रुपये 32.50 लाख एवं रुपये 88.47 लाख के बनाये गये प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में विचाराधीन है।

(ब) खो-नागोरियान पेयजल योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं के कराये गये कार्यों से वार्ड संख्या 120 के शेष अलाभान्वित क्षेत्र सहित अन्य वंचित क्षेत्रों में पेयजल वितरण तंत्र विकसित करने हेतु आवश्यक सर्वे एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का कार्य कार्यादेशित सलाहकार फर्म मैसर्स पीडीकोर, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त प्रस्ताव/डी.पी.आर. की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार जारी की जाकर, इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

बाली में पेयजल आपूर्ति की कार्ययोजना

222. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली के सरकारी स्तर पर कंटींजेंसी के तहत वर्तमान में कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं? यदि हां, तो उक्त का निस्तारण कब तक कर लिया जायेगा?

(2) जवाई बांध में घट रहे जल के स्तर को देखते हुए विधान सभा क्षेत्र बाली में विभाग द्वारा पेयजल की क्या-क्या व्यवस्था एवं पूर्व तैयारियां की गयी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाली में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु कंटींजेन्सी के अंतर्गत 27 ग्रामीण जल योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम स्तर द्वारा संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता को अधिकृत कर दिया गया है।

उक्त क्षेत्र का कंटींजेन्सी के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु वर्तमान में लम्बित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाली के 2 कस्बे क्रमश: फालना एवं बाली तथा 9 ग्राम जवाई बांध आधारित क्लस्टर परियोजना-प्रथम से वर्तमान में लाभान्वित हैं।

विधान सभा क्षेत्र बाली के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य बनाये रखने हेतु आपात कार्यों (कंटींजेन्सी) के अंतर्गत जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, पाली द्वारा 02 शहरी (जवाई बांध से लाभान्वित कस्बा फालना एवं बाली) तथा 02 ग्रामीण जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 213.74 लाख की योजनाओं की स्वीकृति जारी की गई है। इन स्वीकृतियों के विरुद्ध 01 ग्रामीण जल योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 03 जल योजनाओं का कार्य माह अप्रैल, 2022 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा कंटीजेन्सी के अंतर्गत भू-जल आधारित 09 ग्रामीण जल योजनाओं हेतु राशि रुपये 302.79 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर, इन योजनाओं के कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं तथा ये जल योजनाएं चरणबद्ध रूप से माह अप्रैल, 2022 तक पूर्ण करनी प्रस्तावित हैं। उक्त समस्त जल योजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बाली हेतु उक्तानुसार कंटीजेन्सी के अंतर्गत 27 ग्रामीण जल योजनाओं (जवाई बांध एवं भू-जल आधारित क्रमश: 07 व 20 जल योजनाएं) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह मार्च, 2022 में जारी की जाकर, इनका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया जायेगा। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही में प्रक्रियाधीन इन जल योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नसीराबाद में स्वीकृत ट्यूबवैल

223. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट 2021-22 में पेयजल समस्या से राहत पहुंचाने के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैण्डपम्प व 10 ट्यूबवैल स्वीकृत किए जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में 10 ट्यूबवैल और 40 हैण्डपम्प लगवा दिए गए हैं? यदि हां, तो कब व कहां-कहां? स्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घोषित हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल अब तक नहीं लगाये गए हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रख-रखाव व सामान के अभाव में अधिकांश हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल नाकारा स्थिति में हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त नाकारा पड़े हैण्डपम्प और ट्यूबवैल को पुन: कार्यरत अवस्था में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट 2021-22 में की गई घोषणा की अनुपालना में माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पत्र दिनांक 04.06.2021 द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार 40 नवीन हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 50.40 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31.08.2021 को जारी की गई। इन समस्त हैण्डपम्पों का निर्माण एवं स्थापना कार्य पूर्ण किया जाकर समस्त हैण्डपम्प चालू किये जा चुके हैं तथा ये हैण्डपम्प वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं।

उक्तानुसार हैण्डपम्पों की स्वीकृति आदेश की प्रतियां एवं स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पत्र दिनांक 28.10.2021 द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में विद्युत संचालित 10 सिंगल फेज नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु अनुशंषा की गई थी। बजट घोषणा की अनुपालना में फिजिबिलिटी अनुरूप अनुशंषित स्थानों पर 04 थ्री-फेज नलकूपों के निर्माण एवं स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 16.56 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हाल ही में दिनांक 04.03.2022 को जारी की गई है तथा इनका निर्माण एवं स्थापना कार्य माह अप्रैल, 2022 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

उक्त नलकूपों की ग्रामवार स्वीकृति आदेश की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के उक्तानुसार शेष ग्रामों हेतु अनुशंषित 06 स्थानों पर नलकूपों का निर्माण, भू-जल वैज्ञानिक की राय के अनुसार जल आवक क्षमता अत्यन्त कम होने से व्यवहारिक (फिजिबल) नहीं होने के कारण इनकी स्वीकृति जारी नहीं की गई।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 में हैण्डपम्प एवं नलकूप के निर्माण हेतु कोई बजट घोषणा नहीं हुई थी। विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवश्यकतानुसार 15 हैण्डपम्पों के निर्माण हेतु राशि रुपये 17.60 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 16.06.2020 को जारी की जाकर, इन हैण्डपम्पों का निर्माण एवं स्थापना कार्य पूर्ण कर चालू किये जा चुके हैं। इन हैण्डपम्पों का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की ग्रामीण जल योजनाओं अंतर्गत कुल स्थापित 1930 हैण्डपम्प एवं 39 थ्री-फेज नलकूपों में से 1863

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

हैण्डपम्प एवं 27 नलकूप जल योजनाओं अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील अवस्था में हैं तथा 67 हैण्डपम्प एवं 12 नलकूप वर्तमान में सूखे एवं नाकारा हैं।

उक्त सूखे/नाकारा हैण्डपम्प एवं नलकूपों को पुन: क्रियाशील/चालू करना तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर व लूणकरणसर तहसील के गांवों के विद्यालयों में पेयजल कनेक्शन

224. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील बीकानेर व लूणकरणसर के किस-किस गांव के विद्यालय में पेयजल कनेक्शन सुविधा उपलब्ध है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पेयजल से वंचित विद्यालयों में भी पेयजल कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले की तहसील बीकानेर के ग्रामों में स्थित 157 राजकीय विद्यालयों में से 144 विद्यालयों में तथा तहसील लूणकरणसर के ग्रामों में स्थित 240 राजकीय विद्यालयों में से 170 विद्यालयों में जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वाले उक्त विद्यालयों का तहसीलवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में घर-घर क्रियाशील जल संबंधों द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करने के साथ-साथ संस्थानिक क्षेत्र यथा विद्यालय, चिकित्सालय एवं अन्य इत्यादि को जल संबंध द्वारा पेयजल से लाभान्वित करने हेतु इनकी जल मांग का प्रावधान भी सम्मिलित किया गया है।

जिला बीकानेर की तहसील बीकानेर एवं लूणकरणसर में जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति से उक्तानुसार वंचित क्रमश: 13 एवं 70 राजकीय विद्यालयों को उक्त मिशन के अंतर्गत माह मार्च, 2024 तक चरणबद्ध रूप से जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुविधा से वंचित विद्यालयों में पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जोधपुर एवं बाड़मेर में अवैध खनन की रोकथाम

225. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर एवं बाड़मेर जिले में बजरी व जोधपुर स्टोन का अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2019 के बाद कहां-कहां पर मामले दर्ज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवैध खनन करने वाले दोषियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार के मामले दर्ज कर चालान पेश किये गये? एफ.आई.आर. नंबर एवं दिनांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त की रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

(4) क्या अवैध खनन के कार्य में कोई सरकारी अधिकारी व कर्मचारी लिप्त पाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर एवं बाड़मेर जिले में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि में खनिज बजरी एवं सेण्डस्टोन (जोधपुर स्टोन) के अवैध खनन के 153 प्रकरण दर्ज किये गये। स्थानवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार पंचनामे बनाये जाकर कार्यवाही की गई है। प्रकरणवार कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर अंकित है। कुल 31 प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता एवं एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत संबंधित पुलिस

(खान मंत्री)

थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। एफ.आई.आर. नम्बर, दिनांक एवं उनमें चालान पेश करने के संबंध में सूचना सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) जिला जोधपुर एवं बाड़मेर में 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक की अवधि में अवैध खनन में संलिप्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

महवा की पंचायतों में विकास कार्य सम्बन्धी शिकायतें

226. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा में विगत तीन वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुईं? क्या उक्त शिकायतों की जांच की गई? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गत तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच में पाये गये दोषियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रतनगढ़ में खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी

227. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में लंबे समय से खाद्य सुरक्षा पोर्टल

(श्री अभिनेश महर्षि)

बंद होने से पात्र परिवारों को उक्त योजना में पंजीकरण करवाने से वंचित रहना पड़ रहा है?

(2) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विगत एक वर्ष में कितने पात्र परिवारों का उक्त योजना में पंजीयन हुआ व कितने वंचित रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद सम्भव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं।

भारत सरकार को राजस्थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा माननीय प्रधान मंत्री महोदय को दिनांक 09.12.2019, 22.04.2020, 25.08.2020, 20.07.2021, 29.12.2021, 16.02.2022 से अ.शा. पत्र लिखे गये हैं।

(2) वर्तमान में दिनांक 18.05.2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोड़े जाने के कारण विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में विगत एक वर्ष में कोई पंजीयन नहीं हुआ है।

दिनांक 18.05.2020 को पोर्टल बंद होने पर पूर्व के प्राप्त आवेदनों में से 184 परिवारों के 828 लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा गया है एवं शेष 45 आवेदन लम्बित हैं।

झालावाड़ में राशन डीलरों का कमीशन

228. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्तमान में कुल कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं? उक्त दुकानों में से कितनी दुकानों में राशन डीलर नहीं हैं एवं कितनों को अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है? दुकानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है की जिला झालावाड़ में राशन डीलरों के गेहूं

(श्री गोविन्द प्रसाद)

वितरण का कमीशन समय पर दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों व अब तक कितना कमीशन लम्बित है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में वर्तमान में कुल 159 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। उक्त दुकानों में से 15 उचित मूल्य दुकानों पर राशन डीलर नहीं होने एवं 16 दुकानों का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने का विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत राशन डीलरों के गेहूं वितरण का कमीशन समय पर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजनान्तर्गत माह सितम्बर, 2021 तक वितरित गेहूं के कमीशन का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में लगभग 3.10 करोड़ का कमीशन दिया जाना शेष है, जिसके भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान

229. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला भीलवाड़ा में केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विगत तीन वर्षों में उक्त योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार से प्राप्त उक्त राशि का समय पर उपयोग नहीं होने के कारण करोड़ों रुपयों की राशि लैप्स हुई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जिला भीलवाड़ा के लिये केन्द्र सरकार से वर्षवार निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई-

वर्ष	प्राप्त राशि (रुपये)
2018-19	24 लाख 45 हजार
2019-20	24 लाख 15 हजार
2020-21	44 लाख 30 हजार

(2) जिले में वर्षवार निम्नानुसार राशि व्यय की गई-

वर्ष	व्यय राशि (रुपये)
2018-19	01 लाख 31 हजार
2019-20	03 लाख 98 हजार
2020-21	24 लाख 15 हजार

(3) जी नहीं। भारत सरकार से प्राप्त बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने पर अवशेष राशि का भारत सरकार द्वारा पुनर्वैद्यकरण किया जाता है तथा यह अवशेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग में ली जा सकती है।

(4) जी नहीं। भारत सरकार से प्राप्त बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने पर अवशेष राशि का भारत सरकार द्वारा पुनर्वैद्यकरण किया जाता है तथा यह अवशेष राशि अगले वित्तीय वर्ष में उपयोग में ली जा सकती है। अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

रेवदर में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

230. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वयं के भवन उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? उक्त विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र कहां, किन शर्तों पर व कितने किराये व किन सुविधाओं के साथ कब से संचालित किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: रेवदर एवं आबूरोड परियोजना संचालित है। परियोजना रेवदर में 168 एवं परियोजना आबूरोड में 125 कुल 293 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

उक्त विधान सभा क्षेत्र रेवदर में विभागीय अथवा अन्य सरकारी आवास अनुपलब्ध होने पर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु किराये का भवन लिया जाकर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किया जा रहा है।

बाल विकास परियोजना, रेवदर में 22 आंगनबाडी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना, आबूरोड में 44 आंगनबाड़ी केन्द्र कुल 66 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों मे संचालित है। किराये के भवनों मे संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों, उनमें प्राप्त सुविधाओं एवं किराये पर लिये जाने का वर्ष एवं उनका मासिक किराया आदि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित किराया व अन्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

ग्रामीण एवं जनजाति क्षेत्र की परियोजनाओं के आंगनबाडी केन्द्रों हेतु (ग्रामीण क्षेत्र) 1000/- रु. प्रति माह।

शहरी परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु 4000/- रु. प्रति माह।

अन्य शर्तें :-

पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के साथ कम से कम 600 वर्गफुट की जगह (सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सहित)

जहां कहीं शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, भवन मालिक को शौचालय बनाने और पीने क पानी की सुविधा की व्यवस्था करने के लिए 6 महीने के समय दिया जाना चाहिए। तब तक किराए में बढोतरी प्रभावी नहीं होगी।

किराये का निर्धारण सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी/किराया निर्धारण द्वारा दिए गए किराया औचित्य प्रमाण पत्र के अधीन होगा।

जहां कही ऐसी जगह या शौचालय और पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, ऐसे केन्द्रों को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय द्वारा नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

कवराडा-वलदरा पुलिया का निर्माण

231. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कवराडा-वलदरा पुलिया का स्वीकृति के पश्चात् भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि भवरानी गांव के लिए मुख्य भवरानी बाईपास निर्माण की स्वीकृति के पश्चात् भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है?

(3) क्या सरकार उक्त कार्यों को प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य की स्वीकृति दिनांक 23.07.2018 को प्राप्त हुई थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 23.09.2018 थी। संवेदक द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अनुबन्ध निरस्त कर अन्य संवेदक को कार्यादेश जारी किया गया, जिसके प्रारम्भ की तिथि 10.02.2020 थी। कार्य कोविड-19 के कारण प्रभावित रहा। तत्पश्चात् संवेदक द्वारा दो वर्ष पुरानी दरों पर कार्य करने को असहमत होने के कारण नवीन निविदायें आमंत्रित की गई हैं, जिसको प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 22.03.2022 है।

(2) जी हां। कार्य अप्रारम्भ है।

(3) कवराडा-वलदरा पुलिया का निर्माण सफल संवेदक प्राप्त होने पर शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

भवरानी बाईपास निर्माण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

सुजानगढ़ में रेलवे ओवर-ब्रिज का निर्माण

232. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मनोज कुमार)

(1) क्या बजट 2021-22 के अनुसार सुजानगढ़ के सम्राट होटल के पास फाटक पर रेलवे ओवर-ब्रिज बनाने का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारी रेलवे फाटक पर ब्रिज नहीं बनाने के लिए अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं तथा अनुचित कारण बता रहे हैं? यदि नहीं, तो वर्तमान में उक्त की क्या प्रगति है तथा उक्त का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एलसी संख्या-21 सीकर नोखा सड़क, सुजानगढ़ पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य हेतु विभाग द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 12.02.2021 को राशि रु. 6500.00 लाख की जारी की गई है। रेलवे विभाग द्वारा इस आर.ओ.बी. हेतु जी.ए.डी. अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य की निविदायें आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(2) जी नही। उक्त आर.ओ.बी. निर्माण हेतु कन्सल्टेंसी कार्य हेतु निविदा 15.02.2021 को जारी की गई। जिसे खोलने की दिनांक 16.03.2021 थी। उक्त निविदा में किसी भी संवेदक ने भाग नहीं लिया। तत्पश्चात् सुजानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में उप चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं दिनांक 19.04.2021 को कोविड-19 की बजह से 04.05.2021 तक लाक डाउन रहा। द्वितीय निविदा दिनांक 05.05.2021 को जारी की गई जो 28.05.2021 को खोली गई। खण्ड कार्यालय द्वारा निविदा प्रकरण दिनांक 10.06.2021 को अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव कार्यालय भेजा गया। एकल निविदा प्राप्त होने के कारण उक्त निविदा निरस्त कर दी गई। पुन: तीसरी बार निविदा दिनांक 02.09.2021 को जारी की जाकर कार्यादेश दिनांक 08.11.2021 को जारी किया गया। कन्सल्टेंट द्वारा प्रस्तुत जी.ए.डी. को दिनांक 31.01.2022 को रेलवे विभाग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर दिया गया है। (विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है) रेलवे विभाग से जी.ए.डी. अनुमोदन के बाद आर.ओ.बी. निर्माण कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ करवा दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय छात्रावासों में आवासियों को खाद्य सामग्री

233. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजकीय छात्रावासों में आवासियों को खाद्य सामग्री के लिये प्रतिमाह देय राशि एवं दैनिक उपयोग की अन्य सुविधायें बढ़ाकर जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासियों के समकक्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय छात्रावासों पर होने वाले अन्य प्रशासनिक व्यय कार्यालय मद से न किये जाकर खाद्य सामग्री मद में किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासियों के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजकीय छात्रावासों में मैस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह (9.5 माह प्रतिवर्ष) 2000/- रुपये से बढ़ाकर 2500/- रुपये की गई है। विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

देवली-उनियारा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र

234. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में विगत 3 वर्षों में विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

प्रदेश में विगत 3 वर्षों में स्थापित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्राम गोडो की झोपड़िया में औद्योगिक क्षेत्र उनियारा की स्थापना की जा चुकी है। वर्तमान में देवली-उनियारा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मंदिरों का जीर्णोद्धार

235. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर विभाग की सम्पत्तियों पर लोगों के कब्जे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब से? सम्पत्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विगत तीन वर्षों में विभाग के मंदिरों में चोरी की घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब? उक्त एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत तीन वर्षों में विभाग ने किस-किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है? मंदिरों के नाम सहित व्यय की गई राशि का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर देवस्थान विभाग की सम्पत्तियों पर कब्जे हैं। सम्पत्तियों पर कब्जे की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विगत तीन वर्षों में विभाग के मंदिरों में चोरी की घटनाओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विगत तीन वर्षों में विभाग द्वारा मंदिरों में करवाये गये जीर्णोद्धार की सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचना व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के किसानों को नि:शुल्क कृषि उपकरण

236. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार टीएसपी क्षेत्र में गरीब आदिवासी किसानों को नि:शुल्क फव्वारा सैट, मिनी स्प्रिंकलर एवं मिनी ड्रिप संयंत्र देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी किसानों को वर्तमान में नि:शुल्क फव्वारा सैट, मिनी स्प्रिंकलर एवं ड्रिप उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में विचाराधीन नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 03 मार्च, 2022)

डीडवाना में कुसुम योजना के लाभार्थी

153. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में कुसुम योजना के तहत अब तक कितने किसानों को सोलर पम्प सैट उपलब्ध करवाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी योजना के तहत नागौर जिले के विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में अब तक 49 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र किसानों के खेतों पर स्थापित करवाये गये हैं। कृषक सूची परिशिष्ठ-1 पर संलग्न है।

(2) पीएम कुसुम कम्पोनेंट-बी योजना के तहत केन्द्र द्वारा 183.24 करोड़ तथा राज्य द्वारा 312.80 करोड़ कुल 496.04 करोड़ राशि अनुदान भुगतान हेतु प्राप्त हुई जिसमें से नागौर जिले के विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में 49 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित कराकर राशि रुपये 98.09 लाख अनुदान प्रदान किया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-01

मांग संख्या 16-पुलिस पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

1. पुलिस कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

2. जिला उदयपुर के भीण्डर पंचायत के पाणुण्ड में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़) :

3. प्रदेश में जन आंदोलनों में राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर लगे झूठे मुकदमों को वापस लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव रिड़ी में पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के आड़सर, बुचांरे अगुणी, कीतासर व धर्मोड़ा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा भवन पर प्रदर्शनकारियों के लिये स्थान चिन्हित करने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. प्रदेश में पुलिस विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

8. पुलिस थानों में पुलिस कार्मिकों के लिए अधिक सुविधायें तथा संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कस्बा बांसखोह में पुलिस थाना तथा नईनाथ धाम एवं देवगांव में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में।
10. पुलिसकर्मियों में बढ़ रही आपराधिक प्रवृतियों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों पर बढ़ रहे हमलों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. पुलिस कार्य प्रणाली तथा जनता के साथ व्यवहार में सुधार हेतु प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

12. पुलिस थानों में बंदियों को भोजन देने के लिये विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. पुलिस थानों में बंदियों के कपड़े उतरवाने की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

14. पुलिस की नफरी पूर्ति के लिए होमगार्ड लगाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

15. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अंतर्गत सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में साइबर थाना खुलवाने एवं आवश्यक संसाधनों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पुलिस के विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के अन्तर्गत आने वाले पुलिस थानों में नवीन/आधुनिक वाहन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

19. थानों के माल खानों में बेकार पड़े वाहन तथा अन्य सामग्री को निस्तारित एवं नीलाम कर प्राप्त राशि को राजकीय खाते में जमा कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

20. प्रदेश में बढ़ते अपराधों की रोकथाम हेतु थानों में कांस्टेबल के पद बढ़ाने तथा रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल एवं सहायक उप निरीक्षक के वेतनमान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. पुलिस थानों में नये वाहन तथा आवश्यकतानुसार डीजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. पुलिस थाना राशमी, कपासन, आकोला तथा भादसौडा थाने के नवीन भवन बनाने के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

24. विधान सभा क्षेत्र भादरा के भादरा स्थित भिरानी थाना में नई गाड़ियों की स्वीकृति जारी कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
25. प्रदेश में पुलिस थानों में नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. पुलिस के कार्मिकों का मैस, स्टेशनरी व परिवहन भत्ता बढ़ाया जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

27. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की थाना कुराबड की झामर कोटडा की चौकी में सम्पूर्ण स्टाफ लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
28. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में अधिक संख्या में चोरियां होने के कारण किरायदारों की जांच एवं सत्यापन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
29. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत धार में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
30. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत बारापाल में पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
31. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सभी थानों में खाली पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

32. डूंगरपुर जिले में पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे वापस लेने के संबंध में कांकरी डूंगरी प्रकरण में सी.बी.आई. जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिये।
33. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पुलिस द्वारा अवैध वसूली बन्द करने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।
34. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नवीन पुलिस चौकी तथा थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
35. जनसंख्या के आधार पर पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में थानेदार, हैड कांस्टेबल एवं कांस्टेबल लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में आये दिन चोरी, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु गडामोरेया, ददोडिया, मेताली, मझोला, सतीरामपुर, घुघरा, पगारा देवल आदि में रात्रि गश्त बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

37. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के देवपुरा, हाउसिग बोर्ड में चौकी खोलने व कोटडी चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अरनोद उपखण्ड मुख्यालय पर सालमगर असोड, सुहागपुरा थानों को सम्मिलित करते हुए पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय एवं जिला मुख्यालय पर रठान्जना, धमीतर हथुनीया को सम्मिलित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

39. कोटड़ी पुलिस थाना में वर्ष 2010 में दर्ज मु.नं. 104 एवं मुकदमा नं. 145/2045 में मुल्जिमों की गिरफ्तारियां नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

40. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. भीलवाड़ा जिले में हिस्ट्रीशीटरों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में सवाईपुर के खजूरी में नया पुलिस थाना स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. राजस्थान पुलिस में कांस्टेबलों की वेतन ग्रेड पे 3600 करने तथा 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

44. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सिंचाई के पानी की चोरी रोकने के लिए नये पुलिस थानों की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

45. ओसियां पुलिस थाना में रिक्त पदों को भरने सहित प्रदेश में पुलिस विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

46. प्रदेश के पुलिस थानों में शीघ्रातिशीघ्र सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
47. प्रदेश के पुलिस कार्मिकों के वेतन व भत्ते बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

48. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में खौड, मणिहारी पुलिस चौकी को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना खुलवाने, ढोला व चाणोद में नया पुलिस थाना खोलने, सुमेरपुर बस स्टैण्ड पर संचालित पुलिस चौकी को स्थाई पुलिस चौकी के रूप में स्थापित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
49. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में टेवालीकलां व टेवालीखुर्द में विभाजित एक गांव होते हुए भी दो थाने हैं, दोनों थानों को सदर थाना पाली में शामिल करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
50. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर शहर की बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की नफरी ¼ से बढ़ाकर 1/20 करवाने व सुमेरपुर पुलिस थाने की नफरी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
51. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ कस्बे में बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की ¼ नई चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

52. विधान सभा क्षेत्र आहोर की उम्मेदपुर चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
53. विधान सभा क्षेत्र आहोर के हरजी, भोरडा में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
54. आहोर में नया पुलिस वृत्ताधिकारी कार्यालय (सी.ओ.) खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
55. प्रदेश में पुलिस विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने एवं नई भर्तियां करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
56. विधान सभा क्षेत्र आहोर में हत्या, डकैती, चोरी आदि मामलों में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

57. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा के पुलिस थाना एवं बदनोर में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए 10 नये क्वार्टर बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के करेड़ा से भीलवाड़ा रोड पर जाली चौराहा पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द ग्राम पंचायत पाटन में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के पुलिस थाना आसीन्द में पुलिसकर्मियों के रहने के लिए पर्याप्त क्वार्टर नहीं होने के कारण 15 नये क्वार्टर बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

61. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के पनवाड थाने के उपयोगार्थ भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत तीनधार चौराहा पर नई पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में दिनों-दिन अधिक संख्या में हो रही चोरियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में बकानी तहसील मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत कांस्टेबलों को साल भर में मिलने वाले अवकाशों में से उपभोग करने से शेष रहे अवकाशों को आगामी वर्ष में सम्मिलित करने की चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

66. बांसवाड़ा जिले के पुरुष कांस्टेबल एवं महिला कांस्टेबलों की अलग-अलग भर्ती कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के घाटोल बस स्टैण्ड पर यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस कांस्टेबल लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में आई.पी.एस., आर.पी.एस. एवं सी.आई. रैंक के अधिकारियों की पदोन्नति समय पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में चन्दुजी का गड़ा में नवीन पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के घाटोल मुख्यालय पर नया थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

71. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पुलिस थाना रायपुर व कारोई में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के सभी थानों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ शहर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था हेतु यातायात निरीक्षक एवं अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ शहर में यातायात थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

76. अलवर शहर के अखैपुरा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. अलवर शहर में पुलिस को अत्याधुनिक हथियार एवं वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश के पुलिस विभाग में नफरी (कर्मचारियों) की कमी होने के कारण शीघ्र नयी भर्ती करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के वेतनमान में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पुलिस कर्मचारियों के लिए नये सरकारी आवासों का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

81. प्रदेश के विभिन्न थानों में कोटा रेंज में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत ए.एस.आई., एस.आई. एवं सी.आई. का स्थानांतरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
82. विधान सभा क्षेत्र डग में पुलिस के रिक्त पदों को भरने एवं कांस्टेबल को ग्रेड पे 3600 देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
83. विधान सभा क्षेत्र डग में हत्या, डकैती, नाबालिग लड़कियों का अपहरण, जुआ-सट्टा एवं एस.सी./एस.टी. अत्याचार आदि पर रोकथाम हेतु पुलिस विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।
84. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानीमण्डी में पुलिस उप अधीक्षक का पद सृजित करने एवं पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
85. विधान सभा क्षेत्र डग के उमरिया, पड़ासली एवं दुधालिया में पुलिस चौकी निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

86. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के वृहद भौगोलिक स्थिति के कारण व जिला मुख्यालय से लगभग 150 कि.मी. दूरी होने के कारण उपखण्ड मुख्यालय जैतारण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
87. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित पुलिस चौकी बगड़ी का स्थान ग्राम पंचायत बगड़ी के अधीनस्थ भवन से हटाकर पुलिस विभाग के भवन में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
88. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत तीन वर्षों से अधिक समय से नियुक्त विभिन्न पुलिस थाने के पुलिस कार्मिकों को विधान सभा क्षेत्र व स्थानीय जैतारण सर्किल से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
89. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पुलिस थाना जैतारण, आनंदपुर कालू, रास, सेन्दड़ा, रायपुर, नवगठित बर व सभी पुलिस चौकियों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने व जैतारण शहर मुख्यालय पर यातायात भार को देखते हुए नवीन यातायात चौकी की स्थापना की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।
90. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में दर्ज आपराधिक मुकदमों में माल की पूर्ण

बरामदगी नहीं होने व उनका जल्द निस्तारण नहीं होने से आम जनता को हो रही भारी परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

91. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूंगला में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

92. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पुलिस थानों का नवीन भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. प्रदेश में बढ़ती बलात्कार एवं दलित अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सांकड में नया पुलिस थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

96. रामगंज थाना, अजमेर में पुलिस की मिलीभगत से शराब माफियाओं एवं खान माफियाओं द्वारा अवैध शराब एवं अवैध खनन व्यापक स्तर पर किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

97. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर में दर्ज प्रकरणों/एफआईआर की जांच अतिशीघ्र करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के जोंसगंज, विज्ञान नगर व आदर्श नगर क्षेत्र के मकानों में आये दिनों हो रही चोरियों की रोकथाम हेतु जोंसगंज क्षेत्र में एक नवीन पुलिस थाना खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. अजमेर शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार के लिये एवं यातायात पुलिस का सुदृढ़ीकरण हेतु एक नया सर्किल कार्यालय अजमेर दक्षिण के नाम से स्वीकृत कर उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी का पदस्थापन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. अजमेर के अलवर गेट थाने में गत एक वर्ष में भोले-भाले नागरिकों को झूठी एफआईआर में फंसाकर मारपीट कर हफ्ता वसूली किये जाने

के आरोप सिद्ध होने के पश्चात् भी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

101. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, एस.सी., एस.टी. सेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महिला सेल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम सनावड़ा में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर चोरी एवं अन्य अवैध कार्यों की रोकथाम के लिये चौराहों, बस स्टैण्ड, बैंकों इत्यादि सार्वजनिक जगह पर अत्याधुनिक गुणवत्ता के कैमरे लगाने पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

104. प्रदेश में पुलिस विभाग में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

105. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में गुमशुदा हुए व्यक्तियों की पुलिस द्वारा तलाश न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पुलिस विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

107. हनुमानगढ़ जिले में मादक पदार्थों पर अंकुश लगाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में मोबाइल छीनना, चैन स्नेचिंग, मोटर साइकिल चोरी व घरों में चोरी की वारदातों में पुलिस द्वारा बरामदगी न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पुलिस द्वारा अवैध नाका लगाकर आमजन का नाजायज चालान काटने तथा भ्रष्टाचार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

110. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पुलिस थाना मुहाना, मालपुरा गेट, वरुण

पथ में स्टाफ की कमी होने के कारण बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पृथ्वीराज नगर में नये पुलिस थाना बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के पुलिस थानों में रात्रिकालीन पुलिस गश्त बढ़वाकर आमजन को सुरक्षा देने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के पुलिस थानों में महिला व पुरुष शौचालयों का अलग-अलग निर्माण करवाकर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

113. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के समस्त पुलिस थानों में पुलिस जवानों के लिए बैरक का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की चुरेलिया को पुलिस थाना में क्रमोन्नति के संबंध में।

115. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में गुराडी चौराहे पर स्वीकृत पुलिस चौकी का भवन निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कोलूखेड़ी कलां के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण हेतु बजट स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के ग्राम पंचायत ल्हास व आमेठा में नई पुलिस चौकी खोली जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

118. प्रदेश में पुलिस की 24 घन्टे सेवा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को विशेष भत्ता व साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र नोहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सिपांई थाना के लिए आबंटित भूमि पर भवन निर्माण करने के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. FIR No. 537/2017 पुलिस थाना नोहर में दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस विभाग द्वारा आज दिनांक तक कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

122. हिन्दुमल कोट पुलिस थाना जिला श्रीगंगानगर में पदस्थापित कांस्टेबलों के रोके गये वेतन का शीघ्र भुगतान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

123. विधान सभा क्षेत्र भीनमाल में पुलिस चौकी मोकरा को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

124. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जालौर के समस्त पुलिस थानों में वर्ष 2020-2021 में दर्ज हुए अपराधिक मामलों में कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

125. कोटा सम्भाग में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के मामलों में खनन, राजस्व एवं वन विभाग को पुलिस द्वारा त्वरित सहयोग नहीं किये जाने तथा ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

126. उच्च पुलिस अधिकारियों द्वारा बनावटी शिकायतों एवं आरोपों के आधार पर कांस्टेबल जैसे छोटे कार्मिकों का अत्यधिक दूरी पर स्थानांतरित कर दण्डित एवं परेशान करने से उनकी कार्यक्षमता आदि पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

127. रामथल (बून्दी) में पुलिस थाना हेतु भवन एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण के लिए 15 बीघा भूमि आवंटित करवाकर बजट उपलब्ध नहीं करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

128. पुलिस थाना अयाना (कोटा) के ग्राम मीठोद में पुलिस चौकी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. पुलिस थाना इटावा भवन के निर्माण के लिए कम से कम 10 बीघा भूमि आवंटित करवाने तथा पुलिस उप अधीक्षक इटावा के लिए आवास निर्माण कार्य नहीं करवाने के संबंध में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

130. बाड़मेर जिले की भीयाड़ चौकी को पुलिस थाना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

131. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी जिला बांसवाड़ा में गढ़ी के समस्त थानों में आवश्यक स्टाफ के पदस्थापन एवं जर्जर क्वार्टरों की मरम्मत के साथ नये आवासीय क्वार्टर के निर्माण पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

132. विधान सभा क्षेत्र सोजत में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने एवं कानून व्यवस्था को दुरस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

133. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू (सिरोही) के जनजाति एवं औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
134. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू के नियलागढ़ में पुलिस चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

135. प्रदेश में जो पुलिस थाने नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे पर स्थित हैं, उन पुलिस थानों में स्वीकृति के अनुसार कार्मिकों को पदस्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
136. जयपुर-अजमेर नेशनल हाईवे पर पुलिस थाना बगरू व पुलिस थाना दूदू के बीच महलां अथवा मौखमपुरा में नवीन पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
137. विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील व पंचायत समिति फागी के राजस्व गांवों को पुलिस थाना रेनवाल माजी में गलत तरीके से जोड़ दिया गया है, को पुलिस थाना फागी में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
138. विधान सभा क्षेत्र दूदू की तहसील फागी के 12 राजस्व गांव व तहसील मौजमाबाद के 2 राजस्व गांवों को नये पुलिस थाना फागी में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

139. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कस्बा अजीत, खण्डप में पुलिस चौकी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
140. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना मुख्यालय पर वृत्ताधिकारी (DY.SP) कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. प्रदेश में आबादी के आधार पर पुलिस नफरी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पुलिस थाना सिवाना, समदड़ी एवं सिणधरी को विधान सभावार, राजस्व गांव, पंचायतवार पुन: सीमांकन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पुलिस थानों में आवासीय परिसरों के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

144. जालौर जिले के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की प्रवृति पर पुलिस द्वारा अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

145. प्रदेश के पुलिस थानों में रिक्त पद भरने के साथ ही मादक पदार्थों के रोकथाम हेतु पुलिस को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

146. नागौर जिले के डेगाना में बढ़ती चोरियों की घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस की पर्याप्त नफरी बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

147. डूंगरपुर जिले में लगे पुलिस मित्र को समय-समय पर बदलने व सम्बन्धित थाने व चौकी के क्षेत्र में निवास करने वाले समुदाय की संख्या को अनुपात में सी.एल.जी. सदस्यों का चयन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. डूंगरपुर जिले में हत्या व महिला अत्याचार के मामलों में एस.सी./एस.टी. एक्ट में समय पर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. प्रदेश में पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश स्वीकृत करने व वेतन विसंगतियों को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. प्रदेश में पुलिस विभाग में अनुसूचित क्षेत्र में पदोन्नति में हो रही अनियमितता एवं पदोन्नतियों में संवैधानिक रूप से आरक्षण व्यवस्था लागू करने में बरती जा रही उदासीनता पर चर्चा के लिये।

151. पुलिस विभाग द्वारा डूंगरपुर जिले में फील्ड पोस्टिंग में की जा रही अनियमितता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

152. कोटा शहर में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थानों को अत्याधुनिक संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

153. कोटा के उप अधीक्षक (यातायात) कार्यालय में साइबर थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों का साइकिल, स्टेशनरी व मैस भत्ता बढ़वाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

155. कोटा शहर के सुभाष नगर क्षेत्र में नई पुलिस चौकी खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

156. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पुलिस प्रशासन द्वारा चालान कर राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में लूट और चोरी पर दर्ज मुकदमों पर त्वरित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

158. जिला अलवर की तहसील अलवर के जो ग्राम थाना रामगढ़ में लगते हैं, उन्हें थाना सदर (अलवर) में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के कस्बा मुबारिकपुर में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के थाना रामगढ़ (अलवर) के ग्राम चिडवाई, सिरमोर, गोविन्दपुरा, मालपुर सहजपुर, सींगराका, बड़बरा, हमनपुर, ईन्दपुर, तीलवाड़, लौधपुरी, खानपुर खुर्द को थाना गोविंदगढ़ (अलवर) में सम्मिलित करने के संबंध चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

161. धौलपुर जिले के थानों को नये व अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

162. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बालोतरा शहर सहित पचपदरा, मडपुरा, जसोल, नाकोडा, कल्याणपुर एवं खेड सहित मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पुलिस थाना बालोतरा सहित सभी थानों में पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए आवश्यकता अनुसार आवास बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा शहरी क्षेत्र में रीको क्षेत्र की अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई करने एवं नया बस स्टैण्ड क्षेत्र में नई पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में रिफाइनरी की सुरक्षा हेतु रिफाइनरी पुलिस थाना एवं पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा मुख्यालय पर सदर थाना एवं यातायात थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

167. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में अपराधों पर नियंत्रण करने हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में मुख्य स्थानों पर अपराधियों पर नजर रखने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के विभिन्न थानों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नई पुलिस चौकियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

171. प्रदेश में पुलिस द्वारा गलत ढ़ंग से दर्ज किये गये मुकदमों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. प्रदेश में पुलिस द्वारा पेन्डेमिक (कोरोना काल) में दर्ज प्रकरणों को वापस लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

173. जालौर जिले के समस्त थानों, चौकियों एवं कार्यालयों में रिक्त चल रहे समस्त पदों को शीघ्र भरे जाने एवं उनके कर्तव्य निर्वहन को सुगम बनाये जाने हेतु आवश्यक उपकरण/संसाधन एवं वाहन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र जालौर के समस्त गांवों में लगातार हो रही चोरियों को रोकने के लिए प्रभावी प्रयास करने एवं हर गांव में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

175. जालौर शहर के बीच में स्थित पुलिस लाइन को शहर से बाहर अन्य बड़े भूखण्ड पर, कारागार भवन के साथ-साथ स्थानांतरित करते हुए नई पुलिस लाइन बनाये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र जालौर के ग्राम जीवाणा में नया पुलिस थाना तथा बाकरा रोड में नई पुलिस चौकी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

177. विधान सभा क्षेत्र नगर की पुलिस चौकी जालूकी को थाना में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र नगर थाना सीकरी को उप निरीक्षक स्तर से निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

179. प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु दक्ष व अनुभवी कार्मिकों के नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

180 प्रदेश में वांछित अपराधियों को पकड़ने हेतु स्पेशल टीम नहीं होने से अपराधियों द्वारा अपराध करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181 विधान सभा क्षेत्र चूरू में अभय कमाण्ड सेन्टर से जुडे सी.सी.टी.वी. कैमरे खराब रहने तथा मुख्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र चूरू में दर्ज एफ.आई.आर. नं. 204/21 में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र चूरू में वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 में पंजीकृत चोरी के प्रकरणों में विभाग द्वारा 16 प्रतिशत ही बरामदगी होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

184. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के महिला पुलिस थाना, टपूकडा को एस.आई. स्तर से सी.आई. स्तर में क्रमोन्नत करने व भिण्डसी पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

185. प्रदेश के पुलिस थानों में नये वाहन देने हेतु पुलिस कर्मचारियों को सुविधाएं बढ़ाने एवं सप्ताह में एक अवकाश देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

186. विधान सभा क्षेत्र मावली के थाना मावली, फतहनगर, घासा व डबोक में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र मावली के थाना मावली, फतहनगर, घासा, डबोक व सुखेर में नफरी के आधार पर पुलिसकर्मी तैनात करने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र मावली के थाना मावली व घासा को सी.आई. स्तर का करने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मावली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र मावली में पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय भवन व स्टाफ क्वार्टर के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

191. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के सभी थानों के भवनों में विस्तार, मरम्मत, सी.सी.टी.वी. कैमरों, कम्प्यूटर उन्नतिकरण एवं स्वागत कक्ष में आधुनिकीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के पुलिस लाइन में सुविधाओं के विस्तार, भोजन व्यवस्था में सुधार और संचार व मनोरंजन सुविधाओं में वृद्धि करने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में पुलिसकर्मियों के कल्याण, आवास सुविधा एवं उत्तम कार्य वातावरण के संबंध में चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों से चोरियों की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने और पुलिस गश्त व्यवस्था सुदृढ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

195. राजसमन्द जिले में महासतियों की मादड़ी चौराहे, आवासन कालोनी राजसमन्द एवं मोही में पुलिस चौकी की स्थापना और मोही में आबंटित भूखण्ड पर चौकी भवन निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

196. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मंडी के कोटा जिले के ढाबादेह में पुलिस थाना खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

197. प्रदेश के प्रत्येक पुलिस थाने के बीट प्रभारी कांस्टेबल द्वारा अपने क्षेत्र के प्रत्येक अपराधी की जानकारी एकत्रित कर सभी पुलिस अधीक्षकों के पास भिजवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में पुलिस अधीक्षक (आई.पी.एस.) का पद सृजित कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

199. प्रदेश में पुलिसकर्मियों की 8 घंटे ड्यूटी लेने के प्रावधान किये जायें व साप्ताहिक अवकाश स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. प्रदेश में पुलिसकर्मियों का मैस भत्ता 200 रुपये से बढाकर 1000 रुपये करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

201. प्रदेश के पुलिस विभाग के कर्मचारियों को 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पर दी जाने वाली ए.सी.पी. के साथ ही उनको पदोन्नति का भी लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. प्रदेश के पुलिस विभाग के कर्मचारियों का हार्ड ड्यूटी भत्ता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों (कांस्टेबल रैंक) की न्यूनतम ग्रेड पे 3600 किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

204. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के पुलिस थाना छबड़ा, छीपाबड़ौद एवं बापचा में नफरी के पद बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

205. विधान सभा क्षेत्र निवाई में बढ़ते चोरी, हत्या के प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल मीणा (सलूम्बर):

206. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के अन्तर्गत पुलिस थाना गिंगला के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जयसमन्द पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराडा, सेमारी, जयसमन्द, झल्लारा के गौ तस्करी, गौ हत्या, बजरी का अवैध खनन एवं बढ़ते अपराधों की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

209. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी पुलिस थानों में जब्त मालगाडियां, बन्दूकें, ट्रैक्टर, मोटर साइकिलें, चोरी के सोना, चांदी, मोबाइल आदि वापस देने के संबंध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सभी पुलिस थानों में जवानों के रहने के लिये क्वार्टरों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री किसनाराम विश्नोई (लोहावट):

211. विधान सभा क्षेत्र लोहावट में स्थित पुलिस थाना क्षेत्रों के पुन: परिसीमन कर भौगोलिक दृष्टि से दूरी अनुसार क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

212. प्रदेश के पुलिस कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

213. प्रदेश में गत वर्षों में प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सामान्य कर्मचारियों के विरुद्ध संगीन प्रकरणों में राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कार्यवाही में बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. प्रदेश में पुलिस विभाग में सजायाफ्ता, गम्भीर आरोपित एवं जमानत पर रिहा किये गये कार्मिकों का पदस्थापन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

215. पुलिस विभाग में कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर की पदोन्नति में 50 प्रतिशत वरिष्ठता एवं 50 प्रतिशत चयन के आधार पर प्रावधान होने के बावजूद भी 5000 कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पर पदोन्नति करने के पश्चात् इस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

216. राजस्थान में महिला अत्याचार एवं बलात्कार की घटनाओं को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

217. प्रदेश में पुलिस विभाग के एफ.एस.एल. अपराधों के परीक्षण के लिये विशेष ध्यान देने के स्थान पर लापरवाही होने के कारण एफ.एस.एल. लगातार कमजोर होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

218. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में अस्थायी पुलिस चौकी राजनोता को स्थायी पुलिस चौकी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ):

219. चित्तौड़गढ़ में पर्यटन पुलिस थाना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. यातायात पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ जो वर्तमान में टैंट में संचालित है, के लिये भवन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

221. चित्तौड़गढ़ के पुलिस थाना सदर हेतु भूमि आबंटन व थाना भवन निर्माण हेतु राशि आबंटन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. चित्तौड़गढ़ के भदेसर तथा विजयपुर पुलिस थाना के भवनों का नव निर्माण कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के प्रत्येक पुलिस थाना में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

224. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम करोटी एवं आबू रोड मार्ग पर रात के

अंधेरे में राहगीरों, वाहन चालकों पर हो रही पत्थरबाजी पुलिस द्वारा रोकथाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबूरोड रीको, आबूरोड सदर, आबूरोड सिटी, अनादरा, मण्डोर व रेवदर आदि पुलिस थाना क्षेत्रों में चोरी व अन्य अपराधों के बढ़ रहे मामलों एवं चोरी का माल बरामद नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. नगरपालिका आबूरोड द्वारा गांधीनगर योजना में भूखण्ड आबंटन के बावजूद गांधीनगर, आबूरोड पुलिस चौकी का निर्माण प्रारम्भ नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनियां (सूरजगढ़):

227. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में दर्ज चोरी के प्रकरण में बरामदगी नहीं होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में मुख्य स्थानों पर लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे खराब होने तथा अन्य स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरे नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

229. प्रदेश में पुलिस थानों में स्वागत कक्ष नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित थानों में मुकदमों के चालान लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में दर्ज मुकदमों में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

232. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के सभी पुलिस थानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. प्रदेश में पुलिस थानों में आधुनिक वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

234. जमवारामगढ़ के जो गांव आमेर, कानोता, बस्सी में आते हैं, उनको जमवारामगढ़ थाने के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम पंचायत नीमला, बूज, भानपुर तथा गढवाडी में पुलिस चौकी स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में थाना आंधी को पुलिस निरीक्षक स्तर पर क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के थाना जमवारामगढ़ तथा आंधी में आवासीय क्वार्टर्स बनाने तथा रायसर थाने का भवन निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

238. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न थानों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

239. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर व किशनगढ़-रेनवाल थाना परिसरों की चारदीवारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा एवं किशनगढ़-रेनवाल पुलिस थानों के पुलिस कर्मियों के रहने के लिए स्टाफ क्वार्टर्स नहीं होने अथवा जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर लेक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा किशनगढ़-रेनवाल में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न थानों एवं चौकियों में समुचित स्टाफ का पदस्थापन करने तथा यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नये पुलिस थाने एवं चौकियां खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

244. विधान सभा क्षेत्र महवा की सांथा में पुलिस चौकी खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र महवा की ग्राम पंचायत बैजूपाडा में पुलिस थाना खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र महवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र महवा के ग्राम बालाहेडी और गाजीपुर में नवीन पुलिस चौकी खालेने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

248. विधान सभा क्षेत्र नोखा में पांचू पुलिस थाना क्षेत्र में कक्कू गांव में पुलिस चौकी मय वाहन के खोलने पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र नोखा के जसरासर पुलिस थाना क्षेत्र में काकड़ा गांव जुड़ा हुआ है को पुलिस थाना नोखा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. प्रदेश के पुलिस कांस्टेबलों की ग्रेड पे 3600 करने के संबंध में चर्चा के लिये।

251. जयपुर कमिश्नरेट में वर्ष 2013 से कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल, वर्ष 2016 से हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक, 2015 से सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर बकाया पदोन्नति प्रकरणों का तत्काल निपटारा करने के संबंध में चर्चा के लिये।

252. वृत्ताधिकारी क्षेत्र नोखा के पुलिस थानों नोखा, जसरासर, पांचू में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

253. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में स्थित पुलिस थाना क्षेत्रों में जगह-जगह चल रहे खुलेआम सट्टा व जुआ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

254. सुजानगढ़ शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस थाना सुजानगढ़ शहर में यातायात प्रहरी (कांस्टेबल) के रिक्त पदों को भरने एवं अतिरिक्त पद स्वीकृत कर यातायात व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

255. विधान सभा क्षेत्र नदबई में गहलोनी मोड चौकी को पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र नदबई के अन्तर्गत डहरा मोड चौकी को नेशनल हाईवे पुलिस थाना में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

257. विधान सभा क्षेत्र नदबई के पुलिस थाना उच्चैन को उप निरीक्षक से निरीक्षक श्रेणी में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

258. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गुडाकलां पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रामपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु रूपावास में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र सोजत में सोजत शहर में पुलिस के कार्मिकों हेतु आवश्यक सुविधा सहित आवासीय क्वार्टर्स बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना):

262. विधान सभा क्षेत्र बयाना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र बयाना के ऊदावल थाने में नवीन भवन निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

264. भीलवाड़ा जिले की पुलिस फोर्स में स्वीकृत सभी स्तर के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

265. भीलवाड़ा जिले के पुलिस विभाग से संबंधित प्रशासनिक भवनों को बेहतर सुविधाएं यथा कर्मचारियों हेतु शौचालय, रेस्टरूम, चैंजरूम, बैरिक्स हैल्प डेस्क आदि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

266. राजस्थान पुलिस को अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

267. भीलवाड़ा जिले के थाना परिसरों में आवासीय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. फौजदारी प्रकरणों में आधुनिक वैज्ञानिक तौर-तरीकों से अनुसंधान करने हेतु लगातार परीक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

269. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के गंज थाना अन्तर्गत आनासागर पुलिस चौकी का स्मार्ट सिटी योजना के तहत भवन निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. अजमेर में पुलिस कार्मिकों के लिये बनाये गये आवासों की मरम्मत कराने एवं सभी पुलिस कर्मचारियों के लिए करीब तीन हजार सरकारी आवास और बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. प्रदेश के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घण्टे से अधिक लेने पर हार्ड ड्यूटी भत्ता दुगुना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में क्रिश्यनगंज क्षेत्र में नया थाना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

273. प्रदेश में होम गार्डों को नियमित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

274. प्रदेश में बढ़ रही चेन स्नेचिंग, वाहन चोरी, नकबजनी, डकैती, लूट, दुष्कर्म, बलात्कार की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र आमेर के व्यावसायिक क्षेत्रों/मुख्य बाजारों में आपराधिक घटनाओं चोरी, लूट एवं डकैती की रोकथाम हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जाहोता स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय स्कीम स्वप्नलोक क्षेत्र में हो रही आपराधिक गतिविधियों की व्यापक रोकथाम हेतु नवीन पुलिस चौकी की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. विधान सभा क्षेत्र आमेर के थाना क्षेत्रों में बढ़ते अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस थानों को आधुनिक संसाधन/उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र आमेर में साइबर थाने की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर) :

279. प्रदेश में घातक मादक पदार्थों के व्यापार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निरन्तर अभियानपूर्वक कार्यवाही की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

280. जोधपुर महानगर में वाहन चोरी सहित समस्त अपराध नियंत्रण हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. प्रदेश में भूमि भवन रहित पुलिस थानों एवं चौकियों को भूमि भवन सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

282. प्रदेश में अत्यधिक तेजी से बढ़ते बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए सख्त सज़ा के कानूनी प्रावधान, तीव्र गति से विधिक प्रक्रिया निष्पादन, सख्त पुलिस कार्यवाही, अपराधियों के फोटो का सार्वजनिक प्रकाशन, बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण की अनिवार्यता, पोर्न साइट्स पर पूर्ण प्रतिबन्ध सहित समयबद्ध कार्य योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के पुलिस थाना देवनगर एवं पुलिस चौकी कायलाना को भूमि भवन सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

284. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में नवीन पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय, थाना और पुलिस चौकी खोली जाकर क्षेत्र में बढ़ते अपराधों को रोकने हेतु आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाने व ड्यूटी समय को आठ घण्टे करने के संबंध में चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सेल की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में बढ़ रहे महिला अपराध व अत्याचारों को रोकने हेतु प्रत्येक थाने में महिला सेल की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में पुलिस थाना टोडारायसिंह के नवीन भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

289. प्रदेश के पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिसकर्मियों के लिये फील्ड अलाउन्स बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद एवं सहरिया बहुल क्षेत्र में पुलिस में सहरिया जनजाति को पदोन्नति देने पर चर्चा के लिये।

291. प्रदेश में होमगार्डों की बार-बार होने वाली चिकित्सकीय परीक्षण प्रक्रिया को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के होमगार्ड का वेतन समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद में पुलिस थानों व पुलिस लाइन में आवासीय समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

294. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के क्षेत्रफल को देखते हुए तीन अतिरिक्त पुलिस थाने एवं एक पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्र के बड़े भू-भाग को देखते हुए चिन्हित बिन्दुओं पर चोरी इत्यादि घटनाओं की रोकथाम के लिये सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन विभिन्न पुलिस थानों पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासीय भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

297. नगरपालिका, अटरू के पुराने थाने के भवन में पुलिस चौकी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

298. अटरू तहसील के ग्राम आटोन में पुलिस चौकी खोलने पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू की पुलिस चौकी बडोरा को थाने में क्रमोन्नत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

300. नगर परिषद् बारां की अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण तेल फैक्ट्री बारां शहर में नवीन थाना खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

301. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में हो रहे साइबर क्राइम को रोकने के लिए उप अधीक्षक कार्यालय में साइबर सेल गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम हस्तेडा की पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने तथा ग्राम किशनमानपुरा में पुलिस चौकी खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

303. पुलिस थाना क्षेत्र चौमूं में महिलाओं के गुमशुदी के दर्ज प्रकरणों में बरामदगी नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

304. चौमूं स्थित कोतवाली चौकी को पुन: प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

305. पुलिस आयुक्तालय के अधीन आने वाले सभी पुलिस थानों के कार्यरत पुलिस कर्मचारियों को शहरी भत्ता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

306. सिरोही जिले में विगत पांच वर्षों में दर्ज बलात्कार के मामलों में गिरफ्तारी न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

307. सिरोही जिले में विगत तीन वर्षों में चोरी, लूट व नकबजनी के मामलों में माल की पूरी बरामदगी न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

308. सिरोही जिले में वर्ष 2020 में दो पुलिस उप महानिरीक्षकों द्वारा अपराधों में पुलिस की मिलीभगत पर दी गई रिपोर्ट पर कार्यवाही न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

309. सिरोही जिले में गत तीन वर्षों में गुमशुदा लड़कियों की बरामदगी न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

310. सिरोही जिले में वर्ष 2022 में दर्ज हत्या के मामलों में गिरफ्तारी न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

311. प्रदेश के पुलिस विभाग में भ्रष्ट अफसरों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

312. प्रदेश में पुलिस विभाग में माफिया व अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों के गठजोड़ से हो रहे संगीन अपराधों की रोकथाम पर चर्चा के लिये।

313. प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त एसीबी द्वारा ट्रेप अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति समय पर प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

314. प्रदेश में अफीम, स्मेक, डोडा व नशे के कारोबार से बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

315. प्रदेश में जगह-जगह पनपते माफियाओं से पुलिस के पिटने के कारण पुलिस कार्मिकों का मनोबल कम होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर):

316. श्रीगंगानगर के विभिन्न पुलिस थानों एवं चौकियों में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

317. विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के श्रीगंगानगर में रीको, मीरा चौक एवं सेतिया चौकियों को थाने में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

318. श्रीगंगानगर शहर में अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु पार्किंग स्थल बनाये जाने तथा अन्य आवश्यक कदम उठाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

319. श्रीगंगानगर शहर में श्रीगंगानगर ईस्ट एवं वेस्ट नाम से दो सी.ओ. कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

320. श्रीगंगानगर पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के लिये नवीन स्टाफ क्वार्टर्स बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 17-कारागार पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 17-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगी/करेंगे कि:-

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

1. अजमेर के केन्द्रीय कारागार में कैदियों को जेल कार्मिकों द्वारा अवैध रूप से मोबाइल उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
2. अजमेर के केन्द्रीय कारागार को शहर के बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. प्रदेश की जेलों में जैमर लगाने के बाद भी उसे लगाने के उद्देश्य में सफलता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
4. कारागार विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन विसंगति के कारण विभाग के कार्य की गुणवत्ता में आ रही गिरावट के संबंध में चर्चा के लिए।
5. प्रदेश के महिला कारागारों में महिला बन्दियों के नवजात बच्चों की समुचित देखभाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

6. केन्द्रीय कारागार, बाड़मेर की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।
7. केन्द्रीय कारागार, बाड़मेर में बढ़ते कैदियों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बैरक निर्माण हेतु राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

8. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में उप जेल, अकलेरा को शीघ्र चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

9. विधान सभा क्षेत्र नोहर के उप कारागृह में प्रतीक्षालय कक्ष खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. प्रदेश के कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. प्रदेश के विभिन्न कारागारों में बन्दियों के पास मोबाइल व मादक पदार्थ मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

12. दूरस्थ उपखण्ड मुख्यालय इटावा (कोटा) में कार्यपालक मजिस्ट्रेट के दो तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट के तीन कुल पांच न्यायालय होने से उप कारागार की आवश्यकता के बावजूद उप कारागार खोलने में विभागीय उदासीनता बरती जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

13. कोटा केन्द्रीय कारागार में पूर्णकालीन चिकित्सक तथा मेलनर्स नियुक्त रहने तथा विशेष मेडिकल कैम्प आयोजित करते रहने के बावजूद विगत चार वर्षों में बन्दियों की मौतों के कारणों की जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. कोटा में आवश्यकतानुसार जेल भवन निर्माण में बरती जा रही विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिए।

15. प्रदेश के कारागारों में बंदियों के रहन-सहन एवं मिल रही सुविधाओं की जांच परख तथा मिलने वाली शिकायतों की दृष्टि से जनप्रतिनिधियों को औचक निरीक्षण का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

16. प्रदेश की जेलों में स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

17. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के गढ़ी मुख्यालय पर उप कारागृह खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

18. जिला बाड़मेर में स्थित बालोतरा उप कारागार के विस्तार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19. प्रदेश के कारागारों में बन्दियों के परिजनों के लिए शुद्ध पेयजल, विश्राम स्थल तथा शौचालय बनवाये जाने आदि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

20. प्रदेश के कारागारों में सजायाफ्ता कैदियों के स्वभाव, विचार,

भावनाओं में परिवर्तन लाये जाने तथा सामान्य जीवन यापन किये जाने के लिए विशेष कार्यशालाएं चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

21. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को शुद्ध भोजन एवं पेयजल उपलब्ध करवाने एवं सामान्य जन सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

22. प्रदेश में जेल प्रहरियों का भत्ता पुलिस सिपाही के बराबर करने एवं जेल अधीक्षक तथा प्रहरियों के रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

23. प्रदेश की जेलों में बन्द अपराधियों से मोबाइल, नशीले पदार्थ आदि मिलने की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पदमाराम (चौहटन):

24. प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा, कैदियों को सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने एवं प्रतिबन्धित साधनों की रोकथाम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

25. कारागार विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती तथा विशेषकर अनुसूचित क्षेत्र के कारागारों में कार्मिकों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. प्रदेश के कारागारों में बन्दियों में सुधार एवं मानसिक परिवर्तन हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

27. केन्द्रीय कारागृह अलवर में विभिन्न सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

28. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में उप कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

29. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप कारागार बालोतरा में सुरक्षा की

दृष्टि से स्वचालित विद्युत जनरेटर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप कारागार, बालोतरा में कैदियों की संख्या के आधार पर पानी स्टोरेज हेतु वाटर टैंक निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप कारागार बालोतरा का जैरेला रोड स्थित भूमि पर सुरक्षा की दृष्टि से नवीन एवं आधुनिक सुविधायुक्त भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उप कारागार बालोतरा के क्षतिग्रस्त भवन की मरम्मत कराने एवं भवन में कैदियों हेतु सामान्य अप्रतिबन्धित सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. बाड़मेर के सिवाना क्षेत्र की छपन्न की पहाड़ियों में हल्देश्वर क्षेत्र में ओपन जेल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

34 प्रदेश की जेलों में प्रहरी सहित अन्य रिक्त पदों की भर्ती किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. प्रदेश के कारागारों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

36. प्रदेश में कारागारों का जीर्णोद्धार करना एवं सुविधाएं बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

37. जयपुर स्थित मुख्य कारागार को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

38. जालौर जिला मुख्यालय पर स्थित कारागार को शहर से बाहर स्थानान्तरित कर अन्य भूखण्ड पर नया एवं बड़ा कारागार बनाए जाने एवं समस्त रिक्त पद भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया) :

39. विधान सभा क्षेत्र संगरिया के कारागार में कैदियों द्वारा मोबाइल

उपयोग किये जाने के प्रकरण प्रकाश में आने से उत्पन्न स्थिति तथा जेल की सुरक्षा हेतु चार दीवारी को ऊंचा किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

40. प्रदेश में जेल बंदियों को जेल मैन्युअल के अनुसार खाना व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के कारागृह में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. प्रदेश के कारागृहों में बंदियों के अनुपात में बैरकों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

43. जेलों में बन्द बंदियों में बढ़ रही गैर कानूनी एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम करने एवं कारागारों के बदहाल व्यवस्था में सुधार लाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

44. प्रदेश की जेलों में कैदियों से हफ्ता वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा क लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

45. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

46. प्रदेश की जेलों में सफाईकर्मियों के अतिरिक्त पद स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. प्रदेश के कारागारों में अपराधियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए टीवी पर धार्मिक चैनल एवं संतों के प्रवचन कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

48. जेलों में सजा काट रहे कैदियों के पास प्रतिबन्धित सामग्री यथा-बीड़ी, सिगरेट, हथियार, नशीले पदार्थ, मोबाइल आदि मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

49. विधान सभा क्षेत्र कपासन के उप कारागार में अतिरिक्त बैरकों के निर्माण तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

50. विधान सभा क्षेत्र भादरा की जेल को शहर से बाहर अन्यत्र शिफ्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51. प्रदेश की जेलों में विशेष शिक्षकों (मनो विशेषज्ञ) की नियुक्ति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

52. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड स्तर पर पुराना कारागार भवन जर्जर हो जाने के कारण नये भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

53. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के उपखण्ड कोटडी पर नवीन कारागार भवन निर्माण की स्वीकृति जारी कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

54. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कारागार में कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55. कारागार के सिपाहियों/कान्स्टेबलों का ग्रेड-पे बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56. प्रदेश की जेलों में कैदियों को लघु उद्योगों से संबंधित प्रशिक्षण दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

57. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को खाने-पीने व रहने की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

58. प्रदेश के कारागारों में अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों की भर्ती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

59. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में कारागार की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छगनसिंह (आहोर):

60. विधान सभा क्षेत्र आहोर के पुलिस थाना भाद्राजून में कारागार बैरक की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

61. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरडा एवं आसीन्द शहर में कारागार की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

62. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के उपखण्ड स्तर पर नया कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के कारागार में बन्द कैदियों का जिला बदले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश के कारागारों में बन्द कैदियों को परिजनों से मिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. कैदियों के स्वास्थ्य के अनुसार उनका खान-पान तय किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66. कारागार के कैदियों की नियमित अंतराल से स्वास्थ्य जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

67. अलवर शहर स्थित केन्द्रीय जेल को अलवर शहर से बाहर अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. अलवर शहर सहित अलवर जिले में स्थित अन्य कारागार एवं उप कारागार में बंदियों के लिए समय के अनुरूप सुविधायुक्त नये स्नानघर एवं शौचालय बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. अलवर जिले के कारागारों में बंदियों की संख्या को देखते हुए कारागार प्रहरियों की नफरी एवं संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कालूराम (डग):

70. विधान सभा क्षेत्र डग के चौमहला में कारागार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. विधान सभा क्षेत्र डग के भवानी मण्डी में शहर से बाहर कारागार बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. प्रदेश के कारागारों में कैदियों को दी जा रही सुविधाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

73. प्रदेश के सभी कारागारों में कैदियों तथा स्टाफ के लिए मीठे व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था तथा खाने में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. कारागार में कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव के लिए प्रतिदिन उन्हें विशेषज्ञ के माध्यम से बौद्धिक उपदेश दिलाये जाने तथा टी.वी. एवं खेल के माध्यम से मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. प्रदेश में जेलकर्मियों का वेतनमान बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

76. प्रदेश में जेल प्रहरियों की लम्बित मांगों एवं समस्याओं का निराकरण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77. जेल प्रहरियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

78. प्रदेश में विगत तीन वर्षों में महिला सुधार गृहों के उन्नयन पर विशेष कार्य नहीं होने, सुधार गृहों में मूलभूत सुविधाओं की कमी और सुधार गृहों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. प्रदेश में खुले बंदी शिविरों में क्षमता बढ़ाने, बंदियों को प्रशिक्षण देने, सभी जिलों में खुले बंदी शिविर प्रारम्भ करने एवं राजसमंद की खुली जेल (बंदी शिविर) के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. राजसमंद के जिला कारागार में बंदियों को विगत तीन वर्षों में विधिक सहायता उपलब्ध करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

81. प्रदेश के केन्द्रीय जिला एवं उप कारागारों में क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या और राजसमंद जिला कारागार में भवन की जर्जर स्थिति एवं बंदियों की अधिक संख्या होने से बैरकों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. राजसमंद के जिला कारागार भवन हेतु आबंटित भूखण्ड पर नवीन भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

83. विधान सभा क्षेत्र मावली के उप कारागृह में भवन की मरम्मत व रंग रोगन का कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र मावली के उप कारागृह में मोबाइल जैमर व सीसीटीवी कैमरे लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र मावली के उप कारागृह परिसर में स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

86. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के केन्द्रीय कारागृह में कैदियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

87. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की जेल में जेलकर्मियों के विभिन्न पद बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

88. प्रदेश की जेलों में बन्द कैदियों द्वारा जेलों के बाहर आपराधिक कार्य संचालित करवाये जाने से उन पर रोकथाम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. प्रदेश की जेलों में कैदियों को आवश्यक एवं समुचित मात्रा में भोजन सामग्री दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. कोटा जेल में कैदियों की बैरकें बढ़ाये जाने एवं भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. प्रदेश की जेलों में बन्द महिला कैदियों को संक्रमित बीमारियों से बचाने के लिए सेनेटरी नैपकिन पैड मशीन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. प्रदेश के शहरों में स्थित जेलों को शहर से बाहर अन्यत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

93. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उप कारागार को शहर के भीड़-भाड़ वाले स्थान से अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. राज्य की सभी जेलों में बन्द कैदियों द्वारा मोबाइल, सिम, घातक हथियार, मादक पदार्थ, अवैध वस्तुएं एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री के उपयोग पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सराड़ा में उप कारागृह खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. प्रदेश की जेलों में पुराने कैदियों तथा जेल के कर्मचारियों की मिलीभगत से नये कैदियों के साथ मारपीट करने तथा उनसे अवैध राशि वसूलने की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

97. प्रदेश के महिला कारागृहों में नवजात बच्चों की समुचित देख-भाल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर):

98. प्रदेश के कारागृहों में कैदियों की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

99. प्रदेश के कारागारों में बंदी क्षमता के अनुरूप बैरकें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में कारागारों के प्रहरियों के वेतनमान संशोधित हो जाने के पश्चात् भी प्रहरियों को नये वेतनमान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

101. प्रदेश के शहरों के मध्य स्थित जेलों को सुरक्षा दृष्टि से अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. जेलों में बन्द कुख्यात अपराधियों द्वारा जेल से ही अपराध संचालित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

103. प्रदेश के कई कारागारों में स्थापित जैमर प्रणाली से ठीक प्रकार से कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश के कारागारों में कार्मिकों के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. प्रदेश के कारागारों में कुख्यात अपराधियों द्वारा उपयोग किये जाने

वाले मोबाइल तथा मादक पदार्थों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों द्वारा चूरू सहित अन्य जिलों में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल व फोन पर धमकी देकर फिरौती मांगे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

107. चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में बन्दियों हेतु समुचित चिकित्सा व्यवस्था कराये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिए।

108. चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने हेतु समुचित सी.सी.टी.वी कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

109. चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह में समुचित बैरकों आदि हेतु भवन की क्षमता बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

110. प्रदेश में जेल प्रहरियों की वेतन विसंगति दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र नोखा के कारागार में पर्याप्त स्टाफ का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. प्रदेश के कारागार विभाग में जेल की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा हेतु तैनात कर्मियों के वेतन व भत्ते समान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. प्रदेश में जेल प्रहरियों का हार्ड ड्यूटी भत्ता सिपाहियों के समकक्ष करने एवं रेडियेशन भत्ता दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

114. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ में उप कारागृह स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

115. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर उपखण्ड मुख्यालय पर समय-समय पर कारागार की सफाई एवं धुलाई कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116. विधान सभा क्षेत्र सोजत में कारागार को आधुनिक सुविधायुक्त करने व इसकी कांटेदार तारबंदी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. अजमेर जेल को हाइटेक किये जाने तथा अत्याधुनिक सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

118. प्रदेश के कारागृहों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की पुख्ता व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. कारागृहों में अलग से महिला वार्ड/बैरक चिन्हित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश में कैदी नियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बन्दियों की समय पूर्व रिहाई का समयबद्ध कैलेन्डर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. प्रदेश के कारागृहों में सजायाप्ता बन्दियों और विचाराधीन बन्दियों के पृथक वार्ड/बैरक की व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिए।

122. प्रदेश में सजायाप्ता और विचाराधीन कैदियों के लिये पौष्टिक व शुद्ध भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

123. केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के पुराने भवन की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. प्रदेश में एकमात्र हार्डकोर बंदियों की उच्च सुरक्षा एवं कारागृह, अजमेर में कार्यरत कारागृह कार्मिकों को हार्ड ड्यूटी भत्ता (जोखिम भत्ता) दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

125. केन्द्रीय कारागृह अजमेर में संगीन मामलों में सजा काट रहे कैदियों द्वारा उपयोग में लिए जा रहे मोबाइलों को तत्काल जब्त करने एवं दोषी जेल अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. केन्द्रीय कारागृह अजमेर में नई बैरकें बनाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. प्रदेश की जेलों में स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

128. प्रदेश की जेलों में जेल कर्मियों की भर्ती एवं जेल कर्मियों को आधुनिक हथियार एवं उपकरण तथा समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. प्रदेश के कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी रखे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

130. प्रदेश के कारागारों में बन्दियों हेतु स्वरोजगार के लिए हस्तशिल्प, हथकरघा आदि के कैम्प लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. प्रदेश के भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर स्थित कारागारों/उप कारागारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किये जाने एवं क्षमता के अनुरूप भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. प्रदेश की पुरानी जेलों के जर्जर भवनों के स्थान पर नये भवन बनाये जाने तथा नये स्थान पर स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

133. प्रदेश के कारागारों से कैदियों द्वारा अपराधों के संचालन की तेजी से बढ़ती घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी समयबद्ध कार्ययोजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

134. प्रदेश में न्यायालय में पेशियों पर ले जाते समय कैदियों के भागने की घटनाएं रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

135. प्रदेश के कारागारों में सी.सी.टी.वी. की केन्द्रीयकृत मानिटरिंग युक्त संस्थापना का कार्य अभियानपूर्वक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. कैदियों की अपराधिक मनोवृत्ति में सुधार हेतु कारागारों में योग, सत्संग, ललित कला, पुस्तकालय आदि की गतिविधियां नियमित संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. जोधपुर केन्द्रीय कारागार के आधुनिकीकरण तथा रख-रखाव हेतु विशेष बजट प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

138. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप कारागार में नवीन एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

139. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप कारागार में कैदियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप कारागार में सभी श्रेणी के विभिन्न रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

141. कारागारों में कैदियों को लाने एवं ले-जाने हेतु कार्मिकों को दिये जाने वाले वाहन भत्तों में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) के पुलिस थानों में कैदियों को रखने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

143. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में कारागार खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

144. जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के जिला कारागार में बंदियों को रखने हेतु जेल भवन में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

145. जेलों में विभिन्न अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

146. कोटा संभाग की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने और नई जेल निर्माण की योजना का कार्य आरम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

147. प्रदेश की जेलों में कैदियों की हत्या और संदिग्ध अवस्था में मौत के प्रकरणों की जांच नहीं होने तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

148. प्रदेश के कारागारों में कैदियों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशियां कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

149. प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

150. जेल कार्मिकों की समयबद्ध पदोन्नति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति तथा उनकी ग्रेड-पे बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

151. प्रदेश की कई जेलों में कैदियों द्वारा आपत्तिजनक वस्तुओं के उपयोग करने, जेल से ही बाहर अन्य आपराधिक गतिविधियां संचालित किये जाने पर रोकथाम हेतु चर्चा के लिए।

152. प्रदेश में खुली जेलों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

153. प्रदेश में कैदियों के अच्छे आचरण एवं स्वयं के अनुशासन के आधार पर खुले बंदी शिविरों में स्थान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उप कारागार में कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई बैरकें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

155. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उप कारागार में महिला बैरक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के उप कारागार में स्टाफ क्वार्टर्स बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्र के कारण खुली जेल/बंदी शिविर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

158. सिरोही कारागार को नगर के बाहर स्थानान्तरित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-03

माननीय श्री शांती कुमार धारीवाल, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का सदन पटल पर रखा गया शेष वक्तव्य

सदन में उठाये गये पुलिस सम्बन्धित मुद्दे

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
1.	09.03.2022	श्री राजेन्द्र राठौड़	थाना मण्डरालय जिला करौली रेंज भरतपुर में सिपाही के सिर फोड़ने की घटना।	इस मामले में अभियोग सं. 57/2021 दिनांक 26.04.2021 - धारा 302 ता.हि. थाना मण्डरायल पर कायम कर मुलजिम सम्पत सिंह के विरुद्ध चार्जशीट नम्बर 59 दिनांक 20.07.2021 में किता कर दिनांक 28.07.2021 को पेश न्यायालय की गई है।
2.	09.03.2022	श्री राजेन्द्र राठौड़	1. पुलिस कस्टडी में घटित घटना के संबंध में मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट भेजने के संबंध में।	पुलिस कस्टडी में मृत्यु के प्रकरणों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की गाइड लाइन के अनुसार पुलिस कस्टडी के संबंध में घटित घटना की सूचना 24 घण्टे में माननीय आयोग को प्रेषित की जानी होती है एवं धारा 176 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट जांच जरूरी होती है।

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
			2. पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरणों का विवरण	वर्ष 2019-20, 2020-21 व 01 जनवरी, 2022 तक कुल 14 पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरण सामने आये हैं, जिनमें 05 में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा 08 मर्ग दर्ज की गई है, जिनमें से 01 प्रकरण में चालान, 03 प्रकरणों में एफआर न्यायालय में पेश किये गये। 02 प्रकरणों में अनुसंधान जारी है। 08 मर्ग प्रकरणों में जांच पूरी की जाकर निस्तारण किया जा चुका है। 08 मर्ग प्रकरणों में 176 सीआरपीसी के तहत नियमानुसार जांच करवायी गयी। **पुलिस हिरासत में मृत्यु के प्रकरणों का विवरण:-** 1-कमल लोधा-आरोपी कमल लोधा द्वारा अपनी शर्ट का उपयोग कर हवालात के गेट के सरिये से फांसी खा ली गई जिसे तुरन्त ही एमबीएस हास्पीटल ले जाया गया, जहां दिनांक 22.09.21 को डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मर्ग संख्या 29/2021 धारा 176 (1-ए) सीआरपीसी। माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, कोटा द्वारा गई। न्यायिक जांच में नियम 17 सीसीए के तहत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				2- सुनील कुमावत - दिनांक 08.01.22 को प्रकरण संख्या 357/21 धारा 376, 420, 406 भादस पुलिस थाना कुचामन सिटी में दस्तयाब मुल्जिम सुनील कुमावत की तबीयत खराब होने पर एस.एम.एस. अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया जहां दौराने इलाज उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मृत्यु के संबंध में दर्ज मर्ग संख्या 01/2022 धारा 176 सीआरपीसी पुलिस थाना एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर सिटी पूर्व। पर दर्ज कर न्यायिक जांच श्रीमती स्वाति राव ए.सी.जे.एम. क्रम संख्या 10 जयपुर महानगर प्रथम द्वारा की जा रही है। कुचामन पुलिस टीम व हिरानी निवासी महिला के परिजनों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 10/2022 धारा 302 भादस पुलिस थाना एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर सिटी पूर्व का अनुसंधान श्री आलोक गौतम पु. नि. सी.आई.डी. (सीबी) द्वारा किया जा रहा है। दोषी पुलिस कार्मिकों के संबंध में जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन सिटी द्वारा की जा रही है।

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				3. अंकित त्यागी-प्रकरण संख्या 104/22 धारा 354 ए भादस, 78 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम अंकित त्यागी द्वारा थाना जवाहर सर्किल की हवालात में कम्बल की रस्सी बनाकर फांसी लगाकर दिनांक 20.02.22 को आत्महत्या कर ली। मृतक की मृत्यु के संबंध में दर्ज मर्ग संख्या 07/22 धारा 176 सीआरपीसी थाना जवाहर सर्किल पर दर्ज कर दिनांक 20.02.22 से न्यायिक जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट एसीएमएम क्रम 06 जयपुर महानगर प्रथम द्वारा की जा रही है। **4-बंशी गुर्जर-** प्र.सं. 151/21 धारा 379 भादस में गिरफ्तारशुदा मुल्जिम बंशी गुर्जर की तबीयत खराब होने पर दौराने इलाज मृत्यु हो गई जिस पर मर्ग सं. 09/21 धारा 176 सीआरपीसी में दर्ज कर न्यायिक जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं. 01 कोटपुतली द्वारा की जा रही है। ग्रामीणों के विरुद्ध दर्ज प्र. सं. 152/21 धारा 147. 148, 149, 302, 120बी भादस थाना सरूण्ड का अनुसंधान वृत्ताधिकारी वृत्त कोटपूतली द्वारा किया जा रहा है। दोषी पुलिस कार्मिकों के संबंध में प्राथमिक जांच

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपूतली द्वारा की जा रही है। **5-भजनलाल**-दो परिवारों में आपस में झगड़ा होने पर मृतक को रिपोर्ट करने व समझाइश हेतु थाने पर लाया गया, जहां सीढ़ियों से आते समय चक्कर आने पर सिर के बल गिरकर चोट आने के कारण दौराने इलाज मृत्यु होने पर मर्ग सं. 11/21 धारा 176 (1) ए सीआरपीसी में दर्ज की गई जिसकी न्यायिक जांच पूर्ण की जा चुकी है। प्र.सं. 141/21 धारा 147, 148, 149, 341, 323, 336, 302 भादस थाना चौथ का बरवाड़ा का अनुसंधान श्री रघुवीर सिंह भाटी उप अधीक्षक पुलिस सी.आई.डी. (सीबी) द्वारा किया जा रहा है। **6- राजू नायक**- प्र.सं. 139/21 धारा 363, 366 भादस व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना लोहावट में मुल्जिम राजू को दस्तयाब कर लाते समय तबीयत खराब होने पर दौराने इलाज मृत्यु हो जाने पर मर्ग सं. 55/21 धारा 176 सीआरपीसी थाना शास्त्री नगर जोधपुर पश्चिम में दर्ज कर

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				न्यायिक जांच महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 05 जोधपुर द्वारा की जा रही है। प्रशासनिक जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फलौदी द्वारा की जा रही है। **7-विमलचंद-** फागी थाने विमलचंद नाम से किसी व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा में मौत का प्रकरण घटित नहीं हुआ है। फागी थाने पर बाप बेटे के जमीन संबंधी विवाद के दौरान दिनांक 25.01.21 को दोनों पक्ष खुद चलकर थाने आये थे, उस दौरान खेमचन्द बैरवा अपनी पत्नी, बेटे, बहू व पोतों के साथ थाने से बाहर बैठकर विचार-विमर्श कर रहा था जिसके आपसी विचारविमर्श से राजीनामा हो जाने पर सभी अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान मृतक खेमचंद अचानक बेहोश हो गया जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की मृत्यु के संबंध में दर्ज प्रकरण संख्या 63/2021 धारा 306 भादस पुलिस थाना फागी जिला जयपुर ग्रामीण में पुलिस

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान से मृतक खेमचन्द की मृत्यु हार्ट अटैक आने के कारण होना पाया गया है। अनुसंधान से मृतक को किसी के द्वारा/पुलिस द्वारा प्रताड़ित करना नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अपनी राय में अंकित किया है कि In our opinion of board members primary mode of death is hsemorhagic shock caused due to rupture of lung blood vessels- अर्थात हमारी राय में मृत्यु का प्राथमिक तरीका फेफड़े की रक्त वाहिकाओं के टूटने के कारण होने वाला रक्त स्रावी झटका है। प्रकरण में एफ.एस.एल. परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार रासायनिक परीक्षण पर विसरा जार में ब्लड सैम्पल में किसी प्रकार का जहर व कीटनाशक नहीं पाया गया है। प्रकरण में मृतक के विसरा जार पैथोलोजी विभाग, एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में जमा करवाये गये हैं, जिनकी नतीजा रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				8. नगसिंह अलवर- नगसिंह अलवर के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय अलवर व भिवाड़ी से उक्त के संबंध में जरिये टेलीफोन मालूमात किया तो इस प्रकार का कोई जैर हिरासत पुलिस मृत्यु का प्रकरण घटित होना नहीं बताया।
			3. शिक्षकों के विरुद्ध बलात्कार के दर्ज प्रकरणों के सम्बन्ध में।	**पुलिस थाना माण्ढनः-** जिला अलवर में शिक्षकों के विरुद्ध बलात्कार के तीन प्रकरण पंजीबद्ध हुए , जो बाद अनुसंधान झूठे पाये गये हैं एवं तीनों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय में नतीजा पेश किया जा चुका है। **पुलिस थाना गुढागौडजी जिला झुंझुनूं में दर्ज** शिक्षकों के विरुद्ध बलात्कार के मामले में अनुसंधान से पीड़िता की विद्यालय में स्कूल फीस जमा नहीं होने से झूठा प्रकरण दर्ज कराना प्रथम दृष्टया सामने आया है एवं अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। **जिला भीलवाड़ा एवं नीम का थाना जिला सीकर** में वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 में शिक्षकों के विरुद्ध बलात्कार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
			4. पुलिसकर्मियों पर हमलों के प्रकरणों के संबंध में	वर्ष 2020, 2021 एवं जनवरी 2022 में पुलिस कर्मियों पर हमले के प्रकरण 393, 415, 29 वर्ष वार दर्ज हुए हैं जिनमें 331 292, 03 में चालान तथा एफ आर 27. 16. 00 दी गई है। एवं 35, 107, 26 प्रकरण वर्षवार पेण्डिंग हैं। पुलिसकर्मियों की हत्या के 04 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 03 प्रकरणों में चालान किया जा चुका है, 01 में अनुसंधान जारी है। पुलिसकर्मियों को कुचलने व घायल करने के वर्ष 2020 2021 जनवरी 2022 के वर्ष वार प्रकरण 25. 29, 05 दर्ज हुए हैं, जिनमें 23, 26, 01 प्रकरणों में चालान तथा 01, 01, 00 एफ आर एवं 01, 02, 04 प्रकरण पेण्डिंग हैं।
			5. राज्य में दर्ज अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार के प्रकरणों के संबंध में।	राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार के प्रकरण वर्ष 2019 2020 एवं 2021 में 6794, 7017. 7524 दर्ज हुए हैं, जिनमें 2020 से 2021 में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन गम्भीर चोट भी शंक एवं 3 एससी/एसटी

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				एक्ट शीर्षक में कमी आयी है। इन प्रकरणों में वर्ष 2021 में 50.80 प्रतिशत अदम वकूझूठ अर्थात 3260 प्रकरण झुठे, 1177 पेण्डिंग तथा 3087 प्रकरणों में चालान किया गया है। एफ. आर. दिये प्रकरणों में से 10 प्रतिशत प्रकरणों का आवश्यक रूप से सत्यापन करवाया जाता है। राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु महानिदेशक पुलिस एवं अति. महानिदेशक पुलिस सिविल राईटस द्वारा लम्बित प्रकरणों का वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से पर्यवेक्षण किया जाकर निस्तारण किया जा रहा है।
			6. राज्य में महिला अत्याचार एवं बलात्कार के प्रकरणों के संबंध में	राज्य में वर्ष 2020 में महिला अत्याचार के 34368 प्रकरण तथा 2021 में 40220 प्रकरण पंजीबंद्व हुए है, जो कि 17.03 प्रतिशत वृद्धि अर्थात 6825 अधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं। वर्ष 2021 में दर्ज प्रकरणों में 45.23 प्रतिशत झूठे पाये गये हैं।

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				वर्ष 2021 में बलात्कार के 6337 प्रकरण दर्ज हुए है, जो कि राज्य में निर्बाद पंजीकरण की व्यवस्था के कारण हुए है तथा 835 प्रकरण लम्बित है। इनका प्रतिशत 13.18 है। इन प्रकरणों में 43.18 प्रतिशत अदम वकूझुठ पाये गये है। वर्ष 2019 में बलात्कार के 5997, वर्ष 2020 में 5310, वर्ष 2021 में 6337 प्रकरण दर्ज हुए है। जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक महिला दुष्कर्म कें 11,368 प्रकरण दर्ज हुए है, जिनमें 5752 प्रकरणों में चार्जशीट दी जाकर 5450 प्रकरणों में चालान पेश किये जा चुके है। पोक्सो एक्ट में महिला दुष्कर्म के जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तक कुल 4091 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 2915 में चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। विगत 03 सालों में सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों में बालक बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, दुश्कर्म के कुल 92 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें 66 प्रकरणों में चार्ज शीट पेश की गयी व 83 दोषियों

क्र. सं.	दिनांक	विधायक का नाम	सदन में उठाये गये मुद्दे	जवाब
				को गिरफ्तार किया गया. 24 प्रकरणों में एफ आर लगायी गयी है तथा 02 प्रकरण पेण्डिंग है। राज्य वर्ष 2021 में पोक्सो एक्ट के कुल 3246 प्रकरण दर्ज हुए है एवं पोक्सो अधिनियम के 234 प्रकरणों में सजा हुई है। पत्र में दर्ज प्रकरण की संख्या 5793 एवं सजा के प्रकरण की संख्या 129 गलत अंकित की गई है। वर्ष 2020 व 2021 में कोविड 19 की परिस्थितियों के कारण न्यायालयों में राजकार्य शिथिल रहा है, जिसके कारण प्रकरणों में निर्णय समय पर नही हो सके हैं।
			7. राज्य में चोरी के दर्ज प्रकरणों के संबंध में	वर्ष 2021 में 34,873 चोरी के प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनका चालानी प्रतिशत 20.56 रहा है।
			8. राज्य में भादस में दर्ज प्रकरणों के संबंध में	राज्य में वर्ष 2019 में भा.द.स. के कुल 225306 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनमें वर्षवार कमी आई है। वर्ष 2020 में 193279 तथा वर्ष 2021 मके 2,14,552 प्रकरण दर्ज हुए हैं। वर्ष 2021 में 1023 प्रकरणों में 182 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।